

HINDI

BA/B.Com/B.B.A (Second Year), SEMESTER-III

पाठ लेखक

षेक. बाजी

यम. ए, हिन्दी पण्डित
हिन्दू कलशाला
गुंटूर।

डॉ. यस. आनंद

हिन्दी विभाग
सेंट मेरीज कलाशाला
हैदराबाद

डॉ.अन्नदासु .सरला देवी

एम.ए, एम.फिल, पी.एच.डी.
एस. एस & एन कालेज
नरसरावपेट।

लेखक और संपादक

डॉ. एम. मंजुला

एम.ए, एम.फिल, पी.एच.डी.
हिन्दी विभाग
रामकृष्ण हिन्दू हाई स्कूल
अमरावती, गुंटूर।

निर्देशक

डॉ . नागराजु बट्ट

M.H.R.M,M.B.A,L.L.M,M.A(Psy),M.A(Soc), M.Phil,Ph.D

दूरस्थ शिक्षा केंद्र, आचार्या नागार्जुना विश्वविद्यालय

नागार्जुना नगर – 522510

Phone No-0863-2346208, 0863-2346222

0863-2346259 (अध्ययन सामाग्री)

Website : www.anucde.info

e-mail : anucdedirector@gmail.com

Second Year BA/B.Com/B.B.A
Semester – III Second Language Hindi

First Edition :2023

No. of Copies :

© Acharya Nagarjuna University

This book is exclusively prepared for the use of students of Degree, Hindi Centre for Distance Education, Acharya Nagarjuna University and this book is meant for limited circulation only.

Published by:

Dr. NAGARAJU BATTU,

Director

Centre for Distance Education

Acharya Nagarjuna University

Printed at:

FOREWORD

Since its establishment in 1976, Acharya Nagarjuna University has been forging ahead in the path of progress and dynamism, offering a variety of courses and research contributions. I am extremely happy that by gaining 'A' grade from the NAAC in the year 2016, Acharya Nagarjuna University is offering educational opportunities at the UG, PG levels apart from research degrees to students from over 443 affiliated colleges spread over the two districts of Guntur and Prakasham.

The University has also started the Centre for Distance Education in 2003-04 with the aim of taking higher education to the door step of all the sectors of the society. The centre will be a great help to those who cannot join in colleges, those who cannot afford the exorbitant fees as regular students, and even to housewives desirous of pursuing higher studies. Acharya Nagarjuna University has started offering B.A., and B.Com courses at the Degree level and M.A., M.Com ,M.Sc., M.B.A., and L.L.M., courses at the PG level from the academic year 2003-2004 onwards.

To facilitate easier understanding by students studying through the distance mode, these self-instruction materials have been prepared by eminent and experienced teachers. The lessons have been drafted with great care and expertise in the stipulated time by these teachers. Constructive ideas and scholarly suggestions are welcome from students and teachers involved respectively. Such ideas will be incorporated for the greater efficacy of this distance mode of education. For clarification of doubts and feedback, weekly classes and contact classes will be arranged at the UG and PG levels respectively.

It is my aim that students getting higher education through the Centre for Distance Education should improve their qualification, have better employment opportunities and in turn be part of country's progress. It is my fond desire that in the years to come, the Centre for Distance Education will go from strength to strength in the form of new courses and by catering to a large number of people. My congratulations to all the Directors, Academic Coordinators, Editors and Lesson-writers of the Centre who have helped edit the seen devours.

Prof.P.RajaSekhar

Vice-Chancellor

Acharya Nagarjuna University

ACHARYA NAGARJUNA UNIVERSITY

BA/B.Com /B.B.A Second Year, SEMESTER-III

SECOND LANGUAGE – HINDI

Hindi Syllabus from the Academic Year 2020-21

काव्यदीप(Ancient & Modern Poetry)

Unit – I : काव्यदीप (Ancient & Modern Poetry) :

1. साखी -दोहे (कबीरदास) 1 से 10 तक
2. दोहे (1 से 10 तक) रहीम
3. मातृभूमि – मैथिलीशरण गुप्त
4. तोड़ती पत्थर - सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'
5. ओ दीपक ! बुझने के पहले - प्रो. पी. आदेश्वर राव

Unit – II हिन्दी साहित्य का इतिहास (History of Hindi Literature):

6. भक्ति काल – निर्गुण भक्ति धारा
7. ज्ञानाश्रयी शाखा – कबीर
8. प्रेमाश्रयी शाखा – जायसी

Unit – III साधारण निबन्ध (General Essays) :

9. समाचार पत्र
10. बेकरी की समस्या
11. कंप्यूटर
12. पर्यावरण और प्रदूषण
13. साहित्य और समाज

Unit – IV : अनुवाद (Translation) :

14. अनुवाद (अंग्रेजी से हिन्दी में) (Five Sentences)

Unit – V : प्रयोजन मूलक हिन्दी (Functional Hindi)

15. परिपत्र (Circular)
16. ज्ञापन (Memorandum)

अनुक्रमणिका

Unit – I : काव्यदीप (Ancient & Modern Poetry) :

- | | |
|---|-----------|
| 1. साखी -दोहे (कबीरदास) 1 से 10 | 1.1-1.9 |
| 2. दोहे (1 से 10 तक) रहीम | 2.1-2.10 |
| 3. मातृभूमि – मैथिलीशरण गुप्त | 3.1-3.13 |
| 4. तोड़ती पत्थर - सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' | 4.1- 4.10 |
| 5. ओ दीपक ! बुझने के पहले - प्रो. पी. आदेश्वर राव | 5.1-5.9 |

Unit – II हिन्दी साहित्य का इतिहास (History of Hindi Literature):

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 6. भक्ति काल – निर्गुण भक्ति धारा | 6.1-6.12 |
| 7. ज्ञानाश्रयी शाखा – कबीर | 7.1-7.1 9 |
| 8. प्रेमाश्रयी शाखा – जायसी | 8.1-8.16 |

Unit – III साधारण निबन्ध (General Essays) :

- | | |
|-------------------------|------------|
| 9. समाचार पत्र | 9.1-9.6 |
| 10. बेकरी की समस्या | 10.1-10.9 |
| 11. कंप्यूटर | 11.1-11.12 |
| 12. पर्यावरण और प्रदूषण | 12.1-12.9 |
| 13. साहित्य और समाज | 13.1-13.8 |

Unit – IV : अनुवाद (Translation) :

- | | |
|--|------------|
| 14. अनुवाद (अंग्रेजी से हिन्दी में) (Five Sentences) | 14.1-14.22 |
|--|------------|

Unit – V : प्रयोजन मूलक हिन्दी (Functional Hindi)

- | | |
|-------------------------|------------|
| 15. परिपत्र (Circular) | 15.1-15.11 |
| 16. ज्ञापन (Memorandum) | 16.1-16.10 |
-

ACHARYA NAGARJUNA UNIVERSITY

MODEL QUESTION PAPER (नमूना प्रश्न पत्र)

BA/B.Com/ B.B.A, Second Year, SEMESTER-III

(From the Academic Year 2021-2022)

GENERAL HINDI – III

समय :3 घंटे

अंक :75

- I. निम्न लिखित पद्याम्शोम में से किन्ही दो की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। 1x 5=10
- a) साधु ऐसा चाहिए, जैसे सूप सुभाय।
सार सार को गहि रहै, थोथा देइ उड़ाय ॥
- b) पाहन पूजे हरि मिलै, तो मैं पूजूं पहाड़।
ताते ये चाकी भली, पीस खाय संसार ॥
- c) रहिमन देखि बड़ेन को, लघु न दीजिये डारि।
जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारि ॥
- d) वह तोड़ती पत्थर;
देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर—
- II. किसी एक कविता का जीवन परिचय दीजिए। 1x10=10
- a) कबीरदास
b) मैथिलीशरण गुप्त
c) सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'
- III किसी एक कविता का सारांश लिखिए। 1x10=10
- a) मातृ भूमि
b) ओ दीपक! बुझ ने के पहले
- IV किसी एक साहित्यिक विषय पर विश्लेषणात्मक उत्तर लिखिए। 1x10=10
- a) ज्ञानाश्रयी शाखा – कबीरदास का स्थान।
b) प्रेमाश्रयी शाखा - जायसी का योगदान।
- V किसी एक विषय पर सामान्य निबन्ध लिखिए। 1x10=10
- a) साहित्य और समाज

- b) पर्यावरण और प्रदूषण
- c) समाचार पत्र

VI निम्न लिखित वाक्यों में से किन्हीं पाँच का हिन्दी में अनुवाद कीजिए।

5x3=15

- a) We will go to Bombay.
- b) Rama killed Ravana .
- c) We love our Country.
- d) Beauty is truth .
- e) A book is treasure house of knowledge.
- f) Rakesh wrote a poem.
- g) They are working hard .
- h) Sarita is singing a song .

VII. किसी एक अंश पर टिप्पणी लिखिए।

1x10=10

- a) परिपत्र (Circular) का प्रारूप तैयार कीजिए।
- b) ज्ञापन (Memorandum) किसे कहते हैं ? उदाहरण लिखिए।

पाठ -1 साखी

- कबीरदास

उद्देश्य :

कबीर दास भक्तिकाल के निरगुनभक्ती शख के प्रेयमुख भक्ता कवि है। इन के द्वारा लिखे गए हर एक दोहा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़े रहते हैं। कबीर दास की साखियों का मुख्य उद्देश्य लोगों को नीतिपरक ज्ञान, व्यवहार कुशलता, जीव एकता, प्राणियों में समानता और वैराग्य आदि की बातें सिखाना है। कबीर दास ने अपने गुरुजनों की बातों को सामान्य मनुष्य तक पहुँचाने के लिए साखी का उपयोग किया है। इस इकाई को पढ़ने के बाद हम निम्न विषयों को जान पायेंगे।

1. कबीर के वैयक्तिक जीवन का परिचय जान लेंगे।
2. कबीर के अनुभवों का, उनके साहित्य पर प्रभाव के बारे में जान लेंगे।
3. इस में कबीर संतृप्ति की आवश्यकता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं।
4. प्रेम की महानता इसमें बताई गयी।
5. कबीरदास जी गुरुकी महिमा का वर्णन करते हैं।

इकाई की रूप रेखा :-

- 1.1 प्रस्तावना
- 1.2 कबीरदास - कवि परिचय
- 1.3 काव्य वाचन- कबीर - दोहे
- 1.4 कठिन शब्दों के अर्थ
- 1.5 दोहों के भावार्थ
- 1.6 संदर्भ सहित व्याख्या
- 1.7 सारांश
- 1.8 बोध प्रश्न
- 1.9 सहायक ग्रन्थ

1.1 प्रस्तावना :

कबीरदासजी का प्रादुर्भाव उस समय हुआ था, जब देश में राजनीतिक दृष्टि से चारों ओर अस्थिरता, अशान्ति और अव्यवस्था का आलम छाया हुआ था। कबीर के समय में हिन्दू और मुस्लिम दो बड़ी जातियां निवास करती थीं। इन दोनों में आचार - विचार, रीति-रिवाजों, सामाजिक धार्मिक मान्यताओं आदि के बारे में दृढ़ता और कट्टरता की भावना विद्यमान थी, जिसकी वजह से ये दोनों जातियां पारस्परिक द्वेष और वैमनस्य रखती थीं। दोनों ही धर्मों के ठेकेदार भोली - भाली जनता को भ्रमित कर रहे थे। समाज में कुप्रथाओं, कुरीतियों,

मिथ्या आडम्बरों का बोलबाला था। ऐसे समय में एक ऐसे समाज सुधारक की आवश्यकता थी, जो दोनों धर्मों की बुराइयों को दूर कर उनमें एकता स्थापित कर सके। ऐसे समय में कबीरदासजी का प्रादुर्भाव हुआ।

उन्होंने दोनों धर्मों की बुराइयों को जनता के सामने रखा। हिन्दू धर्म में अनेक मत-मतान्तर प्रचलित थे। कोई निर्गुण, तो कोई सगुण, तो कोई वैष्णव, तो कोई शाक्त। कबीर ने दोनों धर्मों के आदर्शों का समन्वित रूप समाज के सामने रखा और उनका मार्ग प्रशस्त किया। हिन्दू-मुस्लिम में धार्मिक एकता को कायम की।

1.2 कबीरदास कवि परिचय :

कबीर (लगभग 1399-1495 ई.) अपने समय के उच्चकोटि के संत और क्रांतिकारी सुधारक थे। अपनी विचारधारा को उन्होंने कविता के माध्यम से प्रचारित किया, वैसे कविता मात्र करना उनका लक्ष्य नहीं था। वे पढ़े-लिखे नहीं थे, उन्होंने स्वयं स्वीकार भी किया है- 'मसि कागद छूओ नहीं कलम गही नहिं हाथ'। परन्तु जीवन के खुले विश्वविद्यालय में साधुजनों की संगति और स्थान-स्थान के पर्यटन से कबीर को पर्याप्त ज्ञानार्जन हुआ और उनके अनुभवों में भी वृद्धि हुई।

कबीर बड़े मस्तमौला और अकखड़ प्रवृत्ति थे। वे एक ओर बड़े-बड़े राजाओं और विद्वानों की परवाह नहीं करते थे किन्तु दूसरी ओर एक फकीर के आगे नतमस्तक हो जाने से भी हिचक नहीं करते थे। सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक बाह्याडम्बरों के वे प्रबल विरोधी थे और इसीलिए उन्होंने हिन्दू तथा मुसलमान दोनों की थोथी और पाखंडपूर्ण मान्यताओं पर चोट की। इसके साथ ही उन्होंने राम और रहीम के अभेद स्थापित कर 'ईश्वर सबका एक है' के सिद्धांत को प्रतिपादित कर धार्मिक ऐक्य की भावना को प्रचार किया। इस प्रकार उन्होंने हिन्दू-मुसलमानों के बीच जो भेद-भाव की खाई थी उसे मिटाने का अथक प्रयत्न किया। कबीर की कविताओं में अनुभूति की सच्चाई और भाव-प्रवणता तो है परन्तु कला की कारीगरी वहाँ नहीं है। सर्वसाधारण के लिए उन्होंने कविता की, अतः उसमें ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी और अरबी-फारसी के बोलचाली शब्दों का प्रयोग मिलता ही परन्तु इसके साथ अनेक स्थानों पर हठयोग की शब्दावली और प्रतिकों के प्रयोग से उसमें कुछ दुरूहता भी आ गई है।

1.3 दोहे

1. साधु ऐसा चाहिए, जैसे सूप सुभाय ।
सार सार को गहि रहै, थोथा देइ उड़ाय ॥
2. जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान ।
मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान ॥
3. पाहन पूजे हरि मिलै, तो मैं पूजूँ पहाड़ ।
ताते ये चाकी भली, पीस खाय संसार ॥
4. निन्दक नियरे रखिये, आँगन कुटी छवाय ।

- बिन पानी साबुन बिनु , निर्मल करै सुभाय ॥
5. जब मैं था तब हरि नहीं , अब हरि है मैं नाहिं ।
प्रेम गली अति साँकरी , ता में दो न समाहिं ॥
6. केसन कहा बिगारिया , जो मुँडै सौ बार ।
मन को काहे न मुँडिये , जामे विषय विकार ॥
7. जा घट प्रेम न संचरै , सो घट जान मसान ।
खाल लोहार की , साँस लेत बिन प्रान ॥
8. कबिरा संगत साधु की हरै और की व्याधि ।
संगत बुरी असाधु की , आठों पहर अपाधि ॥
9. कबिरा सतगुरु ना मिला , रही अधूरी सीख ।
स्वांग जती का पहिरि करि धरि धरि मांगै भीख ॥
10. संत न छाँडै संतई जौ कोटिक मिलहिं असंत ।
मल्य भुयंगम बैढिऔ (तऊ) सीतलता न तजंत ॥

1.4 कठिन शब्दों के अर्थ : (Meanings)

- 1) साधू = सज्जन (సత్పురుషుడు); सूप = अनाज फटकने का छाज , (चाँ); सुभय = स्वभाव , (స్వభావము)
सार - सार = मूल भाव ; थोथा = जिसके भीतर कुछ सार नहीं , भूसा , (దుమ్ము)
- 2) पूछि=पूछना, (అడుగుట); मोल=कीमत; म्यान=तलवार आदि रखने का कोष , (కత్తులు, బాణాలను పెట్టి అంబుల పొడి)
- 3) पाहन = पत्थर; पहार = पहाड़, पर्वत; ताते = उससे; भली = अच्छी ; संसार = दुनिया ।
- 4) निन्दक=निंदा करनेवाला , नियरे=निकट , छावाय=छवाकर , दूसरों से छाने , (ఇల్లు కప్పుట) का काम करना ;
बिन=बिना ; सुभाय=स्वभाव ।
- 5) हम = अहंकार ; नहीं = अत्यन्त ; साँकरी = तंग ; तामें = उसमें ; गुरु = ईश्वर ।
- 6) केसन = केश ; मुँडो = कटाओ ; बिगारिया = बिगाड़ना ।
- 7) घट = शरीर ; मसान = श्मशान ; खल = चमड़ा ।
- 8) संगत = दोस्ती ; हरै = हरण करता है ; व्याधि = रोग ; आपत्ति = दुःख ; उपाधि = उपद्रव , उत्पात ।
- 9) सतगुरु = सच्चा गुरु ; अधूरी = अपूर्ण ; धरि-धरि = द्वार-द्वार पर ।

- 10) संत = साधु ; जे = जो ; तब = तो भी ; असंत = असाधु ; संतई = सरल स्वभाव ; छाँडो = नहीं छोड़ता; भुजंगा = भुजंग , साँप ; न तजत = नहीं छोड़ता ।

1.5 दोहों के भावार्थ :

1. संत कबीरदास कहते हैं कि साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए । सूप सार तत्व को अपनाकर निस्सार को उड़ा देता है । उसी तरह हमें सद्गुणों को अपनाकर दुर्गुणों को छोड़ देना चाहिए ।
2. ज्ञान की श्रेष्ठता बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि साधु को जाति से नहीं ज्ञान से पहचानना चाहिए । उसके ज्ञान को महत्व और मान देना चाहिए । मूल्य तलवार का आँका जाता है । म्यान का नहीं ।
3. कबीरदास कहते हैं कि मंदिर में पत्थर से बने भगवान कि मूर्ति की पूजा करने से मुझे भगवान मिलता है मैं पहाड़ की ही पूजा करूँगा । कबीर की दृष्टि में भगवान रूपी पत्थर से बढ़कर चक्की से लोग आटा पीसकर , रोटी बनाकर अपनी भूख मिटाते हैं । इसलिए कबीर के अनुसार चक्की ही भली है ।
4. कबीरदास कहते हैं कि निंदक को अपने निकट रखना लाभकारी होता है । बिना पानी और साबुन के वह हमारा स्वभाव निर्मल कर देता है । कपड़ों को साफ करने के लिए साबुन और पानी की आवश्यकता है । साबुन और पानी कपड़ों की मलिनता को दूर कर उन्हें साफ करते हैं । परंतु निंदा करनेवाले बिना साबुन और बिना पानी के हमारी निंदा करके हमारे स्वभाव को सुधारने में मदद करते हैं । निकट होने से उन्हें हमारे दोष नजर आते हैं और वे तुरंत उन्हें बताकर हमें जागरूक बनाते हैं ।
5. कबीर कहते हैं – “ जब मैं था (मुझ में अहंभाव था) तब ईश्वर नहीं थे । अब ईश्वर हैं तो मैं नहीं हूँ । अर्थात् मेरा अहंभाव दूर हो गया है । प्रेम की गली बहुत तंग है । उसमें अहंकार और ईश्वर-प्रेम दोनों एक साथ नहीं रह सकते”
6. कबीरदास इस दोहे में स्वच्छ भावों वाले व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं । वे कहते हैं कि व्यक्ति जो गलत काम करता है और उससे बचने के लिए कई तीर्थ स्थलों का दर्शन करके अपने बलों का मुंडन करके पाप धोना चाहता है । कबीर कहते हैं कि सौ बार बाल मुंडवाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती । तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अपराध बोध से डरते रहने के बजाय मन में विकृत व मलिन ही नहीं आने देना अत्यन्त श्रेयस्करो होगा ।
7. महात्मा कबीरदास ने इस दोहे में प्रेम के महत्व के बारे में बताया है । जिस शरीर में प्रेम का संचार नहीं होता है । वह शरीर में जान होने पर भी श्मशान के समान है । लोहार की खाल (चमड़ा) साँस लेती है । लेकिन उसमें प्राण नहीं है । प्रेम रहित व्यक्ति लोहार की खाल के समान है ।
8. कबीर कहते हैं -“ साधु-सांगत्या दूसरों का दुःख दूर करता है । असाधु का सांगत्य सदा उत्पात मचाता है” ।
9. कबीर कहते हैं कि व्यक्ति चाहे कितना ज्ञानी क्यों न हो जाए , जब तक गुरु का आशीर्वाद उसे प्राप्त नहीं होता उसे प्राप्त नहीं होता उसका ज्ञान अधूरा ही रह जाता है । गुरु की कृपा के बिना वह घर-घर भिखारी की तरह सच्चे ज्ञान की खोज में भटकता ही रहता है ।

10. करोड़ों बुरे स्वभाव वाले , असाधु लोगों के मिलने पर भी साधु अपनी साधुता नहीं छोड़ता । चंदन के वृक्षों पर साँप लिपटे रहते हैं । तो भी चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता ।

1.7 संदर्भ सहित व्याख्या :

1. साधु ऐसा चाहिए , जैसे सूप सुभाय ।

सार सार को गहि रहै , थोथा देइ उड़ाय ॥

प्रस्तावना : प्रस्तुत संदर्भ “कबीर के दोहे” से दिया गया है । कवि कबीरदास जी हैं । कबीरदास जी हिन्दी साहित्य की निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं । आप की कविता में गुरु महिमा , निर्गुण भक्ति का प्रतिपादन, आचरण की शुद्धता, निराडंबरता, मानवतावाद, आदि कई विषय प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त हुए हैं । दोहा मात्रिक छंद होता है । साखी शब्द संस्कृत के शब्द साक्षी से लिया गया है । इसका अर्थ लिया गया है साक्ष्य। इसे उपदेश के रूप में भी जाना जाता है ।

संदर्भ : मानव जीवन में गुण दोषों का विस्लेषण किया गया है ।

व्याख्या : संत कबीरदास कहते हैं कि साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए । सूप सार तत्व को अपनाकर निस्सार को उड़ा देता है । उसी तरह हमें सद्गुणों को अपनाकर दुर्गुणों को छोड़ देना चाहिए ।

2. जाति न पूछो साधु की , पूछ लीजिए ज्ञान ।

मोल करो तलवार का , पड़ा रहन दो म्यान ॥

प्रस्तावना : प्रस्तुत संदर्भ “कबीर के दोहे” से दिया गया है । कवि कबीरदास जी हैं । कबीरदास जी हिन्दी साहित्य की निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं । आप की कविता में गुरु महिमा , निर्गुण भक्ति का प्रतिपादन, आचरण की शुद्धता, निराडंबरता, मानवतावाद, आदि कई विषय प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त हुए हैं । दोहा मात्रिक छंद होता है । साखी शब्द संस्कृत के शब्द साक्षी से लिया गया है । इसका अर्थ लिया गया है साक्ष्य। इसे उपदेश के रूप में भी जाना जाता है ।

संदर्भ : प्रस्तुत दोहे में कबीर ज्ञान राशी के बारे में कहते हैं ।

व्याख्या : ज्ञान की श्रेष्ठता बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि साधु को जाति से नहीं ज्ञान से पहचानना चाहिए । उसके ज्ञान को महत्व और मान देना चाहिए । मूल्य तलवार का आँका जाता है । म्यान का नहीं ।

3. पाहन पूजे हरि मिलै , तो मैं पूजँ पहाड़ ।

ताते ये चाकी भली , पीस खाय संसार ॥

प्रस्तावना : प्रस्तुत संदर्भ “कबीर के दोहे” से दिया गया है । कवि कबीरदास जी हैं । कबीरदास जी हिन्दी साहित्य की निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं । आप की कविता में गुरु महिमा , निर्गुण भक्ति का प्रतिपादन, आचरण की शुद्धता, निराडंबरता, मानवतावाद, आदि कई विषय प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त हुए हैं ।

। दोहा मात्रिक छंद होता है । साखी शब्द संस्कृत के शब्द साक्षी से लिया गया है। इसका अर्थ लिया गया है साक्ष्य। इसे उपदेश के रूप में भी जाना जाता है।

संदर्भ : प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी मूर्ति पूजा की विरोधी भावना का वर्णन किया गया है।

व्याख्या: कबीरदास कहते हैं कि मंदिर में पत्थर से बने भगवान कि मूर्ति की पूजा करने से मुझे भगवान मिलता है। मैं पहाड़ की ही पूजा करूँगा। कबीर की दृष्टि में भगवान रूपी पत्थर से बढ़कर चक्की से लोग आटा पीसकर, रोटी बनाकर अपनी भूख मिटाते हैं। इसलिए कबीर के अनुसार चक्की ही भली है।

4. **निन्दक नियरे रखिये, आँगन कुटी छवाय ।**

बिन पानी साबुन बिनु, निर्मल करै सुभाय ॥

प्रस्तावना : प्रस्तुत संदर्भ “कबीर के दोहे” से दिया गया है। कवि कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी हिन्दी साहित्य की निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। आप की कविता में गुरु महिमा, निर्गुण भक्ति का प्रतिपादन, आचरण की शुद्धता, निराडंबरता, मानवतावाद, आदि कई विषय प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त हुए हैं। दोहा मात्रिक छंद होता है । साखी शब्द संस्कृत के शब्द साक्षी से लिया गया है। इसका अर्थ लिया गया है साक्ष्य। इसे उपदेश के रूप में भी जाना जाता है।

संदर्भ : कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करनेवालों को पास रखने से लाभदायक ही है। तथा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देने की आवश्यकता के बारे में बताते हैं।

व्याख्या : कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारी निंदा करता है उसे हमारे समीप ही रखना चाहिए। जरूरत होतो उसके रहने के लिए कुटीर भी हमारे आँगन में ही बनवाकर सकीप में ही रखना चाहिए। उसकी बातों से हम सावधान रहते हैं। जिससे हमारा आचरण व स्वभाव निर्मल रहते हैं। निंदक तो अपनी कठिन बातों से साबुन और पानी के बिना ही हमारे स्वभाव को निर्मल बना डालता है। उसकी बातों से सजग रहकर हम अपने आचरण को साफ या पवित्र रखते हैं। एक प्रकार से निंदक हमारा उपकार ही करता है।

5. **जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहि ।**

प्रेम गली अति साँकरी, ता में दो न समाहि ॥

प्रस्तावना : प्रस्तुत संदर्भ “कबीर के दोहे” से दिया गया है। कवि कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी हिन्दी साहित्य की निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। आप की कविता में गुरु महिमा, निर्गुण भक्ति का प्रतिपादन, आचरण की शुद्धता, निराडंबरता, मानवतावाद, आदि कई विषय प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त हुए हैं। दोहा मात्रिक छंद होता है । साखी शब्द संस्कृत के शब्द साक्षी से लिया गया है। इसका अर्थ लिया गया है साक्ष्य। इसे उपदेश के रूप में भी जाना जाता है।

संदर्भ : प्रेम और अहंकार भावना इसमें बताई गयी हैं।

व्याख्या: कबीर कहते हैं- “ जब मैं था (मुझ में अहंभाव था) तब ईश्वर नहीं थे। अब ईश्वर हैं तो मैं नहीं हूँ। अर्थात् मेरा अहं केसन कहा बिगारिया , जो मूँडै सौ बार । भाव दूर हो गया है। प्रेम की गली बहुत तंग है। उसमें अहंकार और ईश्वर-प्रेम दोनों एक साथ नहीं रह सकते” ।

6. **केसन कहा बिगारिया , जो मूँडै सौ बार ।**

मन को काहे न मूँडिये , जामे विषय विकार ॥

प्रस्तावना : प्रस्तुत संदर्भ “कबीर के दोहे” से दिया गया है। कवि कबीरदास जी है। कबीरदास जी हिन्दी साहित्य की निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। आप की कविता में गुरु महिमा , निर्गुण भक्ति का प्रतिपादन, आचरण की शुद्धता, निराडंबरता, मानवतावाद, आदि कई विषय प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त हुए हैं। दोहा मात्रिक छंद होता है। साखी शब्द संस्कृत के शब्द साक्षी से लिया गया है। इसका अर्थ लिया गया है साक्ष्य। इसे उपदेश के रूप में भी जाना जाता है।

संदर्भ : इसमें कबीरदास मनुष्य अपने मन में शुद्धता की विषय बताई गयी हैं।

व्याख्या : कबीरदास इस दोहे में स्वच्छ भावों वाले व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति जो गलत काम करता है और उससे बचने के लिए कई तीर्थ स्थलों का दर्शन करके अपने बलों का मुंडन करके पाप धोना चाहता है। कबीर कहते हैं कि सौ बार बाल मुंडवाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अपराध बोध से डरते रहने के बजाय मन में विकृत व मलिन ही नहीं आने देना अत्यन्त श्रेयस्कर होगा।

7. **जा घट प्रेम न संचरै , सो घट जान मसान ।**

जैसे खाल लोहार की , साँस लेत बिन प्रान ॥

प्रस्तावना : प्रस्तुत संदर्भ “कबीर के दोहे” से दिया गया है। कवि कबीरदास जी है। कबीरदास जी हिन्दी साहित्य की निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। आप की कविता में गुरु महिमा , निर्गुण भक्ति का प्रतिपादन, आचरण की शुद्धता , निराडंबरता , मानवतावाद , आदि कई विषय प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त हुए हैं। दोहा मात्रिक छंद होता है। साखी शब्द संस्कृत के शब्द साक्षी से लिया गया है। इसका अर्थ लिया गया है साक्ष्य। इसे उपदेश के रूप में भी जाना जाता है।

संदर्भ : कबीरदास ने इस दोहे में प्रेम के महत्व के बारे में बताया है।

व्याख्या : महात्मा कबीरदास ने इस दोहे में प्रेम के महत्व के बारे में बताया है। जिस शरीर में प्रेम का संचार नहीं होता है। वह शरीर में जान होने पर भी श्मशान के समान है। लोहार की खाल (चमड़ा) साँस लेती है। लेकिन उसमें प्राण नहीं है। प्रेम रहित व्यक्ति लोहार की खाल के समान है।

8. **कबिरा संगत साधु की हरै और की व्याधि ।**

संगत बुरी असाधु की , आठों पहर अपाधि ॥

प्रस्तावना : प्रस्तुत संदर्भ “कबीर के दोहे” से दिया गया है। कवि कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी हिन्दी साहित्य की निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। आप की कविता में गुरु महिमा , निर्गुण भक्ति का प्रतिपादन , आचरण की शुद्धता , निराडंबरता , मानवतावाद , आदि कई विषय प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त हुए हैं। दोहा मात्रिक छंद होता है। साखी शब्द संस्कृत के शब्द साक्षी से लिया गया है। इसका अर्थ लिया गया है साक्ष्य। इसे उपदेश के रूप में भी जाना जाता है।

संदर्भ : इस दोहे में सज्जन सांगत्या का वर्णन किया गया।

व्याख्या : कबीर कहते हैं-“ साधु-सांगत्या दूसरों का दुःख दूर करता है। असाधु का सांगत्य सदा उत्पात मचाता है”।

9. कबिरा सतगुरु ना मिला , रही अधूरी सीख ।

स्वांग जती का पहिरि करि धरि धरि मांगै भीख ॥

प्रस्तावना : प्रस्तुत संदर्भ “कबीर के दोहे” से दिया गया है। कवि कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी हिन्दी साहित्य की निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। आप की कविता में गुरु महिमा , निर्गुण भक्ति का प्रतिपादन दोहा मात्रिक छंद होता है। साखी शब्द संस्कृत के शब्द साक्षी से लिया गया है। इसका अर्थ लिया गया है साक्ष्य। इसे उपदेश के रूप में भी जाना जाता है।

संदर्भ : कवि कबीरदास प्रस्तुत दोहे में गुरु की कृपा का विषय किया गया है।

व्याख्या : कबीर कहते हैं कि व्यक्ति चाहे कितना ज्ञानी क्यों न हो जाए , जब तक गुरु का आशीर्वाद उसे प्राप्त नहीं होता उसे प्राप्त नहीं होता उसका ज्ञान अधूरा ही रह जाता है। गुरु की कृपा के बिना वह घर-घर भिखारी की तरह सच्चे ज्ञान की खोज में भटकता ही रहता है।

10. संत न छांडै संतई जौ कोटिक मिलहि असंत ।

मल्य भुयंगम बैढिऔ (तऊ) सीतलता न तजंत ॥

प्रस्तावना : प्रस्तुत संदर्भ “कबीर के दोहे” से दिया गया है। कवि कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी हिन्दी साहित्य की निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। आप की कविता में गुरु महिमा , निर्गुण भक्ति का प्रतिपादन , आचरण की शुद्धता , निराडंबरता , मानवतावाद , आदि कई विषय प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त हुए हैं। दोहा मात्रिक छंद होता है। साखी शब्द संस्कृत के शब्द साक्षी से लिया गया है। इसका अर्थ लिया गया है साक्ष्य। इसे उपदेश के रूप में भी जाना जाता है।

संदर्भ : कवि कबीरदास प्रस्तुत दोहे में सज्जन और दुर्जन की तुलना का वर्णन किया गया है।

व्याख्या : करोड़ों बुरे स्वभाव वाले , असाधु लोगों के मिलने पर भी साधु अपनी साधुता नहीं छोड़ता। चंदन के वृक्षों पर साँप लिपटे रहते हैं। तो भी चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता।

1.7 सारांश :

कबीरदास अपने युग के प्रवर्तक कवि थे। भक्तिकालीन, निर्गुण काव्यधारा के वे ज्ञानमार्गी कवि थे। कविता करना उनका साध्य नहीं था। उन्होंने समाज-सुधार की भावना से कविताएं लिखीं। जो कुछ लिखा, वह संसार का यथार्थ है। वे रहस्यवादी साधना के सिद्ध-साधक कवि थे। अपने गुरु रामानन्द के उपदेशों और सिद्धान्तों का प्रचार उन्होंने जीवन-भर किया। वे उनके सच्चे शिष्य थे। साखी की पाठ व्याख्या :

ऐसी बाँणी बोलिये, मन का आपा खोइ।

अपना तन सीतल करै, औरन कौ सुख होइ ॥

इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमारा अपना तन मन भी सवस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट न हो अर्थात् दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। इन साखियों में कबीर ईश्वर प्रेम के महत्त्व को प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली साखी में कबीर मीठी भाषा का प्रयोग करने की सलाह देते हैं ताकि दूसरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त हो। दूसरी साखी में कबीर ईश्वर को मंदिरों और तीर्थों में ढूंढने के बजाये अपने मन में ढूंढने की सलाह देते हैं। तीसरी साखी में कबीर ने अहंकार और ईश्वर को एक दूसरे से विपरीत (उल्टा) बताया है। चौथी साखी में कबीर कहते हैं कि प्रभु को पाने की आशा उनको संसार के लोगो से अलग करती है। पाँचवी साखी में कबीर कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, अगर रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। छठी साखी में कबीर निंदा करने वालों को हमारे स्वभाव परिवर्तन में मुख्य मानते हैं। सातवीं साखी में कबीर ईश्वर प्रेम के अक्षर को पढ़ने वाले व्यक्ति को पंडित बताते हैं और अंतिम साखी में कबीर कहते हैं कि यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो मोह – माया का त्याग करना पड़ेगा।

1.8 बोध प्रश्न :

1. कबीर दस की व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालिए ?
2. मूर्तिपूजा के प्रति कबीर का विचार क्या है ?
3. कबीर का रहस्यवाद पर एक टिप्पणि लिखिए।
4. प्राचीन रीति-रिवाजों को कबीर कैसे खण्डन किया ?

1.9 सहायक ग्रन्थ सूची :

1. हिन्दी साहित्य का इतिहास – डॉ. नगेन्द्र
2. हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास – बाबू गुलाब राय
3. पद्यमंजरी – (सं) डॉ. टी. निर्मला, डॉ. एस. मोहन

- डॉ. अन्नदासु . सरला देवी

पाठ-2 दोहे

- रहीम

उद्देश्य :

भक्ति काल के और एक महान भक्ता कवि रहीम जी हे। इन्होंने ने अपने दोहों में समजिक , संस्कृतिक , ठाड़ा संप्रदायों के प्रति अपने विचारों को व्यक्त किये हैं। इस इकाई में हम रहीम के द्वारा लिखे गए दस दोहों को पढ़ेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद हम निम्न विषयों को जान पायेंगे।

1. रहीम जी के वैयक्तिक जीवन परिचय जान लेंगे।
2. रहीम के अनुभावों का , उनके साहित्य पर प्रभाव के बारे में जन लेंगे।
3. रहीम के दोहे इन के भावों को जान लेंगे।
4. कठिन शब्दार्थ और व्याख्याओं का अध्ययन कर लेंगे।
5. रहीम के लिखे गये विविध अंशों का परिचय प्राप्त कर लेंगे।

इकाई की रूप रेखा :

- 2.1 प्रस्तावना
- 2.2 रहीम - कवि परिचय
- 2.3 काव्य वाचन - रहीम - दोहे
- 2.4 कठिन शब्दों के अर्थ
- 2.5 दोहों के भावार्थ
- 2.6 संदर्भ सहित व्याख्या
- 2.7 सारांश
- 2.8 बोध प्रश्न
- 2.9 सहायक ग्रन्थ

2.1 प्रस्तावना :

अब्दुल रहीम खान-खाना या रहीम, एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कलाप्रेमी, एवं विद्वान थे। वे भारतीय सामासिक संस्कृति के अनन्य आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था। वे एक ही साथ कलम और तलवार के धनी थे और मानव प्रेम के सूत्रधार थे। जन्म से एक मुसलमान होते हुए भी हिंदू जीवन के अंतर्गमन में बैठकर रहीम ने जो मार्मिक तथ्य अंकित किये थे, उनकी विशाल हृदयता का परिचय देती हैं। हिंदू देवी-देवताओं, पर्वों, धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का जहाँ भी उनके द्वारा उल्लेख किया गया है, पूरी जानकारी एवं ईमानदारी के साथ किया गया है। वे जीवनभर हिंदू जीवन को भारतीय जीवन का

यथार्थ मानते रहे। रहीम ने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को उदाहरण के लिए चुना है और लौकिक जीवनव्यवहार पक्ष को उसके द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है, जो भारतीय संस्कृति की वर झलक को पेश करता है।

छिमा बड़न को चाहिये, छोटन को उतपात।

का रहीम हरि को घट्यौ, जो भृगु मारी लात ॥

2.2 रहीम - कवि परिचय :

रहीम मध्यकालीन सामंतवादी संस्कृति के कवि थे। वे कवि के साथ-साथ एक अच्छा सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कलाप्रेमी, ज्योतिष, व विद्वान थे। रहीम सांप्रदायिक सदभाव तथा सभी धर्मों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। रहीम कलम और तलवार के धनी थे और मानव प्रेम के सूत्रधार थे।

मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी रहीम ने अपनी काव्य रचना द्वारा हिन्दी साहित्य की जो सेवा की वह अद्भुत है। रहीम की कई रचनाएँ प्रसिद्ध हैं जिन्हें उन्होंने दोहों के रूप में लिखा। रहीम के बारे में यह कहा जाता है कि वह धर्म से मुसलमान और संस्कृति से शुद्ध भारतीय थे।

रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम (अब्दुरहीम) खानखाना था। आपका जन्म 17 दिसम्बर 1556 को लाहौर (अब पाकिस्तान) में हुआ। रहीम के पिता का नाम बैरम खान तथा माता का नाम सुल्ताना बेगम था, जो एक कवियित्री थी। उनके पिता बैरम खाँ मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। कहा जाता है कि रहीम का नामकरण अकबर ने ही किया था। रहीम को वीरता, राजनीति, राज्य-संचालन, दानशीलता तथा काव्य जैसे अदभुत गुण अपने माता-पिता से विरासत में मिले थे। बचपन से ही रहीम साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे।

उनके पिता बैरम खान बादशाह अकबर के बेहद करीबी थे। उन्होंने अपनी कुशल नीति से अकबर के राज्य को मजबूत बनाने में पूरा सहयोग दिया। किसी कारणवश बैरम खाँ और अकबर के बीच मतभेद हो गया। अकबर ने बैरम खाँ के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया और अपने उस्ताद की मान एवं लाज रखते हुए उसे हज पर जाने की इच्छा जताई। परिणामस्वरूप बैरम खाँ हज के लिए रवाना हो गये।

शिक्षा- दीक्षा –

रहीम की शिक्षा- दीक्षा अकबर की उदार धर्म- निरपेक्ष नीति के अनुकूल हुई। मुल्ला मुहम्मद अमीन रहीम के शिक्षक थे। इन्होंने रहीम को तुर्की, अरबी व फारसी भाषा की शिक्षा व ज्ञान दिया। इन्होंने ही रहीम को छंद रचना, कविता, गणित, तर्कशास्त्र तथा फारसी व्याकरण का ज्ञान भी करवाया। इसके बदाऊनी रहीम के संस्कृत के शिक्षक थे। इसी शिक्षा- दीक्षा के कारण रहीम का काव्य आज भी हिंदूओं के गले का कण्ठहार बना हुआ है।

रहीम की शादी –

रहीम दास का विवाह मात्र 16 वर्ष की वायु में जीजा कोका की बहन माहबानों से हुवा था ।
माहबानो से अब्दुल रहीम को दो बेटियां और तीन बेटे थे। इसके बाद रहीम ने दो और विवाह किये थे ।

रहीम की मृत्यु और कब्र –

1626 ई. में 70 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गयी। दिल्ली में स्थित खान ए. खाना के नाम से प्रसिद्ध यह मक़बरा अब्दुरहीम खानखाना का है। इस मक़बरे का निर्माण रहीम के द्वारा अपनी बेगम की याद में करवाया गया था, जिनकी मृत्यु 1598 ई. में हो गयी थी। बाद में खुद रहीम को 1627 ई. में उनके मृत्यु के बाद इसी मक़बरे में दफनाया गया ।

2.3 रहीम के दोहे :

1. तरुवर फल नहिं खात हैं, सरवर पियहिं न पान।
कहि रहीम पर काज हित, संपति सँचहि सुजान॥
2. दीन सबन को लखत है, दीनहिं लखै न कोय।
जो रहीम दिनहिं लखै, दीनबंधु सम होय॥
3. खीरा सिर ते काटि ए , मलियत लौन लगाय।
रहिमन करुए मुखन को, चाहिए यही सजाय ॥
4. कहि रहीम संपतित सगे , बनत कहत बह , रीत ।
बिपति कसौटी जे कसे , तेई साँचे मीत ॥
5. रहिमन देखि बड़ेन को, लघु न दीजिये डारि।
जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारि॥
6. खैर, खून, खाँसी, खुसी, बैर, प्रीति, मदपान ।
रहिमन दाबे ना दबैं, जानत सकल जहान ॥
7. जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग ।
चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग ॥
8. यह रहीम निज संग ले , जनमत जगत न कोय ।
बैर प्रीति अभ्यास जस , होत-होत ही गये ॥
9. दोनों रहिमन एक से, जों लों बोलत नाहिं ।
जान परत हैं काक पिक, रितु बसंत के माहिं ॥
10. ससि सकोच साहस सलिल , मान सानेह रहीम ।
बढ़त-बढ़त बढि जात हे , घटत-घटत घटि सीम ॥

2.4 कठिन शब्दों के अर्थ :

- 1) तरुवर = पेड़ , वृक्ष ; खात = खाते ; सरवर = तालाब ; पियहिं = पीते ; सुजान = साधु , सज्जन

- परकाज = परजन , दूसरे व्यक्ति ; संपाति = धन ; संचहिं = संचय करना , इकट्ठा करना ।
- 2) दीन = दुखी ; सबन को = सभी को ; लखत = लगते हैं ; दीनबंधु = भगवान ;
समहोय = समान है ; कोय = कोई भी ।
- 3) खीरा = खाने की तुरई ; काटिए = काटना ; मालियत = मलना , लगाना ; करुए = कटु , कड़ुवा
मखन = मुंख , चहरा ; इहै = ऐसा ही ; सजाय = सजा ; नोन = नमक ।
- 4) कहि रहीम = रहीम कहते हैं कि ; संपतित = धन-दौलत ; बहु रीत = अनेक प्रकार के
विपति = कष्ट , दुःख , संकट ; मीत = मित्र ।
- 5) देख = देखकर ; बाड़ेन को = बड़ों को ; लघु = छोटे लोग ; डारि = त्यागना , छोड़ देना
काम आवै = काम आती है ; कहा करै = क्या कर सकती है ; तरवारि = तलवार , छुरि ।
- 6) खैर खून खांसी खुशी = कत्था , नर-हत्या , दमे की बीमारी और खुशी ; जानत = जानते हुए भी
वैर प्रति मद-पान = शत्रुता , प्रेम और शराब पानी ; सकल जहान = सारा संसार ।
- 7) उत्तम = अच्छा , श्रेष्ठ ; प्रकृति = स्वभाव ; का = क्या ; करि सकत = कर सकता है
कुसंग = बुरी दोस्ती , संगति ; व्याप्त = फैलता ; लपटे = लिपटकर ; भुजंग = साँप ।
- 8) निज = अपना ; जस = यश ; जनमत = अन्य व्यक्तियों के विचार ; वैर = शत्रुता ; प्रीति = स्नेह ।
- 9) जो लौ = जब तक ; बोलत नहीं = नहीं बोलते ; जान परत = दिखने लगते हैं ।
काक = कौआ ; पिक = कोयल ; महिं = आते ही ।
- 10) संकोच = संदेह ; मान = सम्मान , मर्यादा ; घटत-घटत = कम हो जाना ; सानेह = मित्रता ।

2.5 दोहों के भावार्थ :

1. अर्थ: रहीम कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और सरोवर भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है । इसी तरह अच्छे और सज्जन व्यक्ति वो हैं जो दूसरों के कार्य के लिए संपत्ति को संचित करते हैं ।
2. रहीम कहते हैं कि दुःखी और दिन व्यक्ति की जो सेवा करता है ईश्वर उनकी सेवा करता है । उन्हे किसी प्रकार का कोई दुःख नहीं होता । जैसे सुख में भगवान याद नहीं आते हैं । परंतु मनुष्य को कुछ कष्ट या संकट आता है तो वह तुरंत ईश्वर का नित्य प्रति स्मरण करते ही रहता है । अर्थात् हमेशा भगवान का स्मरण करेंगे तो किसी को भी कोई दुःख नहीं होता ।
3. रहीम कहते हैं कि खीरे का कड़ुवापन दूर करने के लिए तुरई के ऊपरी सिर को काटने के बाद नमक लगा कर घिसा जाता है । इससे उसका कड़ुवापन अर्थात् बुरे विचार नष्ट हो जाते हैं । बुरे व्यक्ति के साथ इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए । रहीम कहते हैं कि कड़ुवे मुंह वाले के लिए – कटु वचन बोलने वाले के लिए यही सजा ठीक है ।

4. रहीम कहते हैं कि व्यक्ति जब धनवान होता तो सुखी होता है , और सब लोग उसका आदर करते हैं। परन्तु किसी कारण वश , वह निर्धन व दुखी हो जाता तो कोई भी उसका दुःख नहीं बाँटता । ऐसे में अपने सगे संबंध भी पराये , बैरी हो जाते हैं।

5. रहीम कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बाहरी आकार या शान को देखकर छोटी वस्तु या व्यक्ति के गुणों को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार बड़ों को देखकर छोटों को भगा नहीं देना चाहिए । क्योंकि जहाँ छोटे का काम होता है वहाँ बड़ा कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि सुई के काम को तलवार नहीं कर सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक व्यक्ति या वस्तु की अपनी-अपनी विशेषता होती है।

6. रहीम कहते हैं कि कत्था , नर-हत्या , दमे की बीमारी और खुशी साथ-साथ चलते हैं , मनुष्य यह जानते हुये भी शराब पिता है , प्रेम में पड जाता है। यह सारा संसार कुछ बाह्य प्रलोभनों से अपने आप-को बचा नहीं पड़ा। इसी के प्रति रहीम दुःख व्यक्त करते हुये कहते हैं कि यह सांसारिक सीख क्षण भर आनंद देने वाले मात्र हैं शाश्वत नहीं। सारा संसार जानता है की खैरियत , खून, खाँसी, खुशी, दुश्मनी, प्रेम और शराब का नशा छुपाने से नहीं छुपता हैं।

7. रहीम इस दोहे में सज्जन व्यक्ति की सज्जनता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार साधु या सज्जन व्यक्ति बुरी संगति में रहते हुए भी अपने मौलिक सद्गुणों को नहीं खोता ठीक उसी प्रकार चन्दन वृक्ष पर यदि जहरीले साँप लिपटे रहने पर भी अपना सुगंध नहीं त्यागता। कहने का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को जीवन में अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ना चाहिए। (या)

रहीम कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं ,उनको बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती. जहरीले साँप चन्दन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते।

8. रहीम इस दोहे में कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यश , धन , प्रेम , द्वेष जैसी भावनाएँ होती हैं। परंतु व्यक्ति को केवल अच्छे गुणों का ही अभ्यस्त होना चाहिए। क्योंकि यह संसार दो प्रमुख तत्वों पर आधारित है – अच्छा और बुरा। बुरे गुणों से हमेशा सतर्क रहना आवश्यक है।

9. रहीम इस दोहे में कहते हैं कि बाहरी रूप से कौआ और कोयल देखने में एक समान लगते हैं , परंतु उनकी विशेषता बसंत ऋतु के आते ही पता चलती है। क्यों कि इस ऋतु में कोयल मीठे स्वर से गाती है तो उसकी विशेषता हमारे सामने प्रकट होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य सभी देखने में एक समान लगते हैं परंतु उनकी विशेषता संदर्भानुसार उनके कृत्यों तथा वचनों के द्वारा पता चलता है। (या)

कौआ और कोयल रंग में एक समान होते हैं। जब तक ये बोलते नहीं तब तक इनकी पहचान नहीं हो पाती। लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज़ से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है।

10 रहीम इसमें कहते हैं कि साहस, स्नेह, प्रेम और जैसे अच्छे गुण जीतने बाँटते रहते हैं, वे व्यक्ति में उतने ही बढ़ते ही जाते हैं। दूसरी ओर बुरे गुण भी यदि व्यक्ति अपने में निहित बुरे गुणों को नहीं छोड़ना चाहता है, तो वे उन गुणों का ही अभ्यस्त हो जाता है। और अन्ततः वह बुरा व्यक्ति ही माना जाने लगता है, तब चाहे वह अच्छा बनना भी चाहे तो भी।

2.6 संदर्भ सहित व्याख्या :

1. तरुवर फल नहिं खात हैं, सरवर पियहिं न पान ।
कहि रहीम पर काज हित, संपत्ति सँचहि सुजान ॥

प्रस्तावना : अब्दुरहीम खान-ए-खाना या रहीम, एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कलाप्रेमी, एवं विद्वान थे। वे भारतीय सामासिक संस्कृति के अनन्य आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था।

संदर्भ : पेड़ और जलाशय परोपकार है। सज्जन व्यक्ति भी परोपकार में ही अपना जीवन बिताते हैं।

व्याख्या : रहीम कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और सरोवर भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। इसी तरह अच्छे और सज्जन व्यक्ति वो हैं जो दूसरों के कार्य के लिए संपत्ति को संचित करते हैं।

2. दीन सबन को लखत है, दीनहिं लखै न कोय ।
जो रहीम दिनहिं लखै, दीनबंधु सम होय ॥

प्रस्तावना: अब्दुरहीम खान-ए-खाना या रहीम, एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कलाप्रेमी, एवं विद्वान थे। वे भारतीय सामासिक संस्कृति के अनन्य आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था।

संदर्भ: इस में परमात्मा की महिमा बताई गयी है। हमेशा भगवान की याद के बारे में बताया गया।

व्याख्या : रहीम कहते हैं कि दुःखी और दिन व्यक्ति की जो सेवा करता है ईश्वर उनकी सेवा करता है। उन्हे किसी प्रकार का कोई दुःख नहीं होता। जैसे सुख में भगवान याद नहीं आते हैं। परंतु मनुष्य को कुछ कष्ट या

संकट आता है तो वह तुरंत ईश्वर का नित्य प्रति स्मरण करते ही रहता है। अर्थात् हमेशा भगवान का स्मरण करेंगे तो किसी को भी कोई दुःख नहीं होता।

3. **खीरा सिर ते काटि ए , मलियत लौन लगाय ।**

रहिमन करुए मुखन को, चाहिए यही सजाय ॥

प्रस्तावना: अब्दुरहीम खान-ए-खाना या रहीम , एक मध्यकालीन कवि , सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कलाप्रेमी, एवं विद्वान थे। वे भारतीय सामासिक संस्कृति के अनन्य आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था।

संदर्भ: रहीम कहते हैं –“खीरे का कड़ुवापन दूर करने के लिए उसके ऊपरी सिर को काटकर , उस पर नमक माला जाता है। कड़ुवे मुँहवाले के लिए यही सजा ठीक है।

व्याख्या : रहीम कहते हैं कि खीरे का कड़ुवापन दूर करने के लिए तुरई के ऊपरी सिर को काटने के बाद नमक लगा कर घिसा जाता है। इससे उसका कड़ुवापन अर्थात् बुरे विचार नष्ट हो जाते हैं। बुरे व्यक्ति के साथ इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। रहीम कहते हैं कि कड़ुवे मुँह वाले के लिए – कटु वचन बोलने वाले के लिए यही सजा ठीक है।

4. **कहि रहीम संपति सगे , बनत कहत बह , रीत ।**

बिपति कसौटी जे कसे , तेई साँचे मीत ॥

प्रस्तावना: अब्दुरहीम खान-ए-खाना या रहीम , एक मध्यकालीन कवि , सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कलाप्रेमी, एवं विद्वान थे। वे भारतीय सामासिक संस्कृति के अनन्य आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था।

संदर्भ: इस में कपात प्रेम और अनन्य प्रेम का अंतर बताया गया।

व्याख्या: रहीम कहते हैं कि व्यक्ति जब धनवान होता तो सुखी होता है , और सब लोग उसका आदर करते हैं। परन्तु किसी कारण वश , वह निर्धन व दुखी हो जाता तो कोई भी उसका दुःख नहीं बाँटता । ऐसे में अपने सगे संबंध भी पराये , बैरी हो जाते हैं।

5. **रहिमन देखि बड़ैन को, लघु न दीजिये डारि ।**

जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारि ॥

प्रस्तावना: अब्दुरहीम खान-ए-खाना या रहीम , एक मध्यकालीन कवि , सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कलाप्रेमी, एवं विद्वान थे। वे भारतीय सामासिक संस्कृति के अनन्य

आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था।

संदर्भ: इस में बताया गया है कि बड़े लोगों के सहयोग को देखकर छोटे लोगों को अनादर नहीं करना चाहिए।

व्याख्या: रहीम कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बाहरी आकार या शान को देखकर छोटी वस्तु या व्यक्ति के गुणों को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार बड़ों को देखकर छोटों को भगा नहीं देना चाहिए। क्योंकि जहाँ छोटे का काम होता है वहाँ बड़ा कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि सुई के काम को तलवार नहीं कर सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक व्यक्ति या वस्तु की अपनी-अपनी विशेषता होती है।

6

खैर, खून, खाँसी, खुशी, बैर, प्रीति, मदपान।

रहिमन दाबे ना दबैं, जानत सकल जहान ॥

प्रस्तावना: अब्दुरहीम खान-ए-खाना या रहीम, एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कलाप्रेमी, एवं विद्वान थे। वे भारतीय सामासिक संस्कृति के अनन्य आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था।

संदर्भ: इस में शत्रुता और प्रेम की भावना बातों में या मुख की चेष्टाओं में व्यक्त होती है। छिपाने से प्रयोजन नहीं होता।

व्याख्या: रहीम कहते हैं कि कत्था, नर-हत्या, दमे की बीमारी और खुशी साथ-साथ चलते हैं, मनुष्य यह जानते हुये भी शराब पिता है, प्रेम में पड जाता है। यह सारा संसार कुछ बाह्य प्रलोभनों से अपने आप-को बचा नहीं पड़ा। इसी के प्रति रहीम दुःख व्यक्त करते हुये कहते हैं कि यह सांसारिक सीख क्षण भर आनंद देने वाले मात्र हैं शाश्वत नहीं। सारा संसार जानता हैं की खैरियत, खून, खाँसी, खुशी, दुश्मनी, प्रेम और शराब का नशा छुपाने से नहीं छुपता हैं।

7

जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग।

चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग ॥

प्रस्तावना: अब्दुरहीम खान-ए-खाना या रहीम, एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कलाप्रेमी, एवं विद्वान थे। वे भारतीय सामासिक संस्कृति के अनन्य आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था।

संदर्भ: इस में रहीम ने बताया है कि अच्छे लोगों पर बुरी दोस्ती का कि प्रभाव नहीं पड़ता।

व्याख्या: रहीम इस दोहे में सज्जन व्यक्ति की सज्जनता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार साधु या सज्जन व्यक्ति बुरी संगति में रहते हुए भी अपने मौलिक सद्गुणों को नहीं खोता ठीक उसी प्रकार चन्दन वृक्ष पर यदि जहरीले साँप लिपटे रहने पर भी अपना सुगंध नहीं त्यागता। कहने का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को जीवन में अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ना चाहिए।

8 **यह रहीम निज संग ले , जनमत जगत न कोय ।
बैर प्रीति अभ्यास जस , होत-होत ही गये ॥**

प्रस्तावना: अब्दुरहीम खान-ए-खाना या रहीम, एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कलाप्रेमी, एवं विद्वान थे। वे भारतीय सामासिक संस्कृति के अनन्य आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था।

संदर्भ: रहीम कहते हैं कि नीच लोगों के संगति में अच्छे लोगों को भी कलंक लगता है।

व्याख्या: रहीम इस दोहे में कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यश , धन , प्रेम , द्वेष जैसी भावनाएँ होती हैं। परंतु व्यक्ति को केवल अच्छे गुणों का ही अभ्यस्त होना चाहिए। क्योंकि यह संसार दो प्रमुख तत्वों पर आधारित है – अच्छा और बुरा। बुरे गुणों से हमेशा सतर्क रहना आवश्यक है।

9 **दोनों रहिमन एक से, जों लों बोलत नाहिं ।
जान परत हैं काक पिक, रितु बसंत के माहिं ॥**

प्रस्तावना: अब्दुरहीम खान-ए-खाना या रहीम , एक मध्यकालीन कवि , सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कलाप्रेमी, एवं विद्वान थे। वे भारतीय सामासिक संस्कृति के अनन्य आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था।

संदर्भ: मनुष्य की चाल चलन के अनुसार अच्छा और बुरा का ही पता चलता है।

व्याख्या: रहीम इस दोहे में कहते हैं कि बाहरी रूप से कौआ और कोयल देखने में एक समान लगते हैं , परंतु उनकी विशेषता बसंत ऋतु के आते ही पता चलती है। क्योंकि इस ऋतु में कोयल मीठे स्वर से गाती है तो उसकी विशेषता हमारे सामने प्रकट होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य सभी देखने में एक समान लगते हैं परंतु उनकी विशेषता संदर्भानुसार उनके कृत्यों तथा वचनों के द्वारा पता चलता है।

10 **ससि सकोच साहस सलिल , मान सानेह रहीम ।
बढ़त-बढ़त बढि जात हे , घटत-घटत घटि सीम ॥**

प्रस्तावना: अब्दुरहीम खान-ए-खाना या रहीम, एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कलाप्रेमी, एवं विद्वान थे। वे भारतीय सामासिक संस्कृति के अनन्य

आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था।

संदर्भ: संसार में साहस , स्नेह , प्रेम और जैसे अच्छे गुण जीतने बाँटते रहते हैं , वे व्यक्ती में उतने ही बढ़ते ही जाते हैं।

व्याख्या: रहीम इसमें कहते हैं कि साहस , स्नेह , प्रेम और जैसे अच्छे गुण जीतने बाँटते रहते हैं , वे व्यक्ती में उतने ही बढ़ते ही जाते हैं। दूसरी ओर बुरे गुण भी यदि व्यक्ति अपने में निहित बुरे गुणों को नहीं छोड़ना चाहता है , तो वे उन गुणों का ही अभ्यस्त हो जाता है। और अन्ततः वह बुरा व्यक्ति ही माना जाने लगता है , तब चाहे वह अच्छा बनना भी चाहे तो भी।

2.7 सारांश :

रहीम अपने दोहों में कहते हैं कि किसी भी बड़े को छोटा कहने से बड़े का बड़प्पन कम नहीं होता , क्योंकि गिरिधर को कान्हा कहने से उनकी महिमा में कमी नहीं होती। रहीम दास जी के इस दोहे से माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि बड़प्पन नाम से नहीं बल्कि कामों से दिखता है। इसलिए किसी भी बड़े को छोटा कहने पर उसका बड़प्पन कम नहीं होता । रहिमान धागा प्रेम का , मत तोड़ो चटकाया। टूटे से फिर ना जुड़े , जुड़े गांठ पर जाया। अर्थ : अर्थात् रहीम दास जी कहते हैं कि हमें प्रेम के बंधन को कभी तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि यह यदि एक बार टूट जाता है तो फिर दुबारा नहीं जुड़ता और यदि जुड़ता भी है तो गांठ पड़ जाती है । रहीम दास जी ने अपने इस दोहे के माध्यम से ऐसे लोगों को शिक्षा देने की कोशिश की है , जिन्हें यह लगता है कि उन्हें किसी अन्य नाम से पुकारने से उनका महत्व कम हो जाएगा या फिर वे छोटे हो जाएंगे। “जो बड़े को लघु कहें, नहीं रहीम घटी जाहिं। गिरिधर मुरलीधर कहें, कछु दुःख मानत नाहिं।”

2.8 बोध प्रश्न :

1. रहीम का परिचय दीजिए।
2. रहीम के नीति के बारे में प्रकाश डालिए।
3. रहीम के दोहे की विशेषताएँ बताइये।

2.9 सहायक ग्रन्थ :

1. हिन्दी साहित्य का इतिहास – डॉ. नगेन्द्र
2. रहीम ग्रंथावली – डॉ. श्याम सुंदरदास
3. प्राचीन पद्य चयनिका – डॉ. डि. रामचन्द्र बोस

- डॉ. अन्नदासु . सरला देवी

पाठ -3 मातृ भूमि

मैथिली शरण गुप्त

उद्देश्य :

आधुनिक हिन्दी कवियों में मैथिलीशरण गुप्त का स्थान अग्रगण्या है उन के द्वारा रखी गई मातृ भूमि नामक इस कविता में कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने देश भक्ति और देश प्रेम के द्वारा लोगों में प्रेरणा जगाने का संदेश दे रहा है। इस इकाई में इन अंशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

1. मातृ भूमि की महत्व के बारे में वर्णन।
2. मातृ भूमि की अपर प्रेम का वर्णन।
3. सच्चाई के बारे में कवि का उद्देश्य।
4. मातृ भूमि की प्यार और क्रोध से संबन्धित कवि का उद्देश्य।
5. मातृ भूमि की विशेषता।
6. गुप्त जी की कृतियों में मानव-जीवन का व्यापक चित्रण, आदि के बारे में जानलेंगे।

इकाई की रूप रेखा :

- 3.1 प्रस्तावना
- 3.2 आधुनिक हिन्दी काव्य की प्रगति
- 3.3 कवि परिचय
- 3.4 काव्य वाचन- (मूल-पाठ)
- 3.5 कठिन शब्दों के अर्थ
- 3.6 कविता का सारांश
- 3.7 काव्यागत विशेषताएँ
- 3.8 संदर्भ सहित व्याख्याएँ
- 3.9 सारांश
- 3.10 बोध प्रश्न
- 3.11 सहायक ग्रन्थ

3.1 प्रस्तावना :

श्री मैथिली शरण गुप्त जी 'मातृ भूमि' नामक कविता में कहते हैं कि इस धरती की धूल में हम सब उभर कर और उसी में निमग्न हो जाते हैं। हे !मातृ भूमि तुम हमें इस धरती रूपी अपनी शरीर में जीने के लिए सब कुछ दिये है तुम प्रसन्नता से, प्रेम से, उपकार कर रहे हो। तुम इस गुणों के विपरीत और कुछ किये तो हम सब

तुम में मिलकर समाप्त हो जाते हैं। तुम्हारी मदद हम सब पर होना धनी मानते हैं। तुम हमेशा हम को प्यार से ही देखना चाहते हो। मातृ भूमि कविता में गुप्त जी के द्वारा व्यक्त किए गए इस भाव को विश्रुत अध्ययन यहाँ करेंगे।

3.2 आधुनिक हिन्दी काव्य की प्रगति :

भारतेन्दुयुग :

आधुनिक हिन्दी साहित्य में भारतेन्दु का जन्म काल सन 1850 के लगभग से माना जाता है। हिन्दी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल और आधुनिक काल के मध्य समय में भारतेन्दु का आविर्भाव हुआ। उस समय तक हिन्दी कविता में ब्रज भाषा की प्रधानता थी। देश और काल की परिवर्तित परिस्थितियों से हिन्दी कविता के क्षेत्र में क्रांति पैदा हुई। कवियों का मन रीति बद्ध परंपराओं से मुक्ति होकर सामान्य विषयों की ओर चलने लगा। श्रृंगारिक भावनाओं में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

अरी-समाज की सुधार-भावना, अंग्रेजी शासन की दृढ़ भावना और खड़ीबोली की कर्कशता कवि और पाठक गण को आकर्षित करने लगी। खड़ीबोली में पद्य-रचना और पत्र-पत्रिकाओं की सहायता उस भाषा के विकास के लिए सहयोग बना शनैः, शनैः ब्रज भाषा की स्थिति डाँवाडोल में थी। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने “सरस्वती” पत्रिका के संपादक बने। इसलिए उन्होंने खड़ीबोली भाषा के लिए प्रेरणा दी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त जैसे कवियों के कलम से खड़ीबोली भाषा का विकास आरंभ हुआ।

द्विवेदी युग :

द्विवेदी युग हिंदी साहित्य में भारतेन्दु युग के बाद का समय है। इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से रखा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे साहित्यकार थे, जो बहुभाषी होने के साथ ही साहित्य के इतर विषयों में भी समान रुचि रखते थे। उन्होंने सरस्वती का अठारह वर्षों तक संपादन कर हिन्दी पत्रकारिता में एक महान कीर्तिमान स्थापित किया था। वे हिन्दी के पहले व्यवस्थित समालोचक थे, जिन्होंने समालोचना की कई पुस्तकें लिखी थीं। वे खड़ीबोली हिन्दी की कविता के प्रारंभिक और महत्वपूर्ण कवि थे। आधुनिक हिन्दी कहानी उन्हीं के प्रयत्नों से एक साहित्यिक विधा के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकी थी। वे भाषाशास्त्री थे, अनुवादक थे, इतिहासज्ञ थे, अर्थशास्त्री थे तथा विज्ञान में भी गहरी रुचि रखने वाले थे। अतः वे युगांतर लाने वाले साहित्यकार थे या दूसरे शब्दों में कहें, युग निर्माता थे। वे अपने चिन्तन और लेखन के द्वारा हिन्दी प्रवेश में नव-जागरण पैदा करने वाले साहित्यकार थे।

छायावाद युग :

छायावाद हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्य-धारा है जो लगभग ई.स. 1918 से 1936 तक की प्रमुख युगवाणी रही। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, पंडित माखन लाल चतुर्वेदी इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। छायावाद नामकरण का श्रेय मुकुटधर पाण्डेय को जाता है।

मुकुटधर पाण्डेय ने श्री शारदा पत्रिका में एक निबंध प्रकाशित किया जिस निबंध में उन्होंने छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया। प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, मानवीकरण, सांस्कृतिक जागरण, कल्पना की प्रधानता आदि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। छायावाद ने हिंदी में खड़ी बोली कविता को पूर्णतः प्रतिष्ठित कर दिया। इसके बाद ब्रजभाषा हिंदी काव्य धारा से बाहर हो गई। इसने हिंदी को नए शब्द, प्रतीक तथा प्रतिबिंब दिए। इसके प्रभाव से इस दौर की गद्य की भाषा भी समृद्ध हुई। इसे - 'साहित्यिक खड़ीबोली का स्वर्णयुग' कहा जाता है।

छायावाद के नामकरण का श्रेय 'मुकुटधर पांडेय' को दिया जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम 1920 ई में जबलपुर से प्रकाशित श्रीशारदा (जबलपुर) पत्रिका में 'हिंदी में छायावाद' नामक चार निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित करवाई थी। मुकुटधर पांडेय जी द्वारा रचित कविता "कुररी के प्रति" छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है।

प्रगतिवादी और प्रयोगवादी :

मार्क्सवादी विचारधारा का साहित्य में प्रगतिवाद के रूप में उदय हुआ। यह समाज को शोषक और शोषित के रूप में देखता है। प्रगतिवादी शोषक वर्ग के खिलाफ शोषित वर्ग में चेतना लाने तथा उसे संगठित कर शोषण मुक्त समाज की स्थापना की कोशिशों का समर्थन करता है। प्रगतिवाद के लिए और फूलने-फलने का मौका हमारे भारतीय साहित्य में नहीं मिला। क्योंकि रूसी साम्यवाद, भौतिक अर्थ व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, वर्ग संघर्ष, धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, शोषितों की करुण कहानी और शोषक के अत्याचारों के साथ प्रगतिवाद आया।

प्रयोगवाद हिंदी साहित्य खासकर कविता की उस प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है जिसकी तरफ अज्ञेय ने दूसरा सप्तक की भूमिका में संकेत किया था। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है बल्कि वह साधन और दोहरा साधन है। वह एक ओर तो सत्य को जानने का साधन है दूसरी तरफ वह उस साधन को भी जानने का साधन है। यह स्पष्टीकरण तार सप्तक की कविताओं को प्रयोगवादी कहे जाने पर दिया गया था। प्रयोगवाद में कविता में शिल्प और संवेदना के स्तर पर सर्वथा नवीन प्रयोग मिलते हैं। प्रयोगवाद ने साहित्य में पहली बार व्यक्तिक अस्मिता, निजी व्यक्तित्व और निजता को बहुत महत्व दिया। इसमें क्षण को महत्व देकर जीवन को

भरपूर ढंग से जीने की चाह है। प्रयोगवादी कवि व्यक्तिक प्रेम की सहज स्वीकृति पर बल देता है। शायद यह नयी कविता विश्व-साहित्य में सम्मान योग्य होगी।

3.3 कवि परिचय : (मैथिली शरण गुप्त)

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त (3 अगस्त 1886-12 दिसम्बर 1964) हिन्दी के प्रसिद्ध कवि थे। हिन्दी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्हें साहित्य जगत में 'ददा' नाम से सम्बोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत-भारती (1912) भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें 'राष्ट्रकवि' की पदवी भी दी थी। उनकी जयन्ती 3 अगस्त को हर वर्ष 'कवि दिवस' के रूप में मनाया जाता है। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया।

महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य-भाषा के रूप में निर्मित करने में अथक प्रयास किया। इस तरह ब्रजभाषा जैसी समृद्ध काव्य-भाषा को छोड़कर समय और संदर्भों के अनुकूल होने के कारण नये कवियों ने इसे ही अपनी काव्य-अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। हिन्दी कविता के इतिहास में यह गुप्त जी का सबसे बड़ा योगदान है। घासीराम व्यास जी उनके मित्र थे। पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय सम्बन्धों की रक्षा गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण हैं, जो 'पंचवटी' से लेकर 'जयद्रथ वध', 'यशोधरा' और 'साकेत' तक में प्रतिष्ठित एवं प्रतिफलित हुए हैं। 'साकेत' उनकी रचना का सर्वोच्च शिखर है।

काव्यगत विशेषताएँ

गुप्त जी स्वभाव से ही लोकसंग्रही कवि थे और अपने युग की समस्याओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील रहे। उनका काव्य एक ओर वैष्णव भावना से परिपोषित था, तो साथ ही जागरण व सुधार युग की राष्ट्रीय नैतिक चेतना से अनुप्राणित भी था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिनचंद्र पाल, गणेश शंकर विद्यार्थी और मदनमोहन मालवीय उनके आदर्श रहे। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीतिक जीवन में आने से पूर्व ही गुप्त जी का युवा मन गरम दल और तत्कालीन क्रान्तिकारी विचारधारा से प्रभावित हो चुका था। 'अनघ' से पूर्व की रचनाओं में, विशेषकर जयद्रथ-वध और भारत भारती में कवि का क्रान्तिकारी स्वर सुनाई पड़ता है। बाद में महात्मा गांधी, राजेन्द्र प्रसाद, और विनोबा भावे के सम्पर्क में आने के कारण वह गांधीवाद के व्यावहारिक पक्ष और सुधारवादी आन्दोलनों के समर्थक बने।

गुप्त जी के काव्य की विशेषताएँ इस प्रकार उल्लेखित की जा सकती हैं।

- (1) राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता
- (2) गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता

- (3) पारिवारिक जीवन को भी यथोचित महत्ता
- (4) नारी मात्र को विशेष महत्व
- (5) प्रबन्ध और मुक्तक दोनों में लेखन
- (6) शब्द शक्तियों तथा अलंकारों के सक्षम प्रयोग के साथ मुहावरों का भी प्रयोग
- (7) पतिवियुक्त नारी का वर्णन

गुप्त जी की रचनाएँ :

महाकाव्य- साकेत 1931, यशोधरा 1932, खण्डकाव्य- जयद्रथ वध 1910, भारत-भारती 1912, पंचवटी 1925, द्वापर 1936, सिद्धराज, नहुष, अंजलि और अर्घ्य , अजित, अर्जन और विसर्जन , काबा और कर्बला, किसान 1917, कुणाल गीत, गुरु तेग बहादुर, गुरुकुल 1929, जय भारत 1952, युद्ध, झंकार 1929 , पृथ्वीपुत्र, वक संहार , शकुंतला, विश्व वेदना, राजा प्रजा, विष्णुप्रिया, उर्मिला, लीला , प्रदक्षिणा, दिवोदास , भूमि-भाग, नाटक - रंग में भंग 1909, राजा-प्रजा, वन वैभव , विकट भट , विरहिणी , वैतालिक, शक्ति, सैरन्धी , स्वदेश संगीत, हिडिम्बा , हिन्दू, चंद्रहास, मैथिलीशरण गुप्त ग्रन्थावली (मौलिक तथा अनूदित समग्र कृतियों का संकलन 12 खण्डों में, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली से प्रकाशित,)

- फुटकर रचनाएँ- केशों की कथा, स्वर्णसहोदर, ये दोनों मंगल घट (मैथिलीशरण गुप्त द्वारा लिखी पुस्तक) में संग्रहीत हैं।
- अनूदित (मधुप के नाम से)- संस्कृत - स्वप्नवासवदत्ता, प्रतिमा, अभिषेक, अविमारक (भास) (गुप्त जी के नाटक देखें), रत्नावली (हर्षवर्धन) बंगाली - मेघनाथ वध, विहरिणी वज्रांगना (माइकल मधुसूदन दत्त), पलासी का युद्ध (नवीन चंद्र सेन) फारसी- रुबाइयात उमर खय्याम (उमर खय्याम) काविताओं का संग्रह – उच्छवास, पत्रों का संग्रह – पत्रावली

भाषा शैली:

मैथिलीशरण गुप्त की काव्य भाषा खड़ी बोली है। इस पर उनका पूर्ण अधिकार है । भावों को अभिव्यक्त करने के लिए गुप्त जी के पास अत्यन्त व्यापक शब्दावली है। उनकी प्रारम्भिक रचनाओं की भाषा तत्सम है । इसमें साहित्यिक सौन्दर्य कला नहीं है। 'भारत-भरती' की भाषा में खड़ी बोली की खड़खड़ाहट है , किन्तु गुप्त जी की भाषा क्रमशः विकास करती हुई सरस होती गयी । संस्कृत के शब्दभण्डार से ही उन्होंने अपनी भाषा का भण्डार भरा है , लेकिन 'प्रियप्रवास' की भाषा में संस्कृत बहुला नहीं होने पायी। इसमें प्राकृत रूप सर्वथा उभरा हुआ है । भाव व्यञ्जना को स्पष्ट और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए संस्कृत का सहारा लिया गया है । संस्कृत के साथ गुप्त जी की भाषा पर प्रांतीयता का भी प्रभाव है। उनका काव्य भाव तथा कला पक्ष दोनों की दृष्टि से सफल है ।

3.4 काव्य वाचन- (मूल-पाठ)

मातृ भूमि

1

मृतक-समान अशक्त विविश आँखों को मीचे;
 गिरता हुआ विलोक गर्भ से हम को नीचे।
 कर के जिसने कृपा हमें अवलंब दिया था,
 लेकर अपने अतुल अंक में त्राण किया था।
 जो जननी का भी सर्वदा थी पालन करती रही,
 तू क्यों न हमारी पूज्य हो? मातृभूमि, मातामही!

2

जिसकी रज में लोट-लोट कर बड़े हुए हैं ,
 घुटनों के बल सरक-सरक कर खड़े हुए हैं।
 परम हंस-सम बाल्य काल में सब सुख पाये ,
 जिसके कारण-धूल-भरे हीरे' कहलाये।
 हम खेले-कूदे हर्ष-युक्त जिसकी प्यारी गोद में ,
 हे मातृ भूमि !तुमको निरख मग्न क्यों न हों मोद में।

3

पालन-पोषण और जन्म का कारण तू ही ,
 वक्षःस्थल पर हमें कर रही धारण तू ही।
 अभ्रंकष प्रसाद और ये महल हमारे,
 बने हुए हैं अहो! तुझी से तुझ पर सारे।
 हे मातृभूमि! जब हम कभी शरण न तेरी पाएँगे,
 बस तभी प्रलय के पेट में सभी लीन हो जाएँगे॥

4

हमें जीवनधार अन्न तू ही देती है,
 बदले में कुछ नहीं किसी से तू लेती है।
 श्रेष्ठ एक से एक विविध द्रव्यों के द्वारा,
 पोषण करती प्रेम-भाव से सदा हमारा।

हे मातृभूमि! उपजे न जो तुझसे कृषि-अंकुर कभी,
तो तड़प-तड़प कर जल मरें जठरानल में हम सभी॥

5

पाकर तुझको सभी सुखों को हमने भोगा,
तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा?
तेरी ही यह देह, तुझी से बनी हुई है,
बस तेरे ही ससुर-सार से सनी हुई है।
हा! अंत-समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी,
हे मातृभूमि! यह अंत में तुझमें ही मिल जाएगी॥

6

जिन मित्रों का मिलन मलिनता को है खोता,
जिस प्रेमी का प्रेम हमें मुददायक होता।
जिन स्वजनों को देख हृदय हर्षित हो जाता,
नहीं टूटता कभी जन्म भर जिनसे नाता।
उन सबमें तेरा सर्वदा व्याप्त हो रहा तत्व है
हे मातृभूमि! तेरे सदृश किसका महा महत्व है?

3.5 कठिन शब्दार्थ :

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. रज = धूल | लीन = समा जाना |
| लोट-लोट = ऊपर-नीचे | 3. जीवनाधार = जीवन का आधार |
| घुटनों = टांग और जांघ के बीच की गाँठ | प्रेम-भाव = प्रेम की भावना |
| बाल्य काल में = बचपन में | कृषि अंकुर = खेती की बीज |
| सुख = आनंद | 4. पाकर = पाना |
| सरक = खिसक | भोगा = प्राप्त किए |
| निरख मग्न = देख कर तन्मय होना | प्रत्युपकार = सायता लेना देना |
| 2. पालन-पोषण = देख-भाल | देह = शरीर |
| वक्षस्थल = छाती | अचल = दृढ़ |
| शरण = सहायता | अंत = अंत में |
| प्रलय के पेट में = प्रलय रूपी भूमि के अंदर | 5. मलिनता = गंदा |

सुखदायक = सुखपूर्ण

स्वजनों = अपने जनों

हर्षित = आनंदमय

टूटता = तोड़ता

नाता = रिस्ता

सदृश = समान

3.6 कविता का सारांश :

मातृभूमि गुप्त जी की एक प्रसिद्ध कविता है, जिसमें अपने जन्मभूमि का गुणगान करके उसके लिए अपने जान भी देना का आह्वान करते हैं। मातृभूमि के हरियाली के लिए नीलाकाश एक सुंदर वस्त्र की तरह शोभित है। सूरज और चाँद इसकी मुकुट है, सागर इसकी करधनी है। यहाँ बहनेवाली नदियाँ प्रेम का प्रवाह है।

श्री मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जिस भूमि कि मिट्टी की धूल में खेलते खूदते बड़े हुए हैं और इसी धूल पर गुटनों की सहायता से धीरे-धीरे खड़ा होना सीखे हैं। बाल्यावस्था में सभी प्रकार के सुख को प्राप्त कराते हुए धूल भरा रत्न के रूप में उभर कर आए हैं। इसी मातृ भूमि की गोद हम सब खेल कूद कर प्रसन्न हुए हैं। इसीलिए हे मातृ भूमि तुम्हारी गोद में खुश होकर हम पूरी तरह से तुम्हारा (तुझ) में निमग्न हो गये।

मातृ भूमि की विशेषता बताते हुए कवि कहते हैं कि हमारा पालन-पोषण और जन्म तुम्हारी धरती रूपी छाती पर हुआ है। तुम्हारा आशीर्वाद और सभी महल जैसे घर, सभी तुम्हारे ही आशीर्वाद के कारण मिला है। हे ! मातृ भूमि जिस दिन हम तेरी सहायता से वंछित हो जायेंगे उसी समय हम प्रलय रूपी भूमि के अन्दर समा जा कर नष्ट हो जायेंगे।

हे! मातृ भूमि हमें जीने के लिए अन्न भी उपजाति हो और इसके बदले तुम हम से कुछ भी नहीं लेती हो, विभिन्न प्रकार के पदार्थों से पोषण करते हुए प्रेम भाव के साथ सदा हरियाली देती रहती हो ? हे मातृ भूमि तुम्हारे ऊपर किसी तरह का कोई अन्न पैदा नहीं हुआ तो हम सभी तड़प-तड़प कर जल मरेंगे।

हे मातृ भूमि तुम से हमने सभी सुखों को प्राप्त किये हैं तेरा उपकार हम कभी भूल नहीं सकते। तुम्हारा यह धरती रूपी तुम्ही से तैयार हुई और धरती में पानि के रूप में मिट्टी भी सान ली गई है। फिर अन्तिम समय में तू ही इसे अचल देख अपने में मिलती है। हे ! मातृ भूमि ये सभी अंत में अपनी में मिलाकर समाप्त हो गये हैं।

कवि जी ने कहते हैं कि मिट्टी की मलिनता जिस तरह से खोजाती है फिर भी उसी तरह किसी भी प्रेमी का प्रेम भी सीख के रूप में होता है। अपने लोगों को देखकर जिस तरह से हृदय प्रसन्न होता है। उसी प्रकार उन लोगों से उनका जीवन भर रिस्ता होता है। इन सभी में हमेशा तुम्हारा तत्व सम्मिलित है। इसलिए हे ! मातृ भूमि तेरी महानता सर्वशक्तिमान है। कवि ने मातृ भूमि की विशेषता बताया। इस कविता में मातृ भूमि के बिना हम नहीं जीते हैं वैसे ही उसी से उद्भाव होते हैं और उन में ही विलीन कर देती है।

3.7 काव्यागत विशेषताएँ :

- मातृभूमि! दिन में तरणि, करता तम का नाश है। सुरभित, सुन्दर, सुखद, सुमन तुझ पर खिलते हैं। भाँति-भाँति के सरस, सुधोपम फल मिलते हैं।
- मातृभूमि के हरे-भरे तट पर आकाश नीले रंग के वस्त्र की तरह शोभित है। सूर्य और चन्द्र इस भूमि का मुकुट है और समुद्र करधनी है। नदियाँ प्रेम प्रवाह हैं और फूल-तारे आभूषण हैं। बंदीजन पक्षियों का समूह है और शेष नाग का फन सिंहासन है।
- मातृभूमि गुप्त जी की एक प्रसिद्ध कविता है, जिसमें अपने जन्मभूमि का गुणगान करके उसके लिए अपने जान भी देना का आह्वान करते हैं। मातृभूमि के हरियाली के लिए नीलाकाश एक सुंदर वस्त्र की तरह शोभित है। सूरज और चाँद इसकी मुकुट हैं, सागर इसकी करधनी है। यहाँ बहनेवाली नदियाँ प्रेम का प्रवाह हैं।
- विनायक कृष्ण गोकक ने भारत माता और कवि के बीच संवाद की शैली में कविता लिखी।
- इस कविता में कवि भारत के प्राकृतिक सौन्दर्य का एक अद्भुत चित्र प्रस्तुत करने के साथ-साथ अतीत की एक गौरवशाली दृष्टि प्रस्तुत करने की इच्छा रखता है।
- "भारत का गीत" कविता में वक्ता सोचता है कि उसे अपनी मातृभूमि के लिए क्या गाना चाहिए, क्या उसकी प्रशंसा करनी चाहिए।
- हिमालय, उसकी प्रचुरता, या तीनों पक्षों का मौसम। या यह उन भिखारियों और कोढ़ियों के बारे में हो सकता है जो उसकी सड़कों पर या गंदी परिवेश में अक्सर आते हैं।
- इसी तरह देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में गाना गाएँ या देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बहस।
- भारत देश पर अटूट भावना को जगाने का सन्देश दे रहे हैं। मातृ भूमि के लिए प्राण देने की प्रेरणा जगाया।

3.8 संदर्भ सहित व्याख्याएँ :

1. कवि-परिचय
2. संदर्भ
3. भावार्थ / व्याख्या
4. विशेषताएँ

“मातृ भूमि” कविता में हर एक पद्य बहुत महत्वपूर्ण है कि – प्रत्येक पद्य एक से बढ़कर एक है।

1. हमें जीवनधार अन्न तू ही देती है,
बदले में कुछ नहीं किसी से तू लेती है।
श्रेष्ठ एक से एक विविध द्रव्यों के द्वारा,
पोषण करती प्रेम-भाव से सदा हमारा।

हे मातृभूमि! उपजे न जो तुझसे कृषि-अंकुर कभी,
तो तड़प-तड़प कर जल मरें जठरानल में हम सभी॥

कवि परिचय : ये पंक्तियाँ “मैथली शरण गुप्त” से लिखित ‘मातृ भूमि’ नमक कविता से ली गयी हैं। गुप्त जी ने साकेत, यशोधरा, पंचवटी, भारत-भारती आदि काव्य लिखे हैं। ‘साकेत’ उनका महाकाव्य है। इस में मातृ भूमि की महत्व के बारे में वर्णन किया गया है।

संदर्भ : गुप्त जी प्रस्तुत कविता में मातृ भूमि हम को सब कुछ देती है। उनका विकृत स्वरूप को हम सह नहीं सकते हैं। मातृ भूमि की अपार प्रेम को वर्णन किया गया है।

व्याख्या : कवि कहते हैं कि हे ! मातृ भूमि तुम हम को जीवन से संबंधित सब कुछ देते हो। अन्न पेड़ा करती हो और इस के बदले हम से तुम कुछ नहीं लेती हो अनेक प्रकार के द्रव्यों से पोषण करते हुए प्रेम भाव के साथ हमेशा हरियाली देती रहती हो। तुम्हारे ऊपर किसी तरह का कोई पैदावर नहीं तो हम सब तड़प-तड़प कर मरजायेंगे।

विशेष : मातृ भूमि से हम हमेशा प्यार करना है। मातृभूमि के बिना हम नहीं रह सकते हैं। इस सच्चाई के बारे में कवि ने अपने शब्दों में बताए।

2. जिन मित्रों का मिलन मलिनता को है खोता,
जिस प्रेमी का प्रेम हमें मुददायक होता।
जिन स्वजनों को देख हृदय हर्षित हो जाता,
नहीं टूटता कभी जन्म भर जिनसे नाता।
उन सबमें तेरा सर्वदा व्याप्त हो रहा तत्व है
हे मातृभूमि! तेरे सदृश किसका महा महत्व है ?

कवि परिचय :

ये पंक्तियाँ “मैथली शरण गुप्त” से लिखित ‘मातृ भूमि’ नमक कविता से ली गयी हैं। गुप्त जी ने साकेत, यशोधरा, पंचवटी, भारत-भारती आदि काव्य लिखे हैं। ‘साकेत’ उनका महाकाव्य है। इस में मातृ भूमि की महत्व के बारे में वर्णन किया गया है।

संदर्भ :

गुप्त जी प्रस्तुत कविता में मातृ भूमि हम को सब कुछ देती है। उनका विकृत स्वरूप को हम सह नहीं सकते हैं। मातृ भूमि की अपार प्रेम को वर्णन किया गया है।

व्याख्या :

कवि जी ने कहते हैं धरती की मिट्टी की मलिनता जिस तरह से खोजाती है फिर भी उसी तरह किसी भी प्रेमी का प्रेम भी सीख के रूप में होता है। हमारे अपने लोगों को देखकर जिस तरह से हृदय प्रसन्न होता है।

उसी प्रकार उन लोगों से उनका जीवन भर रिस्ता होता है। इन सभी में हमेशा तुम्हारा तत्व सम्मिलित है। इसलिए मातृ भूमि तेरी महानता सर्वशक्तिमान है।

विशेष :

मातृ भूमि की प्यार से हम सब लोग जी सकते हैं। उनकी क्रोध को स्थिर नहीं देख सकते हैं। मातृभूमि की महानता शक्ति मान है।

3.9 सारांश : राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने मातृभूमि में अपनी मातृभूमि की महत्ता एवं उसके प्रति अपने प्रगाढ़ प्रेम का ऋणस्वीकारी-भाव चित्रण किया है। 'शेवफन-सिंहासन' पर बैठे हुए अपनी मातृभूमि कवि को 'सर्वेश की सगुण मूर्ति' लगती है, वह इस पर बलि बलि जाता है - बलिहारी जाता है जो पृथ्वी पर पैदा होते ही नवजात को सहारा देती हैं, ममतापूर्वक अपनी गोद में लेकर उसकी रक्षा करती है और जो अपनी जननी की भी पालनहार है, उस मातृभूमि पृथ्वी से यह पूज्यभाव से 'मातामही' के रूप में अपना अटूट रिश्ता जोड़ता है।

कवि जिस पृथ्वी के धूलकरण में लोट-पोटकर धूल-धूसरित हो बढ़ा हुआ है, जिस पर घुटनों के बल रेंगते-सरकते-दौड़ते खड़े हो जाना है और जिसकी गोद में प्रसन्नतापूर्वक खेलते-कूदते जवान हुआ है, उस मातृभूमि को देखकर वह बारम्बार 'मगनमन' होता है। कवि इस बात को जानता एवं मानता है कि यह पृथ्वी जो सबके जन्म और पालन-पोषण का कारण एवं माध्यम है, सबके निवास के निमित्त बनी घासफूस की कूटी-झोपड़ी से लेकर बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएँ एवं विशालकाय भवन-महल इस पृथ्वी के तत्त्व से ही पृथ्वी पर निर्मित हैं। यह मातृभूमि पृथ्वी जिस दिन जिस क्षण शरण नहीं देगी, बस उसी दिन, उसी क्षण हम सब प्रलय के पेट में समा जायेंगे, हमारा अस्तित्व समाप्त-प्राय हो जायेगा। कवि कहता है-

“मृतक-समान अशक्त विवश आँखों को मीचे
गिरता हुआ विलोक गर्भ से हमको नीचे।
कर के जिसने कृपा हमें अवलम्ब दिया था,
लेकर अपने अतुल अङ्क में त्राण किया था।
जो जननी का भी सर्वदा, थी पालन करती रही।
तू क्यों न हमारी पूज्य हो, मातृभूमि मातामही ॥

जो जीवन का आधार अन्न है, वह हमें पृथ्वी ही देती है, उसके बदले में वह हमसे कुछ भी नहीं लेती, कुछ भी कामना नहीं करती। एक-से-एक मूल्यवान पदार्थ प्रदान कर वह हमारा प्रेमपूर्वक पोषण करती है। यदि कभी ऐसा हुआ कि कृषि उपज न हो तो हम सब 'पेट की आग' में तड़प-तड़प कर जलने-मरने लगते हैं। पृथ्वी पर उत्पन्न प्राकृतिक उपादानों से ही हम सारा वैभव भोगते हैं, सुखोपभोग करते हैं, क्या इसका कोई प्रत्युपकार दे

पाना सम्भव है? मिट्टी की यह देह इस मिट्टी (पृथ्वी) से ही विनिर्मित है , उसके ही रस में सनी-गँथी है और यह देह जिस दिन निश्चल-निर्जीव हो जायेगी, उस दिन फिर इसी मातृभूमि-मिट्टी में मिल जायेगी ।

गुप्त जी का मानना है कि इस दुनिया में जिससे भी हमारा नाता-रिश्ता-जुड़ाव है , जो भी हमारी प्रसन्नता का कारण है, उस सब में भी इस मातृभूमि का ही तत्त्व व्याप्त है। इस लिहाज से भी उसकी दृष्टि में मातृभूमि का महत्त्व असंदिग्ध है। वे प्राकृतिक उपादान जो मानव जीवन और मानव-प्रसन्नता के कारण हैं। उन सबका भी अद्भुत-विकास इस मातृभूमि पृथ्वी से ही है । अर्थात् यह मातृभूमि-पृथ्वी जन्म ही नहीं देती है , अपितु उसके भरण-पोषण, सुख-सुविधा, हर्ष प्रसन्नता सब का प्रबंध भी करती है। कवि कहता है कि-

“पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा,
तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा?
तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है,
बस तेरे ही सुरस-सार सनी हुई है॥
हा! अन्त समय तू ही इसे, अचल देख अपनाएगी।
हे मातृभूमि! यह अन्त में तू ही मिल जाएगी।”

सूर्य, मनमोदक-सुखद नानारूपरंगधारी प्रसून , तृप्तिप्रदायक सरस-सुधोपन नानाविधि फल , जीवरक्षक एक-से-एक ओषधियाँ , ऐश्वर्य-वैभव की प्रतीक तथा बहुविधि शुभ फलकारक सोने-चाँदी , पत्रा-पुखराज, हीरे-मोती, नीलम-माणिक-जैसी श्रेष्ठ धातुरत्नों वाली खानें, दूर-दूर तक प्रसरित शृंग-श्रेणियाँ एवं सधन वनालियाँ, जीवनदायिनी नदियाँ आदि इत्यादि इस मातृभूमि पृथ्वी से ही व्युत्पन्न , पृथ्वी पर ही अधिराजित-प्रतिष्ठित है। इस-ऐसी दया-दानमयी , क्षमामयी, वत्सला-प्रेममयी, सुख-शांतिकारिणी, दुःखहन्त्री-विश्वपालिनी मातृभूमि के प्रति कवि अपनी कृतज्ञता एवं सारस्वत-भाव अभिव्यक्ति करता है। उसके उपकार याद आते ही कवि-मन मुग्ध एवं भक्तिभाव से आपूरित हो जाता है। वह पूजायोग्य मातृभूमि की कीर्ति का अनेकशः बखान करता है, उसकी चंदनवर्णी धूल को सिर-माथे पर लगाता है और प्रत्युपकार में अक्षम असमर्थ होने के कारण मातृभूमि के प्रति केवल नतशिर होकर, उसके द्वारा किये उपकार का बदला देता है ।

गुप्त जी कवि की यह भी अधिमान्यता है कि उसकी मातृभूमि की धूल परम पवित्र है। यह धूल शोकदार में दहते हुए प्राणी को दुःख सहने की क्षमता देती है । पाखण्डी-ढोंगी व्यक्ति भी इस धूली को तन-माथे लगाकर साधु-सज्जन बन जाता है। इस मिट्टी में वह शक्ति है जो क्रूर हिंस्र में भी भक्तिभाव पैदा कर सकती है। इस मातृभूमि की यह रेखांकनीय विशिष्टता है कि वह सभी प्राणियों को सम-समानभाव से देखती है , उसे सब

जीव एक जैसे प्रिय हैं, उसके लिए कोई भी विशेष अपना-पराया नहीं है, मात्र कर्मफल के कारण सबकी स्थिति अलग-अलग है। इस तथ्य-सत्य को नहीं समझता और इसमें 'भेद-दृष्टि' मानता है, वह 'मूर्ख' है।

3.10 बोध प्रश्न :

1. श्री मैथली शरण गुप्त का परिचय देते हुए उनकी रचनाओं की विशेषताओं को प्रस्तुत कीजिए।
2. मातृ भूमि कविता का सारांश लिखिए।
3. गुप्त जी की साहित्यिक परिचय दीजिए।
4. मातृ भूमि कविता का मुख्य उद्देश्य लिखिए।

3.11 सहायक ग्रन्थ सूची :

1. एक आध्यान - श्री मैथली शरण गुप्त
2. साकेत एक आध्यान - डॉ. नगेन्द्र
3. कवि और काव्यंग - लाल चंद्रराय
4. हमारे कवि और लेखक - फूलचंद्र जैन - सारंग
5. कवि और भारतीय संस्कृति के आख्याता उमाकान्त - श्री मैथली शरण गुप्त
6. हिन्दी साहित्य - संक्षिप्त परिचय - अचर्या श्याम सुंदरदास

- डॉ. अन्नदासु. सरला देवी

पाठ – 4 तोड़ती पत्थर

सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'

उद्देश्य :

आधुनिक छायावाद कवियों में प्रमुख सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' जी श्रमिकों को लूटने के विरोध में अपनी आवाज उठाते हैं , कविता के संबन्धित अनेक विशेषताओं को इस इकाई में पढ़ेंगे। इस इकाई के अध्ययन के बाद हम निम्न विषयों के बारे में परिचय प्राप्त कर सकेंगे।

1. यह कविता प्रगतिवादी धारा की रचना है।
2. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद , प्रगतिवादी और प्रयोगवादी कवि और साहित्यकार थे।
3. तोड़ती पत्थर में श्रामिक शक्ति को लूटने के विरोध में अपनी आवाज उठाया।
4. आर्थिक विषमता के विकृत रूप को पाठक के सामने रखते हैं।
5. कविता का सारांश और उसकी विशेषताओं को अवगत करेंगे।

इकाई की रूप रेखा :-

- 4.1 प्रस्तावना
- 4.2 कवि परिचय
- 4.3 काव्य वाचन - (मूल-पाठ)
- 4.4 कठिन शब्दों के अर्थ
- 4.5 कविता का सारांश
- 4.6 काव्यागत विशेषताएँ
- 4.7 संदर्भ सहित व्याख्याएँ
- 4.8 सारांश
- 4.9 बोध प्रश्न
- 4.10 सहायक ग्रन्थ

4.1 प्रस्तावना :

श्री सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' छायावाद के चार प्रमुख कवियों में एक है। उनकी काव्य धारा निरंतर विकसित होती रही है। उन्होंने छायावाद , रहस्यवाद , प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की काव्य धारा को उन्नत और समृद्ध बनाया है। स्वतंत्र प्रकृति के कारण वे कहीं एक जगह स्थायी रूप से नौकरी नहीं कर सके। समन्वय , मतवाला , सुधा आदि पत्रिकाओं का संपादन भार कुछ समय के लिए उन्होंने संभाला था। 'मतवाला' नाम के

आधार पर ही उन्होंने अपने नाम के साथ 'निराला' उपनाम जोड़ा। वास्तव में निराला शब्द उनके जीवन तथा साहित्य की दृष्टि से सार्थक मालूम पड़ता है। माधुरी तथा गंगा पुस्तकमाला कार्यालय से भी उनका संबंध रहा।

यथा नाम तथा गुण के अनुसार आप उग्र स्वभाव और क्रांतिकारी विचारधारा के कवि हैं। प्रस्तुत कविता 'तोड़ती पत्थर' में कवि की प्रगतिवादी और मनवतावादी दृष्टि का परिचय मिलता है।

4.2 कवि परिचय :

सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' का जन्म बंगाल की महिषादल रियासत (जिला मेदिनीपुर) में माघ शुक्ल 11, संवत् 1955, तदनुसार 21 फ़रवरी, सन् 1899 में हुआ था। वसंत पंचमी पर उनका जन्मदिन मनाने की परंपरा 1930 में प्रारंभ हुई। उनका जन्म मंगलवार को हुआ था। जन्म-कुण्डली बनाने वाले पंडित के कहने से उनका नाम सुर्जकुमार रखा गया। उनके पिता पंडित रामसहाय तिवारी उन्नाव (बैसवाड़ा) के रहने वाले थे और महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़ाकोला नामक गाँव के निवासी थे।

निराला की शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। बाद में हिन्दी संस्कृत और बाङ्ला का स्वतंत्र अध्ययन किया। पिता की छोटी-सी नौकरी की असुविधाओं और मान-अपमान का परिचय निराला को आरम्भ में ही प्राप्त हुआ। उन्होंने दलित-शोषित किसान के साथ हमदर्दी का संस्कार अपने अबोध मन से ही अर्जित किया। तीन वर्ष की अवस्था में माता का और बीस वर्ष का होते-होते पिता का देहांत हो गया। अपने बच्चों के अलावा संयुक्त परिवार का भी बोझ निराला पर पड़ा। पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली उसमें न सिर्फ पत्नी मनोहरा देवी का, बल्कि चाचा, भाई और भाभी का भी देहांत हो गया। 1918 में स्पेनिश फ्लू इन्फ्लूएंजा के प्रकोप में निराला ने अपनी पत्नी और बेटी सहित अपने परिवार के आधे लोगों को खो दिया। शेष कुनबे का बोझ उठाने में महिषादल की नौकरी अपर्याप्त थी। इसके बाद का उनका सारा जीवन आर्थिक-संघर्ष में बीता।

निराला के जीवन की सबसे विशेष बात यह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने सिद्धांत त्यागकर समझौते का रास्ता नहीं अपनाया, संघर्ष का साहस नहीं गंवाया। जीवन का उत्तरार्द्ध इलाहाबाद में बीता। वहीं दारागंज मुहल्ले में स्थित रायसाहब की विशाल कोठी के ठीक पीछे बने एक कमरे में 15 अक्टूबर 1961 को उन्होंने अपनी इहलीला समाप्त की।

1. **भक्ति भावना** : आप अद्वैतवादी भक्त हैं। वे भगवद प्रेम को ही जीवन सर्वस्व मानते हैं। मुक्ति में वे इस आनंद को नहीं देखते हैं। 'भर देते हो' उनका प्रसिद्ध भक्ति गीत है। निराला जी ने संकट और आपत्ति के समय भक्तों की तरह भगवान को रक्षा के लिए पुकारा है।

‘डोलती नाव, प्रखर है धारा, संभालो जीवन-खेवर हारा’।

2. **कवि की प्रवृत्ति** : कवि स्वभाव से प्रकृति प्रेमी है। आप छायावादी कवियों की पंक्ति में हैं। अतः आपने अपना प्रकृति – प्रेम छायावादी की शैली के आधार पर चित्रित किया है।
3. **देश – प्रेम** : इनकी कविताओं में देश – प्रेम का भी चित्रण यथास्थान हुआ। ‘महाराज शिवाजी का पत्र’, ‘राम की शक्ति पूजा’ और जागो फिर एकबार आदि रचनाओं में देश – प्रेम के भाव चित्रित हुए हैं। पराधीनता के समय में लिखी निम्न लिखित कविता में उनका पौरुष एवं देश प्रेम कितना उत्कृष्ट है।

‘म्लेड युक्त अपना तन दूँगा , मुक्त करूँगा तुझे अटल’

4. **करुणा** : दुःख से द्रवीभूत चित्र का जो मनोविकार है , उसे करुणा कहते हैं। निरालाजी के कवि में करुणा में दोनों स्वभाव आंतरिक और बाह्य देखने को मिलते हैं।
5. **प्रेम का आदर्श** : कवि ने कई स्थान पर स्त्री – पुरुष के प्रेम की व्याख्या की है। ‘जुही की कली’ में प्रेम की पूर्ण अभिव्यजना हुई है। निराला जी की कविता में प्रगतिवाद भी देखने को मिलता है।
6. **निराला की भाषा** : इनकी भाषा शुद्ध खड़ीबोली है। इस पर संस्कृत के प्रभाव अधिक हैं और बंगला तथा फारसी का कम। इन तीनों – चारों भाषाओं को सम्मिश्रण से उन्होंने अपने भावों को वाणी दी है। इनकी संस्कृत – निष्ठ भाषा अत्यंत दुरुह हो गई है। इनकी दुरुह भाषा के दर्शन ‘राम की शक्तिपूजा’ में मिलते हैं।
7. **निराला की शैली** : इतनी शैली इनकी प्रकृति के अनुसार बिल्कुल निराला और अपनी हो शैली है। स्वच्छंद छंदों का प्रयोग करना इनकी शैली की विशेषता है। इन्होंने ‘परिमल की भूमिका में आपने भाव व्यक्त किए हैं। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है। इन्होंने मुक्तक , गीत और प्रबंध शैली में रचनाएँ की हैं। नये नये प्रतीक और उपमानों का प्रयोग आपकी अपनी विशेषता है।

सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ की काव्यकला की सबसे बड़ी विशेषता है चित्रण-कौशल। आंतरिक भाव हो या बाह्य जगत के दृश्य-रूप , संगीतात्मक ध्वनियां हो या रंग और गंध , सजीव चरित्र हों या प्राकृतिक दृश्य, सभी अलग-अलग लगनेवाले तत्त्वों को घुला-मिलाकर निराला ऐसा जीवंत चित्र उपस्थित करते हैं कि पढ़ने वाला उन चित्रों के माध्यम से ही निराला के मर्म तक पहुँच सकता है। निराला के चित्रों में उनका भावबोध ही नहीं, उनका चिंतन भी समाहित रहता है। इसलिए उनकी बहुत-सी कविताओं में दार्शनिक गहराई उत्पन्न होती जाती है। इस नए चित्रण-कौशल और दार्शनिक गहराई के कारण अक्सर निराला की कविताएँ कुछ जटिल हो जाती हैं, जिसे न समझने के नाते विचारक लोग उन पर दुरुहता आदि का आरोप लगाते हैं। उनके किसान-बोध ने ही उन्हें छायावाद की भूमि से आगे बढ़कर यथार्थवाद की नई भूमि निर्मित करने की प्रेरणा दी। विशेष स्थितियों, चरित्रों और दृश्यों को देखते हुए उनके मर्म को पहचानना और उन विशिष्ट वस्तुओं को ही चित्रण का विषय बनाना, निराला के यथार्थवाद की एक उल्लेखनीय विशेषता है। निराला पर अध्यात्मवाद और रहस्यवाद जैसी

जीवन-विमुख प्रवृत्तियों का भी असर है। इस असर के चलते वे बहुत बार चमत्कारों से विजय प्राप्त करने और संघर्षों का अंत करने का सपना देखते हैं। निराला की शक्ति यह है कि वे चमत्कार के भरोसे अकर्मण्य नहीं बैठ जाते और संघर्ष की वास्तविक चुनौती से आँखें नहीं चुराते। कहीं-कहीं रहस्यवाद के फेर में निराला वास्तविक जीवन-अनुभवों के विपरीत चलते हैं। हर ओर प्रकाश फैला है, जीवन आलोकमय महासागर में डूब गया है, इत्यादि ऐसी ही बातें हैं। लेकिन यह रहस्यवाद निराला के भावबोध में स्थायी नहीं रहता, वह क्षणभंगुर ही साबित होता है। अनेक बार निराला शब्दों, ध्वनियों आदि को लेकर खिलवाड़ करते हैं। इन खिलवाड़ों को कला की संज्ञा देना कठिन काम है। लेकिन सामान्यतः वे इन खिलवाड़ों के माध्यम से बड़े चमत्कारपूर्ण कलात्मक प्रयोग करते हैं। इन प्रयोगों की विशेषता यह है कि वे विषय या भाव को अधिक प्रभावशाली रूप में व्यक्त करने में सहायक होते हैं। निराला के प्रयोगों में एक विशेष प्रकार के साहस और सजगता के दर्शन होते हैं। यह साहस और सजगता ही निराला को अपने युग के कवियों में अलग और विशिष्ट बनाती है।

4.3 काव्य वाचन- (मूल-पाठ)

वह तोड़ती पत्थर;
देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर—
वह तोड़ती पत्थर।
कोई न छायादार
पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार;

1

श्याम तन, भर बँधा यौवन,
नत नयन प्रिय, कर्म-रत मन,
गुरु हथौड़ा हाथ,
करती बार-बार प्रहार :—
सामने तरु-मालिका अट्टालिका, प्राकार।
चढ़ रही थी धूप;
गर्मियों के दिन
दिवा का तमतमाता रूप;

2

उठी झुलसाती हुई लू,
रुई ज्यों जलती हुई भू,
गर्द चिनगीं छा गई,
प्रायः हुई दुपहर :—

वह तोड़ती पत्थर।
 देखते देखा मुझे तो एक बार
 उस भवन की ओर देखा, छिन्नतार;
 देखकर कोई नहीं,
 देखा मुझे उस दृष्टि से
 जो मार खा रोई नहीं,
 सजा सहज सितार,
 सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार
 एक क्षण के बाद वह काँपी सुघर,
 ढुलक माथे से गिरे सीकर,
 लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा—
 'मैं तोड़ती पत्थर।'

3

4

4.4 कठिन शब्दों के अर्थ (Meanings)

छायादार = छायादेनेवाला

के तले = के नीचे

कर्मरत = काम में लीन

गुरु = भरी

प्रहार = चोट

तरु = वृक्ष / पेड़

दिवा = दिन

झुलसाना = जलाना

भू = भूमि

रुई = कपास (८५८)

गर्द = धूल

प्रायः = लगभग

छन = क्षण

सुघर = सुन्दर

ज्यों = जैसे

4.5 कविता का सारांश - 'तोड़ती पत्थर' :

'वह तोड़ती पत्थर' कविता सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' द्वारा रचित। मजदूर वर्ग की दयनीय दशा को उभारने वाली एक मार्मिक कविता है। कवि कहता है कि उसने इलाहाबाद के मार्ग पर एक मजदूरनी को पत्थर तोड़ते देखा। वह जिस पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर तोड़ रही थी वह छायादार भी नहीं था, फिर भी विवशतावश वह वहीं बैठे पत्थर तोड़ रही थी। उसका शरीर श्यामवर्ण का था, तथा वह पूर्णतः युवा थी। उसके

हाथ में एक भारी हथौड़ा था, जिससे वह बार-बार पत्थर पर प्रहार कर रही थी। उसके सामने ही सघन वृक्षों की पंक्ति, अट्टालिकाएं, भवन तथा परकोटे वाली कोठियाँ विद्यमान थीं।

कवि कहता है कि जैसे-जैसे धूप चढ़ती जा रही थी, उसी रूप में गरमी बढ़ती जा रही थी। समूचे शरीर को झुलसा देने वाली लू चल रही थी। ऐसे में जब उसने मुझे उसकी ओर देखते हुए देखा तो एक बार तो उस बनते हुए भवन को उसने देखा फिर यह लक्षित करके कि मैं अकेला ही था। उसने अपने तार-तार होकर फटे कपड़ों की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे अपनी उस स्थिति द्वारा ही उसने मुझको अपनी दीन अवस्था की पूरी करुण गाथा उसी तरह सुना दी जिस प्रकार कोई सितार पर सहज भाव से उंगलियाँ चलाकर अनोखी झंकार उत्पन्न कर देता है। एक क्षण तक कवि की ओर देखने के पश्चात् वह श्रमिक युवती काँप उठी उसके मस्तक से पसीने के कण छलक तत्पश्चात् वह फिर अपने कर्म पत्थर तोड़ने में लग गई।

निराला ने नारी सौंदर्य के चित्र खींचे हैं प्रकृति का मनोरम अंकन किया है जीवन की उदासी और निराशा को कविता में मानता है। सामाजिक क्रांति का स्वर भी उन्हें अत्यंत प्रबलता से प्रस्तुत हुआ है निराशा और अवसाद के बावजूद उनकी कविता में प्रबल जिजीविषा मिलती है।

तोड़ती पत्थर सामाजिक क्रांति का प्रतिनिधित्व करने वाली कविता है। यह निराला की अत्यंत प्रसिद्ध रचना है इस कविता में जीवन यथार्थ के दो विरोधी चित्र एक साथ दिए गए हैं एक और कड़कड़ाती धूप में पत्थर तोड़ती मजदूरिन है तो दूसरी और छायादार पेड़ों से घिरी विशाल अट्टालिकाएँ हैं। लेकिन कवि को महसूस होता है कि पत्थर नहीं तोड़ रही है वरन आर्थिक और सामाजिक विषमता के चट्टान को तोड़ रही है।

निराला का जीवन अत्यंत संघर्ष में था इसका प्रभाव उनकी काव्य यात्रा पर भी पड़ा निराला का काव्य उनके संघर्ष में जीवन का प्रतिबिंब कहा जा सकता है। उनकी जीवन दृष्टि और काव्य दृष्टि का निर्माण इसी संघर्ष के दौरान हुआ उन्होंने जीवन और काव्य दोनों में सामाजिक आर्थिक शोषण और रूढ़ीगत मान्यताओं का दृढ़ता पूर्वक विरोध किया।

इसी कारण छायावादी कवियों में सबसे मुखर विद्रोही स्वर निराला के काव्य में व्यक्त हुआ है निराला के काव्य में भाव बोध की विविधता नजर आती है। जिसमें जीवन का हर रंग मिलता है उसमें उल्लास और अवसाद शांति और क्रांति दोनों हैं।

4.6 काव्यागत विशेषताएँ :

निराला की कविताओं में जो सामाजिक और यथार्थ दृष्टि दिखाई देती है वह उनके जीवन संघर्षों की ही देन है। निराला को जीवन भर जो दुख और अपमान झेलने पड़े। उनके कारण उनका स्वर सामाजिक अन्याय और आर्थिक शोषण के विरुद्ध प्रबल वेग में उमड़ पड़ा। निराला यद्यपि सौंदर्य और प्रेम के भी

कवि हैं और ऐसी कविताओं का अपना अलग अलग आकर्षण है लेकिन जीवन संघर्षों से उन्हें समाज के प्रति अधिक सजग बनाया है।

निराला का कला बोध भी विविधता लिए हुए हैं भाषा के कितने रूप उनके यहां मिलते हैं उतने किसी अन्य कवि के यहां नहीं। उनकी आरंभिक कविताओं में संस्कृतनिष्ठ और समास – प्रधान भाषा दिखाई देती है जिसका सर्वोत्तम उदाहरण उनकी पहली कविता ‘जूही की कली’ के साथ ही ‘राम की शक्ति पूजा’,। लेकिन बाद में उन्हें बोलचाल की भाषा का रंग नजर आने लगता है।

बोलचाल की भाषा में भी वह कई तरह के प्रयोग करते हैं ‘वह तोड़ती पत्थर’ की भाषा यद्यपि बिल्कुल बोलचाल की नहीं है लेकिन उनमें शब्दों का प्रयोग अत्यंत कुशलता से किया गया है शब्दों में व्यक्त कठोरता जीवन की कठोरता को प्रतिबिंबित करने लगती है। ‘श्याम तन, भर बधा यौवन’, मैं पत्थर तोड़ती’ मजदूरिन का अत्यंत कर्मरत और जीवन व्यक्तित्व साकार हुआ है। सरल भाषा के साथ –साथ प्रवाहमाई है। जीवन का साकार रूप की एक प्रधान पूर्वक कविता है।

4.7 संदर्भ सहित व्याख्याएँ :

- 1) वह तोड़ती पत्थर;
देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर—
वह तोड़ती पत्थर।
कोई न छायादार
पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार;

कवि परिचय : ये पंक्तियाँ ‘तोड़ती पत्थर’ नामक कविता से संकलित हैं। यह कविता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ के द्वारा रची गयी है। आप छायावाद के प्रमुख कवि हैं। फिर हिन्दी की आधुनिक काव्य – धारा की हर नवीन शैली के भी आप माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में आप ने मजदूरिन का चित्रण करते हैं।

व्याख्या : कवि इलाहाबाद के रास्ते पर जाते हुए एक पत्थर तोड़नेवाली औरत को देखा। वह गर्मियों का मौसम था। धूप बहुत कड़क चल रही थी। फिर भी वह औरत किसी का ध्यान न करते हुए अपना काम कर रही थी। उसे आराम करने जो पेड़ वहाँ मौजूद था, वह भी छायाहीन ही था। फिर भी वह अपना काम मन से स्वीकार कर चुकी।

विशेष : कवि ने एक मजदूरिन को कविता की नायिका बनाया। इसमें प्रगतिवादी शैली है।

- 2) श्याम तन, भर बँधा यौवन,
नत नयन प्रिय, कर्म-रत मन,

गुरु हथौड़ा हाथ,
 करती बार-बार प्रहार :—
 सामने तरु-मालिका अट्टालिका, प्राकार।
 चढ़ रही थी धूप;
 गर्मियों के दिन
 दिवा का तमतमाता रूप;

प्रसंग :- प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता “वह तोड़ती पत्थर ” से लिया गया है । इस कविता के रचयिता प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला‘ जी हैं । इस कविता में कवि ने इलाहाबाद की सड़क के किनारे तपती धूप में पत्थर तोड़ती हुई एक श्रमिक महिला का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है ।

व्याख्या : वह जिस पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर तोड़ रही थी वह छायादार भी नहीं था , फिर भी विवशतावश वह वहीं बैठे पत्थर तोड़ रही थी। उसका शरीर श्यामवर्ण का था , तथा वह पूर्णतः युवा थी। उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा था , जिससे वह बार-बार पत्थर पर प्रहार कर रही थी। उसके सामने ही सघन वृक्षों की पंक्ति, अट्टालिकाएं, भवन तथा परकोटे वाली कोठियाँ विद्यमान थीं ।

विशेष : कवि ने एक मजदूरिन को कविता की नायिका बनाया । इसमें प्रगतिवादी शैली है ।

3) उठी झुलसाती हुई लू,
 रुई ज्यों जलती हुई भू,
 गर्द चिनगीं छा गई,
 प्रायः हुई दुपहर :—
 वह तोड़ती पत्थर।
 देखते देखा मुझे तो एक बार
 उस भवन की ओर देखा, छिन्नतार;

देखकर कोई नहीं,
 देखा मुझे उस दृष्टि से
 जो मार खा रोई नहीं,
 सजा सहज सितार,
 सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार

कवि परिचय : ये पंक्तियाँ ‘तोड़ती पत्थर’ नमक कविता से संकलित हैं। यह कविता श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी ‘निराला’ के द्वारा रची गयी है। आप छायावाद के प्रमुख कवि हैं। फिर हिन्दी की आधुनिक काव्य – धारा की हर नवीन शैली के भी आप माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में आप ने मजदूरिन का चित्रण करते हैं।

व्याख्या : कवि कहता है कि जैसे-जैसे धूप चढ़ती जा रही थी, उसी रूप में गरमी बढ़ती जा रही थी। समूचे शरीर को झुलसा देने वाली लू चल रही थी। ऐसे में जब उसने मुझे उसकी ओर देखते हुए देखा तो एक बार तो उस बनते हुए भवन को उसने देखा फिर यह लक्षित करके कि मैं अकेला ही था, उसने अपने तार-तार होकर फटे कपड़ों की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे अपनी उस स्थिति द्वारा ही उसने मुझको अपनी दीन अवस्था की पूरी करुण गाथा उसी तरह सुना दी जिस प्रकार कोई सितार पर सहज भाव से उंगलियाँ चलाकर अनोखी झंकार उत्पन्न कर देता है। एक क्षण तक कवि की ओर देखने के पश्चात् वह श्रमिक युवती काँप उठी उसके मस्तक से पसीने के कण छलक तत्पश्चात् वह फिर अपने कर्म पत्थर तोड़ने में लग गई।

विशेष : कवि ने एक मजदूरिन को कविता की नायिका बनाया। इसमें प्रगतिवादी शैली है। उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया गया।

4.8 सारांश :

श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला हिन्दी साहित्य के छायावाद में प्रमुख कवि है। फिर भी इन्हें हिन्दी की समस्त आधुनिक कविता-धाराओं के आद्य माना जाता है। प्रगतिवादी शैली के लिए भी आपका नाम प्रवर्तक के रूप में लिया जाता है। प्रस्तुत कविता ‘तोड़ती पत्थर’ निराला की प्रगतिवादी शैली की कविता है जो अत्यंत प्रसिद्ध हुई।

कवि इलाहाबाद के रास्ते पर जाते हुए एक पत्थर तोड़नेवाली औरत को देखा। वह गर्मियों का मौसम था। धूप बहुत कड़क चल रही थी। पसीना छूट रहा था। वहाँ कहीं छायादार पेड़ भी नहीं थे। वह मजदूरिन के लिए एक एक छायाहीन पेड़ मात्र है जिसके तले बैठकर वह थोड़ा आराम कर सकती थी। फिर भी ऐसा लगता है कि वह अपने काम से राजी हो चली। वह मजदूरिन भरे यौवन में थी, उसके शरीर का रंग श्यामवर्ण-अर्थात् काले रंग का था। उसकी आँखें झुकी हुई थी। वह अपने काम को अत्यंत प्रेम से कर रही थी। हाथ में बड़ा हथौड़ा लिए, बार-बार पत्थरों पर प्रहार कर रही थी। उसके सामने ही छायादार वृक्षों से युक्त एक भावी मकान था। अतः उस मजदूरिन तथा उस छायादार प्रांगण के बीच एक बड़ा प्रकार मौजूद था

गर्मियों के दिन थे, अतः धूप बहुत खिल गयी थी। दिवा का तमतमाता रूप शरीर की बहुत तंग कर रहा था। लू (लू) भी चलने लगी। सारी जमीन रुई (रुई) की भांति ताप रही थी। उसके शरीर पर गर्द-यानी धूलि के कण जमा हो गये। लगभग दोपहर हो गया था। फिर भी वह अपना काम न रोककर पत्थर तोड़े जा रही थी। काम करते-करते उसने एकबार कवि की ओर देखा। इससे उस मजदूरिन के पत्थर तोड़ने से जो मधुर

एवं लयात्मक आवाज आ रही थी , वह कुछ समय तक बंद हो गयी । इससे कवि को लगा कि मधुर संगीत की तार कुछ समय के लिए रुक गयी । उसने कवि की ओर देखा जैसे कि मर खाकर भी रोयी नहीं । कवि के लिए वह औरत एक सजे हुए सितार के रूप में दिखाई पड़ी । क्यों कि उसके काम से जो मधुर संगीत का झंकार निकाल रहा था उसे कवि अलावा कोई नहीं सुन सकता ।

कए पल के बाद फिर वह होश में आयी । एक बार काँपकर फिर यूसने अपना काम शुरू कर दिया । उसके माथे से पसीने की बूँदे छूट पड़ी । कवि को लगा कि वह अपनी अदाओं के माध्यम से कह रही थी कि “यह मेरी जिन्दगी है और मेरे भागी को कोई बदल नहीं सकते क्या किया जाए मैं पत्थर तोड़नेवाली ही रह जाऊँगी”।

यह कविता हिन्दी साहित्य में एक अमर कविता है । इसमें श्रमसौंदर्य का अद्भुत चित्र खींचा गया । कवि ने एक मजदूरिन को अपनी कविता की विषय वस्तु बनाकर काव्य को समाज की ओर देखने को बाध्य किया । यह अपने आप में एक महान प्रगतिशील कविता है जो समाज के उपेक्षित तथा शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट करती है । मानवीय करुणा से युक्त इस कविता में भाषा भी अत्यंत नवीन एवं शैली प्रवाहमयी है । उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया गया ।

4.9 बोध प्रश्न :

1. श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवनी और उनके रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए ।
2. ‘तोड़ती पत्थर’ कविता का सारांश लिखिए ।
3. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस कविता में मजदूरीनी का वर्णन किस प्रकार किया है ।

4.10 सहायक ग्रन्थ :

1. छायावादी कवियों का आलोचना कर्म
2. मातृ भूमि , भारत भारती – गुप्तजी
3. सैंडी साहित्य का इतिहास – डॉ नगेन्द्र

- षेक . बाजी

ओ दीपक ! बुझने के पहले

- प्रो . पी . आदेश्वर राव

उद्देश्य :

1. इस इकाई में कवि प्रो.पी. आदेश्वर राव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे ।
2. युग-युग से चले आ रहे जीवन की किरणों को प्रतीक मानकर कहते हैं ।
3. मानव जीवन संघर्ष का वर्णन दार्शनिक दृष्टिकोण से किया गया है ।
4. इन पंक्तियों में कवि मानवजाति को हताश न होने का संदेश दे रहे हैं ।
5. कविता में आशावाद की प्रतिष्ठा हुई है ।
6. कवि इस कविता में प्रत्येक मनुष्य को आशावादी बनाकर 'जीवन-जीने' की प्रेरणा देते हैं , विशेष कर युवापीढ़ी को ।

इकाई की रूप रेखा :-

- 5.1 प्रस्तावना
- 5.2 कवि परिचय
- 5.3 काव्य वाचन- (मूल-पाठ)
- 5.4 कठिन शब्दों के अर्थ
- 5.5 कविता का सारांश
- 5.6 काव्यागत विशेषताएँ
- 5.7 संदर्भ सहित व्याख्याएँ
- 5.8 सारांश
- 5.9 बोध प्रश्न
- 5.10 सहायक ग्रन्थ सूची

5.1 प्रस्तावना :

प्रस्तुत कविता “ओ दीपक ! बुझने के पहले” प्रो.पी. आदेश्वर राव जी द्वारा लिखित “धार के आर-पार” नामक काव्य संग्रह में से लिया गया । इस में उन्होंने संसार में मानव जीवन पर दार्शनिक दृष्टिकोण से उनके मनोभावों को प्रतीकात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है । रात दिन औरो के लिए जलकर भी कभी अपने मुहं से बड़ाई न करने वाला दीपक अँधेरे को प्रकाश में बदलकर जीवन का अहसास दिलाता है । आज के संकलन में हम दीपक के परोपकारी जीवन और उसकी व्यथा से भरी मार्मिक और सुंदर कविताएँ लिखी गयी । हिन्दी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे ।

5.2 कवि परिचय :

आचार्य पी.आदेश्वर राव का जन्म 20 दिसंबर, 1936 को हुआ। आपकी आरंभिक शिक्षा-दीक्षा प्रत्तिपाडु नामक गाँव में हुई। आपने काशी हिन्दी विश्वविद्यालय से एम.ए. हिन्दी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। आपने सन 1964 में पी.एच.डी की उपाधि प्राप्ति की। आपने हिन्दी के कवि, लेखक, शिक्षक और शोध निर्देशक के रूप में कार्य किया है। आप कवि और लेखक होने के साथ-साथ अनुवादक भी हैं। आपने मद्रास तथा आंध्र विश्व विद्यालय के कई विभागों से स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान विभागों में विगत 45 वर्ष से काम किया है। आपके निर्देशन में लगभग 20 विद्यार्थियों को पी. एच.डी की उपाधियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। हिन्दी साहित्य में , आपके 30 से भी अधिक ग्रन्थ हैं। इतना ही नहीं तेलुगु और अंग्रेजी में भी 20 से अधिक प्रमुख ग्रन्थ उपलब्ध हैं। आपको भारत की कई साहित्यिक संस्थाओं तथा अनेक सरकारों ने अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस श्रृंखला में आपको 20 से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आपने महाकवि दिनकर की उर्वशी , कुरुक्षेत्र , रश्मिरेथी आदि का अंग्रेजी में पद्यानुवाद प्रस्तुत किया है। हालही में आपको मोटुरी सत्यनारायण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपकी सेवाएँ साहित्यिक लेखन की श्रृंखला आज भी जारी हैं।

दक्षिण भारत में हिंदी के उन आचार्यों में अग्रणी हैं जिन्होंने अपनी मौलिक साहित्य सर्जना के बल पर देश भर में प्रभूत यश अर्जित किया है। वे 'गुरुणाम् गुरु' हैं। हिंदी भाषा और साहित्य उनकी रग-रग में रमे हैं। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भाषा, साहित्य और हिंदी की भाषिक संस्कृति का लंबे समय तक अध्ययन करके उसे इस तरह आत्मसात कर लिया कि दक्षिण में अपने शिष्यों की कई-कई पीढ़ियों के लिए वे स्वयं हिंदी संस्कृति के पर्याय बन गए हैं।

पुरुगुल्ला आदेश्वर राव ने दक्षिण भारत में हिंदी की सृजनात्मक परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने मौलिक लेखन भी किया, अनुवाद भी किया। 'अंतराल', 'धार के आर-पार', 'वातायन ये प्रेम सौध के'- उनके तीन मौलिक काव्य संकलन हैं। उन्होंने अनेक कविताओं का अनुवाद तेलुगु से हिंदी में करके हिंदी और तेलुगु के बीच साहित्य-सेतु का निर्माण किया। इस दृष्टि से तेलुगु उपन्यास 'पंडित परमेश्वर शास्त्री की वसीयत' और 'मोहभंग' के अनुवाद भी उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा उन्होंने समीक्षा के क्षेत्र में भी अनेक कृतियों की रचना की। उनके द्वारा संपादित ग्रंथ 'हिंदी साहित्य के विकास में दक्षिण का योगदान' बार-बार संदर्भित ग्रंथ है। दक्षिण भारत के हिंदी साहित्य को समझने के लिए वह एक अनिवार्य संदर्भ सामग्री है। एक भाषा शास्त्री के रूप में भी उन्होंने हिंदी तथा द्रविड भाषाओं के समान रूपी भिन्नार्थी शब्दों पर जो अपना अध्ययन प्रस्तुत किया है।

अंततः, कवि आदेश्वर राव राजनीति और सामाजिक विसंगतियों पर केंद्रित अपनी कविताओं में अपने समकालीन रचनाकारों से किसी भी प्रकार पीछे नहीं हैं – भले ही वह उनका प्रकृत क्षेत्र नहीं है। उदाहरण के रूप में, लोकतंत्र के मूल्यों के क्षरण और सारे के सारे राजनैतिक परिवेश के प्रदूषण के यथार्थ को व्यक्त करने वाली डॉ. पी.आदेश्वर राव की इन काव्य-पंक्तियों को उद्धृत करते हुए मैं अपने इस कथन को विराम देना चाहूँगा –

चुनाव के उस समरांगण में
विज्ञापन के रंग ढंगसे
प्रलोभनों के जाल बिछाकर
मतदाताओं को उलझाकर
नोटों से वोटों को भरकर
सत्ता को हाथों में लेकर
लागत को सौ बार बढ़ाकर
लोकतंत्र व्यापार बन गया ।

5.3 काव्य वाचन- (मूल-पाठ) :

“ओ दीपक ! बुझने के पहले” अपनी किरणें बिखराओ ।

जग में छाया है अन्ध-तिमिर

जीवन-गति भी अवरुद्ध , शान्त ,

अन्वेषण करने चले मार्ग

सदियों से कितने पथिक भ्रांत ।

वे भी डूबे अंधकार में

मानव-जग को साथ लिये ।

“ओ दीपक ! बुझने के पहले” अपनी किरणें बिखराओ ।

बन्दी है कितनों के सपने

जीवन की पाहन-कारा में

कितनी की अभिलाषाएँ भी

वही निराशा की धारा में

“हर कोई फिर भी तैर रहा ।

तिनके का अवलम्ब लिये” ॥

“ओ दीपक ! बुझने के पहले” अपनी किरणें बिखराओ ।

5.4 कठिन शब्दों के अर्थ :

1. कनस्तर = तीन का चौखूँटा पीपा
2. यतनाओं = कठिनाइयाँ
3. रेतकण = मिट्टी के कण
4. हथेलियाँ = हाथ
5. स्याहपन = काला
6. आत्मघाती = विद्रोहक, विश्वासघाट
7. कुटिलताओं = कुतंत्र, शडयंत्र
8. सरसराहट = झाड़ों में किसी जीव के रेंगने की आहट
9. बिथाबान = जंगल, सुनसान
10. सनसनाती हवा = मंद हवा
11. छलनी = धोखा, नष्ट
12. पथरीली = पत्थरों से भरा हुआ
13. मूक = मौन, चुपचाप
14. मुखर = प्रकट, प्रत्यक्ष
15. अवलम्ब = सहारा, ओट
16. अभिलाषाएँ = मन की चाह, कमना
17. बिखरा = अस्त-व्यस्त, इधर-उधर फैला हुआ

5.5 कविता का सारांश : (Summary)

1. प्रो.पी. आदेश्वर राव जी कहते हैं कि जीवन में अनेक सुख-दुःख और संकट आते-जाते ही रहते हैं परन्तु उनसे डरकर अपनी जीवन रूपी यात्रा में रुकना नहीं चाहिए। हमारे देश में अनेक धर्मों के प्रणेता ने जन्म लिया और उन्होंने मानव जीवन में रही निराशा, अंधकार को दूर करने का प्रयास किया परन्तु वे भी अपने प्रयत्न में पूरी तरह सफल नहीं हो पाये। वे भी इस सांसारिक माया-मोह के बवंडर में धँस गये। यात्रा कराते-कराते गुमराह हो गे। यात्रा के बीच जो भी मनुष्य मिलता चला गया उन्हें भी अपना सहयात्री बना लिया और अंतिम लक्ष्य कि खोज में यात्रा करते चले जा रहे हैं।

विशेष : इसमे कवि जीवन को अत्यंत दार्शनिक दृष्टि से देखते हुए कहते हैं कि सांसारिक जीवन में होने वाले नित्यप्रियता उथल-पुथल को देखकर घबराना नहीं चाहिए। अपनी जीवन रूपी यात्रा अपूर्ण नहीं छोड़ना चाहिए

। अपनी जीवन रूपी यात्रा अपूर्ण नहीं छोड़ना चाहिए। अपने अंतिम सांस तक सूरज कि किरणों और एक दीपक की भांति कोशिश जारी रखना चाहिए।

2. कवि इस में कहते हैं कि समान्यतः सभी मनुष्य अपने जीवन में सपने देखते हैं , उनकी कोई आकांक्षा या इच्छाएँ होती हैं। इनमें से कुछ पूरे होते हैं और कुछ अधूरे रह जाते हैं। जिनके सपने पूरे नहीं होते वे पत्थर रूपी कारागार में अपने अप को बंदी समझने लगते हैं। अर्थात् निराशा रह जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आज चारों ओर संसार में धर्म , जाति , धन , पदवी दाह में आदमी अपने आप को माया-मोह के कारागार में बंदी बनाता जा रहा है। कुछ लोग इससे बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं और कुछ नहीं। क्योंकि चारों ओर निराशा और दुःख रूपी अंधकार छा गया है। इस दुःख रूपी सागर से सूरज की किरणों की भाँति अपने जीवन में उभरकर आगे बढ़ना चाहिए।

विशेष : जीवन रूपी यात्रा कभी समाप्त नहीं होती है। जब तक अंतिम सांस न टूटे तब तक मनुष्य को आशावादी बनकर अपना या जीवन या पन करना चाहिए। इसमें निराशा , दुःख व अंधकार रूपी परिछाई को अपने ऊपर पड़ने नहीं देना चाहिए।

5.6 काव्यागत विशेषताएँ :

1986 में प्रो.पी. आदेश्वर राव जी का कविता संग्रह ‘धार के आर-पार’(पराग प्रकाशन, शाहदरा, दिल्ली-32/ 1986/ 104 पृष्ठ/ 35 रुपये) प्रकाशित हुआ जो उनकी अत्यंत समादृत और चर्चित कृति के रूप में मान्य है। ‘धार के आर-पार ’ में उन्होंने अपनी काव्यधारा के दो तटों की चर्चा की है। एक तट प्रेम और सौंदर्यबोध का है , तो दूसरा तट समाज और लोकबोध का। इन दो तटों के द्वंद्व में ही आदेश्वर राव की काव्यप्रतिभा प्रवाहित होती है। फिर भी यदि यह कहा जाए कि प्रेम और सौंदर्य ही उनकी काव्यप्रतिभा के नैसर्गिक क्षेत्र हैं, तो ज्यादाती नहीं होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि समाज और लोक चेतना का तट उन्हें खूब भाया है, लेकिन उस तट पर वे उतना रमते नहीं। प्रेम और सौंदर्य के बोध वाला तट उन्हें बार-बार अपनी ओर खींचता रहता है। वहीं उनका मन सहज विश्राम का अनुभव करता है। इस तट पर कवि की कल्पना-सुंदरी है , प्रेमिका है। लेकिन छायावादी संस्कार के अनुरूप यह सुंदरी, यह प्रेमिका आलोकमयी अधिक है। सदेह होते हुए भी विदेह सी प्रतीत होती है। कवि प्रेयसी के सौंदर्य को जिन परंपरित उपमानों की सहायता से उकेरने की कोशिश करता है, वे क्रमशः सूक्ष्म और उदात्त होते जाते हैं तथा प्रेमिका का चित्र उभरते-उभरते परमतत्व का चित्र बन जाता है। आदेश्वर राव की इस काव्य नायिका के नयन नव नीलोत्पल सरीखे हैं , केश अलिदल की तरह चंचल हैं , चरण शतदल जैसे रक्तिम हैं और कुल मिलाकर उसका रूप मधुर मनोहर है। इससे अधिक मांसलता तो ‘मधुराष्टकम्’ के कृष्ण के चित्र में है। अभिप्राय यह कि आदेश्वर राव का सौंदर्यबोध उज्ज्वल ,

उदात्त और सूक्ष्म अप्रस्तुत विधानों से अभिव्यंजित होता है। वे प्रेयसी को पुरुष के नेत्रों से नहीं देखते , कवि के नेत्रों से देखते हैं। कवि के ये भाव-नयन जिस प्रेयसी को तन्मय होकर देख रहे हैं, उसका रूप विमल है और कवि के हृदय में उसने एक स्थायी आग्रह का स्थान बना लिया है- ‘पा चुका हृदय में अमर टेका’ अपनी इस अपरूप सुंदरी, काव्य-प्रेरणा रूपी प्रेयसी को पाने की चाह को ‘धार के आर-पार’ में कवि ने बार-बार अलग-अलग प्रकार से व्यंजित किया है। कवि की चाह है कि वह प्रेयसी की कुटिल अलकों में उलझ जाए। वह अपनी प्रेयसी को सारी प्रकृति में दीप्त देखता है। उषा की लालिमा में उसे अपनी प्रिया के दर्शन होते हैं ; और यदि कहीं यह प्रेयसी तनिक मंद-मंद मुसका दे , तो कवि अपने अस्तित्व को ही भूल जाता है। प्रेम की आत्म-विस्मरण जैसी यह दशा तब और भी उदात्त भूमि का स्पर्श करती है , क्षितिज का स्पर्श करती है , जब इंद्रधनुष नील घन मंडल से सुशोभित होता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यहाँ नील घन मंडल स्वयं कवि का व्यंजक है और इंद्रधनुष प्रेमिका का। यह प्रेमी कवि अंधेरे में सोती सजनी को देखते हुए गीत रचने भर की पावन चाह रखता है। जिस प्रेमिका के सौंदर्य और अपरूप स्वरूप को लेकर इतनी इच्छाएँ और आकांक्षाएँ प्रेमी कवि ने पाल रखी हैं , वह कौन है? इस रहस्य पर से पर्दा कभी उठता ही नहीं। उठ भी नहीं सकता, क्योंकि कवि जिससे प्रेम कर रहा है वह उससे परिचित नहीं है। मिलने की इच्छा है, पर जान-पहचान तो हुई ही नहीं। बस एक अद्भुत सौंदर्य है, जिस पर कवि रीझता है और विस्मित होता है। मिलन भी होता है, लेकिन स्वप्न में; और तब भी यह पता नहीं चलता कि वह है कौन! विस्मित होकर कवि पूछ बैठता है – ‘तुम स्वप्न की अमराइयों में मुझे इस तरह अपने अंक में क्यों बाँध लेती हो? भला तुम स्वर्ग के मधुनंदनों में मुझे अपना प्रेम रूपी अधर मधु क्यों पिलाती हो ? इस तरह अपनी लज्जा का अतिक्रमण करके मुझसे प्रेम करने वाली तुम कौन हो? अपना नाम तो बताओ।’ लेकिन कवि की यह स्वप्नसुंदरी प्रेयसी सपनों के बाहर नहीं आती। वहीं मिलती है , आलिंगन में भरती है , चुंबन और परिरंभण करती है; और पहचान में आने से पहले ही रहस्य के पर्दे के पीछे चली जाती है।

छायावादी भावबोध के ही विस्तार के रूप में मानव सौंदर्य से आगे बढ़कर प्रकृति सौंदर्य की चर्चा भी की जा सकती है। बादल , समुद्र और साँझ के जो मनोरम चित्र कवि आदेश्वर राव ने ‘धार के आर-पार’ की कई रचनाओं में खींचे हैं, वे छायावाद के समय के और बाद के भी कई रचनाकारों की याद दिलाते हैं। कहना न होगा कि इन दृश्यों को शब्दबद्ध करते समय कवि भारतीय प्रकृति-काव्य की संपूर्ण परंपरा से अनुप्राणित प्रतीत होते हैं। इसीलिए उन्होंने बादलों, समुद्रों और संध्या तीनों ही का जीवित मानवीकृत रूप वर्णित किया है। प्रकृति और मनुष्य के बीच बिंब-प्रतिबिंब भाव को भी इन रचनाओं में व्यंजित होते देखा जा सकता है। साथ ही प्रकृति में निरंतर प्रवाहित होने वाली ऊर्जा की प्रेरणा को भी कवि ने शब्दबद्ध किया है।

कवि आदेश्वर राव ने महान कवियों और लोकनायकों के उज्ज्वल चरित्र को उजागर करने वाली कविताओं की भी पूरी शृंखला की रचना की है । इनमें एक ओर सूर , तुलसी, जयशंकर प्रसाद, महाप्राण निराला, सुमित्रानंदन पंत और हरिवंशराय बच्चन सरीखे अनुपम शब्दशिल्पी शामिल हैं , तो दूसरी ओर लालबहादुर शास्त्री और लोकनायक जयप्रकाश नारायण से लेकर चौधरी चरणसिंह , नंदमूर तारक रामाराव और संजय गांधी तक भारतीय राजनीति के विविध चेहरे भी विद्यमान हैं। कहना न होगा की इन सभी व्यक्तित्वों ने सतत संघर्ष द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में सुनिश्चित उत्कर्ष प्राप्त किया। संभवतः इस संघर्ष-तत्त्व ने ही कवि को इन चरित्रों को अपना काव्य-नायक बनाने की प्रेरणा दी।

5.7 संदर्भ सहित व्याख्याएँ : (annotations)

- 1) जग में छाया है अन्ध-तिमिर
जीवन-गति भी अवरुद्ध , शान्त ,
अन्वेषण करने चले मार्ग
सदियों से कितने पथिक भ्रांत ।

कवि परिचय : ये पंक्तियाँ प्रो.पी. आदेश्वर राव जी की “धारा के आर- पार” नामक काव्य संग्रह के “ओ दीपक बुझने के पहले” नामक कविता से ली गई हैं । इसमें वे जीवन-दर्शन का प्रतिबिंब दर्शाते हैं ।

संदर्भ : युग-युगों से चले आ रहे जीवन संघर्ष का वर्णन दशनिका दृष्टिकोण से किया गया है ।

व्याख्या : कवि दीपक की किरणों को प्रतीक मानकर कहते हैं कि “हे मानव ! तुम भी दीपक या सूरज की किरणों की तरह अपने जीवन को फैलाओ। अर्थात् कुछ-न-कुछ उपयोगी सार्थक करी करके दिखाओ । यह सही है कि इस यात्रा में अनेक अड़चने , बाधाएँ आर्येंगी परंतु पत्थर के कारागृह में बंदी के समान निराश होना मनुष्य के लिए क्षोभ नहीं देता। संकटों, कठिनाइयों से जूझना ही सच्चा मानवता का प्रतीक या लक्षण है ।

विशेष : इस कवितांश के द्वारा कवि समस्त मानव जाती को विशेष रूप से नवयुवकों को प्रेरणा देते हैं कि “आराम हराम है” । मेहनत का फल मीठा होता है”

- 2) “हर कोई फिर भी तैर रहा ।
तिनके का अवलम्ब लिये” ॥

कवि परिचय : ये पंक्तियाँ प्रो.पी. आदेश्वर राव जी की “धारा के आर- पार” नामक काव्य संग्रह के “ओ दीपक बुझने के पहले” नामक कविता से ली गई हैं । इसमें वे जीवन-दर्शन का प्रतिबिंब दर्शाते हैं ।

संदर्भ : ये पंक्तियों में कवि मानवजाति को हताश न होने का संदेश दे रहे हैं ।

व्याख्या : प्रत्येक मनुष्य स्वभाव से अनेक ऊँचे आदर्श रखता है और सपने देखता है । कवि कहते हैं कि मात्र सपने देखना मनुष्य का लक्षण नहीं है । उन्हें पूरा करना ही मानवता कहलाता है । थोड़ा सी निराशा रूपी

अंधकार यदि जीवन में छा जाए तो वह पत्थर की तरह पाषाण बन कर अपने आप को इस संसार से अलग कर लेता है। और दुःख रूपी सागर के कारावास में अपने आप को बंदी बना लेता है। तात्पर्य यह है कि अपने आप को बाहरी दुनिया से अलग कर लेता है किसी कोने में पड़े रहने पर भीतर ही भीतर घुटता है। कवि कहते हैं कि भारत में अनेक ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने घोर-से घोर संकटों का सामना कराते हुए भी जीवन में कभी हताश नहीं हुए। जीवन की लड़ाई छोटी सी आशा के लिए जीते रहे।

विशेष : कवि इसमें प्रत्येक मनुष्य को आशावादी बनकर ‘जीवन-जीने’ की प्रेरणा देते हैं, विशेषकर युवापीढ़ी को। क्योंकि उनका कहना है कि नवयुवकों को थोड़ी सी कठिनाई भी पहाड़ टूट पड़ने के समान लगती है, उन्होंने उदाहरण भी दिया है – परीक्षा में कम अंक मिलना, अच्छी नौकरी नहीं लगना, या जीवन-साथी की तलाश में तरह-तरह की बाधाएँ आज के युगीन समस्याएँ हैं जिनके कारण समस्त युवा पीढ़ी मूल्यों के पतन की ओर चली जा रही है। इस संदर्भ में उनका कहना है –

“हर पल जीवन नये रंग दिखाएँ।

वे ही रंग “जीवन जीना” भी सिखाएँ” ॥

5.8 सारांश :

प्रो.पी. आदेश्वर राव जी की “धारा के आर- पार” नामक काव्य संग्रह के “ओ दीपक बुझने के पहले” नामक कविता हैं। इसमें वे जीवन-दर्शन का प्रतिबिंब दर्शाते हैं। युग-युगों से चले आ रहे जीवन संघर्ष का वर्णन दार्शनिक दृष्टिकोण से किया गया है। कवि दीपक की किरणों को प्रतीक मानकर कहते हैं कि “हे मानव ! तुम भी दीपक या सूरज की किरणों की तरह अपने जीवन को अनेक फैलाओ। अर्थात् कुछ-न-कुछ उपयोगी सार्थक करी करके दिखाओ। यह सही है कि इस यात्रा में अनेक अड़चने, बाधाएँ आयेंगी परंतु पत्थर के कारागृह में बंदी के समान निराश होना मनुष्य के लिए क्षोभ नहीं देता। संकटों, कठिनाइयों से जूझना ही सच्चा मानवता का प्रतीक या लक्षण है। इस कवितांश के द्वारा कवि समस्त मानव जाती को विशेष रूप से नवयुवकों को प्रेरणा देते हैं कि “आराम हराम है”। मेहनत का फल मीठा होता है”।

इसमें कवि जीवन को अत्यंत दार्शनिक दृष्टि से देखते हुए कहते हैं कि सांसारिक जीवन में होने वाले नित्यप्रियता उथल-पुथल को देखकर घबराना नहीं चाहिए। अपनी जीवन रूपी यात्रा अपूर्ण नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी जीवन रूपी यात्रा अपूर्ण नहीं छोड़ना चाहिए। अपने अंतिम सांस तक सूरज की किरणों और एक दीपक की भांति कोशिश जारी रखना चाहिए। छायावादी भावबोध के ही विस्तार के रूप में मानव सौंदर्य से आगे बढ़कर प्रकृति सौंदर्य की चर्चा भी की जा सकती है। बादल, समुद्र और साँझ के जो

मनोरम चित्र कवि आदेश्वर राव ने 'धार के आर - पार' की कई रचनाओं में खींचे हैं , वे छायावाद के समय के और बाद के भी कई रचनाकारों की याद दिलाते हैं । कहना न होगा कि इन दृश्यों को शब्दबद्ध करते समय कवि भारतीय प्रकृति-काव्य की संपूर्ण परंपरा से अनुप्राणित प्रतीत होते हैं ।

5.9 बोध प्रश्न :

1. प्रो.पी. आदेश्वर राव जी का परिचय दीजिए ।
2. इस कविता में आशावाद पर प्रकाश डालिए ।
3. प्रो.पी. आदेश्वर राव जी की कविता पर विशेषता लिखिए ।

5.10 सहायक ग्रन्थ :

1. भागी हुई लड़कियाँ - आलोकधन्वा
2. मुसलमान - देवी प्रसाद मिश्र
3. घर की याद - भवानीप्रसाद मिश्र
4. सरोज-स्मृति - सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
5. चाँद का मुँह टेढ़ा है - गजानन माधव मुक्तिबोध

- षेक . बाजी

पाठ -6 UNIT –II

हिन्दी साहित्य का इतिहास (History of Hindi Literature)

भक्तिकाल

उद्देश्य

हिन्दी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल दूसरा काल है। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। कविवर रहीम, तुलसी, सूर, जायसी, मीरा, रसखान आदि इसी युग की देन हैं जिन्होंने धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत कविताओं छंदों आदि के माध्यम से समाज के सम्मुख वैचारिक क्रांति को जन्म दिया। इस काल में अनेक सूफी, संत, गुरु आदि ने भक्ति से संबंधित ग्रंथों की रचना की। इस में हम निम्न लिखित अंशों को पढ़ेंगे।

1. हिन्दी साहित्य का इतिहास और भक्तिकाल,
2. भक्ति से संबंधित सभी परिस्थितियाँ,
3. निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति के बारे में जानकारी आदि के बारे में इस इकाई में जन पायेंगे।

इकाई की रूप रेखा :

6.1 प्रस्तावना

6.2 हिन्दी साहित्य का इतिहास - भक्तिकाल

6.3 सीमांकन

6.3.1 राजनीतिक परिस्थितियाँ

6.3.2 सामाजिक परिस्थितियाँ :

6.3.3 धार्मिक परिस्थितियाँ :

6.3.4 आर्थिक परिस्थिति याँ

6.3.5 सांस्कृतिक परिस्थितियाँ

6.3.6 साहित्यिक परिस्थितियाँ

6.4 भक्ति काल वर्गीकरण

6.4.1 निर्गुण भक्ति धारा

6.4.2 सगुण भक्ति धारा

6.5 सारांश

6.6 बोध प्रश्न

6.7 सहायक ग्रन्थ

6.1 प्रस्तावना :

हिन्दी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिन्दी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रामाणिक तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। आचार्य शुक्ल जी ने इसे हिन्दी शब्दसागर भूमिका के रूप में लिखा था जिसे बाद में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1929 ई० में प्रकाशित आंतरित कराया गया। आचार्य शुक्ल ने गहन शोध और चिन्तन के बाद हिन्दी साहित्य के पूरे इतिहास पर विहंगम दृष्टि डाली है।

इतिहास-लेखन में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल एक ऐसी क्रमिक पद्धति का अनुसरण करते हैं जो अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करती चलती है। विवेचन में तर्क का क्रमबद्ध विकास ऐसे है कि तर्क का एक-एक चरण एक-दूसरे से जुड़ा हुआ, एक-दूसरे में से निकलता दिखता है। लेखक को अपने तर्क पर इतना गहन विश्वास है कि आवेश की उसे अपेक्षा नहीं रह जाती।

आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक आचार्य शुक्ल का इतिहास इसी प्रकार तथ्याश्रित और तर्कसम्मत रूप में चलता है। अपनी आरम्भिक उपपत्ति में आचार्य शुक्ल ने बताया है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिम्बित होता है। इन्हीं चित्तवृत्तियों की परम्परा को परखते हुए साहित्य-परम्परा के साथ उनका सामंजस्य दिखाने में आचार्य शुक्ल का इतिहास और आलोचना-कर्म निहित है। इस इतिहास की एक बड़ी विशेषता है कि आधुनिक काल के सन्दर्भ में पहुँचकर शुक्ल जी ने यूरोपीय साहित्य का एक विस्तृत, यद्यपि कि सांकेतिक ही, परिदृश्य खड़ा किया है। इससे उनके ऐतिहासिक विवेचन में स्रोत, सम्पर्क और प्रभावों की समझ स्पष्टतर होती है।

1. श्रीकृष्ण-साहित्य का मुख्य विषय कृष्ण की लीलाओं का गान करना है। वल्लभाचार्य के सिद्धांतों से प्रभावित होकर इस शाखा के कवियों ने कृष्ण की बाल-लीलाओं का ही अधिक वर्ण किया है।
2. भक्ति, (संस्कृत: "भक्ति") हिंदू धर्म में, एक आंदोलन जो भक्त के लिए एक व्यक्तिगत भगवान और भक्त के लिए एक भक्त के आपसी गहन भावनात्मक लगाव और प्रेम पर जोर देता है।
3. इस काल में मुगल सल्तनत भारत में स्थापित हो चुकी थी। मुस्लिम शासकों के अत्याचारों से आहत होकर हिन्दू जनता ने प्रभु की शरण में अपने आपको सुरक्षित महसूस किया और भक्ति मार्ग का अनुसरण किया। भक्ति आन्दोलन में नये विचारों का जन्म हुआ इसने भारतीय संस्कृति एवं समाज को एक दिशा दी।
4. भक्ति काल के उदय के बारे में सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने मत व्यक्त किया वे इसे “ईसायत की देन” मानते हैं। ताराचंद के अनुसार – भक्तिकाल का उदय “अरबों की देन” है। रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार – देश में

मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश ना रह गया।

6.2 हिंदी साहित्य का विभाजन – भक्तिकाल :

हिंदी साहित्य का आरंभ अपभ्रंश में मिलता है। हिंदी में तीन प्रकार के साहित्य मिलते हैं – गद्य, पद्य और चम्पू। गद्य और पद्य दोनों के मिश्रण को चंपू कहते हैं। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी थी इस पर तो विवाद है लेकिन अधिकतर साहित्यकार हिन्दी की पहली प्रामाणिक गद्य रचना लाला श्रीनिवासदास द्वारा लिखे उपन्यास ‘परीक्षा गुरु’ को मानते हैं।

हिन्दी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आदिकाल के बाद आये इस युग को ‘पूर्व मध्यकाल’ भी कहा जाता है। इसकी समयावधि 1375 वि.सं से 1700 वि.सं तक की मानी जाती है। यह हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग है जिसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्णकाल, श्यामसुन्दर दास ने स्वर्णयुग, आचार्य राम चंद्र शुक्ल ने भक्ति काल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा। सम्पूर्ण साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उत्तम रचनाएं इसी में प्राप्त होती हैं।

भक्तिकाल :

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहते हैं। हिन्दी साहित्य के सन्दर्भ में भक्तिकाल वह काल है जिसमें मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार व प्रसार के परिणाम-स्वरूप भक्ति-आंदोलन का सूत्रपात हुआ और उसकी लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण उसने विपुल आंदोलन का रूप धारण किया, जिसमें जनभाषा हिन्दी में भक्ति-साहित्य की बाढ़-सी आयी।

डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ‘हिन्दी साहित्य की भूमिका’ में स्पष्ट ही लिखा है-“असल में दक्षिण का वैष्णव मतवाद ही भक्ति-आंदोलन का मूल प्रेरक है”। उन्होंने यह भी बताया है कि स्वामी रमानंद और महाप्रभु वल्लभाचार्य की प्रेरणा से ही हिन्दी का भक्ति-साहित्य अपने चरमोत्कर्ष को पहुँच गया। दक्षिण में आलवार बंधु नाम से कई प्रख्यात भक्त हुए हैं। इनमें से कई तथाकथित नीची जातियों के भी थे। वे बहुत पढ़े-लिखे नहीं थे, परंतु अनुभवी थे। आलवारों के पश्चात् दक्षिण में आचार्यों की एक परंपरा चली जिसमें रामानुजाचार्य प्रमुख थे। रामानुजाचार्य की परंपरा में रामानंद हुए। उनका व्यक्तित्व असाधारण था। वे उस समय के सबसे बड़े आचार्य थे। उन्होंने भक्ति के क्षेत्र में ऊँच-नीच का भेद तोड़ दिया। सभी जातियों के अधिकारी व्यक्तियों को आपने शिष्य बनाया। उस समय का सूत्र हो गया।

जाति-पांति पूछे नहीं कोई।

हरि को भजै सो हरि का होई॥

रामानंद ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया। रामानंद ने और उनकी शिष्य-मंडली ने दक्षिण की भक्तिगंगा का उत्तर में प्रवाह किया। समस्त उत्तर-भारत इस पुण्य-प्रवाह में बहने लगा। भारत भर में उस समय पहुंचे हुए संत और महात्मा भक्तों का आविर्भाव हुआ। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पुष्टि-मार्ग की स्थापना की और विष्णु के कृष्णावतार की उपासना करने का प्रचार किया। उनके द्वारा जिस लीला-गान का उपदेश हुआ उसने देशभर को प्रभावित किया। अष्टछाप के सुप्रसिद्ध कवियों ने उनके उपदेशों को मधुर कविता में प्रतिबिंबित किया ।

इसके उपरांत माध्व तथा निंबार्क संप्रदायों का भी जन-समाज पर प्रभाव पड़ा है। साधना-क्षेत्र में दो अन्य संप्रदाय भी उस समय विद्यमान थे। नार्थों के योग-मार्ग से प्रभावित संत संप्रदाय चला जिसमें प्रमुख व्यक्तित्व संत कबीरदास का है। मुसलमान कवियों का सूफीवाद हिंदुओं के विशिष्टाद्वैतवाद से बहुत भिन्न नहीं है। कुछ भावुक मुसलमान कवियों द्वारा सूफीवाद से रंगी हुई उत्तम रचनाएं लिखी गईं ।

1 सगुण भक्ति

- रामाश्रयी शाखा
- कृष्णाश्रयी शाखा

2 निर्गुण भक्ति

- ज्ञानाश्रयी शाखा
- प्रेमाश्रयी शाखा

6.3 सीमांकन :

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भक्ति काल का सीमांकन 1318 से 1643 ई. तक माना है। कुछ विद्वान भक्ति काल के आरंभ को 1338 से मानते हैं , क्योंकि तब तक आदिकाल प्रवृत्तियाँ बलवती थीं। 23 वीं सदी तक धर्म के क्षेत्र में बड़ी अस्तव्यस्तता आ गई। जनता में सिद्धों और योगियों आदि द्वारा प्रचलित अंधविश्वास फैल रहे थे , संपन्न वर्ग में भी रूढ़ियों और आडंबर की प्रधानता हो चली थी । मायावाद के प्रभाव से लोक विमुखता और निष्क्रियता के भाव समाज में पनपने लगे थे । ऐसे समय में भक्ति आंदोलन के रूप में ऐसा भारतव्यापी विशाल सांस्कृतिक आंदोलन उठा जिसने समाज में उत्कर्षविधायक सामाजिक और वैयक्तिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की।

6.3.1 राजनीतिक परिस्थितियाँ :

भक्ति काल में देश के राजा विदेशी आक्रमणकारियों के प्रभाव और विस्तार को रोकने में असमर्थ हो गये थे। उत्तर भारत के ही नहीं , दक्षिण भारत के हिन्दू राज्य भी एक-एक करके मुसलमानों के अधिपत्य में आ

आ गये थे। खिलजी वंश के अल्लाउद्दीन ने देवगिरि, वरंगल, होयसिला, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के राजाओं को अपने अधीन कर लिया।

अल्लाउद्दीन के बाद तुगलक, सैयद और लोदी वंश के लोग दिल्ली के शासक बने। उसके बाद मुगल वंश स्थापित हुआ। इस प्रकार इस युग में मुसलमानों का राजी प्रतिष्ठित हो गया। सुदूर प्रांत के उनके अधीनस्थ शासक दिल्ली शासक से कभी विद्रोह करते थे और कभी स्वतंत्र हो जाया करते थे। इस कारण देश में राजनीतिक उथल-पुथल उग्र रूप में नहीं था, परन्तु पूर्ण शांति नहीं थी। राजनीतिक उथल-पुथल के कारण हिन्दू लोगों में बहुर दिनों तक उदासीनता छाई रही। उदासीनता से जाति के लिए भगवान की शक्ति और कृपा की ओर आकर्षित होने के सिवाय दूसरा मार्ग नहीं था। ऐसी परिस्थिति में भक्ति-आन्दोलन से प्रभावित कवियों ने लोगों का ध्यान भगवान की शक्ति और करुणा की ओर आकृष्ट किया।

6.3.2 सामाजिक परिस्थितियाँ :

भक्तिकाल में हिन्दुओं में वर्णाश्रम धर्म का सम्यक पालन नहीं होता था। इसलिए जातियों और उपजातियों की संख्या बढ़ती गयी। उनके पारस्परिक व्यवहार में आत्मीयता नहीं थी।

उस समय दास-प्रथा थी। मुसलमान हिन्दू कन्याओं को खरीदकर अपने घर रखते थे। मुस्लिम शासन की स्थापना के बाद भारतीय जनता मुस्लिम धर्म से बहुत प्रभावित हुई। कुछ मुगल शासकों ने तो बलपूर्वक हिंदुओं को मुसलमान बनाया। दूसरी ओर हिंदुओं में जाति-पाति और ऊंच-नीच का भेद भाव अत्याधिक कट्टर हो गया था। तत्कालीन भारतीय समाज रूढ़िग्रस्त एवं जातिवादी पर आधारित समाज बनता जा रहा था। निम्न जातियों के लोग अमानवीय जीवन जीने के लिए विवश थे। अकबर की उदार नीतियों का प्रभाव भी समाज पर पड़ रहा था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का बोलबाला था। स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार नहीं था। बहु विवाह का प्रचलन था तथा अमीरों और नवाबों की अंतःपुरों में अनेक रानियां होती थी।

भक्ति काल में भारतीय समाज पर मुख्य रूप से दो वर्गों में 1) इस वर्ग राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार, सुल्तान तथा सामंतों आदि का था वहीं 2) दूसरे वर्ग में किसान, मजदूर, दलित, राज्य कर्मचारी और पारंपरिक काम धंधे में लगे लोग आते थे। साधु संतों में पाखंड एवं बाहरी आडंबरों का बोलबाला था। इस काल में मुख्य रूप से हिंदू समाज की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। यह असहाय, दरिद्रता और अत्याचार की भट्टी में झुलस रहा था। इस तरह सामाजिक दृष्टि से हिंदू जाति काफी पिछड़ चुकी थी। उस समय हिंदू और मुसलमान अपने त्यौहार रूचि पूर्वक मनाते थे। आखेट तथा जुआ जैसे व्यसन उच्च वर्ग में थे। तीतरबाजी, कबूतरबाजी, पतंगबाजी आदि का प्रचलन भी समाज में था। सारांश में कहा जा सकता है कि भक्तिकाल में समाज परिवर्तन

के दौर से गुजर रहा था। एक तरफ परंपरावादी लोग अपनी परंपराओं को बनाए रखने के पक्ष में थे तो दूसरी तरफ नव इस्लाम के हितैषी लोग स्वयं को प्रगतिशील बता कर समाज में बदलाव लाना चाहते थे।

6.3.3 धार्मिक परिस्थितियाँ :

धार्मिक दृष्टि से यह युग उत्कर्ष काल था। पूर्व में सिद्ध का वामाचार अब समाप्त हो चुका था। अपनी समस्त विकृतियों के साथ वज्रयान अब समाज में प्रभावहीन हो रहा था। शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म की विकृतियों पर प्रहार करते हुए फिर से सनातन धर्म की स्थापना की। नाथ मुनियों ने योग साधना पर बल दिया। दक्षिण भारत में 12 आलवार संत हुए जिनमें एक भक्तिन अंडाल भी थी। इन्होंने सगुण भक्ति के लिए लोगों को प्रेरित किया। दक्षिण से शुरू हुई इस भक्ति लहर का उत्तर भारत में व्यापक प्रभाव पड़ा। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में पूजा, नमाज, माला, तीर्थ यात्रा, रोजा जैसे बाहरी आडंबरों की अधिकता हो गई थी। इन धर्मों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों और आडंबर को रोकने में तत्कालीन संतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कबीर का समाज सुधार, जायसी का प्रेम, तुलसी का समन्वयवाद तथा सूरदास द्वारा कृष्ण का लोकरंजन स्वरूप का चित्रण निश्चय ही तत्कालीन परिस्थितियों की देन है।

6.3.4 आर्थिक परिस्थितियाँ :

इस समय आर्थिक दृष्टि से हिंदू लोग बिछड़ने लगे थे और कुछ लोगों के लिए तो जीवित रहना भी कठिन हो गया था। एक विदेशी यात्री वर्नियर ने लिखा है, “उन हिंदुओं के पास धन संचित करने के लिए कोई साधन नहीं रह गए थे और उनमें से अधिकांश को निर्धनता अभाव एवं आजीविका के लिए निरंतर संघर्ष में जीवन बिताना पड़ता था। प्रजा के रहन-सहन का स्तर बहुत निम्न कोटि का था। करो का सारा भार उन्हीं पर था। राज्य पर उनको अप्राप्त थे।” शेरशाह सूरी का राज्य भले ही अल्पकाल के लिए रहा हो लेकिन उसने जमींदारी प्रथा समाप्त करके राज्य में खुशहाली लाने का प्रयास किया। मुगल राजाओं ने फिर इस प्रथा को आरंभ कर दिया। भक्ति काल में सामंती समाज में आर्थिक उत्पादन का आधार कृषि ही थी। कृषि से जुड़े काम धंधे हस्तकलाएँ तथा व्यापार आदि को ही आजीविका का प्रमुख साधन माना जा सकता था। उच्च वर्ग विलासिता पूर्ण जिंदगी जीता था और निम्न वर्ग अत्यंत निर्धनता में जीवन यापन कर रहा था। मजदूरों, कारीगरों तथा मेहनतकश किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी।

6.3.5 सांस्कृतिक परिस्थितियाँ :

भारतीय धर्म और संस्कृति में समन्वय की भावना को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। समन्वयात्मकता, भारतीय संस्कृति की विशेषता है। विदेश से आने वाली संस्कृतियों को ही भारतीय संस्कृति ने

अपना अंग नहीं बनाया बल्कि देश में उत्पन्न विरोधी विचारधाराओं को भी अपने अनुकूल बनाने का काम किया। सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो भक्ति काल एक मिश्रित तथा समन्वित संस्कृति के विकास का काल है।

इस्लाम के आने से एक बार पुनः भारत में सांस्कृतिक संक्रमण का दौर आया और खान-पान , रहन-सहन, शिक्षा साहित्य स्थापत्य कला , मूर्तिकला संगीत एवं चित्रकला में काफी बदलाव देखने को मिले । विदेशी तुर्क एवं भारतीय स्थापत्य शैली के मिश्रण से गुजराती एवं जौनपुरी स्थापत्य शैली का विकास हुआ । एलोरा के समीप कैलाश मंदिर में शिव की मूर्ति के ऊपर बोधि वृक्ष स्थित है , चंबा नरेश अजय पाल के शासनकाल में उत्कीर्ण ब्रह्मा और शिव के साथ बुद्ध भी हैं । ताजमहल तथा लालकिला भारतीय ईरानी वस्तुकलाओं के सम्मिश्रण का उत्तम उदाहरण है । गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग को इकट्ठा कर दिया। वैदिक संस्कृति में कर्म को प्रधानता दी गई। उपनिषदों में ज्ञान पर बल दिया गया , पुराणों में भी भक्ति का विस्तार हुआ । साहित्य के प्रवाह में हिंदू मुस्लिम सगुण , निर्गुण , शैव , शाक्त सभी एक साथ बह गए। भक्ति काल के कवियों ने भक्ति साहित्य को संगीत से जोड़ा । संगीत के साथ ही चित्रकला में भी खूब उन्नति हुई। मुगल शासकों द्वारा चित्रकला को राजाश्रय प्रदान किया गया ।

6.3.6 साहित्यिक परिस्थितियां :

इस समय उच्च हिंदू वर्ग के लोग संस्कृत का अध्ययन करते थे। फारसी राजभाषा थी कुछ हिंदुओं ने रोजगार के लिए इस भाषा को सीखा। हाट बाजार तथा सेना में आम बोलचाल की भाषा उर्दू के रूप में विकसित हो रही थी । पहले की भाषा अवधी और ब्रज बनती जा रही थी। संत कवियों ने बोलचाल की भाषा को महत्व दिया तथा उनकी भाषा सधुक्कड़ी या खिचड़ी भाषा कहलाने लगी । भक्ति काल में प्रबंध काव्य , मुक्तक काव्य तथा गीतिकाव्य लिखे । संस्कृत भाषा के कुछ ग्रंथों की टीकाएं भी इस समय लिखी गई । इस युग के अधिकांश कवि भक्त कवि थे तथा धर्म और भक्ति को आधार बनाकर काव्य रचना एँ लिख रहे थे। कबीर , सूर , तुलसी , जायसी देश के महान कवि हुए हैं । भक्ति कालीन साहित्य को दिखाकर यह कहा जा सकता है जिसने न केवल धर्म की व्याख्या की बल्कि हिंदू समाज को सुख शांति दे प्रदान की। यही कारण है कि भक्ति कालीन साहित्य हृदय , मन और आत्मा की भूख को शांत करता है । इसी आधार पर भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है ।

6.4 भक्ति काल – वर्गीकरण :

परमतत्व को कुछ भक्ति कवि निर्गुण निराकार और निरंजन मानते हैं । वे परमतत्व के अनेक रूप , अनेक आकर और अनेक गुणों में विश्वास रखते हैं । परमतत्व की इस भिन्नता के आधार पर भक्तिकाल के

साहित्य के दो विभाग किए हैं – 1) निर्गुण शाखा 2) सगुण शाखा। जो भक्ति कवि परब्रह्म को साकार माननेवाले भक्ति कवि सगुण कवि हैं।

परब्रह्म को पाने के विविध मार्ग बताये गये हैं। जो कवि केवल ज्ञान के द्वारा निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं वे ज्ञानाश्रयी शाखा के हैं। कबीर, रैदास आदि इस शाखा के कवि हैं। जायसी, मंजन, कुतुबन आदि प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं।

परब्रह्म को सगुण ब्रह्म माननेवाले कुछ कवियों ने राम को और कुछ कवियों ने कृष्ण को परमात्मा माना है। राम को परब्रह्म मानने वाले भक्ति कवि राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तुलसीदास रामभक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं।

भक्तिकाल			
निर्गुण भक्ति धारा		सगुण भक्ति धारा	
I-----I-----I	I-----I-----I	I-----I-----I	I-----I-----I
ज्ञानाश्रयी शाखा (संत कवि)	प्रेमाश्रयी शाखा (सूफी कवि)	राम भक्ति शाखा --	कृष्ण भक्ति शाखा --
कबीर, नानक आदि	जायसी, मंजन आदि	तुलसी दास	सूरदास (जन्मांध)

6.4.1 निर्गुण भक्ति धारा :

निर्गुण उपासना पद्धति में ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना की जाती है। हिन्दू ग्रंथ में ईश्वर के निर्गुण और सगुण दोनों रूप और उनके उपासकों के बारे में बताया गया है। निर्गुण ब्रह्म ये मानता है कि ईश्वर अनादि, अनन्त है वह न जन्म लेता है न मरता है, इस विचारधारा को मान्यता दी गई है। निर्गुण या निर्गुण शब्द एक हिंदी शब्द है जो सीधे संस्कृत के निर्गुण से निकला है, और इसका अर्थ है 'बिना रूप'। यह भक्ति अवधारणा को संदर्भित करता है जिसके साथ निर्गुण गीत जुड़े हुए हैं; निर्गुण देवता का कोई रूप या गुण नहीं है।

निर्गुण ने उन कवि-संतों का प्रतिनिधित्व किया जिन्होंने सभी गुणों या रूपों के बिना और परे भगवान की प्रशंसा की। उन्हें एकेश्वरवादी भक्ति संत के रूप में भी जाना जाता है। तुलसीदास, चैतन्य, सूरदास और मीरा सगुण के प्रमुख समर्थक थे। नानक और कबीर निर्गुण के प्रमुख समर्थक थे। संत कबीर दास एक निर्गुण संत और सुधारक थे। वे भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। निर्गुण का अर्थ है निराकार। भक्ति आंदोलन ने भारत में बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया।

1) ज्ञानाश्रय शाखा : इस शाखा के भक्त-कवि निर्गुणवादी थे और राम की उपासना करते थे। वे गुरु को बहुत सम्मान देते थे तथा जाति-पाँति के भेदों को अस्वीकार करते थे। वैयक्तिक साधना पर वे बल देते थे। मिथ्या आडंबरों और रूढ़ियों का वे विरोध करते थे। लगभग सब संत अपढ़ थे परंतु अनुभव की दृष्टि से समृद्ध थे। प्रायः सब सत्संगी थे और उनकी भाषा में कई बोलियों का मिश्रण पाया जाता है इसलिए इस भाषा को 'सधुक्कड़ी' कहा गया है। साधारण जनता पर इन संतों की वाणी का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा है। इन संतों में प्रमुख कबीरदास थे। अन्य मुख्य संत कवियों के नाम हैं नानक, रैदास, दादूदयाल, सुंदरदास तथा मलूकदास।

2) प्रेमाश्रयी शाखा :

मुसलमान सूफी कवियों की इस समय की काव्य-धारा को प्रेममार्गी माना गया है क्योंकि प्रेम से ईश्वर प्राप्त होते हैं ऐसी उनकी मान्यता थी। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी तत्व है और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है , यह उनकी रचनाओं का मूल तत्व है। उन्होंने प्रेमगाथाएं लिखी हैं। ये प्रेमगाथाएं फारसी की मसनवियों की शैली पर रची गई हैं । इन गाथाओं की भाषा अवधी है और इनमें दोहा-चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है। मुसलमान होते हुए भी उन्होंने हिंदू-जीवन से संबंधित कथाएं लिखी हैं। खंडन-मंडन में न पड़कर इन फकीर कवियों ने भौतिक प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम का वर्णन किया है। ईश्वर को माशूक माना गया है और प्रायः प्रत्येक गाथा में कोई राजकुमार किसी राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए नानाविध कष्टों का सामना करता है , विविध कसौटियों से पार होता है और तब जाकर माशूक को प्राप्त कर सकता है। इन कवियों में मलिक मुहम्मद जायसी प्रमुख हैं। आपका 'पद्मावत' महाकाव्य इस शैली की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अन्य कवियों में प्रमुख हैं - मंझन, कुतुबन और उसमान ।

6.4.2 सगुण भक्ति धारा :

सगुण भक्ति का अर्थ है- आराध्य के रूप-गुण, आकर की कल्पना अपने भावानुरूप कर उसे अपने बीच व्याप्त देखना , सगुण भक्ति में ब्रह्म के अवतार रूप की प्रतिष्ठा है और अवतारवाद पुराणों के साथ प्रचार में आया । इसी से विष्णु अथवा ब्रह्म के दो अवतार राम और कृष्ण के उपासक जन-जन के हृदय में बसने लगे । परमात्मा का वह रूप जो तीन प्राकृतिक गुणों सत्व , रज और तम से परे है , तथा जिसमें माधुर्य , ऐश्वर्य , औदार्य आदि जो दिव्य गुण हैं उनके सहित सर्वत्र व्यापक परमात्मा को सगुण कहते हैं ।

सगुण भक्तों ने भगवान के अवतारों में राम कृष्ण को अधिक महत्वपूर्ण माना है। इन दोनों अवतारों के आधार पर सगुण भक्तिधारा का दो उपधाराओं के रूप में विभाजन मिलता है , रामभक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा । सगुण उपासना ने पौराणिक अवतारों को केन्द्र बनाया और निर्गुण उपासना में योगियों ने निर्गुण ब्रह्म पर बल दिया। भक्तिकाल में सगुणभक्ति और निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि हैं - कबीरदास, तुलसीदास , सूरदास , नंददास , कृष्णदास , परमानंद दास , कुंभनदास , चतुर्भुजदास , छीतस्वामी,

गोविन्दस्वामी, हितहरिवंश, गदाधर भट्ट, मीराबाई, स्वामी हरिदास, सूरदास मदनमोहन, श्रीभट्ट, व्यास जी, रसखान, ध्रुवदास तथा चैतन्य महाप्रभु, रहीमदास।

1) राम भक्ति शाखा :

राम-भक्ति शाखा के कवियों ने राम के लोक-रक्षक रूप को जनता के सामने प्रस्तुत किया। राम भक्ति काव्य की रचनायें बृज और अवधी दोनों भाषाओं में हुई। इनमें राम के सम्पूर्ण जीवन के सभी पक्षों का चित्रण हुआ। इसके प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी थे। गोस्वामी जी के काव्य ने भक्ति के साथ शील, आचार, मर्यादा और लोकसंग्रह का संदेश सुनाकर मृतप्राय हिन्दू जाति में एक अपूर्व दृढ़ता उत्पन्न कर दी। उन्होंने अपनी अपूर्व प्रतिभा से वर्ण-व्यवस्था का समर्थन करके हिन्दुओं में मुसलमानों के धर्म के प्रचार को रोका।

गोस्वामी जी ने हिन्दू धर्म के मूल सिद्धान्तों को भाषा में अवतीर्ण करके सर्व सुलभ बनाया, शैव तथा वैष्णवों के पारस्परिक मतभेदों को दूर करके संगठित किया। ये अपूर्व समन्वयवादी थे। वास्तव में राम - भक्ति काव्य का हिन्दू समाज पर बहुत गम्भीर प्रभाव पड़ा। इस शाखा का सर्वाधिक प्रचार हुआ है। विभिन्न संप्रदायों के अंतर्गत उच्च कोटि के कवि हुए हैं। वात्सल्य एवं शृंगार के सर्वोत्तम भक्त-कवि सूरदास के पदों का परवर्ती हिंदी साहित्य पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। इस शाखा के कवियों ने प्रायः मुक्तक काव्य ही लिखा है। इन में बल्लभाचार्य के पुष्टिसंप्रदाय के अंतर्गत अष्टछाप के सूरदास कुम्भनदास रसखान जैसे महान कवि हुए हैं। भगवान श्रीकृष्ण का बाल एवं किशोर रूप ही इन कवियों को आकर्षित कर पाया है इसलिए इनके काव्यों में श्रीकृष्ण के ऐश्वर्य की अपेक्षा माधुर्य का ही प्राधान्य रहा है। प्रायः सब कवि गायक थे इसलिए कविता और संगीत का अद्भुत सुंदर समन्वय इन कवियों की रचनाओं में मिलता है। गीत-काव्य की जो परंपरा जयदेव और विद्यापति द्वारा पल्लवित हुई थी उसका चरम-विकास इन कवियों द्वारा हुआ है। नर-नारी की साधारण प्रेम - लीलाओं को राधा-कृष्ण की अलौकिक प्रेमलीला द्वारा व्यंजित करके उन्होंने जन-मानस को रसाप्लावित कर दिया। आनंद की एक लहर देश भर में दौड़ गई। इस शाखा के प्रमुख कवि थे सूरदास, नंददास, मीरा बाई, हित मिली।

2) कृष्ण भक्ति शाखा

कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की पावन लीलाओं का वर्णन किया। कृष्ण के लोकरंजक और लोकरक्षक दोनों रूप थे तथापि भक्तिकाल के कवियों की रुचि लोकरंजक के रूप की ओर रही। बल्लभाचार्य की बालकृष्ण उपासना पद्धति तथा जयदेव और विद्यापति की गति पद्धति को ही उन्होंने अपनाया। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे।

ये महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्य थे, उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने भगवान के साकार रूप का गान किया। ये लोग पुष्टिमार्गी कहलाते थे। भगवान के पोषण या अनुग्रह से ही उनका सामीप्य प्राप्त हो सकता है, इन

लोगों का विचार था। कृष्ण भक्ति काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया, जो बड़ा ही ललित और श्रुति मधुर है। उसमें माधुर्य और प्रसाद गुण प्रधान हैं। कृष्ण-काव्य रचयिताओं ने भ्रमरगीत का प्रसंग लेकर निर्गुण भक्ति की निरर्थकता एवं सारहीनता प्रदर्शित की। सूर का भ्रमरगीत वियोग शृंगार का उत्कृष्ट उदाहरण है। भक्तिकाल में शृंगार, वात्सल्य और शान्त इन तीनों रसों में ही अधिकांश काव्य रचना की गयी है।

कृष्णभक्ति शाखा के अंतर्गत लीला-पुरुषोत्तम का गान रहा तो रामभक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास ने मर्यादा - पुरुषोत्तम का ध्यान करना चाहा। इसलिए आपने रामचंद्र को आराध्य माना और 'रामचरित मानस' द्वारा राम - कथा को घर - घर में पहुंचा दिया। तुलसीदास हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। समन्वयवादी तुलसीदास में लोकनायक के सब गुण मौजूद थे। आपकी पावन और मधुर वाणी ने जनता के तमाम स्तरों को राममय कर दिया। उस समय प्रचलित तमाम भाषाओं और छंदों में आपने रामकथा लिख दी। जन-समाज के उत्थान में आपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस शाखा में अन्य कोई कवि तुलसीदास के समान उल्लेखनीय नहीं है। तथापि अग्रदास, नाभादास तथा प्राणचंद चौहान भी इस श्रेणीमें आते हैं।

6.5 सारांश :

भक्तिकाल में निर्गुण सम्बन्धी तथा रामकृष्ण सम्बन्धी काव्य लिखे गए, परन्तु जितना विस्तार कृष्ण काव्य का हुआ उतना राम काव्य का नहीं। उसका कारण था माधुर्य एवं उनका लोकरंजक रूपा। भक्ति काव्य के कलापक्ष एवं भावपक्ष दोनों ही अपनी चरम सीमा पर हैं। ज्ञानमार्गी कवियों में कला-पक्ष की थोड़ी-सी कमी थी। इसका कारण था कि उनकी प्रवृत्ति समाज सुधार की ओर अधिक उन्मुख थी, भाषा के कृत्रिम सौन्दर्य की ओर उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया।

गोस्वामी जी ने भी इसी बात का समर्थन किया था।

का भाषा का संस्कृत, भाव चाहिए साँच |

काम जौ आवै कामरी, का लै करै कमाँच ॥

कला-पक्ष एवं भाव पक्ष की दृष्टि से एवं विस्तार और व्यापकता की दृष्टि से जो उच्च कोटि का हिन्दी साहित्य भक्तिकाल में सृजित हो सका, वह आज तक फिर सम्भव न हो सका। इन्होंने तथा इनकी शाखाओं के अन्य अनेक कवियों ने जितना सर्वांगपूर्ण समृद्ध साहित्य भक्तिकाल में सृजन किया उतना आज तक नहीं हो सका। भक्तिकाल का कला एवं भाव पक्ष का विद्वत्तापूर्ण वैविध्य अपने में अद्वितीय है। भक्तिकाल के साहित्य को अलग निकाल कर यदि हम हिन्दी साहित्य पर दृष्टि डालें तब वहाँ कुछ बचता ही नहीं। हिन्दी साहित्य की जो श्रीवृद्धि भक्तिकाल में हुई वह अन्य कालों में न हो सकी। अतः निःसन्देह हिन्दी साहित्य का भक्तिकाल हिन्दी का स्वर्ण युग था, जिसमें तुलसी, सूर, कबीर और जायसी जैसे महाकवि उत्पन्न हुए।

6.6 बोध प्रश्न :

1. भक्तिकाल की विशेषताएँ प्रस्तुत कीजिए।
2. भक्तिकाल हिन्दी साहित्य में स्वर्णयुग है – साबित कीजिए।
3. भक्तिकाल के विविधशाखाओं का परिचय दीजिए।
4. निर्गुण भक्तिधारा की विशेषताएँ प्रस्तुत कीजिए।
5. सगुण भक्तिधारा की विशेषताएँ प्रस्तुत कीजिए।
6. भक्तिकालीन परिवेश या परिस्थितियों को प्रस्तुत कीजिए।

6.8 सहायक ग्रन्थ :

1. हिन्दी साहित्य का इतिहास – डॉ. नगेन्द्र
2. हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास – बाबू गुलाब राय
3. मध्यकालीन धर्म साधना – आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
4. हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास – डॉ. गणपति चंद्र गुप्त
5. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास – डॉ. रामकुमार वर्मा

- डॉ. एम. मंजुला

पाठ-7

ज्ञानाश्रयीशाखा - कबीर दास

उद्देश्य :

हिन्दी साहित्य के भक्तिकाल में निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास है। इस इकाई में हम ज्ञानाश्रयी शाखा से संबन्धित निम्न अंशों को पायेंगे।

1. इस इकाई में निर्गुण भक्ति धारा की विशेषताओं पर विचार करेंगे।
2. निर्गुण भक्ति धारा के साहित्यिक परिचय को मिलेगा।
3. ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों और उनकी कृतियों पर प्रकाश डाल सकेंगे।
4. ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास के जीवन-वृत्त एवं काव्यागत विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे।
5. कबीर की भक्ति पद्धति पर विचार करेंगे।

इकाई की रूप रेखा :

7.1 प्रस्तावना

7.2 निर्गुण पंथ -

7.2.1 ज्ञानाश्रयी शाखा

7.2.2 प्रेमाश्रयी शाखा

7.3 ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषताएँ

7.4 ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कविजन – उनका परिचय

7.5 कबीर के जीवन वृत्त – एवं काव्यगत विशेषताएँ

7.6 कबीर-भक्ति पद्धति -

7.6.1 परमात्मा की एकता

7.6.2 माधुर्य भाव

7.6.3 नाम-स्मरण

7.6.4 गुरु की महत्ता

7.6.5 मध्यम मार्ग का अनुसरण

7.6.6 आचरण की शुद्धता

7.6.7 प्रपत्ति भाव

7.6.8 हठयोग का मिश्रण

7.7 सारांश

7.8 बोध प्रश्न

7.9 सहायक ग्रन्थ

7.1 प्रस्तावना :

भक्ति एक रागात्मक प्रवृत्ति है, हृदयस्थ भाव है। हिन्दी साहित्य के इतिहास में जिस काल को 'भक्तिकाल' नाम दिया गया था, वह उस देश के जीवन में नवीन सांस्कृतिक चेतना का काल था। निर्गुण, निराकार, निरंजन के रिप में भगवान की आराधना करने वाले निर्गुण भक्ति धारा के लोग हैं। यह भी दो शाखाओं में बाँटा गया है। ज्ञानाश्रयीशाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानमार्गी भक्ति का अनुसरण करनेवाले संत, ज्ञान के पक्ष की बात कहते समय भले ही रूपातीत की बात करते हो, भक्ति के पक्ष में जिस प्रियतम की भावना रखते हैं। वह सामान्य मानवीय क्रिया-व्यापारों से अछूता नहीं रह पाता। ज्ञानाश्रयी शाखा के साहित्य की मूल चेतना की अब्दैतता उसकी निराकारता और भक्ति द्वारा उसकी उपलब्धि के भावों में निहित हैं।

हिन्दी में भक्ति साहित्य की रचना के तीन प्रमुख कारण हैं। उस समय तक मुसलमान शासक युद्धों से ऊब चुके थे। वे जनता से संबंध बनाकर अपने राज्यको जमाना चाहते थे। हिन्दू जनता भी जो कि शासित है, अपने धर्म में सुधार चाहती थी। दोनों धर्मों कि जनता में भाईचारे की प्रकृति बढ़ रही थी। निर्गुण पंथ का मार्ग प्रशस्त किया।

7.2 . निर्गुण पंथ :

धार्मिक समन्वय चाहनेवाले लोगों ने इस्लाम और हिन्दू धर्म के कुछ समान सिद्धांतों को खोज निकाला और उनका प्रचार किया। दोनों में एकेश्वरवाद और प्रेम भावना को बहुत प्रोत्साहन मिला। इस्लाम में निर्गुण एकेश्वरवाद प्रमुख है। यही सिद्धांत भारतीय उपनिषदों की भी है। इसी प्रकार वैष्णवों की प्रेम भावना में भी प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार के समन्वय से निर्गुण पंथ की दो शाखाएँ निकली। जैसे ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखायें।

7.2.1 ज्ञानाश्रयी शाखा : इस शाखा के भक्त-कवि निर्गुणवादी थे और नाम की उपासना करते थे। गुरु को वे बहुत सम्मान देते थे और जाति-पाँति के भेदों को अस्वीकार करते थे। वैयक्तिक साधना पर वे बल देते थे। मिथ्या आडंबरों और रूढ़ियों का वे विरोध करते थे। लगभग सब संत अपढ़ थे परंतु अनुभव की दृष्टि से समृद्ध थे। प्रायः सब सत्संगी थे और उनकी भाषा में कई बोलियों का मिश्रण पाया जाता है इसलिए इस भाषा को 'सधुक्कड़ी' कहा गया है। साधारण जनता पर इन संतों की वाणी का जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। इन संतों में प्रमुख कबीरदास थे। अन्य मुख्य संत-कवियों के नाम हैं - नानक, रैदास, दादूदयाल, सुंदरदास तथा मलूकदास आदि।

भक्ति या उपासना के लिए गुणों की सत्ता आवश्यक है। ब्रह्म के सगुण स्वरूप को आधार बनाकर तो भक्ति / उपासना की जा सकती है किन्तु जो निर्गुण एवं निराकार है उसकी भक्ति किस प्रकार सम्भव है ? निर्गुण के गुणों का आख्यान किस प्रकार किया जा सकता है ? गुणातीत में गुणों का प्रवाह किस प्रकार माना जा सकता है ? जो निरालम्ब है, उसको आलम्बन किस प्रकार बनाया जा सकता है। जो अरूप है, उसके रूप की कल्पना किस प्रकार सम्भव है। जो रागातीत है, उसके प्रति रागों का अर्पण किस प्रकार किया जा सकता है ?

रूपातीत से मिलने की उत्कंठा का क्या औचित्य हो सकता है। जो नाम से भी अतीत है, उसके नाम का जप किस प्रकार किया जा सकता है। शास्त्रीय दृष्टि से उपर्युक्त सभी प्रश्न 'निर्गुण-भक्ति' के स्वरूप को ताल ठोंककर चुनौती देते हुए प्रतीत होते हैं। कबीर आदि संतों की दार्शनिक विवेचना करते समय आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने यह मान्यता स्थापित की है कि उन्होंने निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदान्त का पल्ला पकड़ा है। इस सम्बन्ध में जब हम शांकर अद्वैतवाद एवं संतों की निर्गुण भक्ति के तुलनात्मक पक्षों पर विचार करते हैं तो उपर्युक्त मान्यता की सीमायें स्पष्ट हो जाती हैं।

7.2.2 प्रेमाश्रयी शाखा :

यह काव्य धारा मुसलमान फकीरों और सूफियों को सदभावना का सूफी संप्रदाय हिन्दुओं के सर्वेश्वरवाद के निकट पड़ता है। मुसलमान सूफी कवियों की इस समय की काव्य-धारा को प्रेममार्गी माना गया है क्योंकि प्रेम से ईश्वर प्राप्त होते हैं ऐसी उनकी मान्यता थी। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी तत्त्व है और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है, यह उनकी रचनाओं का मूल तत्त्व है। उन्होंने प्रेमगाथाएं लिखी हैं। ये प्रेमगाथाएं फारसी की मसनवियों की शैली पर रची गई हैं। इन गाथाओं की भाषा अवधी है और इनमें दोहा-चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है। मुसलमान होते हुए भी उन्होंने हिंदू-जीवन से संबंधित कथाएं लिखी हैं। खंडन-मंडन में न पड़कर इन फकीर कवियों ने भौतिक प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम का वर्णन किया है। ईश्वर को माशूक माना गया है और प्रायः प्रत्येक गाथा में कोई राजकुमार किसी राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए नानाविध कष्टों का सामना करता है, विविध कसौटियों से पार होता है और तब जाकर माशूक को प्राप्त कर सकता है। इन कवियों में मलिक मुहम्मद जायसी प्रमुख हैं। आपका 'पद्मावत' महाकाव्य इस शैली की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अन्य कवियों में प्रमुख हैं - मंझन, कुतुबन और उसमान।

इस शाखा के भक्त-कवि निर्गुणवादी थे और नाम की उपासना करते थे। गुरु को वे बहुत सम्मान देते थे और जाति-पाँति के भेदों को अस्वीकार करते थे। वैयक्तिक साधना पर वे बल देते थे। मिथ्या आडंबरों और रूढ़ियों का वे विरोध करते थे। लगभग सब संत अपढ़ थे परंतु अनुभव की दृष्टि से समृद्ध थे। प्रायः सब सत्संगी थे और उनकी भाषा में कई बोलियों का मिश्रण पाया जाता है इसलिए इस भाषा को 'सधुक्कड़ी' कहा गया है। साधारण जनता पर इन संतों की वाणी का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा है। इन संतों में प्रमुख कबीरदास थे। अन्य मुख्य संत-कवियों के नाम हैं - नानक, रैदास, दादूदयाल, सुंदरदास तथा मलूकदास।

प्रोफेसर महावीर सरन जैन ने निर्गुण भक्ति के स्वरूप के बारे में प्रश्न उठाए हैं तथा प्रतिपादित किया है कि संतों की निर्गुण भक्ति का अपना स्वरूप है जिसको वेदांत दर्शन के सन्दर्भ में व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। उनके शब्द हैं:

भक्ति या उपासना के लिए गुणों की सत्ता आवश्यक है। ब्रह्म के सगुण स्वरूप को आधार बनाकर तो भक्ति / उपासना की जा सकती है किन्तु जो निर्गुण एवं निराकार है उसकी भक्ति किस प्रकार सम्भव है ? निर्गुण के गुणों का आख्यान किस प्रकार किया जा सकता है ? गुणातीत में गुणों का प्रवाह किस प्रकार माना जा सकता है ? जो निरालम्ब है, उसको आलम्बन किस प्रकार बनाया जा सकता है। जो अरूप है, उसके रूप की कल्पना किस प्रकार सम्भव है। जो रागातीत है, उसके प्रति रागों का अर्पण किस प्रकार किया जा सकता है ? रूपातीत से मिलने की उत्कंठा का क्या औचित्य हो सकता है। जो नाम से भी अतीत है, उसके नाम का जप किस प्रकार किया जा सकता है। शास्त्रीय दृष्टि से उपर्युक्त सभी प्रश्न 'निर्गुण-भक्ति' के स्वरूप को ताल ठोंककर चुनौती देते हुए प्रतीत होते हैं। कबीर आदि संतों की दार्शनिक विवेचना करते समय आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने यह मान्यता स्थापित की है कि उन्होंने निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदान्त का पल्ला पकड़ा है। इस सम्बन्ध में जब हम शांकर अद्वैतवाद एवं संतों की निर्गुण भक्ति के तुलनात्मक पक्षों पर विचार करते हैं तो उपर्युक्त मान्यता की सीमायें स्पष्ट हो जाती हैं:

(क) शांकर अद्वैतवाद में भक्ति को साधन के रूप में स्वीकार किया गया है, किन्तु उसे साध्य नहीं माना गया है। संतों ने (सूफियों ने भी) भक्ति को साध्य माना है।

(ख) शांकर अद्वैतवाद में मुक्ति के प्रत्यक्ष साधन के रूप में 'ज्ञान' को ग्रहण किया गया है। वहाँ मुक्ति के लिए भक्ति का ग्रहण अपरिहार्य नहीं है। वहाँ भक्ति के महत्व की सीमा प्रतिपादित है। वहाँ भक्ति का महत्व केवल इस दृष्टि से है कि वह अन्तःकरण के मालिन्य का प्रक्षालन करने में समर्थ सिद्ध होती है। भक्ति आत्म-साक्षात्कार नहीं करा सकती, वह केवल आत्म साक्षात्कार के लिए उचित भूमिका का निर्माण कर सकती है। संतों ने अपना चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार या भगवद्-दर्शन माना है तथा भक्ति के ग्रहण को अपरिहार्य रूप में स्वीकार किया है क्योंकि संतों की दृष्टि में भक्ति ही आत्म-साक्षात्कार या भगवद्दर्शन कराती है।

7.3 ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषताएँ :

इस शाखा के भक्त कवियों ने जिन अनेक स्रोतों से प्रेरणा ग्रहण की हैं उनमें शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन और उपनिषदों के ज्ञान की पीठिका पर आधृत है। इस शाखा के प्रेरणा स्रोतों की दृष्टि से पतंजल हठयोग और निषदिक, अद्वैतवाद, वैष्णव अहिंसा और प्रपत्तिभाव तथा सूफियों के प्रेमतत्व का उल्लेख किया जा सकता है।

1) धार्मिक आध्यात्मिक : (क) विध्यात्मक : ईश महिमा , गुरु महिमा , सत्संग , स्वानुभव

(ख) निषेधात्मक:मूर्तिपूजा, बहुदेववाद, शास्त्र ज्ञान, कांचन-कामिनी, धर्मिकरूढ़ियाँ और आडंबर , तीर्थाटन , हिंसा , नमाज ।

- 2) सामाजिक : (क) विध्यात्मक : सामाजिक और मानवीय समता
(ख) निषेधात्मक : जातिपांति मत भेद भाव , सांप्रदायिक वैमनस्य

निर्गुण उपासना

इस शाखा के कवियों ने ईश्वर को निर्गुण माना है। निराकार ब्रह्म की भक्ति को आलम्बन बनाना कठिन होता है। इसके सम्बन्ध में ज्ञान की चर्चा सुलभ होती है। कबीर ने सिद्धों और नाथों की विचारधारा को और आगे बढ़ाया और निर्गुण, निराकार, अव्यक्त और घट, घटवासी ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। 'निर्गुण राम जपहु रे भाई' आदि पंक्तियों से उनके ये विचार भली प्रकार समझे जा सकते हैं।

इनका ब्रह्म एक है। बहुदेववाद में इन्हें विश्वास नहीं। इनका ब्रह्म अवतार नहीं लेता। यह जन्म-मरण के बन्धन से परे है, तथापि इन्होंने उस राम के अनेक पौराणिक नामों का प्रयोग किया है।

निरक्षर कवि

ये कवि प्रायः निरक्षर थे। कबीरदास ने तो स्वयं कहा है कि उन्होंने "भसि कागद छूओ नहीं कलम गही नहिं हाथ"। सन्त कवियों में शायद केवल सुन्दरदास की ही शिक्षा व्यवस्थित ढंग से हुई थी। लेकिन शिक्षा के अभाव में भी, ज्ञान और अनुभव के आधार पर अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने के कारण, सन्तकाव्य में सच्चाई और गहराई है। इन लागे का जीवन भी वैसा ही था, जैसा वे कहते थे। कथनी और करनी में अन्तर नहीं था।

कवि-रूप की प्रधानता न होते हुए भी इनकी वाणी प्रभावपूर्ण रही, क्योंकि उसमें हृदय की सत्यता मिलती है। सत्संग ही इनके ज्ञान का आधार रहा।

जाति-व्यवस्था का विरोध

जाति.पांति का सभी सन्तों ने विरोध किया। "जाति.पांति पूछे नहिं काइर्। हरि को भजे सो हरि का होई" कहकर उन्होंने जाति-भेद का विरोध किया है। ये सभी कवि प्रायः निम्न जाति के थे। कबीर जुलाहा थे। रैदास चमार थे। दादू दयाल मोची या धुनिया थे। अपनी जाति को इन्होंने कभी छिपाया नहीं, वरन् खुलकर कहते थे 'तू ब्राह्मण मैं काशी का जुलाहा, सच कहु ठारै ठिकाना' या 'कह रैदास खलास चमारा'।

ऊँची जातियों के कवियों में नानक और सुन्दरदास के नाम प्रमुख हैं। परन्तु उन्होंने भी जाति की महत्ता को स्वीकार नहीं किया।

पाखंड विरोध

इन कवियों ने मिथ्या आडम्बरों का विरोध करके पाखंडियों की निन्दा की है। उस समय के समाज में हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्मावलम्बियों में व्रत, पूजा, तीर्थ अथवा रोजा, नमाज, हज आदि की प्रवृत्ति थी। इस प्रकार के आडम्बरों में इन कवियों की आस्था नहीं थी, अतः इन्होंने मुल्लाओं और पण्डितों की खूब खिल्ली

उड़ाने की चेष्टा की है- काँकर पाथर जोरि के मस्जिद लई बनाय। ता चढ़ि मुल्ला बाँ दे क्या बहरा हुआ खुदाय ।
तथा पाथर पूजे हरि मिलै तो मैं पूजू पहार । (कबीर)

हिन्दू-मुस्लिम एकता

हिन्दू-मुस्लिम एकता की दृष्टि से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों ने बहुत प्रयत्न किया। उन्होंने हिन्दू और मुसलमान दोनों को समान दृष्टि से देखकर उन्हें सन्मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। कबीर की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है- ‘अरे इन दोऊन राह न पाई।’ कभी-कभी उन्होंने अपने को हिन्दू-मुस्लिम कुछ भी न मानकर पाँच तत्त्व का पुतला कहा है - ‘हिन्दू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी नाहिं । दोनों धर्मों की अच्छी बातों पर बल देकर और दुर्बलताओं पर प्रहार करके उन्होंने हिन्दू और मुसलमानों को समीप लाने का प्रयत्न किया ।

माया से बचने का उपदेश

सन्त कवियों ने माया से सावधान रहने का बराबर उपदेश दिया है। माया के प्रभाव से बचना बड़ा कठिन है। मेरे-तेरे का विचार रखना, कंचन और कामिनी में आसक्त रहना और संसार के विभिन्न आकर्षणों से युक्त रहकर इंद्रिय-सुख की कामना करना आदि सब माया है । इस सबकी निन्दा की गई है ।

नारी के प्रति सन्त कवियों की दृष्टि बड़ी आलोचनापूर्ण रही है- ‘नारी की झाँई परत अन्धा होत भुजंग’ जैसी उक्तियों द्वारा से दूर रहने का उपदेश दिया गया है। यह तत्कालीन समाज की नारी विषयक सामान्य धारणा का परिणाम है ।

गुरु की महत्ता

गुरु को सभी सन्तों ने बहुत ऊँचा माना है। पढ़े-लिखे न होने से गुरु के उपदेश का इनके यहाँ बहुत महत्व था। गुरु की कृपा बड़ी आवश्यक थी। कहीं-कहीं तो गुरु को ईश्वर से भी ऊँचा मान लिया गया - ‘गुरु गोविन्द दोऊ खड़े काके लागू पाँय’।

बलिहारी गुरु आपने जिन गोविन्द दियो बताय। -कबीर

रहस्यात्मकता-

ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों की एक प्रमुख विशेषता उनकी ईश्वर से सम्बन्धित रहस्यात्मक उक्तियाँ हैं। आत्मा.परमात्मा के सम्बन्ध का कथन करके जब आत्मा का परमात्मा के प्रति काव्य में अनुराग व्यक्त किया जाता है तो उसे रहस्यवाद कहा जाता है। कबीर ने आत्मा को स्त्री और परमात्मा को पुरुष मानकर विरह की मार्मिक व्यंजना की है। उनके ऐसे कथन रहस्यवाद की कोटि में आते हैं। कबीर का रहस्यवाद कहीं तो नाथपंथियों के हठयोग से प्रभावित है, कहीं सूफियों के प्रेम से और कहीं उपनिषदों के अद्वैत सिद्धान्त से। कबीर की तरह

धर्मदास, सुन्दरदास और मलूकदास आदि कवियों ने भी रहस्यात्मक भाव व्यक्त किये हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता बोधक इन पंक्तियों में आत्मा-परमात्मा के विरह और मिलन दशा का वर्णन हुआ है -

लाली मरे लाल की, जित देखंति लाल ।

लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल ॥ -कबीर

काव्य-रचना तथा भाषा

इन कवियों की रचनाएँ मुक्तक रूप में मिलती हैं। गीति काव्य की दृष्टि से इनका अपना महत्व है। इसमें संगीतात्मकता और आत्मभिव्यक्ति की प्रधानता है। दोहा अथवा पदों में ही अधिकतर रचनाएँ मिलती हैं। कहीं-कहीं कवित्त, सवैया, रमैनी (चौपाई तथा सार आदि छन्द भी मिलते हैं। इनकी भाषा सधुक्कड़ी कहलाती है। उसमें ब्रज, पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी और पंजाबी भाषाओं का मिश्रण है। ये रमते राम थे। इसलिए क्षेत्रीय शब्दावली का प्रभाव ग्रहण करते रहे और जनभाषा में कविता करते रहे।

रस और अलंकार

रस और अलंकार की दृष्टि से सन्त-काव्य पर विचार करना समीचीन नहीं है। इन्होंने काव्य-रचना के उद्देश्य से अपनी अभिव्यक्ति नहीं की। सामान्यतः इनकी रचनाओं में शान्त रस की प्रधानता है। कहीं-कहीं अद्भुत रस भी मिल जाता है। अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ है। कहीं-कहीं रूपक और विरोधाभास का अच्छा प्रयोग मिल जाता है।

7.4 ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जन – एवं उनका परिचय :

ज्ञानाश्रयी काव्य-धारा के प्रमुख कवि है -कबीरदास, रैदास या रविदास, गुरु नानक, दादूदयाल, सुन्दरदास और मलूकदास। कबीरदास इस धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्हें भक्तिकाल का अग्रदूत कहते हैं। इस युग के प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं :- 1- ज्ञान को ही भक्ति का आधार मानना- इस युग के कवि ज्ञान को अधिक महत्व देते थे।

2-आत्मा और परमात्मा को एक मनना ; कवि स्वयं को आत्मा और निराकार ईश्वर को परमात्मा मानते हैं।

3-सांसारिक नश्वरता का प्रतिपादन ; इस युग के कवियों का मनना है कि संसार में सभी एक न एक दिन नष्ट अवश्य होंगे।

कबीरदास : ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि है। कहते हैं एक ब्रह्मण विधवा के गर्भ से इनका जन्म हुआ। इसलिए उस विधवा ब्राह्मणी ने लोक – लाज के भय से नवजात शिशु को लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। इसके बाद नीरु और नीमा नामक मुसलमान दंपतीने इनका पालन पोषण किया। इनकी शादी लोई नाम की एक स्त्री से हुई थी। कबीर रमानन्द के शिष्य है। ये महात्मा बड़ी स्वतंत्र प्रकृति के थे। ये रूढ़िवाद

के कट्टर विरोधी थे। कबीर की वाणी – “बीजक” नामक ग्रन्थ में संग्रहित है। कबीर ने अपना एक अलग ‘पन्थ’ की स्थापना की जो ‘कबीर पन्थ’ के नाम से विख्यात हैं। कबीर की भाषा ‘साधुक्कड़ी’ है।

धर्मदास :

ये कबीरदास के संप्रदाय के उत्तराधिकारी थे। ये जाति के वैश्य थे और बांधोंगढ़ में रहते थे। इन्होंने कबीर-पन्थ में प्रवेश करने पर अपना सारा धन लूटा दिया था। इनकी गध्दीछत्तीसगढ़ में है। सुखनिधान इनके प्राचीन ग्रन्थों में हैं। ये पहले सगुणोपासक थे। तीर्थ यात्रा भी करते थे, परन्तु पीछे से इन्होंने निर्गुण पन्थ में दीक्षा ली थी। कबीर की भाँति इन्होंने भी आध्यात्मिक विरह के छंद लिखे हैं। उदा: खान गरजै, खान बजली चमकै, लाह उठै कशोभावरणि न जाय ।

सुन्न महल में अमृत बरसै, प्रेम मगन है साधु नहाय ॥

रैदास :

संत कुलभूषण कवि रैदास उन महान् सन्तों में अग्रणी थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। इनकी रचनाओं की विशेषता लोक-वाणी का अद्भुत प्रयोग रही है जिससे जनमानस पर इनका अमिट प्रभाव पड़ता है। मधुर एवं सहज संत रैदास की वाणी ज्ञानाश्रयी होते हुए भी ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी शाखाओं के मध्य सेतु की तरह है।

प्राचीनकाल से ही भारत में विभिन्न धर्मों तथा मतों के अनुयायी निवास करते रहे हैं। इन सबमें मेल-जोल और भाईचारा बढ़ाने के लिए सन्तों ने समय-समय पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे सन्तों में रैदास का नाम अग्रगण्य है। वे सन्त कबीर के गुरुभाई थे क्योंकि उनके भी गुरु स्वामी रामानन्द थे। ये जाति के चमार थे। ये मीरा बाई के गुरु कहे थे। इनकी कविता की एक उदाहरण –

प्रभुजी तुम चन्दन हम पानी। जाकी अंग अंग वास समानी ॥

प्रभुजी तुम वन-धन मोरा। जैसे चितवन चन्द चकोरा ॥

प्रभुजी तुम माली हम बाग। जैसे सो नहि मिलत सुहागा ॥

प्रभुजी तुम स्वामी हम दासा। ऐसा भगति करै रैदास ॥

“तुम और मैं” की परंपरा में वर्तमान युग में बहुत सी कविताएँ लिखी हैं। उस शीर्षक की निराला जी की भी कविता प्रसिद्ध है।

नाभदास जी ने रैदास की प्रशंसा में कहा हैं –

वर्णाश्रम अभिमान तजि, पद रज वंदहि जा सकी।

संदेह ग्रन्थि खण्डन निपन, बानी विमल रैदास की ॥

गुरुनानक :

नानक (कार्तिक पूर्णिमा को तलवंडी ग्राम जिला लाहौर 1469 – 22 सितंबर 1539 में हुआ था) सिखों के प्रथम (आदि) गुरु हैं। इनके अनुयायी इन्हें नानक, नानक देव जी, बाबा नानक और नानकशाह नामों से सम्बोधित करते हैं। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्मसुधारक, समाजसुधारक, कवि, देशभक्त और विश्वबन्धु - सभी के गुण समेटे हुए थे। इनकी समाधि स्थल गुरुद्वारा ननकाना साहिब पाकिस्तान में स्थित है। उनके पिता कस्तूर चन्द और मटा का नाम तृप्ता था। इनका विवाह 'सुलक्षणा' नाम की कन्या से हुआ। नानक जन्म से ही बड़े त्यागी तथा साधु सेवी थे इन्होंने भगवद्भक्ति के भजन गाते हैं। इन्होंने बड़े सरल हृदय से ईश्वर - भक्ति के साथ सदाचार और संघठन की भी शिक्षा दी है। अपने मत में एकेश्वरवाद का प्राधान्य रखा है। इनकी वाणी "श्री गुरुग्रन्थ साहब" में संग्रहित है। कुछ भजन तो पंजाबी में हैं और कुछ देश की प्रचलित काव्य-भाषा हिन्दी में हैं। इनकी वाणी में बड़ी विनय है। ये सदाचार के बड़े पक्षपाती थे।

उदा : जो नर दुख में दुख नहीं माने।

सुख सनेह अरु भय नहीं जाके , कंचन माटीजाने ॥

नहिं निन्दा नहिं स्तुति जाके , लोभ , मोह अभिमान ॥

हरष सोक तें रहै नियारो , नहिं मान अपमान ॥

आसा मनसा सकल त्यागि के , जग तै रहै निरासा ।

काम क्रोध जोहि फारसे नहिंन , ते हि घट बहम निवासा ॥

गुरु किरपा जेहिं नर पर कीन्ही , तिन्ह यह जुगति पिछजी ।

'नानक' लिन भयौ गोविन्द सों , ज्यों पानी संग पानी ॥

दादूदयाल :

दादूदयाल (1544-1603 ई.) हिन्दी के भक्तिकाल में ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख सन्त कवि थे। इनके 52 पट्टशिष्य थे, जिनमें गरीबदास, सुंदरदास, रज्जब और बखना मुख्य हैं। दादू के नाम से 'दादू पंथ' चल पड़ा। ये अत्यधिक दयालु थे। इस कारण इनका नाम 'दादू दयाल' पड गया। दादू हिन्दी, गुजराती, राजस्थानी आदि कई भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने शब्द और साखी लिखीं। इनकी रचना प्रेमभावपूर्ण है। जात-पाँत के निराकरण, हिन्दू-मुसलमानों की एकता आदि विषयों पर इनके पद तर्क-प्रेरित न होकर हृदय-प्रेरित हैं।

दादू का जन्म फाल्गुनी सुदी 8 गुरुवार 1601 वि.(1544 ईस्वी) में भारतवर्ष के गुजरात राज्य के अहमदाबाद नगर में हुआ था। ग्यारह वर्ष की अवस्था में दादू को भगवान ने वृद्ध के रूप में दर्शन दिए और इन्हीं वृद्ध ' बुड्ढन 'ये कबीर साहेब जी थे जो जिन्दा बाबा के रूप में मिले या वृद्धानन्द कबीर साहेब को दादू साहेब गुरु माना जाता हैं। इस बात का उल्लेख जनगोपाल कृत जन्मलीला परची में मिलता हैं।

दादूजी की कई रचनाओं में कबीर जी का जिक्र है। जैसे

जिन मोकुं निज नाम दिया, सोइ सतगुरु हमारा।
 दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजन हारा।।
 दादू नाम कबीर की, जै कोई लेवे ओटा।
 उनको कबहू लागे नहीं, काल बज्र की चोटा।।
 दादू नाम कबीर का, सुनकर कांपे काल।
 नाम भरोसे जो नर चले, होवे न बंका बाला।।
 जो जो शरण कबीर के, तरगए अनन्त अपारा।
 दादू गुण कीता कहे, कहत न आवै पारा।।

सुंदरदास

इनका जन्म संवत् 1653 और जन्म स्थान जयपुर राजी का “चौसा” नामक ग्राम है। वे जाति के वैश्य थे। इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। ये दादूदयाल के शिष्य थे और बहुत काल तक उनके साथ रहे। इन्होंने बहुत कालतक काशी में रहकर संस्कृत, वेदांत और पुराण का भी भली-भाँति अध्ययन किया। यथे अपने जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहे। इन्होंने ज्ञान-चर्चा, नीति और देशाचार आदि विषयों पर बड़े सुंदर पद्य कहे हैं। इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ सुंदरविलस हैं। ये अपने काल के अन्य संत कवियों से बढ़कर सुशिक्षित थे काव्य के समस्त अंगों के अच्छे ज्ञाता थे। इसलिए इनकी काव्य-रचना अत्यन्त सुंदर बन पड़ी है। इनकी रचना का एक उदाहरण –

वेद थके कहि, तंत्र थके कहि, ग्रन्थ थके निसि बासर गात।
 शेष थके, शिव इन्द्र थके, मुनि पोख कियौ, बहूँ भाँति विधात ॥
 पीर थके और मीर थके, पुनि धीर थके बहु बोलि गिरत।
 सुन्दर मौन गही शिव साधक, कौन कहै उसका सुख गात ॥

मालुकदास :

इनका जन्म, सं. १६३१ की वैशाख बदी ५ को, कड़ा (जि इलाहाबाद) के कक्कड़ खत्री सुंदरदास के घर हुआ था। इनका पूर्वनाम 'मल्लू' था और इनके तीन भाइयों के नाम क्रमशः हरिश्चंद्र, शृंगार तथा रामचंद्र थे। इनकी 'परिचर्ई' के लेखक तथा इनके भांजे एवं शिष्य मथुरादास के अनुसार इनके पितामह जहरमल थे और इनके प्रपितामह का नाम वेणीराम था। उनका कहना है कि मल्लू अपने बचपन से ही अत्यंत उदार एवं कोमल हृदय के थे तथा इनमें भक्तों के लक्षण पाए जाने लगे थे। यह बात इनके माता पिता पसंद नहीं करते थे और जीविकोपार्जन की ओर प्रवृत्त करने के उद्देश्य से, उन्होंने इन्हें केवल बेचने का काम सौंपा था परंतु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिल सकी और बहुधा मंगतों को दिए जानेवाले कंबल आदि का हाल सुनकर उन्हें और भी क्लेश होने लगा। बालक मल्लू को दी गई किसी शिक्षा का विवरण हमें उपलब्ध नहीं है और ऐसा अनुमान किया जाता

है कि ये अधिक शिक्षित न रहे होंगे। कहते हैं, इनके प्रथम गुरु कोई पुरुषोत्तम थे 'जो देवनाथ के पुत्र थे और पीछे इन्होंने मुरारिस्वामी से दीक्षा ग्रहण की जिनके विषय में इन्होंने स्वयं भी कहा है, मुझे मुरारि जी सतगुरु मिल गए जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास की छाप लगा दी, (सुखसागर पृ० १९२)। रचना का एक उदाहरण

ना वह रीझे जप-तप किन्हे , ना आतप के जारे ।
 ना वह रीझे धोती नेती , ना काया के परवारे ॥
 दया करै धरम मन राखै , घर में रहे उदासी ।
 अपना सा सुख सबका जानै , ताहि मिलै अविनासी ॥

अक्षर अनन्य :

अक्षर अनन्य एक सन्तकवि एवं दार्शनिक थे। ये ज्ञानयोग, विज्ञानयोग, ध्यानयोग, विवेकदीपिका, ब्रह्मज्ञान, अनन्य प्रकाश, राजयोग, सिद्धांतबोध आदि ग्रंथों के ये प्रणेता माने जाते हैं। इनमें अद्वैत वेदांत के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्यानुवाद भी इन्होंने किया है। ये संत कवि माने जाते हैं लेकिन संतों की सभी प्रवृत्तियाँ इनमें नहीं मिलतीं। इनके ग्रंथों में वैष्णव धर्म के साधारण देवताओं के प्रति आस्था के साथ-साथ कर्मकांड के प्रति झुकाव भी मिलता है। इनके काव्य ग्रंथों में दोहा, चौपाई, पद्धरि इत्यादि छंदों का प्रयोग हुआ है। इनकी भाषा का एक उदाहरण –

यह भेद सुनौ पृथ्वी चंदाराय ।
 फल चाराह की साधन उपाय ॥
 यह लोक सधै सुख पुत्र बाम ।
 परलोक नसै बस नरक धाम ॥

अन्य कवि :

इन कवियों के अतिरिक्त दादूदयाल के पुत्र गरीबदास , निश्चदास , जगजीवन दास , मानी साहब , बुल्ला साहब , सहजोबाई , तुलसी साहब , सहजोबाई , दयाबाई , तुलसी साहब , पलटूदास आदि अनेक सन्त कवि हुए हैं। जिन्होंने अपने मधुर वाणी से हिन्दी साहित्य का भण्डार भरा है। इन कवियों में निश्चलदास जी वेदान्त-सम्बन्धी ग्रन्थ “विचार सागर” बड़ा पाण्डित्य पूर्ण है। संत कबीर की कविताओं को दोहा कहा जाता है। दोहों को मातृका मीटर के रूप में रचित कविता के रूप में परिभाषित किया गया है। कविता की यह शैली अपब्रह्मस में उभरी और आमतौर पर हिंदी कविता में प्रयोग की जाती है।

7.5 कबीर के जीवन वृत्त – एवं काव्यगत विशेषताएँ

जीवन परिचय– “कबीर कसौटी” के अनुसार - महात्मा कबीर का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा सं० 1455 (सन् 1398 ई०) में हुआ था।

“चौदह सौ पचपन साल गये, चन्द्रवार इक ठाठ भये।

जेठ सुदी बरसायत को, पूनमासी प्रकट भये॥

कबीर की मृत्यु के विषय में यह दोहा प्रसिद्ध है-

“पन्द्रह सौ पिछहत्तरा, कियो मगहर को गौन।

माघ सुदि एकादशी, मिल्यो पौन सौ पौन॥”

इस दोहे के आधार पर कबीर की मृत्यु-तिथि सन् 1518 ई० बैठती है और उनकी आयु लगभग 120 वर्ष जीने के बाद सिद्ध होती है। इन तिथियों को प्रमाणित करने के लिए यद्यपि और कोई प्रमाण नहीं है तथापि अब तक उपलब्ध सामग्री के आधार पर इनके ठीक होने की ही सम्भावना है।

कबीर का जन्म

कबीर के जन्म के विषय में मतभेद है। कुछ विद्वानों का कहना है कि कबीर को किसी विधवा ने जन्म दिया था। लहरतारा गाँव के निकट तालाब के किनारे पड़े इस बालक को नीरू और नीमा नामक जुलाहा इपति ने उठाकर पालन-पोषण किया।

कबीर पंथियों की धारणा के अनुसार अतिरमणीय समय में जबकि प्रकृति ने नभमंडल को मेघमाला से आच्छादित कर रखा था, सौदामिनी अपने प्रकाश से आकाश को प्रकाशित कर रही थी, पक्षी अपने कलरव से स्वागत गान कर रहे थे, ऐसे समय में लहरतारा तालाब में खिले हुए कमल-पुट में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जो 'कबीर' नाम से विख्यात हुआ।

कबीरदास की शिक्षा

कबीर ने स्वयं कहा है- “मसि कागद छुयौ नहिं, कलम गह्यौ नहिं हाथ!” अनपढ़ होते हुए भी कबीर का ज्ञान बहुत विस्तृत था। साधु-सन्तों और फकीरों की संगति में बैठकर उन्होंने वेदान्त, उपनिषद् और योग का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। सूफी फकीरों की संगति में बैठकर उन्होंने इस्लाम धर्म के सिद्धान्तों की भी काफी जानकारी कर ली थी। देशाटन के द्वारा उन्हें बहुत अनुभव हो गया था।

कबीरदास के गुरु

कबीर ने काशी के प्रसिद्ध महात्मा रामानन्द को अपना गुरु माना है। कहा जाता है कि रामानन्द जी ने नीच जाति का समझकर कबीर को अपना शिष्य बनाने से इन्कार कर दिया था। तब एक दिन कबीर, गंगा तट पर जाकर सीढ़ियों पर लेट गये, जहाँ रामानन्द जी प्रतिदिन प्रातः चार बजे स्नान करने जाया करते थे। अँधेरे में रामानन्द जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ा और उनके मुख से राम-राम निकला। तभी से

कबीर ने रामानन्द जी को अपना गुरु और राम नाम को गुरुमन्त्र मान लिया। कुछ विद्वानों ने प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख तकी को कबीर का गुरु माना है।

कबीरदास का गृहस्थ जीवन

कबीर का विवाह एक वनखंडी वैरागी की लड़की लोई के साथ हुआ। कबीर ने स्वयं स्वीकार किया है

“नारी तो हमहूँ करी, पाया नहीं विचारा।

जब जानी तब परिहरी, नारी बड़ा विकारा॥”

कबीर के घर एक पुत्र तथा एक कन्या ने जन्म लिया। इनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम 'कमाली' था। पुत्र के धन संचय में लगे रहने के कारण कबीर उससे रुष्ट रहते थे-

जीवन परिचय

"बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल।

हरि का सुमिरन छाँड़ि कै, घर ले आया माल ॥”

कुछ लोग लोई को कबीर की शिष्या कहते हैं। हो सकता है कि ज्ञान हो जाने के बाद गृहस्थी जीवन का त्याग कर देने के बाद लोई उनकी शिष्या बन गयी हो।

कबीर मृत्यु के समय मगहर चले गये थे। जहाँ सन् 1518 ई० में इनकी जीवनलीला समाप्त हो गयी। वास्तव में कबीर के जीवन के विषय में अभी तक बहुत कुछ संदिग्ध है। उनके जीवन के विषय में अभी भी पर्याप्त खोज की आवश्यकता है।

कबीर की काव्यगत विशेषताएँ

उत्तर- कबीर अनपढ़ थे। साहित्य शास्त्र का उन्हें ज्ञान न था। अलंकार, छन्द आदि से उनका परिचय न था। उनकी भाषा भी अटपटी और गँवारू थी। अतः कलापक्ष की दृष्टि से कबीर की कविता निम्न श्रेणी की है। उनका भावपक्ष भी पूर्ण रूप से साहित्यिक नहीं है तथापि उसमें उनके जीवन की महानता है। भावपक्ष की दृष्टि से कबीर का काव्य उच्च स्तर का है और वे बड़े से बड़े कवि से टक्कर ले सकते हैं। उसके काव्य में कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो उसे बहुत ऊँचा उठा देती है।

भावपक्षीय विशेषताएँ-

1. सत्य-भावना— कबीर सत्य के अन्वेषक थे। धर्मान्धता और संकीर्णता से उन्हें घृणा थी। असत्य पर सुनहरी मुलम्मा चढाकर संसार को धोखा देना उन्हें पसन्द न था। ढोंग से उन्हें चिढ़ थी। ढोंग और आडम्बर करने वालों को वे आड़े हाथों लेते थे। वे निर्भय और सत्यवादी थे। सिर मुड़े झूठे संन्यासियों को लक्ष्य करके कही गयी उनकी यह उक्ति कितनी सत्य है—

“मूँड मुड़ाये हरि मिलें, सब कोई लेइ मुड़ाया।

बार-बार के मूँडते, भेड न बैकुंठ जाय ॥”

इस प्रकार की उक्तियों में भले ही साहित्यिक महत्ता न हो किन्तु सत्य को प्रकाशित करने तथा जनजागरण के हृदय को प्रभावित करने की इनमें अद्भुत शक्ति है।

2. दृढ़-आत्मविश्वास— कबीर अपने सत्य प्रतिपादित मत का दृढ़ आत्मविश्वास के साथ प्रतिपादन करते थे। वे अपने मत को सदा सत्य समझते थे और सब को झूठा। पंडित और मुल्ला भी उनकी दृष्टि में गुण-कर्म हीन थे। आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कहा-

“अरे इन दोउन राह न पाई।

हिन्दू अपनी करे बड़ाई, गगरी छुवन न देई।

वेश्या के पायन तर सोवै, यह देखहु हिन्दुवाई ॥

मुसलमान के पीर औलिया मुरगी-मुरगा खाई।

खाला केरी बेटी ब्याहैं घरहि में. करहिं सगाई॥”

उनकी यह दृढ़ आत्मविश्वास की भावना ही आगे चलकर उन्हें ब्रह्मवाद की ओर ले जाती है।

3. सरलता तथा सहृदयता— कबीर स्वभाव से सरल-हृदय थे। उनके स्वभाव की सरलता उनकी कविता में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। अव्यावहारिक शब्दों तथा विचारों से उन्होंने कविता को उलझाने की चेष्टा नहीं की है। उनके हृदय की सरलता के कारण उनकी रहस्यात्मक उक्तियाँ भी सरल हो गयी हैं। वेदों और शास्त्रों का सहारा न लेकर व्यावहारिक जीवन के उदाहरणों द्वारा उन्होंने आत्मा और परमात्मा के मिलन को स्पष्ट कर दिया है—

“जल बिच कुंभ कुंभ बिच जल है, बाहर भीतर पानी।

फूटा कुंभ जल जलहिं समाना, एतथ कहियो ज्ञानी ॥

4. निर्गुण ब्रह्म के उपासक— कबीर निर्गुण ब्रह्म के सच्चे उपासक थे। उन्होंने निराकार ब्रह्म को भी राम! नाम से अभिहित किया है, उनका राम निराकार परमब्रह्म है दशरथ पुत्र राम नहीं—

“दशरथ सुत तिहुँ बरवाना।

राम नाम का परम है आना॥

उनके निराकार ब्रह्म का कोई मुख माथा रूप कुरूप नहीं है एक अनुपम तत्व है-

“जाके मुँह माथा नहीं, नाहीं रूपकुरूप।

पुहुप बास ते पातरा, ऐसा तत्व अनुप ॥”

5. रहस्यवाद—कबीर ने साधनात्मक तथा भावात्मक दोनों ही प्रकार के रहस्यवाद को अपनाया है। भावात्मक रहस्यवाद में कबीर ने आत्मा-परमात्मा के प्रेम सम्बन्धों को अनेक लौकिक सम्बन्धों से परिपुष्ट किया।

“कबीर कूता राम कौ, मुतिया मेरौ नाव।
गले राम की जेबरी, जित खींचे तित जावा॥”

हरिमोर पिऊ मैं हरि की बहुरिया।

6. गुरु-महिमा—कबीर ने गुरु की महत्ता प्रतिपादित की है, उन्होंने गुरु को सर्वोपरि माना है, सच्चा गुरु ही ब्रह्म से मिलाता है।

“सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार।
लोचन अनंत उधाड़िया, अनंत दिखावण हार।।
गुरु के रूठने पर व्यक्ति की सद्गति असम्भव है —

हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहिं ठौर।

7. गम्भीर-अनुभूति—कबीर का अनुभव बड़ा विशाल था। उनका साहित्य ऐसा सरल और सजीव हो उठा है कि वे अनपढ़ होते हुए भी एक उच्च कोटि के कवि होने के अधिकारी हो गये हैं। उन्होंने जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को उन्होंने सीधी-सादी भाषा में जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया है। अनुभूति के बल पर एक साधारण वस्तु से उपमा देते हुए प्रेम का कितना सजीव चित्रण है—

“जा घट प्रेम न संचरै, सो घट जान मसान।
जैसे खाल लुहार की, साँस लेत बिनु प्राना॥”

7.6 कबीर - भक्ति पद्धति : कबीर की भक्ति में एकाग्रता, साधना, मानसिक पूजा अर्चना, मानसिक जाप और सत्संगति का विशेष महत्व दिया गया है। कबीर की भक्ति में सभी मनुष्य के लिए समानता की भावना है। यह भक्ति ईश्वर के दरबार में | सबकी समानता और एकता की पक्षधर है। इस प्रकार कबीर की भक्ति भावना बहुत ही अध्वुत है।

कबीर की भक्ति अध्यात्मिक कोटि की थी, जहाँ ज्ञान और भक्ति अभिन्न बन जाते हैं। निर्गुण काव्यधारा में ब्रह्म के निराकार स्वरूप की उपासना की जाती है। कबीर के राम निर्गुण ब्रह्म है — वह कण-कण में रमने वाली वह शक्ति है, जो निर्गुण निराकार परम सत्ता के अर्थ में राम के अस्तित्व को स्वीकार किया है।

कबीर दास भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से एक है उन्होंने राम को निर्गुण रूप में स्वीकार किया है तथा वह निर्गुण की उपासना का संदेश देते हैं उनकी राम भावना ब्रह्म भावना से सर्वथा मिलती है। कबीर पहले भक्त हैं फिर कवि है। उन्होंने जाति-पाती, काम-धाम, चमक-दमक, दिखावा, पहनावा,

अंधविश्वास, मूर्तिपूजा, हिंसा, माया, छुआछूत, आदि पर विद्रोह भावना प्रकट की हैं। इन सब से दूर होकर भक्ति की भावना में लीन होने के लिए कबीरदास जी कहते हैं कबीर की निर्गुण भक्ति में निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं- 1) परमात्मा की एकता 2) माधुर्य भाव 3) नाम-स्मरण 4) गुरु की महत्ता 5) मध्यम मार्ग का अनुसरण 6) आचरण की शुद्धता 7) प्रपत्ति भाव 8) हठयोग का

7.6.1 परमात्मा की एकता :

कबीर की भक्ति का मूलाधार परमात्मा की एकता है। हिन्दुओं में बहुदेवोपासना का प्रचार होने के कारण उस ईश्वर को कहीं राम, कहीं दुर्गा, कहीं सरस्वती, कहीं राधा आदि अनेक रूपों में देखा जाता है। मुसलमानों ने एकेश्वरवाद के समर्थक थे। कबीर ने इन दोनों के विरुद्ध एक ईश्वर का प्रचार किया जो घट-घट वासी है, सर्वत्र समा हुआ है और निर्गुण एवं निराकार है। वे कहते हैं –

“हमरै राम रहीम करीमा केसौ अलह राम सनि सोई

बिसमिल मेंटी विशंभर एकै और न दूजा कोई”

कहकर राम-रहीम, कृष्ण-करीम, केशव-अल्लाह, बिसमिल-विश्वंभर आदि सब की एकता स्थापित करते हुए परमात्मा हुये परमात्मा की एकता पर जोर देते हैं। इसलिए कबीर ईश्वर संबंधी भावना में एकता की स्थापना करते हुए एक निराकार ईश्वरकी उपासना पर जोर देते हैं।

7.6.2 माधुर्य भाव :

कबीर की भक्ति भावना में माधुर्य भाव की भक्ति का पटु मिलता है, क्योंकि कबीर ने भक्ति में विभोर होकर आत्मा एवं परमात्मा के परस्परिक वियोग का जो वर्णन किया है उसमें वैसे ही विरह की तीव्रता दिखाई देती है, जैसी माधुर्य भाव की भक्ति में देखी जाती है। कबीर की आत्मा अपने निर्गुण एवं निराकार परमात्मा के लिए विरह अथित नारी की भाँति चटपटाती हुई अंकित की गई है। “उसे न दिन में सीख मिलता, न रात में। न जागने पर सुख मिलता न स्वप्न में, न धूप में सुख मिलता न छाँह में”। वह तो यहाँ तक तैयार है कि अपना शरीर जलाकर उसको भस्म देगी, जिससे उसका धुआँ आकाश में चा जाए, संभवतः उस धुएँ को देखकर ही वे ‘राम’ उस विरहिणी की भाँति अत्यंत व्यथित आत्मा का चित्रण करके कबीर ने माधुर्य भाव की भक्ति को अपनाया था।

7.6.3 नाम-स्मरण :

भक्ति की साधना में नाम स्मरण करने का सही तथा सहज(आसान) मार्ग बताया है जो श्वांस-उश्वांस से किया जाता है। श्वांस जो बाहर आता है, उश्वांस जो वापिस शरीर में जाता है। ऐसे सतनाम का स्मरण करने को कहा है, यही वास्तविक साधना है जिसको तत्त्वदर्शी संत ही जानता है या स्वयं परमेश्वर जानते हैं।

7.6.4 गुरु की महत्ता :

कबीर ने भी पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ गुरु की इस अपार महत्ता को स्वीकार किया है। कबीर गुरु और गोविन्द (ईश्वर) में कोई अंतर ही नहीं मानते हैं। यदि व्यक्ति अहंकार से मुक्त होकर गुरु की शरण में जाये तो उसे अवश्य ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। गुरु केवल ईश्वर की कृपा होने पर ही प्राप्त होता है।

7.6.5 मध्यम मार्ग का अनुसरण :

जो भी इस इस जीवन में मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है उसे भव से पार होने में थोड़ा भी समय नहीं लगता है। जो भी दो अत्यंत विरोधी मार्गों का अनुसरण करता है वह इस भव सागर से डूब जाता है।

7.6.6 आचरण की शुद्धता :

उल्टे जितना कोई मीठा बोलता है, उतना संदेह होता है। आखिरी सूत्र है, मन से छना हुआ आचरण करें। मन से छना, यानी विवेक से निकला हुआ, नाप-तौलकर, सही-गलत का ध्यान रखते हुए आचरण करें। ये दो सूत्र हरेक के जीवन में उतर आए, तो खोई हुई इंसानियत लौट आएगी।

7.6.7 प्रपत्ति भाव :

भक्त द्वारा स्वयं को ईश्वर की शरण में समर्पित कर देना कि वह उसकी रक्षा अवश्य करेगा; शरणागति . किसी के प्रति होने वाली एकनिष्ठ भक्ति; अनन्य भक्ति। इस शाखा के कवियों ने ईश्वर को निर्गुण माना है। निराकार ब्रह्म की भक्ति को आलम्बन बनाना कठिन होता है। इसके सम्बन्ध में ज्ञान की चर्चा सुलभ होती है। कबीर ने सिद्धों और नाथों की विचारधारा को और आगे बढ़ाया और निर्गुण, निराकार, अव्यक्त और घट।

7.6.8 हठयोग का मिश्रण :

हठयोग चित्तवृत्तियों के प्रवाह को संसार की ओर जाने से रोककर अंतर्मुखी करने की एक प्राचीन भारतीय साधना पद्धति है, जिसमें प्रसुप्त कुंडलिनी को जाग्रत कर नाड़ी मार्ग से ऊपर उठाने का प्रयास कि ... मिश्रण किया गया।

7.7 सारांश :

भक्तिकाल के किसी भी कवि ने राजाश्रय की परवाह नहीं की। बल्कि उसको ठुकरा दिया। निर्गुण पंथ के कबीर और जायसी फक्कड़ और मस्त स्वभाव के थे। उन्होंने स्वांतः सुखाय काव्य की रचना की थी। लोक कल्याण उनके जीवन का आशय था। वे ज्ञान व प्रेम में तन्मय रहकर रचना कराते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा भारत के धार्मिक एवं सांस्कृतिक समन्वय में सहयोग दिया।

कबीर की भक्ति भावना में प्रेम को आकर्षक और प्रभावी महत्व दिया गया है उनका मानना है कि मानव प्रेम में भी ईश्वर की कृपा होती है कन कन में समाया राम ही मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रेरणाधार है कबीर के सच्चे भक्त थे विभक्ति की महिमा गाते नहीं अघाते। भक्ति ही जीवन को व्यर्थ बताते हैं ऐसा व्यक्ति बार-बार जन्म लेकर संसार में आता जाता रहता है। कबीर की भक्ति सहज है। वे ऐसे मंदिर के पुजारी हैं जिसकी फर्ष हरी

हरी घास जिस की दीवारें दसों दिशाएं हैं जिसकी छत नीले आसमान की छतरी है या साधना स्थान सभी मनुष्य के लिए खुला है। कबीर की भक्ति में एकग्र मन, सतत साधना, मानसिक पूजा अर्चना, मानसिक जाप और सत्संगति को विशेष महत्व दिया गया है। इस प्रकार कबीर की भक्ति भावना बहुत ही अद्भुत है।

इस शाखा के भक्त-कवि निर्गुणवादी थे और नाम की उपासना करते थे। गुरु को वे बहुत सम्मान देते थे और जाति-पाँति के भेदों को अस्वीकार करते थे। वैयक्तिक साधना पर वे बल देते थे। मिथ्या आडंबरों और रूढ़ियों का वे विरोध करते थे। लगभग सब संत अपढ़ थे परंतु अनुभव की दृष्टि से समृद्ध थे। प्रायः सब सत्संगी थे और उनकी भाषा में कई बोलियों का मिश्रण पाया जाता है इसलिए इस भाषा को 'सधुक्कड़ी' कहा गया है। साधारण जनता पर इन संतों की वाणी का जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। इन संतों में प्रमुख कबीरदास थे। अन्य मुख्य संत-कवियों के नाम हैं - नानक, रैदास, दादूदयाल, सुंदरदास तथा मलूकदास।

प्रोफ़ेसर महावीर सरन जैन ने निर्गुण भक्ति के स्वरूप के बारे में प्रश्न उठाए हैं तथा प्रतिपादित किया है कि संतों की निर्गुण भक्ति का अपना स्वरूप है जिसको वेदांत दर्शन के सन्दर्भ में व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। उनके शब्द हैं: भक्ति या उपासना के लिए गुणों की सत्ता आवश्यक है। ब्रह्म के सगुण स्वरूप को आधार बनाकर तो भक्ति / उपासना की जा सकती है किन्तु जो निर्गुण एवं निराकार है उसकी भक्ति किस प्रकार सम्भव है ? निर्गुण के गुणों का आख्यान किस प्रकार किया जा सकता है ? गुणातीत में गुणों का प्रवाह किस प्रकार माना जा सकता है ? जो निरालम्ब है, उसको आलम्बन किस प्रकार बनाया जा सकता है। जो अरूप है, उसके रूप की कल्पना किस प्रकार सम्भव है। जो रागातीत है, उसके प्रति रागों का अर्पण किस प्रकार किया जा सकता है ? रूपातीत से मिलने की उत्कंठा का क्या औचित्य हो सकता है। जो नाम से भी अतीत है, उसके नाम का जप किस प्रकार किया जा सकता है। शास्त्रीय दृष्टि से उपर्युक्त सभी प्रश्न 'निर्गुण-भक्ति' के स्वरूप को ताल ठोंककर चुनौती देते हुए प्रतीत होते हैं। कबीर आदि संतों की दार्शनिक विवेचना करते समय आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने यह मान्यता स्थापित की है कि उन्होंने निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदान्त का पल्ला पकड़ा है। इस सम्बन्ध में जब हम शांकर अद्वैतवाद एवं संतों की निर्गुण भक्ति के तुलनात्मक पक्षों पर विचार करते हैं तो उपर्युक्त मान्यता की सीमायें स्पष्ट हो जाती हैं:

(क) शांकर अद्वैतवाद में भक्ति को साधन के रूप में स्वीकार किया गया है, किन्तु उसे साध्य नहीं माना गया है। संतों ने (सूफियों ने भी) भक्ति को साध्य माना है।

(ख) शांकर अद्वैतवाद में मुक्ति के प्रत्यक्ष साधन के रूप में 'ज्ञान' को ग्रहण किया गया है। वहाँ मुक्ति के लिए भक्ति का ग्रहण अपरिहार्य नहीं है। वहाँ भक्ति के महत्व की सीमा प्रतिपादित है। वहाँ भक्ति का महत्व केवल

इस दृष्टि से है कि वह अन्तःकरण के मालिन्य का प्रक्षालन करने में समर्थ सिद्ध होती है। भक्ति आत्म-साक्षात्कार नहीं करा सकती, वह केवल आत्म साक्षात्कार के लिए उचित भूमिका का निर्माण कर सकती है। संतों ने अपना चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार या भगवद्-दर्शन माना है तथा भक्ति के ग्रहण को अपरिहार्य रूप में स्वीकार किया है क्योंकि संतों की दृष्टि में भक्ति ही आत्म-साक्षात्कार या भगवद्दर्शन कराती है।

7.8 बोध प्रश्न

1. निर्गुण भक्ति शाखा की विशेषताएँ लिखिए।
2. ज्ञानाश्रयीशाखा की विशेषताएँ लिखिए।
3. ज्ञानाश्रयीशाखा के प्रमुख कविजनों का परिचय दीजिए।
4. प्रेमाश्रयी शाखा की परिचय दीजिए।
5. भक्ति काल पद्धति पर एक निबंध लिखिए।
6. सगुण, निर्गुण भक्ति धारा के बारे में व्याख्या कीजिए।

7.9 सहायक ग्रन्थ :

1. हिन्दी साहित्य का इतिहास – डॉ. नगेन्द्र
2. हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास – बाबू गुलाब राय
3. मध्यकालीन धर्म साधना – आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
4. हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास – डॉ. गणपति चंद्र गुप्त
5. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास – डॉ. रामकुमार वर्मा

- डॉ. एम. मंजुला

पाठ – 8

प्रेमाश्रयी शाखा – जायसी

उद्देश्य :

‘स्वर्ण युग नाम से प्रख्यात हिन्दी साहित्य के भक्ति काल में निर्गुण भक्ति धारा के प्रेमाश्रयी शाखा का नाम उल्लेखनीय है। इस युग से संबन्धित निम्न अंशों को इस इकाई में पढ़ेंगे।

1. इस में निर्गुण भक्ति धारा की विशेषताओं पर विचार करेंगे।
2. प्रेमाश्रयी शाखा के साहित्यिक परिचय मिलेगा।
3. निर्गुण उपासना पद्धति, ईश्वर के निर्गुण रूप में उपासना करना।
4. सूफी कवियों की लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है।
5. जायसी- के जीवन, भक्ति पद्धति आदि के बारे में।

इकाई की रूप रेखा :

- 8.1 प्रस्तावना
- 8.2 निर्गुण पंथ – 8.2.1 ज्ञानाश्रयी शाखा
8.2.2 प्रेमाश्रयी शाखा
- 8.3 प्रेमाश्रयी शाखा की विशेषताएँ
- 8.4 प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कविजन – उनका परिचय
- 8.5 जायसी के जीवन वृत्त – एवं काव्यगत विशेषताएँ
- 8.6 जायसी – भक्ति व श्रृंगार पद्धति
- 8.7 मलिक मुहम्मद जायसी के प्रेम तत्व
- 8.8 सारांश
- 8.9 बोध प्रश्न
- 8.10 सहायक ग्रन्थ

8.1 प्रस्तावना :

मुसलमान सूफी कवियों की इस समय की काव्य-धारा को प्रेममार्गी माना गया है क्योंकि प्रेम से ईश्वर प्राप्त होते हैं ऐसी उनकी मान्यता थी। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी तत्त्व है और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है, यह उनकी रचनाओं का मूल तत्त्व है। उन्होंने प्रेमगाथाएं लिखी हैं। ये प्रेमगाथाएं फारसी की मसनवियों की शैली पर रची गई हैं। इन गाथाओं की भाषा अवधी है और इनमें दोहा-चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है। मुसलमान होते हुए भी उन्होंने हिंदू-जीवन से संबंधित कथाएं लिखी हैं। खंडन-मंडन में न पड़कर इन

फकीर कवियों ने भौतिक प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम का वर्णन किया है। ईश्वर को माशूक माना गया है और प्रायः प्रत्येक गाथा में कोई राजकुमार किसी राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए नानाविध कष्टों का सामना करता है, विविध कसौटियों से पार होता है और तब जाकर माशूक को प्राप्त कर सकता है। इन कवियों में मलिक मुहम्मद जायसी प्रमुख हैं। आपका 'पद्मावत' महाकाव्य इस शैली की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अन्य कवियों में प्रमुख हैं - मंझन, कुतुबन और उसमान।

8.2 निर्गुण पंथ : धार्मिक समन्वय चाहनेवाले लोगों ने इस्लाम और हिन्दू धर्म के कुछ समान सिद्धांतों को खोज निकाला और उनका प्रचार किया। दोनों में एकेश्वरवाद और प्रेम भावना को बहुत प्रोत्साहन मिला। इस्लाम में निर्गुण एकेश्वरवाद प्रमुख है। यही सिद्धांत भारतीय उपनिषदों की भी है। इसी प्रकार वैष्णवों की प्रेम भावना में भी प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार के समन्वय से निर्गुण पंथ की दो शाखाएँ निकली। जैसे ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखायें।

8.2.1 ज्ञानाश्रयी शाखा : इस शाखा के भक्त-कवि निर्गुणवादी थे और नाम की उपासना करते थे। गुरु को वे बहुत सम्मान देते थे और जाति-पाँति के भेदों को अस्वीकार करते थे। वैयक्तिक साधना पर वे बल देते थे। मिथ्या आडंबरों और रूढ़ियों का वे विरोध करते थे। लगभग सब संत अपढ़ थे परंतु अनुभव की दृष्टि से समृद्ध थे। प्रायः सब सत्संगी थे और उनकी भाषा में कई बोलियों का मिश्रण पाया जाता है इसलिए इस भाषा को 'सधुक्कड़ी' कहा गया है। साधारण जनता पर इन संतों की वाणी का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा है। इन संतों में प्रमुख कबीरदास थे। अन्य मुख्य संत-कवियों के नाम हैं - नानक, रैदास, दादूदयाल, सुंदरदास तथा मलूकदास आदि।

भक्ति या उपासना के लिए गुणों की सत्ता आवश्यक है। ब्रह्म के सगुण स्वरूप को आधार बनाकर तो भक्ति / उपासना की जा सकती है किन्तु जो निर्गुण एवं निराकार है उसकी भक्ति किस प्रकार सम्भव है? निर्गुण के गुणों का आख्यान किस प्रकार किया जा सकता है? गुणातीत में गुणों का प्रवाह किस प्रकार माना जा सकता है? जो निरालम्ब है, उसको आलम्बन किस प्रकार बनाया जा सकता है। जो अरूप है, उसके रूप की कल्पना किस प्रकार सम्भव है। जो रागातीत है, उसके प्रति रागों का अर्पण किस प्रकार किया जा सकता है? रूपातीत से मिलने की उत्कंठा का क्या औचित्य हो सकता है। जो नाम से भी अतीत है, उसके नाम का जप किस प्रकार किया जा सकता है। शास्त्रीय दृष्टि से उपर्युक्त सभी प्रश्न 'निर्गुण-भक्ति' के स्वरूप को ताल ठोंककर चुनौती देते हुए प्रतीत होते हैं। कबीर आदि संतों की दार्शनिक विवेचना करते समय आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने यह मान्यता स्थापित की है कि उन्होंने निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदान्त का पल्ला पकड़ा है। इस सम्बन्ध में जब हम शांकर अद्वैतवाद एवं संतों की निर्गुण भक्ति के तुलनात्मक पक्षों पर विचार करते हैं तो उपर्युक्त मान्यता की सीमायें स्पष्ट हो जाती हैं।

8.2.2 प्रेमाश्रयी शाखा : इस शाखा के मुस्लिम सूफी कवियों की काव्य-धारा को 'प्रेममार्गी' माना गया, क्योंकि प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं, ऐसी उनकी मान्यता थी। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी है, और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है, यही उनकी रचनाओं का मूल तत्त्व है। उन्होंने प्रेमगाथाएँ लिखी हैं। ये प्रेमगाथाएँ फ़ारसी की मसनवियों की शैली पर रची गई हैं। इन गाथाओं की भाषा अवधी है, और इनमें दोहा-चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है।

इस शाखा के भक्त कवियों की भक्ति-भावना पर विदेशी प्रभाव अधिक है। इस प्रसंग में यह बात ध्यान आकर्षित किए बिना नहीं रहती कि इस शाखा के मलिक मुहम्मद जायसी आदि कवि मुसलमान थे। इसलिए उन्होंने अपने संस्कारों के अनुसार भक्ति का निरूपण किया। वे भारतीय थे, इसलिए उन्होंने अपने प्रेमाख्यानों के लिए भारतीय विषय चुने, भारतीय विचारधारा को भी अपनाया, परंतु उस पर विदेशी रंग भी चढ़ा दिया। रसखान भी मुसलमान थे। अतएव उन पर इस्लाम का प्रभाव बहुत था। साथ ही सूफी प्रेम-पद्धति का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से मिलता है। वे किसी मतवाद में बंधे नहीं। उनका प्रेम स्वच्छंद था, जो उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने बिना किसी संकोच के उसे आधार बनाया। अतएव उनकी कविता में भारतीय भक्ति-पद्धति और सूफी इश्क-हकीकी का सम्मिश्रण मिलता है। उनकी भक्ति का ढांचा या शरीर भारतीय है किंतु आत्मा इस्लामी एवं तसव्वुफ से रंजित है।

सगुण भक्तिधारा की विशेषता यह है कि उसमें भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम की महिमा का वर्णन होता है। इस वर्णन के लिए भक्तों ने भगवान के अवतारों में राम और कृष्ण को अधिक महत्त्वपूर्ण माना है। भक्तिकाल की रचनाओं में इनकी ही महिमा मुख्य रूप से गाई गई है। प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों में मलिक मुहम्मद जायसी प्रमुख हैं। इनका 'पद्मावत' महाकाव्य इस शैली की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अन्य प्रमुख कवियों में मंझन, कुतुबन और उसमान हैं।

8.3 प्रेमाश्रयी-शाखा की प्रमुख विशेषताएँ :

- मुसलमान होकर भी हिन्दू प्रेमगाथाओं का वर्णन, जिनमें हिन्दू संस्कृति का चित्रण मिलता है।
- सूफी सिद्धान्तों का निरूपण।
- रहस्यवाद की चरम अभिव्यक्ति।
- लौकिक वर्णनों के माध्यम से अलौकिकता की व्यंजना।
- मसनवी शैली का प्रयोग।

8.4 प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कविजन :

इन कवियों में मलिक मुहम्मद जायसी प्रमुख हैं। आपका 'पद्मावत' महाकाव्य इस शैली की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अन्य कवियों में प्रमुख हैं-मंझन, कुतुबन और उसमान। प्रेम-मार्गी या प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों ने सर्वव्यापक

परमात्मा को पाने के लिए प्रेम को साधन माना है। इस शाखा के प्रायः सभी कवि सूफी साधक थे। इसी लिए इसे सूफी साहित्य की संज्ञा भी दी जाती है। सूफी साधना मूल रूप से ईरान की देन है।

प्रेमाश्रयी शाखा के मुस्लिम सूफी कवियों की काव्य-धारा को 'प्रेममार्गी' माना गया, क्योंकि प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं, ऐसी उनकी मान्यता थी। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी है, और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है, यही उनकी रचनाओं का मूल तत्त्व है। उन्होंने प्रेमगाथाएँ लिखी हैं। ये प्रेमगाथाएँ फ़ारसी की मसनवियों की शैली पर रची गई हैं। इन गाथाओं की भाषा अवधी है, और इनमें दोहा-चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है।

इस शाखा के भक्त कवियों की भक्ति-भावना पर विदेशी प्रभाव अधिक है। इस प्रसंग में यह बात ध्यान आकर्षित किए बिना नहीं रहती कि इस शाखा के मलिक मुहम्मद जायसी आदि कवि मुसलमान थे। इसलिए उन्होंने अपने संस्कारों के अनुसार भक्ति का निरूपण किया। वे भारतीय थे, इसलिए उन्होंने अपने प्रेमाख्यानों के लिए भारतीय विषय चुने, भारतीय विचारधारा को भी अपनाया, परंतु उस पर विदेशी रंग भी चढ़ा दिया। रसखान भी मुसलमान थे। अतएव उन पर इस्लाम का प्रभाव बहुत था। साथ ही सूफी प्रेम-पद्धति का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से मिलता है। वे किसी मतवाद में बंधे नहीं। उनका प्रेम स्वच्छंद था, जो उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने बिना किसी संकोच के उसे आधार बनाया। अतएव उनकी कविता में भारतीय भक्ति-पद्धति और सूफी इश्क-हकीकी का सम्मिश्रण मिलता है। उनकी भक्ति का ढांचा या शरीर भारतीय है किंतु आत्मा इस्लामी एवं तसव्वुफ से रंजित है।

सगुण भक्तिधारा की विशेषता यह है कि उसमें भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम की महिमा का वर्णन होता है। इस वर्णन के लिए भक्तों ने भगवान के अवतारों में राम और कृष्ण को अधिक महत्त्वपूर्ण माना है। भक्तिकाल की रचनाओं में इनकी ही महिमा मुख्य रूप से गाई गई है। प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों में मलिक मुहम्मद जायसी प्रमुख हैं। इनका 'पद्मावत' महाकाव्य इस शैली की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अन्य प्रमुख कवियों में मंझन, कुतुबन और उसमान हैं।

निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों का परिचय

मलिक मुहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, उसमान, शेख नवी, कासिमशाह, नूर मुहम्मद, मुल्ला दाउद।

मलिक मुहम्मद जायसी :

जायसी के जन्म और मृत्यु की कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये हिन्दी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें जायसी कहा जाता है। जायसी अपने समय के सिद्ध फ़कीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से दो मील दूर एक जंगल में रहा करते थे। वहीं उनकी मृत्यु हुई। काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने, जिन्हें अवध में नवाब शुजाउद्दौला से सनद मिली थी, अपनी याददाश्त में जायसी का मृत्यु काल 4 रजब 949 हिजरी लिखा है। यह काल कहाँ तक ठीक है, नहीं कहा जा सकता।

ये काने और देखने में कुरूप थे. कहते हैं कि शेरशाह इनके रूप को देखकर हँसा था. इस पर यह बोले 'मोहिका हँसेसि कि कोहरहि ?' इनके समय में भी इनके शिष्य फ़कीर इनके बनाये भावपूर्ण दोहे, चौपाइयाँ गाते फिरते थे। इन्होंने तीन पुस्तकें लिखी – एक तो प्रसिद्ध 'पदमावत', दूसरी 'अखरावट', तीसरी 'आखिरी क़लाम'। कहते हैं कि एक नवोपलब्ध काव्य 'कन्हावत' भी इनकी रचना है, किन्तु कन्हावत का पाठ प्रामाणिक नहीं लगता। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। आखिरी क़लाम में कयामत का वर्णन है। जायसी की अक्षत कीर्ति का आधार है पदमावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और 'प्रेम की पीर' से भरा हुआ था। क्या लोकपक्ष में, क्या अध्यात्मपक्ष में, दोनों ओर उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है।

कृतियाँ — 1. पदमावत 2. अखरावट 3. आखिरी क़लाम

कुतुबन :

ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैनशाह के आश्रित थे। अतः इनका समय विक्रम सोलहवीं शताब्दी का मध्यभाग (सन् 1493) था. इन्होंने 'मृगावती' नाम की एक कहानी चौपाई दोहे के क्रम से सन् 909 हिजरी सन् 1500 ई. में लिखी जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपतिदेव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूपमुरारि की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेममार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत्प्रेम का स्वरूप दिखाया है। बीच-बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमय आध्यात्मिक आभास है। कृतियाँ — 1. मृगावती

मंझन :

इनके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है. केवल इनकी रची 'मधुमालती' की एक खंडित प्रति मिली है जिसमें इनकी कोमल कल्पना और स्निग्धसहृदयता का पता लगता है. मंझन ने सन् 1545 ई. में मधुमालती की रचना की। मृगावती के समान मधुमालती में भी पाँच चौपाइयों के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया। पर मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना भी विशद् है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृतियाँ के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंझन ने किया है। ये जायसी के परवर्ती थे। मधुमालती में नायक को अप्सराएँ उड़ाकर मधुमालती की चित्रसारी में पहुँचा देती हैं और वहीं नायक नायिका को देखता है। इसमें मनोहर और मधुमालती की प्रेमकथा के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेमकथा चलती है। इसमें प्रेम का बहुत उच्च आदर्श सामने रखा गया है। सूफी काव्यों में नायक की प्रायः दो पत्नियाँ होती हैं, किन्तु इसमें मनोहर अपने द्वारा उपकृत प्रेमा से बहन का संबंध स्थापित करता है. इसमें जन्म-जन्मान्तर के बीच प्रेम की अखंडता प्रकट की गई है। इस दृष्टि से इसमें भारतीय पुनर्जन्मवाद की बात कही गई है। इस्लाम पुनर्जन्मवाद

नहीं मानता. लोक के वर्णन द्वारा अलौकिक सत्ता का संकेत सभी सूफी काव्यों के समान इसमें भी पाया जाता है ।

जैन कवि बनारसीदास ने अपने आत्मचरित में सन् 1603 के आसपास की अपनी इश्कबाजीवाली जीवनचर्या का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उस समय मैं हाट बाजार में जाना छोड़, घर में पड़े-पड़े 'मृगावती' और 'मधुमालती' नाम की पोथियाँ पढ़ा करता था:-

तब घर में बैठे रहें, नाहिन हाट बाजार I

मधुमालती, मृगावती पोथी दोय उचार II

कृतियाँ — 1. मधुमालती

उसमान,

ये जहाँगीर के समय में वर्तमान थे और गाजीपुर के रहनेवाले थे. इनके पिता का नाम शेख हुसैन था और ये पाँच भाई थे. ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजीबाबा के शिष्य थे. उसमान ने सन् 1613 ई. में 'चित्रावली' नाम की पुस्तक लिखी. पुस्तक के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर और चार खलीफों की बादशाह जहाँगीर की तथा शाह निजामुद्दीन और हाजीबाबा की प्रशंसा लिखी कवि ने 'योगी ढूँढन खंड' में काबुल, बदख्शाँ, खुरासान, रूस, साम, मिश्र, इस्तबोल, गुजरात, सिंहलद्वीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया है। सबसे विलक्षण बात है जोगियों का अँगरेजों के द्वीप में पहुँचना है।

वलंदप देखा अँगरेजा I तहाँ जाइ जेहि कठिन करेजा ।

ऊँच नीच धन संपति हेरा I मद बराह भोजन जिन्ह केरा ॥

कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है. जो जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं उस विषयों पर उसमान ने भी कुछ कहा है. कहीं-कहीं तो शब्द और वाक्यविन्यास भी वही हैं. पर विशेषता यह है कि कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है।

कृतियाँ -1. चित्रावली

शेख नवी

ये जौनपुर जिले में दोसपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे और सन् 1619 में जहाँगीर के समय में वर्तमान थे. इन्होंने 'ज्ञानदीप' नामक एक आख्यान काव्य लिखा, जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। कृतियाँ -1. ज्ञानदीप

कासिमशाह

ये दरियाबाद (बाराबंकी) के रहने वाले थे और सन् 1731 के लगभग वर्तमान थे. इन्होंने 'हंस जवाहिर' नाम की कहानी लिखी, जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा है. आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार: इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जायसी की पदावली तक ली है, पर प्रौढ़ता नहीं है।

कृतियाँ-1. हंस जवाहिर

नूर मुहम्मद

ये दिल्ली के बादशाह मुहम्मदशाह के समय में थे और 'सबरहद' नामक स्थान के रहनेवाले थे जो जौनपुर जिले में जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर है। पीछे सबरहद से ये अपनी ससुराल भादो (अजमगढ़) चले गये। इनके श्वसुर शमसुद्दीन को और कोई वारिस न था इससे वे ससुराल ही में रहने लगे।

नूर मुहम्मद फ़ारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिन्दी काव्यभाषा का भी ज्ञान और सब सूफ़ी कवियों से अधिक था। फ़ारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त 'रौजतुल हकायक' इत्यादि बहुत सी किताबें लिखी थीं जो असावधानी के कारण नष्ट हो गईं। इन्होंने सन् 1744 ई. में 'इंद्रावती' नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा जिसमें कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेमकहानी है। इनका एक और ग्रंथ फ़ारसी अक्षरों में लिखा मिला है, जिसका नाम है 'अनुराग बाँसुरी'। यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है। पहली बात तो इसकी भाषा सूफ़ी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृतगर्भित है। दूसरी बात है हिन्दी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव।

कृतियाँ — 1. इंद्रावती (सन् 1744 ई.) 2. अनुराग बाँसुरी (सन् 1764 ई.)

इसके अतिरिक्त प्रेमाख्यान काव्य की प्रमुख कृतियों में मुल्ला दाउद कृत "चान्दायन" (1379)

नायक लोर और चन्दा की प्रेम कथा प्रमुख है।

8.5 जायसी के जीवन वृत्त – एवं काव्यगत विशेषताएँ

मलिक मोहम्मद जायसी हिन्दी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफ़ी महात्मा थे। हिन्दी साहित्य में तुलसीदास और सूरदास के समान ही उनका पर्याप्त महत्त्व है। वे प्रेम की पीर के कवि माने जाते हैं। जायसी के जन्म के संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। मसनवी शैली में रचित उनकी अमर कृति पद्मावत में शाहे वक्त के साथ-साथ कवि का भी परिचय दिया गया है। अंतः साक्ष्य के आधार पर जायसी का जन्म 900 हिजरी के लगभग हुआ माना जाता है। जायसी ने अपनी रचना आखिरी कलाम में एक स्थान पर लिखा है- तीस बरस ऊपर कवि बदी।

इस आधार पर कहा जा सकता है कि जायसी का जन्म 900 हिजरी अर्थात् 1492 ई. के आसपास हुआ। इनका जन्म स्थान जिला रायबरेली में जायस नगर था। जायस में जन्म लेने के कारण ही यह जायसी कहलाए। अपने जन्म स्थान के संबंध में वे लिखते हैं-

जायस नगर मो अस्थानु तहाँ आई कवि कीन्ह बखानु।

मलिक इनकी पैतृक उपाधि थी। इनके पिता का नाम मलिक शेख में ममरेज या मलिक शेख अशरफ था। इनके गुरु सैयद अशरफ तथा मुहिउद्दीन थे। अपने गुरु के संबंध में जायसी लिखते हैं-

सैय्यद अशरफ पीर हमारा ।

जेहि मोहि पंथ दीन्ह उजियारा ।

जायसी निजामुद्दीन औलिया के वंशज थे। जायसी प्रतिभा के धनी परंतु शरीर के कुरूप थे। अंतः साक्ष्य के अनुसार जायसी एक नेत्र से विहीन तथा एक कान से रहित थे। एक जनश्रुति के अनुसार शेरशाह सूरी ने इनकी कुरूपता का मजाक उड़ाया था तब इन्होंने बड़े शांत स्वभाव से शेरशाह को जवाब दिया-मोहि का हंससि, के कोहरिहं? अर्थात् तुम मुझ पर हंसे हो या उस कुम्हार पर अर्थात् ईश्वर पर जिसने मुझे बनाया है। शेरशाह इस बात से अत्यंत लज्जित हुए और इसके बाद उन्होंने जायसी का अत्यधिक सम्मान किया। अमेठी नरेश रामसिंह भी इन्हें अपना गुरु मानते थे। ऐसा माना जाता है कि अमेठी के आसपास के जंगलों में एक शिकारी के तीर लगने से जायसी का निधन हुआ। इनकी मृत्यु सन् 1542 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। अमेठी नरेश ने जायसी की यहीं पर एक समाधि बनवा दी जो अब भी मौजूद है।

जायसी की छह प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं जिनमें 'आखिरी कलाम', 'पद्मावत', 'अखरावट', 'मसलनामा', 'कहरनामा' तथा 'कन्हावत' है। 'पद्मावत' इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। इस महाकाव्य में चित्तौड़ के राजा रतनसेन तथा सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का वर्णन किया गया है। जायसी की काव्यगत विशेषताएं इस प्रकार है -

इतिहास और कल्पना का अद्भुत मिश्रण:

जायसी ने अपने काव्य में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया है। 'पद्मावत' महाकाव्य इसका प्रमाण है। इस काव्य का पूर्वार्ध यदि कल्पित है तो उत्तरार्द्ध ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। इसमें रतनसेन, अलाउद्दीन, नागमती, पद्मावती आदि ऐतिहासिक पात्र हैं तथा अन्य पात्र काल्पनिक है। घटनाओं के वर्णन में कवि ने अपनी कल्पना शक्ति का अद्भुत परिचय दिया है। अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर आक्रमण की ऐतिहासिक घटना का सुंदर वर्णन हुआ है। पद्मावत का सिंहलद्वीप वर्णन कवि की कल्पना शक्ति कहा अद्भुत उदाहरण है-

सब संसार परथ मैं आए सातों दीप ।

एक दीप नहिं उत्तिम सिंघलदीप समीप

लोक संस्कृति में लोक जीवन का वर्णन:

जायसी का काव्य लोक संस्कृति और लोक जीवन का बहुत सुंदर वर्णन करता है। उन्होंने अपने काव्य में हिंदू-मुस्लिम एकता का तो समर्थन किया ही है, साथ ही भारतीय लोक संस्कृति, तीज-त्योहार, आदर्श,

अंधविश्वास, जादू-टोना, मंत्र-तंत्र, तीर्थ-व्रत आदि का भी वर्णन किया है। उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों, विवाह-संस्कार, रहन-सहन का जीवंत वर्णन किया है। पद्मावत की कथा पूर्ण रूप से भारतीय पृष्ठभूमि पर आधारित है। उनके नारी पात्र भारतीय आदर्श नारी का प्रतीक है।

लौकिक प्रेम के साथ अलौकिक प्रेम की व्यंजना:

पद्मावत केवल जायसी का ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य का सफल एवं लोकप्रिय महाकाव्य है। इसमें कवि ने लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। यह महाकाव्य सूफी मत के सिद्धांतों के अनुसार आध्यात्मिक प्रेम को अभिव्यक्त करता है। पद्मावत की नायिका अल्लाह का प्रतीक है तो रतन सेन साधक है-रवि ससि नखत दिपहिं ओहि जोती ।

रतन पदारथ मानिक मोती ॥

जहँ जहँ बिहँसि सुभावहि हँसी ।

तहँ तहँ छिटकि जोति परगसी ॥

प्रेम की पीर के कवि:

जायसी प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं। विरहजनित प्रेम में एक विलक्षण तीव्रता और निराली तड़प होती है। जायसी ने अपने प्रेम वर्णन में हृदय की कोमल वेदना, विरह की व्यापकता, तीव्रता, मार्मिकता और तन्मयता को अत्यंत प्रभावशाली अभिव्यक्ति दी है। पद्मावत का नागमती विरह खंड विरह वर्णन की दृष्टि से हिंदी साहित्य का अप्रतिम काव्य खंड है। नागमती का विरहवर्णन में बारहमासा का एक विशेष स्थान है। प्रत्येक मास की प्राकृतिक दशा के साथ नागमती के हृदय के शोक और हर्ष की जो योजना की गई है, वह अपने आप में अनुपम है। नागमती के प्रेम की पीड़ा पाठक के मन को सहानुभूति और वेदना से भर देती है। कुछ उदाहरण देखिए-नागमती उपवनों में रोती फिरती है। उसके विलाप से घोंसलों में बैठे हुए पक्षियों की नींद हराम हो गई है-

फिरि फिरि रोव, कोइ नहीं डोला ,आधी रात विहंगम बोला॥

तू फिरि फिरि दाहै सब पाँखी, केहि दुख रैन न लावसि आँखी॥

इस सहानुभूति की सम्भावना रानी के हृदय में होती कैसे है? यह समझकर होती है कि भौरा और कौवा दोनों उसी विरहाग्नि के धुएँ से काले हो गए हैं जिसमें मैं जल रही हूँ। सम दुःखभोगियों में परस्पर सहानुभूति का उदय अत्यन्त स्वाभाविक है।

पिउ सों कहेउ सँदेसड़ा, हे भौरा ! हे काग !

सो धनि बिरहै जरि मुई, तेहिक धुवाँ हम्ह लागा॥

श्रृंगार वर्णन:

जायसी के काव्य में प्रधानता रसरज शृंगार की है। पद्मावत में शृंगार के संयोग और वियोग दोनों का अद्भुत वर्णन किया गया है। संयोग रस का वर्णन रतनसेन, नागमती, तथा पद्मावती के आश्रय से किया गया है। जब पद्मावती को पाने के लिए रतनसेन ने घर छोड़ने का निर्णय किया तब नागमती ने उससे कहा-

तू जोगी होइगा बैरागी, हों जरि छार भयऊ तोहि लागी।

राजा रतन सिंह नागमती को मनाते हुए कहते हैं-

कंठ लाई के नारि मनाई। जरि जो बेलि सींचि पहुताई।

इसी प्रकार पद्मावती और रतन सेन के विवाह के बाद भी संयोग पक्ष के कुछ सुंदर चित्र अंकित किए गए हैं। वियोग शृंगार की दृष्टि से जायसी को विशेष सफलता प्राप्त हुई है। पद्मावती में नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की विशेष उपलब्धि है।

उदात्त चरित्र चित्रण:

जायसी का काव्य उदार चरित्र चित्रण का उदाहरण है। कवि ने भारतीय पात्रों का चरित्र चित्रण भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार किया है। नागमती और पद्मावती दोनों भारतीय आदर्श पतिव्रता नारी का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। हीरामन तोता, हंस, देवी देवता, अप्सराएं आदि सभी पात्रों का अद्भुत चित्रण किया गया है। यह पात्र स्थिति के अनुसार कथा को आगे बढ़ाते हैं। रतनसेन स्वयं एक आदर्श राजा के साथ-साथ आदर्श प्रेमी है। गोरा, बादल आदर्श वीर हैं। अलाउद्दीन का तामसी पात्र है जो कामी और लोभी है तथा राघव चेतन दुष्ट वृत्ति का पात्र है। इस प्रकार जायसी ने सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार के पात्रों का कथा अनुसार प्रभावशाली चित्रण किया है।

वह पदमावति चितउर जो आनी। काया कुंदन द्वादसबानी ॥

कुंदन कनक ताहि नहिं बासा। वह सुगंधा जस कँवल बिगासा ॥

कुंदन कनक कठोर सो अंगा। वह कोमल, रँग पुहुप सुगंगा ॥

ओहि छुइ पवन बिरिछ जेहि लागा। सोइ मलयागिरि भयउ सभागा ॥

रहस्यानुभूति:

जायसी को सफल रहस्यवादी कवि कहा जा सकता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार भावात्मक रहस्यवाद केवल जायसी में ही है। वे प्रेमी को परमात्मा का और प्रेमिका को आत्मा का प्रतीक मानते हैं। पद्मावत की नायिका पद्मावती अल्लाह का प्रतीक कही जा सकती है और रतन सेन साधक है। सिंहलदीप में कवि ने हठयोग की प्रवृत्ति को अपनाया है। उन्होंने दांपत्य भाव के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के संबंधों को प्रकट किया है। पद्मावती के रूप सौंदर्य में अभी तो सर्वत्र ईश्वर की झलक दिखाई पड़ती है। उन्होंने संपूर्ण पात्रों का प्रतीक योजना के माध्यम से जो वर्णन किया है और रहस्यवाद का अनुपम उदाहरण है-

तन चितउर, मन राजा कीन्हा । हिय सिंघल, बुधि पदमिनि चीन्हा ॥

गुरु सुआ जेइ पंथ देखावा । बिनु गुरु जगत को निरगुन पावा ?॥

नागमती यह दुनिया-धंधा । बाँचा सोइ न एहि चित बंधा ॥

राघव दूत सोई सैतानू । माया अलाउदीं सुलतानू ॥

प्रेम-कथा एहि भाँति बिचारहु । बूझि लेहु जौ बूझै पारहु ॥

प्रकृति वर्णन: प्रकृति वर्णन में जायसी ने अधिक रूचि ली है। उन्होंने मानव प्रकृति के साथ-साथ बाह्य प्रकृति का भी सुंदर चित्रण किया है। कुछ स्थानों पर तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति मानव के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट कर रही है। सिंहलदीप वर्णन करते हुए कवि ने प्रकृति के छोटे से छोटे कण से लेकर विशाल स्वरूप का चित्रण किया है। जहां एक ओर वे नदी, पर्वत, सूर्य, चांद, आकाश आदि का वर्णन करते हैं वहीं दूसरी ओर नगर, गांव, रण सज्जा, सेना का प्रयाण, जल आदि का भी वर्णन करते हैं-

कीन्हेसि हेवँ समुद्र अपारा। कीन्हेसि मेरू खिखिद् पहारा ।

कीन्हेसि नदी नार आं झरना। कीन्हेसि नगर यच्छ बहु बरना ।

कीन्हेसि सीप मेति बहु भरे। कीन्हेसि बहुतर नग निरमरे ।

भाषा शैली: जायसी की भाषा ठेठ अवधी है। इसमें देशज व अन्य क्षेत्रीय बोलियों के शब्दों का समावेश सहज ही हुआ है। जायसी के काव्य की भाषा सरलता व स्पष्टता, स्वाभाविकता तथा प्रसाद गुण आदि विशेषताएं लिए हुए हैं। दोहा-चौपाई इनका प्रिय छंद है। मसनवी तथा प्राकृत प्रेमाख्यानों की शैलियों का इन्होंने सुंदर समन्वय किया है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति तथा समासोक्ति कवि के प्रिय अलंकार रहे हैं। कवि की भाषा का एक उदाहरण देखिए-

रूप सुरूप पदमिनी नारी।

पद्य गंध तिन्ह अंग बसाही। भंवर लागी तिन्ह संग फिरारी ।

उपर्युक्त काव्यगत विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि जायसी एक सफल एवं श्रेष्ठ कवि है तथा उनका साहित्य सार्वकालिक है ।

8.6 भक्ति व श्रृंगार के कवि थे मलिक मुहम्मद जायसी

हिंदी काव्य साहित्य के भक्ति काल में कई विद्वान कवियों ने उत्कृष्ट रचनाएं रची हैं। इन रचनाओं में भक्ति, प्रेम, श्रृंगार, वियोग व संयोग आदि का हृदय स्पर्शी वर्णन हुआ है। भक्ति काल के विद्वान कवियों में से एक थे मलिक मुहम्मद जायसी। जायसी भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के उत्कृष्ट कवि थे। उन्होंने मुख्य रूप से अवधी भाषा में काव्य रचनाएं रची हैं।

कवि जायसी का जन्म सन 1467 ई माना जाता है। कहा जाता है कि वे उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान के रहनेवाले थे। उनके नाम में जायसी शब्द का प्रयोग, उनके उपनाम की भांति, प्रयोग हुआ है। इस संबंध में उनका स्वयं भी कहना है-

जायस नगर मोर अस्थानू।
नगरक नांव आदि उदयानू।
तहां देवस दस पहुने आएऊं।
भा वैराग बहुत सुख पाएऊं॥

उपरोक्त पंक्तियों में जायसी ने अपने जन्म स्थान का वर्णन किया है। इससे ज्ञात होता है कि उस नगर का प्राचीन नाम उदयान था, वहां वे एक पहुने जैसे दस दिनों के लिए आए थे, अर्थात् जन्म लिया था। जायस नामक नगर उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में आज भी वर्तमान है। जायसी का रचना क्षेत्र मुख्य रूप से काव्य ही था। उनके 21 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं जिनमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कान्हावत आदि प्रमुख हैं। पर उनकी ख्याति का आधार पद्मावत ग्रंथ ही है। इसमें पद्मिनी की प्रेम-कथा का रोचक वर्णन हुआ है। रत्नसेन की पहली पत्नी नागमती के वियोग का अनूठा वर्णन है। इसकी भाषा अवधी है और इसकी रचना-शैली पर आदिकाल के जैन कवियों की दोहा चौपाई पद्धति का प्रभाव देखने को मिलता है।

साहित्येतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकालीन कवियों में जायसी को एक प्रमुख कवि के रूप में स्थान दिया है। शिवकुमार मिश्र के अनुसार शुक्ल जी ने जब जायसी की काव्य प्रतिभा को देखा और जायसी ग्रंथावली का संपादन किया तो उन्हें जायसी की विलक्षण काव्य कौशल का ज्ञान हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जायसी की काव्य प्रतिभा मध्यकाल के दिग्गज कवि गोस्वामी तुलसीदास के स्तर की लगी। अतएव उन्होंने जायसी को तुलसीदास के समकक्ष माना है। शुक्ल जी के अनुसार जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेमवेदना अत्यंत गूढ़ है।

पढ़िए जायसी की कुछ रचनाएं -[1]

नागमती-वियोग खंड (एक अंश)

नागमती चितउर पथ हेरा। पिउ जो गए पुनि कीन्ह न फेरा॥
नागर काहु नारि बस परा। तेइ मोर पिउ मोसौं हरा॥
सुआ काल होइ लेइगा पीऊ। पिउ नहिं जात, जात बरु जीऊ॥
भएउ नरायन बाबँन करा। राज करत राजा बलि छरा॥
करन पास लीन्हेउ कै छंदू। बिप्र रूप धारि झिलमिल इंदू॥
मानत भोग गोपिचंद भोगी। लेइ अपसवा जलंधार जोगी॥

लेइगा कृस्नहि गरुड़ अलोपी । कठिन बिछोह, जियहिं किमि गोपी?

सारस जोरी कौन हरि, मारि बियाधा लीन्ह?

झुरि झुरि पींजर हौं भई, बिरह काल मोहि दीन्ह ॥

8.7 मलिक मुहम्मद जायसी के प्रेम तत्त्व :

हिन्दी सूफी कवियों में जायसी अग्रणी हैं। जायसी की प्रेम-व्यंजना सूफीमत से प्रभावित है, वे प्रेम के पीर के कवि हैं। उन्होंने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्रतिष्ठा की है। सूफी साधना का प्राणत्व प्रेम है, यही ईश्वर की सत्ता का सार है। जायसी का प्रेम विरह, त्याग, सत्यनिष्ठ, आदरभाव आदि से संयुक्त होने के कारण दिव्य है। डॉ. शिव सहाय पाठक के अनुसार “लौकिक प्रेम का समुन्नयन करके उसे दिव्य प्रेम की भूमिका पर प्रतिष्ठित करना उनकी साधना की चरम परिणति है।” जायसी ने प्रेम को कठिन अगम्य एवं दुर्गम माना है। प्रेम रूपी पर्वत पर सिर के बाल चढ़ने वाला ही पहुँच सकता है। प्रेम का मार्ग सूली का मार्ग है जिस पर चोर चढ़ता है या मंसूर चढ़ा था-

प्रेम प्रहार कठिन विधि गढ़ा। जो पै चढ़े सो सिर सौ चढ़ा ॥

पंथ सूरि कै उठा अंकुर। चोर चढ़े कि चढ़ा मंसुर ॥

जायसी ने प्रेम को तीनों लोक चतुर्दिश खण्डों में सर्वाधिक सुन्दर कहा है-

तीनि लोक चौदह खण्ड बबै पुरै मोहिं सूझा।

प्रेम छाड़ि नहिं लोन किछु जो देखा मन बूझ ॥

इसलिए जायसी प्रेम की बेलि में लोगों को न समझने की सलाह देते हैं-

प्रीति बेलि जनि अरुझैं कोई । अरुसै मुए न छूटे सोई ॥

प्रेम का फंदा इतना दृढ़ है कि प्राण भले ही चले जायें किन्तु फंदा नहीं टूटता-

प्रेम फांद जो परान छूटा।

जीउ दीन्ह पै फांद न टूटा॥

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने प्रेम के चार रूपों का उल्लेख किया है विशुद्ध, पूर्वानुराग, दरबारी और उद्दीपनात्मक है, जो गुण श्रवण, चित्र दर्शन या प्रत्यक्ष दर्शन से उत्पन्न होता है। जायसी ने ‘पद्मावत’ में रत्नसेन तथा पद्मावती के माध्यम से प्रेम के उदात्त स्वरूप की व्यंजना की है। पद्मावत में जायसी ने प्रेम के जिस स्वरूप की अभिव्यक्ति की है जिसमें मानसिक पक्ष प्रधान और शारीरिक पक्ष गौण है। कवि ने आलिंगन, चुंबन आदि के स्थान पर विरहाकुलता का ही चित्रण अधिक किया है। तोता के मुख से पद्मावती की रूप-वर्णन सुनकर रत्नसेन प्रेम-समुद्र में बहने लगता है-

सुनतहि राजा गा मुरछाई जानीं लहरि सुरुज के आई ॥

प्रेम-घाव-दुख जान न कोई। जेहि लागे जानै पै सोई ॥

परा सो प्रेम समुद्र अपारा। लहरिहिं लहर होई विसंभारा ॥

बिहर मोर होइ भांवरि देई। खिन-खिन जीउ हिलोरा लेई ॥

खिनहिं उसास बूड़ि जिउजाई। खिनहिं उठै निसरै बौराई ॥

राजा सत्नसेन प्रेमोन्मत्त होकर राज-पाट त्याग कर योगी होकर निकल पड़ता है। सभी उसे समझाते हैं कि प्रेम से सम्बन्ध जोड़ना सुखकर है और फिर उसका निर्वाह अत्यन्त दुष्कर है। ज्ञान-दृष्टि के सहारे ही प्रेम तक पहुँचा जा सकता है क्योंकि प्रेम रूपी ध्रुव ध्रुवतारा से भी ऊँचा है-

पहिले सुख नेहहिं जब जोरा। पुनि होई कठिन निबाहत ओरा ॥

अहुठ हाथ तन जइस सुमेरु पहुँच न जाइ परा तस फेरू ॥

ज्ञान दृष्टि सौं जाइ पहुँचा। प्रेम अदिष्ट गगनते ऊँचा ॥

ध्रुव से ऊँच प्रेम ध्रुव ऊआ सिर देई पांव देई सोइ छूआ ॥

जायसी के प्रेमतत्त्व का मर्म विरह में निहित है। विरह प्रेम का चरम सौन्दर्य है। प्रेम विरह रस से मादक हो जाता है। जायसी के शब्दों में-

प्रेमहिं मांह विरह-रस बसा मैन के घर मधु अमृत बसा ॥

सूफी कवियों ने नायिका को ब्रह्म मानकर जीव रूप नायक के वियोग के माध्यम से परमात्मा आत्मा की विरह दशा का चित्रण किया है। रत्नसेन का विरह भी इसी आध्यात्मिक ऊँचाई को संस्पर्श करता है। वसंतोत्सव मना कर लौटने के बाद जब रत्नसेन को होश आता है तो वह विलाप करता है-

रौवे रतन-माल जनु चूरा जहं होई ठाढ़ होई तहं कूरा ॥

कहां बसत औकोकिल बैना कहाँ कुसुम अलि बेधा नैना ॥

पद्मावत में जायसी ने पद्मावती और नागमती दोनों के ही वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने नागमती के वियोग वर्णन को हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि माना है। पति वियोग में नागमती का शरीर सूख कर कांटा हो गया है। वियोग की दशा में सुखदायक वस्तुएँ भी दुःखद लगती हैं-

कातिक सरद रैति उजियारी। जग सीतल हो बिरहै जारी ॥

तन मन सेज करै अगिदाहू। सब कहं चंद भएउ मोहि राहू ॥

नागमती के रोम-रोम में प्रिय की ध्वनि निकलती है-

हाड़ भए सब किंगरी नसें भई सब तांति ।

रोवं से धुनि उठै, कहाँ बिथा केहि भांति ॥

नागमती की वियोग-ज्वाला पशु-पक्षियों को भी जला देती है और वृक्षों को पत्र रहित कर देती है-

जेहि पंखी के निकट होई, कहै बिरह के बाता।

सोई पंखी जाइ जरि, तरुवर होइ निपात ॥

जायसी की प्रेम-भावना में तादात्म्य भाव है। प्रेम साधन में साधक और साध्य दोनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं 'गंधर्व सेन मंत्री खंड' में तोता रत्नसेन से कहता है कि तुम्हारा योग उसको और उसका वियोग तुम्हें मिल गया है। तुम उसके घर में और वह तुम्हारे घर में है। अब काल तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है-

जोग तुम्हारा मिला ओहि जाई। जो ओहि बिधा सो तुम्ह कह आई॥

तुम ओहि के घर वह तुम्ह माहा। काल कहाँ पावै वह छाहा॥

जायसी के प्रेम में वासना का अभाव है। प्रेम की कामना प्रिय दर्शन भर की है। जायसी ने नागमती के माध्यम से इस तथ्य की व्यंजना की है। नागमती पद्मावती के लिए संदेश भेजती है कि-

मोहिं भोग सो काज न बारी। सौंह दीठि कै चाहन हारी ॥

संक्षेप में, जायसी प्रेम के कुशल चित्ते हैं। उनके काव्य में प्रेम का दिव्य एवं उदात्त रूप मिलता है। उन्होंने जिस प्रेम का वर्णन किया है वह बैकुंठी या दिव्य है। जायसी के शब्दों में-

मानुस पेम भएउ बैकुंठी।

नाहिं त काह छार एक मूठी ॥

8.8 सारांश :

भारत में इस सूफीमत के चार प्रमुख संप्रदाय हैं:

1. चिश्ती संप्रदाय (बारहवीं शताब्दी)-यह भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध संप्रदाय है। ख्वाजा अबू इसहाक शामी चिश्ती या उनके शिष्य अब अब्दाल चिश्ती का नाम इस संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में लिया जाता है। इस संप्रदाय के माध्यम से सूफी मत का प्रचार भारत वर्ष में करने का श्रेय ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को जाता है। चिश्ती-संप्रदाय में संगीत-तत्त्व को प्रधानता दी गई है।
2. सुहरवर्दी या सोहरावर्दी संप्रदाय (बारहवीं शताब्दी)-भारत में इस सूफी संप्रदाय के प्रवर्तक बहाउद्दीन जकारिया कहे गए हैं। ठेठ इस्लाम-धर्म की स्वीकृत बातों के प्रतिकूल चलकर इस संप्रदाय के साधकों ने अपनी उदारतावादी दृष्टि का परिचय दिया।
3. कादरी या कादिरिया संप्रदाय (पंद्रहवीं शताब्दी)- इस संप्रदाय के प्रवर्तक अब्दुल कादिर अल-जीलानी थे। भारत में इसके प्रचारक सैयद मुहम्मद गौस 'वाला पीर' थे। इस संप्रदाय में संगीत का अधिक महत्वपूर्ण स्थान नहीं है।
4. नक्सबंदी या नकश बंदिया संप्रदाय (पंद्रहवीं शताब्दी) – इस संप्रदाय को ख्वाजा बहाउद्दीन 'नकशबंद' ने आरंभ किया था। भारत में इसका प्रचार करने वाले ख्वाजा बाकी बिल्ला बेरंग रहे।

8.9 बोध प्रश्न :

1. प्रेमाश्रयी शाखा की विशेषताएँ प्रस्तुत करते हुए उस शाखा के कुछ प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए।
2. प्रेमाश्रयी शाखा में जायसी का स्थान निर्धारित कीजिए।
3. प्रेमानर्ग शाखा का प्रवर्तक के रूप में जायसी का परिचय दीजिए।
4. ज्ञानमार्ग और प्रेम मार्ग भक्तिधाराओं का तुलनात्मक परिचय दीजिए।

8.10 सहायक ग्रन्थ :

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. पद्मावत | - मालिक महम्मद जायसी |
| 2. भक्ति काल | - आचार्या रामचन्द्र शुक्ल |
| 3. भक्त कवियों की सूची | - हजारी प्रसाद द्विवेदी |
| 4. जायसी का बारहमासा | - जायसी |
| 5. भक्ति व श्रृंगार काव्य | - आचार्या रामचन्द्र शुक्ल |
| 6. हिन्दी साहित्य का इतिहास | - आचार्या रामचन्द्र शुक्ल |
| 7. हिन्दी कवि विमर्श | - गुलाब राय |
| 8. कवि और काव्यांग | - लाल चन्द राय |
| 9. सुर और उनका साहित्य | - डॉ. हरवंश लाल शर्मा |
| 10. सुर की झांकी | - सत्येन्द्र फहैब |

डॉ. एम. मंजुला

पाठ – 9

समाचार पत्र

उद्देश्य

वस्तुतः समाचार पत्रों का मूल उद्देश्य मानव कल्याण है-। इस इकाई को पढ़ने के बाद हम समाचार पत्र से संबन्धित इन अंशों को जान पायेंगे।

1. समाचार पत्र के इतिहास के बारे में।
2. हमारे जीवन में समाचार पत्र के महत्व के बारे में जान सकेंगे।
3. समाचार पत्रों से लाभ और नुकसान आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

इकाई की रूप रेखा :

- 9.1 प्रस्तावना
- 9.2 समाचार पत्र – प्रकार
- 9.3 समाचार पत्र का इतिहास
- 9.4 समाचार पत्र का महत्व
- 9.5 समाचार पत्रों से लाभ
- 9.6 समाचार पत्रों से नुकसान
- 9.7 सारांश
- 9.8 बोध प्रश्न
- 9.9 सहायक ग्रन्थ

9.1 प्रस्तावना :

समाचार-पत्र जनसंचार के महत्वपूर्ण माध्यमों में से एक है। जनसंचार के माध्यमों के तहत दृश्य-श्रव्य माध्य को ही सबसे प्रभाल माध्यम माना जाता है। क्योंकि इस का सीधा प्रभाव पाठकों पर पड़ता है। यह ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। यह अधिक ज्ञान और सूचना प्राप्त करने के साथ ही कुशलता के स्तर को बढ़ाने का सबसे अच्छा स्रोत है। यह लगभग सभी क्षेत्रों में उपलब्ध होता है, इसके साथ ही इसकी कीमत भी बहुत कम होती है। आज का समाचार-पत्र महज एक खबरनामा ही नहीं है। वह ज्ञान की विभिन्न विधाओं पर सामयिक लेख प्रकाशित कर अपने पाठकों को शिक्षित करता है। मुख्यरूप से विद्यार्थियों के लिए यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये विशेष रूप से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान और सामयिक घटनाओं के बारे में बताता है। यह हमें सभी प्रकार के विकासों, अविकसों, नई तकनीकियों, शोध, मनोरंजन, खगोलीय और मौसम में बदला, प्राकृतिक वातावरण आदि की सूचना देता है।

इसके अतिरिक्त प्रतियोगीता के परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी अपने मस्तिष्क को वर्तमान सामयिक घटनाओं से जोड़े रखने के लिए नियमित रूप से अखबार पढ़ते हैं। यदि हम प्रतिदिन नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ने की आदत बनाते हैं, तो यह हमारी बहुत मदद करते हैं। यह हम में पढ़ने की आदत विकसित करते हैं। कुछ लोगों को प्रत्येक दिन, हर सुबह समाचार पत्र को पढ़ने की आदत होती है। वे समाचार पत्र की अनुपस्थिति में बहुत अधिक बेचैन हो जाते हैं और पूरे दिन कुछ अकेलापन महसूस करते हैं।

9.2 समाचार पत्र – प्रकार :

समाचार पत्र को अखबार भी कहा जाता है जिसमें देश विदेश के खबरों को प्रकाशित किया जाता है अर्थात् समाचार पत्र हमें देश-दुनिया की खबरों से रूबरू कराती है। समाचार पत्र समाचारो पर आधारित एक प्रकाशन है, जिसमें मुख्यतः सामयिक घटनायें, राजनीति, खेल-कूद, व्यक्तित्व, मनोरंजन, विज्ञापन आदि की जानकारीयाँ सस्ते कागज पर छपी होती है। समाचार पत्र संचार के साधनों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

समाचार पत्रों के प्रकार :

1. दैनिक समाचार पत्र
2. साप्ताहिक समाचार पत्र
3. पाक्षिक समाचार पत्र
4. मासिक समाचार पत्र
5. अन्य समाचार पत्र

1. दैनिक समाचार पत्र : दैनिक समाचार पत्र वह समाचार पत्र हैं जिनका प्रकाशन हर रोज होता है। दैनिक समाचार पत्र क्षेत्रीय भी हो सकते हैं और राष्ट्रीय भी। कुछ समाचार पत्र एक ही स्थान से प्रकाशित होते हैं तो कुछ अनेक नगरों से अलग-अलग संस्करण प्रकाशित होते हैं। जैसे अमर उजाला, दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स, ईनाडु, वार्ता, साक्षी आदि। इन समाचार पत्रों में स्थानीय क्षेत्रों के समाचार के अलावा देश विदेश से जुड़े समाचार, विज्ञापन, रोजगार, मनोरंजन आदि भी प्रकाशित होते हैं जो देश की जनता के लिए काफी फायदे मंद होती है।

2. साप्ताहिक समाचार पत्र : साप्ताहिक समाचार पत्र आकार में छोटे होते हैं। ऐसा वितरण की सुविधा के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इन समाचार पत्रों के वितरण के लिए कभी-कभी डाक विभाग की भी मदद ली जाती है। साप्ताहिक समाचार पत्रों में खबरों का प्रस्तुतिकरण दैनिक अखबारों से थोड़ा अलग होता है। इनमें खबरों को अधिक विस्तार से और विश्लेषण के साथ प्रस्तुत किया जाता है। जैसे राजनीति, आर्थिक, खेलखुद, मनोरंजन आदि। कुछ समय पहले तक प्रस्तुति के लिहाज से भी साप्ताहिक समाचार पत्र दैनिकों से थोड़ा अलग और बेहतर होते थे लेकिन अब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में आए बदलावों ने दैनिक समाचार पत्रों के

लिए भी प्रस्तुति को बेहतर बना सकना सम्भव कर दिया है। फिर भी साप्ताहिक समाचार पत्रों की एक अपनी अलग पाहचान है। जैसे कैरियर प्वाइण्ट, हिंदुस्तान, संकल्प संदेश आदि।

3. पाक्षिक समाचार पत्र: पाक्षिक पत्र का प्रकाशन 15 दिन में एक बार होता है और इनका प्रकाशन महीने की पहली और पन्द्रह तारीख को होता है। इनकी विषयवस्तु समाचार, मनोरंजन या खेल आदि होते हैं। पाक्षिक पत्र में समाचारों का अधिक गहराई से विश्लेषण होता है। जैसे असामान्य विश्व, साहित्य कुंज आदि।

4. मासिक समाचार पत्र: मासिक पत्र महीने में एक बार प्रकाशित होते हैं। इन में कम से कम एक महीने तक का समाचार प्रकाशित किया जाता है। इनकी विषयवस्तु भी बहुत व्यापक होती है। फिल्म, मनोरंजन, खेल, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, धर्म, आध्यात्म, स्वास्थ्य, फैशन, वास्तु, कम्प्यूटर टेक्नालाजी, वित्त एवं वाणिज्य, साहित्य, समाचार, महिला विषय आदि सभी विषयों पर इस तरह के पत्र निकले जाते हैं। जैसे हंस, बया, नया ज्ञानोदया आदि।

5. अन्य समाचार पत्र: दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रों के अलावा अन्य कई प्रकार की पत्र प्रचलन में हैं। इनमें द्वैमासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक पत्र शामिल हैं। इस श्रेणी में प्रमुख रूप से साहित्य, कला, व्यवसाय या अन्य विषय से जुड़े पत्र आते हैं। जैसे पक्ष धर, आलोचना, साखी आदि।

9.3 समाचार पत्रों का इतिहास

विश्व का सबसे पहला समाचार पत्र 59 ई.पू. का 'द रोमन एक्टा डिउरना' है। इसे जूलिएस सीसर ने पत्रिका के रूप में प्रकाशन करवाया था कि जनसाधारण को महत्वपूर्ण राजनैतिज्ञ और समाजिक घटनाओं से अवगत करा सकें। वही भारत में इसकी शुरुवात ब्रिटिश के शासन काल में बंगाल से 'बंगाल-गजट' के नाम से वायसराय हिककी द्वारा निकाला गया। आरंभ में अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए अखबारों का इस्तेमाल किया जो सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही होती थी। इसलिए बहुसंख्यक लोगों तक खबरें और सूचनाएँ पहुँच नहीं पाती थी। जैसे 'पायनियर', 'मुंबई-मिरर', 'द हिंदुस्तान टाइम्स', 'नेशनल हेराल्ड', आदि।

इन अंग्रेजी पत्रों के अतिरिक्त बंगला और उर्दू में भी पत्रों का प्रकाशन तो होता रहा, लेकिन उसका दायरा सीमित था। उसे कोई बंगाली पढ़ने वाला या उर्दू जानने वाला ही समझ सकता था। ऐसे में पहली बार 30 मई 1826 को हिन्दी का प्रथम पत्र 'उदंत मार्तंड' का पहला अंक प्रकाशित हुआ। यह पत्र साप्ताहिक था। 'उदंत मार्तंड' की शुरुआत ने भाषायी स्तर पर लोगों को एक सूत्र में बाँधने का प्रयास किया। यह केवल एक पत्र नहीं था, बल्कि उन हजारों लोगों की जुबान थी, जो अब तक खामोश और भयभीत थे। हिन्दी में पत्रों की शुरुआत से देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और आजादी के जंग की एक नई शुरुवात ही। अब लोगों तक देश के कोने-कोन में घट रही घटनाओं की जानकारी पहुँचने लगी। लेकिन कुछ ही समय बाद इस पत्रिका को बंद करना पड़ा। इसके बाद 10 मई 1829 को बंगाल से हिन्दी अखबार 'बंगदूत' का प्रकाशन हुआ। यह पत्र

भी लोगों की आवाज बना और उन्हें जोड़े रखने का माध्यम । इसके बाद जुलाई , 1854 में श्यामसुंदर सेन कलकत्ता से 'समाचार सुधा वर्षण ' का प्रकाशन किया। उस दौरान जिन भी अखबारों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कोई भी खबर या आलेख छपा , उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी और अखबारों को प्रतिबंधित कर दिया जाता था। उसकी प्रतियाँ जलाई जाती थीं, उसके प्रकाशकों, संपादकों, लेखकों को दंड दिया जाता था। उन पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया जाता था , ताकि वो दुबारा फिर उठने की हिम्मत न जुटा पाएँ। आजादी की लहर जिस तरह पूरे देश में फैल रही थी , अखबार भी अत्याचारों को सहकर और मुखर हो रहे थे। यही वजह थी कि बंगाल विभाजन के उपरांत हिन्दी पत्रों की आवाज और बुलंद हो गई। लोकमान्य तिलक ने 'केसरी' का संपादन किया और लाला लाजपत राय ने पंजाब से 'वंदे मातरम' पत्र निकाला। इन पत्रों ने युवाओं को आजादी की लड़ाई में अधिक-से-अधिक सहयोग देने का आह्वान किया। इन पत्रों ने आजादी पाने का एक जज्बा पैदा कर दिया। 'केसरी' को नागपुर से माधवराव सप्रे ने निकाला , लेकिन तिलक के उत्तेजक लेखों के कारण इस पत्र पर पाबंदी लगा दी गई।

उत्तर भारत में आजादी की जंग में जान फूँकने के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 में कानपुर से साप्ताहिक पत्र 'प्रताप' का प्रकाशन आरंभ किया। इसमें देश के हर हिस्से में हो रहे अत्याचारों के बारे में जानकारीयाँ प्रकाशित होती थीं। इससे लोगों में आक्रोश भड़कने लगा था और वे ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए और भी उत्साहित हो उठे थे। इसकी आक्रामकता को देखते हुए अंग्रेज प्रशासन ने इसके लेखकों, संपादकों को तरह-तरह की प्रताड़नाएँ दीं , लेकिन यह पत्र अपने लक्ष्य पर डटा रहा। इसी प्रकार बंगाल , बिहार, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से पत्रों का प्रकाशन होता रहा। उन पत्रों ने लोगों में स्वतंत्रता को पाने की ललक और जागरूकता फैलाने का प्रयास किया।

स्वतंत्रता के बाद भारत की कई भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन होने लगा । आज समाचार-पत्रों की व्यापकता इतनी अधिक हो गई है कि ये जन-मानस का प्रमुख अंग बन चुके हैं । विश्वभर में अनेकों भाषाओं में समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं । हमारे देश में टाइम्स ऑफ इंडिया , हिंदुस्तान टाइम्स , नवभारत टाइम्स , हिंदुस्तान आदि समाचार-पत्र हिंदी व अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होते हैं । इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय भाषाओं में भी समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं जैसे ईनाडु , वार्ता , आंध्रा ज्योति नवभारत टाइम्स , हिंदुस्तान, अमर उजाला आदि ।

9.4 समाचार पत्रों का महत्व :

समाचार-पत्र प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं । इसके माध्यम से व्यक्ति अपने भावों, अनुभवों व संवेदनाओं को समाज व राष्ट्र के सम्मुख निष्पक्ष और निर्भय होकर व्यक्त कर करना

समाचार-पत्रों का दायित्व है। समाचार-पत्र किसी एक व्यक्ति या समाज के लिए नहीं अपितु पूरे समाज व राष्ट्र के उत्थान की भावना पर कार्य करते हैं।

9.5 समाचार पत्रों से लाभ :

समाचार पत्र के माध्यम से जनजागृति करना आसान होता है। पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार युवक रोजगार का पता लगाने के लिए प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं। देश में निकलने वाले विभिन्न स्थानों के रोजगार का पता कर वहाँ आवेदन कर सकते हैं। इस तरह रोजगार पत्र देश के युवाओं की रोजगार ढूँढने में सहायता करते हैं। समाचार पत्र पढ़ने से हमें हर क्षेत्र की जानकारी मिलती है। यदि व्यक्ति के पास भरपूर ज्ञान हो तो उसमें आत्मविश्वास की कमी नहीं रहती है। वह आत्मविश्वास के साथ जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों का समान कर अपना, अपनों का तथा देश का विकास कर सकता है। इस तरह समाचार पत्र हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैसे हम कभी भी किसी भी सम्मेलन में किसी भी विषय पर भाषण दे सकते हैं।

हर दिन समाचार पत्र पढ़ने से हम में पढ़ने की आदत विकसित होती है। जो हमारे शैक्षणिक जीवन में तथा जीवन भर काम में आती है। इस तरह मनुष्य शिक्षा व पढ़ाई से जुड़े रहने से उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। समाचार पत्र पढ़ने से हमारी भाषा व भाषा के शब्दों में वृद्धि होती है और हम अपनी भाषा पर पकड़ हासिल कर सकते हैं। यदि व्यक्ति को इंग्लिश सीखनी हो इंग्लिश समाचार पत्र पढ़ने की सलाह दी जाती है। इससे उस व्यक्ति के इंग्लिश शब्दकोश में वृद्धि होती है। इसी तरह अखबार पढ़ कर अन्य भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपने शब्दकोश में बढ़ोतरी कर सकते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि हर दिन समाचार पत्र पढ़ने से हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास होगा और इसी विकास के बल पर हम अपने समाज व देश का कल्याण कर सकते हैं।

9.6 समाचार पत्रों से नुकसान (नष्ट) :

समाचार पत्रों से फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। कुछ समाचार पत्र ऐसे भी होते हैं जो अपने समाचार पत्रों में झूठी खबरें छापकर लोगों को बहकाने का भरसक प्रयत्न करते हैं तो कुछ ऐसे समाचार पत्र भी होते हैं जो समाज में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने का काम करते हैं। जिसके फलस्वरूप समाज में सामाजिक अस्थिरता का माहौल उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे समाचार पत्र भी होते हैं जो सरकार की सही नीतियों को जनता के समक्ष कभी कभी गलत रूप से प्रस्तुत करते हैं। इससे राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। वर्तमान समय में समाचार पत्रों का मुख्य लक्ष्य पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने पर केन्द्रित है। उन्हें लुभाने के लिए खबरों कि सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है। समाचार पत्रों में दिए जाने वाले अभद्र विज्ञापनों एवं तसवीरों को देखकर युवा पीढ़ी अपनी दिशा से भ्रमित हो रही है। यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कभी-कभी इन समाचार-पत्रों में देश के भ्रष्ट नेता ,

स्वार्थलोलुप मनुष्य सत्या को छिपाने को चेष्टा कर ऐसी खबरों को प्रकाशित करवाते हैं जो देश में अलगाववाद व भ्रष्टाचार की भावना को बढ़ाती हैं। अतः इसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि समाचार-पत्रों की विश्वसनीयता व लोकप्रियता सदैव बनी रहे और लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभ के रूप में इसकी गरिमा सदैव कायम रहे।

9.7 सारांश :

समाचार पत्र समाज में एक अहम भूमिका निभाते हैं। समाचार पत्र रोज पढ़ने से ज्ञान में वृद्धि होती है और यह हमारी समझने और अध्ययन करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। समाचार पत्र हमें वर्तमान की अलग अलग क्षेत्रों की घटनाओं से संबंधित सूचना प्रदान करता है। जिसे हमें नए विषयों यानी नए क्षेत्रों का ज्ञान भी प्राप्त होता है और हम नए क्षेत्रों या विषयों के बारे में भी जानना शुरू कर देते हैं। समाचार पत्र हर उम्र लोगों के लिए होती है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा समाचार पत्र हर किसी के लिए कुछ ना कुछ खबर उपलब्ध करती है। यह हमारे देश और दुनिया से जुड़ी खबरों से हमें रूबरू करती है जिससे समाज को वर्तमान में हो रही गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और इसके कारण समाज में जागरूकता भी बनी रहती है।

समाचार-पत्र के उद्देश्य - वस्तुतः समाचार पत्रों का मूल उद्देश्य मानव-कल्याण है किन्तु जब हम स्वार्थवश इस उद्देश्य को भूलकर इनके द्वारा अपने संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं तो उनसे लाभ के स्थान पर हानि होती है। समाचार-पत्रों का उद्देश्य होता है मानवता एवं समाज तथा राष्ट्रविरोधी किसी भी समाचार को कभी प्रकाशित न करें। कभी ऐसे समाचार प्रकाशित न करें जिससे जनता द्विगभ्रमित हो और उसका नैतिक और चारित्रिक पतन हो। यदि समाचार पत्र अपने उत्तरदायित्व और उद्देश्य का ईमानदारी के साथ निर्वाह करे तो निश्चय ही इनका भविष्य उज्ज्वल है।

9.8 बोध प्रश्न :

1. समाचार पत्र के बारे में एक लेख लिखिए।
2. समाज में समाचार पत्र की आवश्यकता और उसकी उपयोगिता के बारे में बताइये।
3. समाचार पत्र कितने प्रकार होते हैं ? उनके लाभ और नुकसान के बारे में लेख लिखिए।

9.9 सहायक ग्रन्थ :

1. आधुनिक हिन्दी निबन्ध -

5. समसामयक - डॉ. देवव्रत

2. निबन्ध माला -

3. निबन्ध मंजूषा -

डॉ. यस. आनंद

4. निबन्ध महासागर - पी. के. अग्रवाल

पाठ-10

बेकारी की समस्या

उद्देश्य :

बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में प्रमुख बाधाओं में से एक है। भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। शिक्षा का अभाव, रोजगार के अवसरों की कमी और प्रदर्शन संबंधी समस्याएं कुछ ऐसे कारक हैं जो बेरोजगारी का कारण बनती हैं। भारत में बेरोजगारी की गंभीर अंश के रूप में देखे जाते हैं। इस इकाई में हम बेकारी की समस्या से संबंधित निम्न अंशों को जान पायेंगे।

1. बेरोजगारी की समस्या का अर्थ-परिचय।
2. रोजगार के अवसरों की कमी और प्रदर्शन संबंधी समस्याएँ,
3. बेरोजगार के कारण।
4. बेरोजगार समस्या को अंत करने के उपाय और सरकार द्वारा उठाए गए कदम।

इकाई की रूप रेखा :

- 10.1 प्रस्तावना
- 10.2 बेरोजगारी का परिचय
- 10.3 बेरोजगारी का अर्थ और स्वरूप
- 10.4 बेरोजगारी के प्रकार
- 10.5 बेरोजगारी के वर्गीकरण
- 10.6 बेरोजगारी के प्रभाव
- 10.7 बेकारी की समस्या और समाधान
- 10.8 सारांश
- 10.9 बोध प्रश्न
- 10.10 सहायक ग्रन्थ

10.1 प्रस्तावना:

स्वाधीन भारत में हर एक आदमी के लिए काम करने का हक है। वह भारत के किसी भी प्रांत में रह सकता है। देश के हिट और कानून की सीमाओं का उल्लंघन न कराते हुए वह कोई भी काम कर सकता है। लेकिन उसको काम देने का दायित्व सरकार अपने ऊपर नहीं लेती। इसीलिए भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को जीविका का मौलिक अधिकार तो प्राप्त है। लेकिन जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग बेरोजगारी से पीड़ित है। इसके और भी अनेक कारण हैं।

10.2 बेरोजगारी का परिचय (Introduction to Unemployment):

एक भयानक संकट जो किसी भी राष्ट्र के जीवन को प्रभावित कर सकता है वह है बेरोजगारी की समस्या। हमारे देश में बेरोजगारी विश्व के उन्नत देशों से बिल्कुल भिन्न है। सुविकसित देश जैसे यू.एस.ए. और यू.के. प्रायः संघर्ष अथवा चाक्रिक बेरोजगारी से पीड़ित होते हैं, परन्तु भारत में यह एक स्थायी लक्षण है। वास्तव में यह एक बहुपक्षीय परिदृश्य है तथा हाल ही के वर्षों में इसने एक गम्भीर रूप धारण कर लिया है।

इसलिये भारत में बेरोजगारी का स्वरूप बहुत जटिल है। भूतपूर्व राष्ट्रपति वी. वी. गिरी के अनुसार यह एक रूप से यह मानवीय साधनों की घोर व्यर्थता है जो किसी देश के आर्थिक विकास की गति को रोक देती है और इसके लिये अति शीघ्र सुधारक कार्यवाही की आवश्यकता है।

10.3 बेरोजगारी का अर्थ और स्वरूप (Meaning and Nature of Unemployment):

सामान्य रूप से बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति किसी उत्पादक कार्य में लाभप्रद रूप से नियोजित नहीं होता। इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति बेरोजगार है जो मजदूरी के लिये कोई काम ढूँढ रहा है परन्तु अपनी क्षमता के अनुसार कार्य खोजने में असमर्थ है। इस दृष्टिकोण से स्वैच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी का अनुमान लगाया जा सकता है।

स्पष्टतया किसी अर्थव्यवस्था में, कार्यरत जनसंख्या का एक भाग होता है जो किसी लाभप्रद कार्य में रुचि नहीं रखता तथा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो श्रम बाजार में प्रचलित मजदूरी दर से ऊँचे दरों पर कार्य करने में रुचि रखते हैं। केन्ज ने इस किस्म की श्रम-शक्ति को स्वैच्छिक बेरोजगारी कहा है।

उसके मतानुसार, अनैच्छिक बेरोजगारी ऐसी स्थिति से सम्बन्धित है, जिसमें लोग प्रचलित मजदूरी दरों पर कार्य करने को तैयार होते हैं परन्तु उन्हें वह मजदूरी नहीं मिलती। ऐसी स्थिति प्रायः विश्व के पूंजीवादी देशों में विद्यमान होती है।

विकासशील देशों में बेरोजगारी की समस्या दो प्रकार की है अर्थात् अनैच्छिक बेरोजगारी और संघर्षात्मक (Involuntary and Frictional) बेरोजगारी। यह प्रभावपूर्ण माँग के अभाव कारण होती है। अल्प-विकसित देशों में, इसके विपरीत बेरोजगारी लगभग संरचनात्मक होती है। उत्पादन के कारकों का, जाने हुये ज्ञान की सीमाओं के भीतर सदा अल्प नियोजन होता है।

श्रम की माँग कम है तथा कृषि क्षेत्र के पिछड़े होने के कारण रोजगार के अवसरों का अभाव होता है। औद्योगिक क्षेत्र भी पिछड़ा हुआ होता है, पूंजी और निवेश की कमी होती है और सेवा क्षेत्र का आकार सीमित होता है। ऐसी परिस्थितियों में बहुत से लोग प्रचलित मजदूरी दरों पर कार्य स्वीकार करने में खुश होते हैं।

10.4 बेरोजगारी के प्रकार

मुख्य तौर पर, बेरोजगारी अनेक प्रकार की होती है, जैसे: - (i) चाक्रिक, (ii) संघर्षात्मक, (iii) प्रौद्योगिकीय, (iv) मौसमी, (v) संरचनात्मक, (vi) स्वैच्छिक, (vii) अनैच्छिक, (viii) अदृश्य और अस्थायी।

परन्तु अधिकांश, अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी के तीन मुख्य रूप हैं:

- (क) खुली बेरोजगारी,
- (ख) अदृश्य बेरोजगारी,
- (ग) अल्प बेरोजगारी।

- **संरचनात्मक बेरोजगारी** : संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलाव के कारण उत्पन्न होती है।
- **अल्प बेरोजगारी** : अल्प बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें एक श्रमिक जितना समय काम कर सकता है उससे कम समय वह काम करता है। दूसरे शब्दों में, वह एक वर्ष में कुछ महीने या प्रतिदिन कुछ घंटे बेकार रहता है। अल्प बेरोजगारी के दो प्रकार हैं-
 - **दृश्य अल्प रोजगार**: इस स्थिति में, लोगों को सामान्य घंटों से कम घंटे काम मिलता है।
 - **अदृश्य अल्प रोजगार** : इस स्थिति में, लोग पूरा दिन काम करते हैं पर उनकी आय बहुत कम होती है या उनको ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनमें वे अपनी योग्यता का पूरा उपयोग नहीं कर सकते।
- **खुली बेरोजगारी** : उस स्थिति को कहते हैं जिसमें यद्यपि श्रमिक काम करने के लिये उत्सुक है और उसमें काम करने की आवश्यक योग्यता भी है तथापि उसे काम प्राप्त नहीं होता। वह पूरा समय बेकार रहता है। वह पूरी तरह से परिवार के कमाने वाले सदस्यों पर आश्रित होता है। ऐसी बेरोजगारी प्रायः कृषि-श्रमिकों, शिक्षित व्यक्तियों तथा उन लोगों में पायी जाती है जो गावों से शहरी हिस्सों में काम की तलाश में आते हैं पर उन को कोई काम नहीं मिलता। यह बेरोजगारी का नग्न रूप है।
- **मौसमी बेरोजगारी**: इसका अर्थ एक व्यक्ति को वर्ष के केवल मौसमी महीनों में काम प्राप्त होता है। भारत में कृषि क्षेत्र में यह आम बात है। इधर बुआई तथा कटाई के मौसमों में अधिक लोगों को काम मिल जाता है किन्तु शेष वर्ष वे बेकार रहते हैं। एक अनुमान के अनुसार, यदि कोई किसान वर्ष में केवल एक ही फसल की बुआई करता है तो वह कुछ महीने तक बेकार रहता है। इस स्थिति को मौसमी बेरोजगारी माना जाता है।
- **चक्रीय बेरोजगारी** : ऐसी बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था में चक्रीय ऊंच नीच आती है। तेजी, आर्थिक सुस्ती, आर्थिक मंदी तथा पुनरुत्थान चार अवस्थाएं या चक्र हैं जो एक पूंजीवादी

अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। आर्थिक तेजी की अवस्था में आर्थिक क्रिया उच्च स्तर पर होती है तथा रोजगार का स्तर भी बहुत ऊंचा होता है। जब अर्थव्यवस्था में कुल जरूरत के घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है।

- **छिपी बेरोजगारी :** छिपी बेरोजगारी से पीड़ित व्यक्ति वह होता है जो ऐसे दिखाई देता है जैसे कि वह काम में लगा हुआ है, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता।

जैसे कि किसी काम के लिए दस लोगों की आवश्यकता है परन्तु उससे ज्यादा होते हैं ऐसे अवसर में यह होता है।

(क) खुली बेरोजगारी :

इस श्रेणी के अन्तर्गत, बेरोजगारी ऐसी स्थिति के सन्दर्भ में होती है जहां श्रम शक्ति के बड़े भाग को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त नहीं होते जहां नियमित आय प्राप्त हो। एक प्रकार से श्रमिक काम करने को तैयार होते हैं तथा काम करने के योग्य होते हैं परन्तु इस प्रकार की बेरोजगारी पूरक साधनों विशेषतया पूंजी के अभाव का परिणाम होती है।

पूंजी निर्माण की दर जनसंख्या वृद्धि दर से पीछे छूट जाती है। भारी संख्या में सुरक्षित श्रम होता है जिसे कार्य नहीं मिलता। मिसेज जॉन राबिन्सन उन्हें "माक्सवादी बेरोजगारी" कहती हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी के रूप में पहचाना जाता है।

(ख) अदृश्य बेरोजगारी :

अदृश्य बेरोजगारी मुख्यतः भारत जैसे कृषि प्रधान अल्प-विकसित देशों से सम्बन्धित होती है। फिर भी, यह औद्योगिक रूप में विकसित देशों में भी पायी जाती है जो चाक्रिक बेरोजगारी से पीड़ित होते हैं। तथापि इसका अर्थ है बेरोजगार जो प्रत्येक व्यक्ति के लिये खुला नहीं तथा छिपा रहता है।

वास्तव में, ऐसा रोजगार एक कार्य को आपस में बांटने वाला उपकरण है अर्थात् विद्यमान कार्य को अनेक श्रमिकों में बाटा जाता है। ऐसी स्थिति में, यदि बहुत से श्रमिकों को निकाल भी लिया जाता है तो वह कार्य कुछ श्रमिकों के साथ जारी रखा जा सकता है। ऐसे श्रमिकों का उत्पादन में योगदान शून्य तो या शून्य के समीप ही होता है। भारतीय गावों में, बेरोजगारी का यह रूप, एक सामान्य सा लक्षण है।

(ग) अल्प रोजगारी (Under-Employment):

इस प्रकार के रोजगार को दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है:

- (क) ऐसी स्थिति जिसमें श्रमिक को उचित कार्यों के अभाव में वह कार्य नहीं मिलता जिसके योग्य वह होता है।
- (ख) क्योंकि श्रमिक को पूरे दिन का कार्य नहीं मिलता, कभी-कभी बेरोजगारी का दूसरा रूप मौसमी बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है।

अल्प रोजगार के पहले रूप को एक उदाहरण की सहायता से व्याख्या की जा सकती है। कल्पना करें कि एक डिग्री प्राप्त इंजीनियर एक उचित कार्य चाहता है, वह एक संचालक के रूप में कार्य करता है तथा उसे अल्प-रोजगार की स्थिति में कहा जा सकता है। उसे उत्पादक गतिविधि में क्रियाशील तथा कमाई करता हुआ माना जा सकता है। परन्तु वास्तव में, वह अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रहा होता। अतः उसे अल्प रोजगार की स्थिति में कहा जा सकता है। अल्प-रोजगार वह अवस्था है जिसमें एक श्रमिक को जितने समय काम करना चाहिए उससे कम समय काम मिलता है अर्थात् उसे वर्ष में कुछ महीनों या प्रत्येक दिन कुछ घंटे बेकार रहना पड़ता है। भारत में अल्प विकास और बेरोजगारी का भयंकर स्वरूप पिछड़ी हुई कृषि के कारण है जिससे कार्यों की प्रकृति भी पिछड़ जाती है। कृषि की विधियां अथवा तकनीकें और संगठन आरम्भिक है तथा पुराने हो चुके हैं। फलतः कृषि की उत्पादकता प्रति श्रमिक अथवा श्रम की प्रति इकाई के पीछे कम है।

2.5 बेरोजगारी के वर्गीकरण :

सुविधा के लिये हम बेरोजगारी को निम्नलिखित अनुसार वर्गीकृत करेंगे:

(क) ग्रामीण बेरोजगारी अथवा अदृश्य बेरोजगारी (Rural Unemployment or Disguised Unemployment)

(ख) औद्योगिक बेरोजगारी (Industrial Unemployment or Urban Unemployment)

(ग) शिक्षित लोगों की बेरोजगारी अथवा सफेदपोश लोगों की बेरोजगारी (Educated Unemployment or White Collar Unemployment)

(क) ग्रामीण अथवा अदृश्य बेरोजगारी:

ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी और अल्प-रोजगार साथ-साथ विद्यमान होते हैं तथा दोनों में अन्तर करना कठिन होता है। शहरी क्षेत्रों में यह दीर्घकालिक अदृश्य बेरोजगारी के अतिरिक्त मौसमी तथा बारहमासी रूप में दिखाई देती है। यह भूमि पर बढ़ते हुये भारी दबाव, दस्तकारी और ग्रामीण कुटीर उद्योगों में गिरावट, कृषि के पिछड़ेपन और वैकल्पिक व्यस्ताओं की अनुपस्थिति के कारण।

इसने बड़े स्तर पर उपयुक्त श्रम तथा कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी की समस्या में योगदान किया है। हाल ही के वर्षों में, कृषि में मशीनों के प्रयोग ने बेरोजगार श्रमिकों की संख्या में और भी वृद्धि कर दी है।

(ख) औद्योगिक अथवा शहरी बेरोजगारी:

औद्योगिक बेरोजगारी मुख्यतः ग्रामीण बेरोजगारी की एक है। भूमि पर जनसंख्या के बढ़ते हुये दबाव के कारण, गांवों से जनसंख्या का एक बड़ा भाग नौकरी में शहरों में आ बसता है। ये लोग अशिक्षित तथा

अप्रशिक्षित होते हैं। इस प्रकार के प्रवास से शहरों में श्रम शक्ति का आकार बढ़ जाना है जिसे बेरोजगारी श्रमिकों की फौज की संख्या और भी बढ़ जाती है।

(ग) शिक्षित लोगों की बेरोजगारी अथवा सफेदपोश बेरोजगारी:

शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की अधिक सुविधाओं के कारण एक विशेष श्रेणी उत्पन्न होती है और इस शिक्षित श्रेणी में बेरोजगारी की दर अशिक्षित में बेरोजगारी की दर से अधिक होता है। यह , कदाचित, इस कारण भी है कि तृतीयक क्षेत्र उतनी तीव्रता से नहीं बढ़ पाता जितनी तीव्रता से शहरी क्षेत्रों में लोगों को शिक्षा प्राप्त होती है। शैक्षिक प्रणाली न केवल पुरानी हो चुकी है बल्कि कुनियोजन का शिकार भी है जो राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है।

10.6 बेरोजगारी के प्रभाव (Effects of Unemployment):

1. मानवीय साधनों की हानि (Loss of Human Resources):

बेरोजगारी की समस्या के कारण मानवीय साधनों की हानि होती है। श्रमिकों का अधिकतम समय रोजगार की खोज में नष्ट होता है।

2. निर्धनता में वृद्धि (Increase of Poverty):

बेरोजगारी व्यक्ति को आय के स्रोतों से वंचित कर देती है। फलतः वह निर्धन हो जाता है। इसलिये बेरोजगारी निर्धनता को जन्म देती है।

3. सामाजिक समस्याएं (Social Problem):

बेरोजगारी से अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं जिसमें बेईमानी , जुएबाजी, रिश्वतखोरी, चोरी आदि सम्मिलित हैं। बेरोजगारी के परिणामस्वरूप सामाजिक सुरक्षा की हानि होती है।

4. राजनैतिक अस्थिरता (Political Instability):

बेरोजगारी किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देती है। बेरोजगार व्यक्तियों को समाज विरोधी तत्व सरलता से गुमराह कर सकते हैं। उनका प्रजातान्त्रिक मूल्यों तथा शांतिपूर्ण साधनों से विश्वास उठ जाता है। वह ऐसी सरकार को व्यर्थ समझते हैं जो उन्हें राय देने में असफल है।

हम मजदूरी की विपरीत स्थितियों में कार्य करते हैं जिससे उनकी दक्षता प्रभावित होती है। संक्षेप में बेरोजगारी, आर्थिक शोषण, सामाजिक अव्यवस्था तथा राजनैतिक अस्थिरता का फल है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि वह बेरोजगारी को कम करने का प्रयास जुटाये एवं अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराये।

5. श्रम का शोषण (Exploitation of Labour):

बेरोजगारी की स्थिति में, श्रमिकों का अधिकतम सम्भव शोषण है। जिन श्रमिकों को कार्य मिल जाता है वह कमःखर्च से कार्य करते हैं। इस से श्रम का शोषण करते हैं। रोजगार शोषण या श्रम शोषण उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहां एक कर्मचारी, या तो स्वेच्छा से या किसी प्रकार के दबाव के माध्यम से, खराब परिस्थितियों में काम कर रहा है या काम पूरा होने के लिए उनकी मजदूरी रोकी जा रही है।

10.7 बेकारी की समस्या अथवा बेरोजगारी : समस्या एवं समाधान पर निबंध।

वर्तमान युग में सामाजिक अवलोकन एवं उसका मूल्यांकन प्रायः आर्थिक आधार पर किया जाने लगा है। आज मनुष्य आत्मसुख तभी प्राप्त कर सकता है जब वह आर्थिक रूप से स्वयं को समर्थ महसूस करता है। आर्थिक विपन्नता की स्थिति में दया, धर्म और परोपकार जैसे गुण उसे महत्वहीन लगने लगते हैं। हर तरफ जुलूस के नारों में 'शिक्षा को रोजगार से जोड़ो', 'बेरोजगारी भत्ता दो', 'हर पेट को रोटी, हर हाथ को काम दो' आदि में गूँजते ये स्वर हमें बेरोजगारी की समस्या पर पुनर्चिंतन को विवश करते हैं।

देश में बेकारी की समस्या के मूल कारणों पर यदि हम दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि आर्थिक संपन्नता के लिए व्यवसाय एवं उद्योग के अतिरिक्त प्रायः लोग अन्य आर्थिक स्रोत के रूप में नौकरी को विशेष महत्व देते हैं। अतएव शिक्षित, अर्धशिक्षित व उच्चशिक्षित सभी वर्ग के लोग नौकरी की ही ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। फलस्वरूप नौकरी की समस्या हमारे लिए राष्ट्रीय स्तर की समस्या बन चुकी है।

राष्ट्र के सम्मुख बेरोजगारी की इस विकराल समस्या का प्रमुख कारण हमारे देश की शिक्षा प्रणाली रही है। किसी भी देश की शिक्षा उसके मानसिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक विकास व समृद्धि का आधार होती है परंतु आजादी के पाँच दशकों के पश्चात् भी हमारी शिक्षा प्रणाली में विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। इसका आधार प्रयोगात्मक न होने के कारण यह देश के नवयुवकों को स्वावलंबी बनाने तथा उनमें आत्मविश्वास कायम करने में पूर्णतया असफल रही है।

हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि ने बेरोजगारी की समस्या को और भी अधिक जटिल बना दिया है। देश में उपलब्ध संसाधनों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि का अनुपात कहीं अधिक है। यदि जनसंख्या को नियंत्रित रखा गया होता तो बेकारी की समस्या इतनी तीव्रता से न उठ खड़ी होती।

आज के कंप्यूटर युग में प्रायः सभी प्रमुख कारखानों, मिलों व दफ्तरों का कंप्यूटरीकरण हो रहा है। इसके अतिरिक्त नए अनुसंधानों के चलते स्वचालित मशीनों की भरमार हो रही है जिससे कर्मचारियों की आवश्यकता कम होती जा रही है। लघु एवं कुटीर उद्योग कंप्यूटरीकृत एवं स्वचालित मशीनों के कारण

विशेषरूप से प्रभावित हुए हैं। हालाँकि हमारी सरकार समय-समय पर विभिन्न नवीन योजनाओं के माध्यम से संतुलन बनाने का प्रयास करती रही है फिर भी उसके अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं।

धर्मांधता, सामाजिक कुरीतियाँ आदि भी देश में बेरोजगारी की समस्या को परोक्ष रूप से बढ़ा देती हैं। आज अनगिनत लोग जाति, धर्म, झूठी शान एवं पारिवारिक परंपराओं के चलते विकास की प्रमुख धारा में जुड़ने से वंचित हैं। उनका पुरातन के प्रति मोह स्वयं उनके एवं देश के विकास के लिए बाधक सिद्ध हो रहा है।

इसके अतिरिक्त विश्व स्तर पर भी मनुष्य के सामूहिक जीवन स्तर में सुधार हुआ है। भारतीय जनमानस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला है जिसके फलस्वरूप लोगों में उच्चस्तरीय जीवन-यापन की आकांक्षा बढ़ी है। रोजगार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा इसी की देन है।

बेरोजगारी के अनेकों दुष्परिणाम होते हैं। लंबे समय से रोजगार की तलाश में लगा व्यक्ति जब असफल होता है तो उसमें निराशा व कुंठा घर कर जाती है। उसकी स्वावलंबन क्षमता क्षीण होती जाती है जिसके परिणामस्वरूप उनमें आक्रोश, अनुशासनहीनता, अनैतिकता का समावेश होता है। देश भर में बढ़ती हिंसा, चोरी, डकैती, तस्करी, अपहरण, बालात्कार व हत्याओं आदि के लिए बेरोजगारी ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्तरदायी है।

अतः बेरोजगारी जैसी राष्ट्रीय समस्या को दूर करने हेतु सभी स्तरों से प्रयास होना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में ऐसी शिक्षा-प्रणाली लागू हो, जिसका आधार प्रायोगिक हो। युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन मिले जिसके लिए उन्हें आवश्यक तकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। लघु एवं कुटीर उद्योग को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा नई योजनाएँ प्रस्तुत की जानी चाहिए। हड़ताल, तालाबंदी तथा स्वार्थपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।

हमारे देश की सरकार बेकारी की इस राष्ट्रीय समस्या से भली-भाँति अवगत है। समय-समय पर देश से बेरोजगारी दूर करने हेतु अनेक कार्यक्रम घोषित किए गए हैं परंतु हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी है। यह समस्या स्वयं में विकराल है जब तक इसे रोकने हेतु सामूहिक प्रयास नहीं होंगे तब तक इसे जड़ से उखाड़ फेंकना संभव नहीं होगा। यह केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व नहीं है अपितु व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर भी नवचेतना का संचार करना एवं सकारात्मक प्रयास करना आवश्यक है।

10.8 सारांश :

श्रम की माँग कम है तथा कृषि क्षेत्र के पिछड़े होने के कारण रोजगार के अवसरों का अभाव होता है। औद्योगिक क्षेत्र भी पिछड़ा हुआ होता है, पूँजी और निवेश की कमी होती है और सेवा क्षेत्र का आकार सीमित होता है। ऐसी परिस्थितियों में बहुत से लोग प्रचलित मजदूरी दरों पर कार्य स्वीकार करने में खुश होते हैं।

बेरोजगारी के अनेकों दुष्परिणाम होते हैं। लंबे समय से रोजगार की तलाश में लगा व्यक्ति जब असफल होता है तो उसमें निराशा व कुंठा घर कर जाती है। उसकी स्वावलंबन क्षमता क्षीण होती जाती है जिसके परिणामस्वरूप उनमें आक्रोश, अनुशासनहीनता, अनैतिकता का समावेश होता है। देश भर में बढ़ती हिंसा, चोरी, डकैती, तस्करी, अपहरण, बालात्कार व हत्याओं आदि के लिए बेरोजगारी ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्तरदायी है।

अतः बेरोजगारी जैसी राष्ट्रीय समस्या को दूर करने हेतु सभी स्तरों से प्रयास होना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में ऐसी शिक्षा-प्रणाली लागू हो, जिसका आधार प्रायोगिक हो। युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन मिले जिसके लिए उन्हें आवश्यक तकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। लघु एवं कुटीर उद्योग को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा नई योजनाएँ प्रस्तुत की जानी चाहिए। हड़ताल, तालाबंदी तथा स्वार्थपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।

हमारे देश की सरकार बेकारी की इस राष्ट्रीय समस्या से भली-भाँति अवगत है। समय-समय पर देश से बेरोजगारी दूर करने हेतु अनेक कार्यक्रम घोषित किए गए हैं परंतु हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी है। यह समस्या स्वयं में विकराल है जब तक इसे रोकने हेतु सामूहिक प्रयास नहीं होंगे तब तक इसे जड़ से उखाड़ फेंकना संभव नहीं होगा। यह केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व नहीं है अपितु व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर भी नवचेतना का संचार करना एवं सकारात्मक प्रयास करना आवश्यक है।

10.9 बोध प्रश्न :

1. बेकारी की समस्या के बारे में एक निबंध लिखिए।
2. भारत जैसे राष्ट्र में बेकारी की समस्या किस प्रकार की बधाएँ उत्पन्न कर पाते हैं ?
3. बेरोजगार के बारे में बताते हुए उसके निवारण के कुछ उपयों को सूचित कीजिए।

10.10 सहायक ग्रन्थ :

1. आधुनिक हिन्दी निबन्ध –
2. निबन्ध माला -
3. निबन्ध मंजूषा –
4. निबन्ध महासागर – पी . के. अग्रवाल
5. समसामयक – डॉ . देवव्रत

- षेक. बाजी

पाठ-11

कंप्यूटर

उद्देश्य :

इस इकाई के अंतर्गत हम निम्न दिए गये अंशों को समझ सकेंगे।

1. कंप्यूटर के बारे में जान पायेंगे।
2. कंप्यूटर के इतिहास व प्रकार के बारे में जान पायेंगे।
3. हमारे (मानव) जीवन में कंप्यूटर के महत्व के बारे में जान सकेंगे।
4. कंप्यूटर से लाभ और नुकसान आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

इकाई की रूप रेखा :

- 11.1 प्रस्तावना
- 11.2 कंप्यूटर का अर्थ व परिभाषा
- 11.3 कंप्यूटर के उपकरण
- 11.4 कंप्यूटर का इतिहास एवं विकास
- 11.5 कंप्यूटर के प्रकार
- 11.6 कंप्यूटर के लाभ
- 11.7 कंप्यूटर के नुकसान
- 11.8 सारांश
- 11.9 बोध प्रश्न
- 11.10 सहायक ग्रन्थ

11.1 प्रस्तावना :

आज के समय में हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। आज कंप्यूटर के बगैर कोई भी कार्य संभव नहीं है। ऐसे में कंप्यूटर का इतिहास और उसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि कैसे यह हमारे जीवन पर अपना प्रभाव छोड़ रहा है कैसे यह हमारे जीवन के रोजमर्रा के कार्यों में हमारी मदद कर रहा है और ऐसा क्या है कंप्यूटर में जिसकी वजह से वह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है।

11.2 कंप्यूटर का अर्थ व परिभाषा :

कंप्यूटर एक मशीन है जो कि हमारे लिए कैलकुलेशन करने का काम करती है लेकिन जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तब कंप्यूटर देखने में ऐसा नहीं था उसका स्वरूप कुछ अलग था , मानव के

लिए गणना करना शुरू से ही कठिन रहा है मनुष्य बिना किसी मशीन के एक सीमित स्तर तक ही गणना या कैलकुलेशन कर सकता है ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए मनुष्य को मशीन पर ही निर्भर रहना पड़ता है इसी जरूरत को पूरा करने के लिए मनुष्य ने कंप्यूटर का निर्माण किया।

कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसे हिन्दी में संगणक कहा जाता है। वैसे तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट (Compute) शब्द से हुई है जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। जिसका अर्थ होता है गणना करना और इस के जनक चार्ल्स बैबेज है जिनका जन्म लंदन में हुआ था। वे एक गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कार और यांत्रिक इंजीनियर थे। अतः कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्धारित आँकड़ों (इनपुट) पर दिए गए निर्देशों की शृंखला (प्रोग्राम) के अनुसार विशेषीकृत प्रक्रिया (प्रोसेस) करके अपेक्षित सूचना या परिणाम (आउटपुट) प्रस्तुत करती है। अर्थात् यह एक मशीन होने के कारण वह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती है। दिए गए निर्देश के निर्देश के अनुसार ही कार्य करती है।

11.3 कंप्यूटर के उपकरण :

कंप्यूटर ठीक प्रकार से कार्य करने के लिये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। अगर सीधी भाषा में कहा जाये तो यह दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेकार है और बिना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेकार है। हार्डवेयर में कंप्यूटर के वे समस्त भाग शामिल होते हैं जो दिखाई देते हैं या जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं। जैसे इनपुट उपकरण, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट उपकरण, सेकेंडरी स्टोरेज उपकरण होते हैं। वहीं सॉफ्टवेयर निर्देशों की वह शृंखला है जो हार्डवेयर को एक निर्धारित क्रम में विशेष कार्य करने के लिए सक्रिय करती है। सॉफ्टवेयर के इन निर्देशों को प्रोग्राम भी कहा जाता है। इस के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज आदि होते हैं।

1. हार्डवेयर उपकरण :

इनपुट उपकरण : इनपुट उपकरण में वे उपकरण शामिल होते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं कि उसे कैसे और क्या काम करना है। इन उपकरणों में कुंजीपटल, माउस, जॉय स्टिक, स्कैनर, माइक, कैमरा आदि होते हैं।

आउटपुट उपकरण : आउटपुट उपकरण उन उपकरणों को कहा जाता है जो दिए गए काम का स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत होता है। जैसे इसके अंतर्गत मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि।

प्रोसेसिंग यूनिट: प्रोसेसिंग यूनिट अर्थमेटिका लॉजिक (ALU) और कंट्रोल यूनिट (CU) से मिलकर बनती है जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। इस यूनिट में प्रयोक्ता (User) के द्वारा दिए गए निर्देशों का संसाधन करती है और अपेक्षित परिणाम प्रदर्शित करती है।

सेकेंडरी स्टोरेज उपकरण : सेकेंडरी स्टोरेज उपकरण उन्हें कहा जाता है जिनमें हम अपने डाटा को कंप्यूटर के अतिरिक्त दूसरे उपकरणों के अंतर्गत निक्षिप्त करते हैं। जैसे फ्लॉपी डिस्क , हार्ड डिस्क, कंपैक्ट डिस्क और पेन डाइव आदि इस उपकरण की श्रेणी में आते हैं।

2. सॉफ्टवेयर उपकरण :

ऑपरेटिंग सिस्टम: ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को सक्रिय करता है और कंप्यूटर के सभी संसाधनों का प्रबंधन एवं नियंत्रण करता है। जैसे DOS, Windows, Linux, Unix इसके अंतर्गत आते हैं।

एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर : इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग प्रयोक्ता (User) स्वयं प्रत्यक्ष रूप से करता है। यह सॉफ्टवेयर सामान्य क्रिया-प्रक्रिया संबंधी टूल से युक्त एक ऐसे प्रोग्राम का समूह होता है जो विशेष प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। जैसे Microsoft Word, Word star आदि।

यूटिलिटी सॉफ्टवेयर : अन्य सॉफ्टवेयरों की गुणवत्ता मापने, वायरस को हटाने, खोये हुए दस्तावेजों को ढूँढने के लिए इस सॉफ्टवेयर का इस्तमल किया जाता है। जैसे एंटी वायरस , पी.सी.टूल्स आदि सॉफ्टवेयर इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

लैंग्वेज: कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की भाषा को ही समझ सकता है। जिसे मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा कहते हैं। कंप्यूटर इस बाइनरी भाषा में लिखे गए अनुदेशों के अनुसार कार्य करता है परंतु इस कोड में लिखे गए अनुदेशों को पढ़ना एक जटिल प्रक्रिया है। इसी जटिल प्रक्रिया को मशीनी कोड में बदलने वाला प्रोग्रामिंग ही लैंग्वेज कहलाता है। जैसे बेसिक, पास्कल आदि।

11.4 कंप्यूटर का इतिहास एवं विकास :

कंप्यूटर का आविष्कार आज से दो हजार वर्ष पूर्व हुआ था। तब कंप्यूटर की शुरुआत अबेकस के रूप में हुई थी। अबेकस लकड़ी का बना एक रैक होता है जिसमें दो तार लगे होते हैं। दोनों तार एक - दूसरे के समानांतर में स्थित होते हैं। तार के ऊपर मणिका आकार का वस्तु लगा होता था। उस मणिका को घुमाकर गणित के किसी आसान प्रश्नों का हल प्राप्त किया जाता था। दूसरे, वहाँ पर एस्ट्रोबेल लगा होता था जिसका उपयोग उसे आपस में जोड़ने में किया जाता था।

पहले डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार ब्लेज पास्कल द्वारा 1642 ई. में किया गया। इसमें नंबर लगा होता था जिसे डायल करना पड़ता था। लेकिन यह केवल जोड़ने का ही कार्य कर सकता था। तथापि 1671 ई. में एक

कंप्यूटर का आविष्कार किया गया जो अंततः 1694 में जाकर तैयार हुआ। इस आविष्कार का श्रेय गॉटफ्राइड वीलहेम वॉन लीबनिज (Gottfried Wilhelm von Leibniz) को जाता है।

17वीं शताब्दी के दौरान ब्लेज पास्कल फ्रांस में गणितज्ञ व भौतिक-शास्त्री हुआ करते थे। उन्होंने mechanical Digital Calculator का विकास सन् 1642 ई. में किया। इस मशीन को ऐडिंग मशीन कहते थे। क्योंकि यह मशीन केवल जोड़ या घटा कर सकती थी। यह मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांतों पर कार्य करती थी। इस मशीन में 10 दांतों वाली रेचेट गियर का प्रयोग किया गया। पहले इकाई वाले रेचेट गियर का दस अंकों का एक चक्र पूरा हो जाने पर दहाई वाले रेचेट गियर का एक दांत आगे बढ़ता था। इस प्रकार दहाई वाले रेचेट गियर का दस दांतों का एक चक्र पूरा होने पर सैकेण्ड वाले रेचेट गियर का एक दांत आगे बढ़ता था। ये रेचेट गियर हाथ से घुमाये जाने वाले पहियों की सहायता से चलाये जाते थे। ब्लेज पास्कल की ऐडिंग मशीन (Adding Machine) को पास्कलाइन (Pascaline) कहते हैं , जो सबसे पहली Mechanical Calculating Machine थी।

कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर चार्ल्स बैबेज ने एक Mechanical Calculating मशीन विकसित करने की आवश्यकता तब महसूस की जब गणना के लिये बनी हुई सारिणियों में त्रुटि (Error) आने लगी। ये सारिणियां मानव द्वारा ही बनायी गयी थीं इसलिए इनमें त्रुटि आ सकती थी।

चार्ल्स बैबेज ने सन् 1822 में एक मशीन का निर्माण किया जिसका नाम उन्होंने “डिफरेंस इंजिन” रखा। डिफरेंस इंजिन की सफलता से प्रेरित होकर चार्ल्स बैबेज ने एक ऐसे कैल्कुलेटिंग डिवाइस (Calculating Device) की परिकल्पना की , जिसमें उसकी एक कृत्रिम स्मृति (Artificial Memory) हो एवं दिये गये प्रोग्राम के अनुसार कैल्कुलेशन करे। इस डिवाइस को उन्होंने बैबेज एनालिटिकल इंजिन नाम दिया।

चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजिन की परिकल्पना के लगभग 50 वर्ष बाद अमेरिका के वैज्ञानिक हर्मन होलेरिथ (Herman Hollerith) ने इलैक्ट्रिकल टेबुलेटिंग मशीन की परिकल्पना को साकार किया। इस मशीन की सहायता से जनगणना कार्य किया जाता था। सन् 1886 में होलेरिथ ने इन मशीनों के व्यापार के लिए “टेबुलेटिंग मशीन कंपनी ” नामक एक कंपनी बनायी। सन् 1911 तक इस कंपनी में कई और कंपनियाँ जुड़ गयीं। इन सभी कंपनियों के समूह को एक नाम दिया गया “कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्ड कंपनी”। सन् 1924 में इस कंपनी को नया नाम “IBM Corporation” (International Business Machine Corporation) रखा गया। आई.बी.एम के चार इंजीनियरों व डॉ. हावर्ड आईकेन सन् 1944 में एक मशीन को विकसित किया और इसका नाम ऑटोमेटिक सिक्वेन्स कंट्रोल्ड कैल्कुलेटर (Automatic Sequence Controlled Calculator) रखा। बाद में इस मशीन का नाम बदलकर मार्क-1 रखा गया। यह विश्व का पहला Electro Mechanical Computer था। इस कंप्यूटर की सहायता से सभी तरह की अंक-गणितीय गणनाएं की जा सकती थी। सन्

1945 में एटानासोफ (Atanasoff) ने एक इलैक्ट्रॉनिक मशीन को विकसित किया, जिसका नाम ए.बी.सी (A.B.C) रखा गया। ABC, Atanasoff Berry Computer का संक्षिप्त रूप है। ABC सबसे पहला इलैक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था।

सन् 1945 के बाद कंप्यूटर के इतिहास में एवं उस के विकास में एक नया बदलाव देखने को मिलता है। इस विकास का अध्ययन करने के लिए विध्वानो ने इसे पाँच पीढ़ियों में विभाजित किया है।

प्रथम पीढ़ी – (First Generation)

इस पीढ़ी की समय सीमा 1946 से 1956 तक माना गया जिसे तकनीकी भाषा में वैक्यूम ट्यूब कहा गया। वैक्यूम ट्यूब के आविष्कार के साथ ही प्रथम संपूर्ण इलैक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया, इसका नाम ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) रखा गया। इस प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। यह साइज में काफी बड़े होते थे और यह जल्दी गर्म हो जाते थे। Input तथा Output के लिए पंचकार्डों का प्रयोग किया गया। इनमें मशीन तथा असेम्बली भाषा का प्रयोग किया गया।

द्वितीय पीढ़ी – (Second Generation)

इस पीढ़ी की समय सीमा 1956 से 1964 तक माना गया जिसे तकनीकी भाषा में ट्रांजिस्टर कहा गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा था। इस नयी तकनीक से कंप्यूटर में एक नये युग की शुरुआत हुई। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में William Shockley द्वारा किया गया था। वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा ट्रांजिस्टर आकार में छोटा होता था तथा लगातार विद्युत के संवहन से कम गर्म होता था। पंचकार्ड के साथ-साथ मैग्नेटिक टेप और डिस्क का भी प्रयोग किया जाने लगा और मैग्नेटिक ड्रम के स्थान पर मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग किया जाने लगा। मशीन भाषा तथा असेम्बली भाषा कि जटिलताओं को दूर करने के लिए सरल एवं उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास किया गया जैसे- FORTRAN, COBOL, SNOBOL, ALGOL आदि।

तृतीय पीढ़ी – (Third Generation)

सन् 1964 से सन् 1970 तक के कंप्यूटर्स को तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स की श्रेणी में रखा गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर के स्थान पर एकीकृत परिपथ (Integrated Circuits) का प्रयोग किया गया था। एक I.C. (Integrated Circuits) में ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर तीनों को समाहित किया गया था जिसे सेमी कंडक्टर कह गाया। इस एकीकृत परिपथ I.C ने कंप्यूटर की क्षमता और गति में बढ़ोत्तरी कर दी। पंच कार्ड और प्रिंटआउट की जगह उपयोगकर्ताओं को मॉनिटर और की-बोर्ड से परिचित कराया गया। साथ ही, एक ऑपरेटिंग सिस्टम से भी वह मुखातिब हुए। इससे एक ही समय एक केन्द्रीय कार्यक्रम (सेंट्रल प्रोग्राम) के

साथ कई सारे अलग-अलग अनुप्रयोग (एप्लिकेशन) लायक उपकरण बन सके। इस की भाषा में एक नयी उच्च स्तरीय भाषा का विकास हुआ जिसका नाम BASIC रखा गया। यह सीखने में काफी सरल थी और कंप्यूटर्स के कार्य को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया।

चतुर्थ पीढ़ी – (Fourth Generation)

सन् 1970 से लेकर 1985 तक के कंप्यूटर्स को चतुर्थ पीढ़ी में रखा गया जिसे तकनीकी भाषा में माइक्रो प्रॉसेसर कहा गया। माइक्रो प्रॉसेसर के साथ ही चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर अस्तित्व में आये , जिसमें हजारों एकीकृत परिपथों (इंटीग्रेटेड सर्किट) को एक सिलिकॉन चिप में बनाया गया जिसे VLSI (Very Large Scale Integration) कहा गया। इस चिप के निर्माण से पूरी Controle Processing Unit एक ही चिप पर आ पाना संभव हो गया। जहाँ पहली पीढ़ी के कंप्यूटर पूरे कमरे की जगह लेते थे , अब कंप्यूटर हथेली में समा सकते थे। क्योंकि यह चिप अंगुली के नाखून के आकार की थी। सन् 1970 में तैयार किये गये इस चिप का नाम Intel 4004 था और इस छोटे से चिप को माइक्रोप्रोसेसर कहा गया तथा जिन कंप्यूटर्स में माइक्रोप्रोसेसर का प्रयोग किया गया उन्हें माइक्रो-कंप्यूटर कहा गया।

पंचम पीढ़ी (Fifth Generation)

सन् 1985 से अब तक के कंप्यूटर्स को पांचवी पीढ़ी में रखा गया है। इन कंप्यूटर्स में अद्भुत चीजों का समाहित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास पर जोर दिया जा रहा है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स अभी भी विकास-शील स्थिति में हैं इन पर अभी काफी विकास कार्य होना बाकी है। फिर भी इन कंप्यूटर्स को यूजर की जरूरत के अनुसार कंप्यूटर की संरचना को तैयार किया जा रहा है। आजकल विभिन्न आकारों में कंप्यूटर्स उपलब्ध हैं जैसे – डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट आदि। इस पीढ़ी में एक ओर मल्टीमीडिया का बहुत विकास हुआ है तो वही दूसरी ओर इंटरनेट का अधिक मात्रा में उपयोग भी बढ़ा रहा है।

11.5 कंप्यूटर के प्रकार :

कम्प्यूटर अपनी कार्य-क्षमता , उद्देश्य तथा रूप-आकार के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं । कम्प्यूटर को निम्नलिखित तीन आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है-

1. अनुप्रयोग (Application)
2. उद्देश्य (Purpose)
3. आकार (Size)

1. अनुप्रयोग (Application)

अनुप्रयोगों के आधार पर कम्प्यूटर तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

1) एनालॉग कम्प्यूटर (Analog Computer)

2) डिजिटल कम्प्यूटर (Digital Computer)

3) हाइब्रिड कम्प्यूटर (Hybrid Computer)

अ) एनालॉग कम्प्यूटर (Analog Computer)

भौतिक मात्राओं की गणना करने के लिए जिस कम्प्यूटर का उपयोग किया जाता है उन्हें एनालॉग कम्प्यूटर कहा जाता है। तापमान, ऊँचाई, लम्बाई, इत्यादि को मापकर उनके परिमाण को अंकों में व्यक्त करने के लिए इन कम्प्यूटरों का उपयोग किया जाता है। जैसे:- थर्मामीटर आदि। एनालॉग कम्प्यूटर को मुख्य रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भौतिक मात्राओं का मापन अधिक होता है।

आ) डिजिटल कम्प्यूटर (Digital Computer)

जो कम्प्यूटर अंकों की गणना करता है उन्हें डिजिटल कम्प्यूटर कहा जाता है। डिजिटल कम्प्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम के आधार पर कार्य करता है। बाइनरी नंबर दो अंक 0 और 1 को कहते हैं। आज कल डिजिटल कम्प्यूटर ही काफी प्रचालन में है। इसका उपयोग मुख्य रूप से शिक्षा, मनोरंजन, बैंकिंग, व्यापार इत्यादि में होता है।

इ) हाइब्रिड कम्प्यूटर (Hybrid Computer)

जिनमें एनालॉग कम्प्यूटर और डिजिटल कम्प्यूटर दोनों के गुण होते हैं ऐसे कम्प्यूटर को हाइब्रिड कम्प्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कम्प्यूटर अधिक गुणधर्मों वाले होते हैं। इसका मुख्य रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। किसी का रक्तचाप, धड़कन आदि मापने के लिए हाइब्रिड कम्प्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है।

2. उद्देश्य (Purpose)

उद्देश्य के आधार पर कम्प्यूटर को दो प्रकार में बांटते हैं।

1) सामान्य उद्देश्य कम्प्यूटर

2) विशिष्ट उद्देश्य कम्प्यूटर

अ) सामान्य उद्देश्य कम्प्यूटर :

सामान्य उद्देश्य कम्प्यूटर उन कम्प्यूटर्स को कहा जाता है जिन के द्वारा सामान्य कार्य किए जाते हैं। इस कम्प्यूटर का उपयोग सामान्यतः दुकानों व घरों में किया जाता है। जैसे:- पत्र तैयार करना, दस्तावेज प्रिंट करना आदि। इसके अतिरिक्त इनका प्रयोग विज्ञान, वाणिज्य, इंजीनियरिंग वा शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाता है। इस तरह के कम्प्यूटर्स में सर्वोत्तम उदाहरण है आई.बी.एम.-पी.सी. (I.B.M.-P.C.)।

आ) विशिष्ट उद्देश्य कम्प्यूटर :

विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर उन कम्प्यूटर्स को कहा जाता है जिन के द्वारा विशेष कार्य किया जाता है। सामान्यतः इसका उपयोग मौसम विज्ञान, कृषि विज्ञान, युद्ध व अंतरिक्ष इत्यादि कार्य के लिए किया जाता है।

3. आकार (Size)

आकार के आधार पर कंप्यूटर को मुख्य रूप से चार प्रकार में बाँट सकते हैं।

- 1) माइक्रो कंप्यूटर (Micro Computer)
- 2) मिनी कंप्यूटर (Mini Computer)
- 3) मेनफ्रेम कंप्यूटर (Mainframe Computer)
- 4) सुपर कंप्यूटर (Super Computer)

अ) माइक्रो कंप्यूटर (Micro Computer)

माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रोप्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है इसलिए इस कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। सामान्यतः यह दूसरे कंप्यूटर के तुलना में छोटा होता है जिस कारण से इसे Study Table या Briefcase में रख सकते हैं। इस कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता बड़े कंप्यूटर के समान होती है। किन्तु इस कंप्यूटर का आकार उनकी तुलना में छोटा होता है। इस कंप्यूटर का एक बार में एक ही व्यक्ति उपयोग कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर (PC) कहते हैं तथा यह कंप्यूटर पाँच प्रकार के होता है। जो निम्न प्रकार के हैं

- Desktop Computer
- Laptop Computer
- Pamtop Computer
- Notebook Computer
- Tablet Computer

आ) मिनी कंप्यूटर (Mini Computer)

मिनी कंप्यूटर अनेक प्रकारके कार्य करने (Multiprocessing) व अनेक उपयोक्ता कंप्यूटर (Multiuser Computer) है। यह मध्य आकर के होते हैं। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से कुछ बड़ा , अधिक गति तथा अधिक स्मृति (Memory) वाले होते हैं। इन कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू (CPU) भी हो सकते हैं। ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से अधिक महंगे भी होते हैं। इन कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर (Server Computer) के लिए प्रयोग किया जाता है।

इ) मेनफ्रेम कंप्यूटर (Mainframe Computer)

मेनफ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से भी अधिक क्षमता व गति वाले कंप्यूटर हैं। ये कंप्यूटर आकार में भी बहुत बड़े होते हैं। इन कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर (Server Computer) के लिए प्रयोग किया जाता है। इन कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग ग्राहक (Client) के तौर पर किया जाता है। अधिकांश कम्पनियां अथवा संस्थान, मेनफ्रेम कम्प्यूटर का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए करती हैं- उपभोक्ताओं द्वारा खरीद का ब्यौरा रखना, भुगतानों का ब्यौरा रखना, बिलों को भेजना, रखना, नोटिस (Notice) भेजना, कर्मचारियों के भुगतान करना, कर (Tax) का विकास विस्तृत ब्यौरा रखना आदि।

ई) सुपर कंप्यूटर (Super Computer)

यह एक विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। यह कम्प्यूटर आधुनिक युग का सबसे शक्तिशाली कम्प्यूटर है। इसमें अनेक सी. पी. यू. समान्तर क्रिया को समान्त प्रक्रिया (Parallel Processing) कहते हैं। इनका प्रयोग विशेष कार्य के लिए होता है। सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे तेज और बड़े कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे महंगे होते हैं। विश्व का प्रथम सुपर कम्प्यूटर I.L.L.I.A.C. है तथा भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर 'परम' है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में होता है।

1. बड़ी वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में शोध व खोज करना।
2. अन्तरिक्ष-यात्रा के लिये अन्तरिक्ष-यात्रियों को अन्तरिक्ष में भेजना। मौसम की भविष्यवाणी।
3. उच्च गुणवत्ता की एनीमेशन (Animation) वाले चलचित्र (Movie) का निर्माण।

11.6 कंप्यूटर के लाभ :

कंप्यूटरके कुछ महत्वपूर्ण लाभ होते हैं जो निम्नलिखित हैं-

1. तीव्रता

कंप्यूटरका सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह बेहद तीव्र गति से कार्य करता है। यही मुख्य वजह भी है कि कंप्यूटरका उपयोग बैंकिंग, व्यापार, सरकारी कर्मचारी और चिकित्सा इत्यादि में होता है।

2. त्रुटि रहित कार्य

कंप्यूटरतीव्र गति से कार्य करने के साथ-साथ त्रुटिहीन कार्य करते हैं। इसकी शुद्धता मानव परिणामों से अधिक होती है। यह GIGO (Garbage in Garbage Out) सिद्धांत पर कार्य करता है।

3. कम मेहनत

कंप्यूटरबिना थके, रुके कार्य करता रहता है। यह बोरियत और थकान मुक्त मशीन है। जो कभी शिकायत भी नहीं करता है। इसकी वजह से किसी भी कार्य में मेहनत कम करना पड़ता है।

4. स्वचालित

कंप्यूटरका एक और फायदा है यह कि कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। जिसका मतलब है कि पूर्व निर्धारित निर्देशों के आधार पर स्वयं कार्य करता है।

5. समय की बचत

कंप्यूटर प्रत्येक कार्य बहुत तीव्र गति से करता है। साथ में यह एक स्वचालित मशीन है। इस कारण कंप्यूटर बहुत ज्यादा समय की बचत करता है। इसका निर्माण ही कार्य को जल्दी करने के लिए किया गया था। कंप्यूटर से और भी बहुत फायदे हैं। जिसमें महत्वपूर्ण है कि यह समय की बचत करता है।

6. संचार की सुविधा

कंप्यूटर संचार का सबसे अच्छा माध्यम बन कर उभरा है। कंप्यूटर से किसी भी संसाधन को साक्षात् करने में आसानी और तेजी होती है। कंप्यूटर सभी महत्वपूर्ण फाइल्स को साक्षात् करने की बेहतरीन मशीन है। आज इसकी सहायता से वास्तविक समय संचार (Real Time Communication) करते हैं।

7. मल्टीटास्किंग

कंप्यूटर की शुरुआत गणना करने के लिए हुआ था। लेकिन आज के कंप्यूटर गणना करने के अलावा भी बहुत सारे कार्य करते हैं। यानी यह मशीन बहुउद्देशीय है। जिसका मतलब है कि इसकी सहायता से एक ही समय में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं।

8. प्रकृति के अनुकूल

कंप्यूटर का एक और प्रमुख लाभ यह है कि यह प्रकृति के अनुकूल (Nature Friendly) है। जिसका मतलब है कि यह प्रकृति का नुकसान नहीं करते हैं।

9. मनोरंजन का साधन

आज के समय में कंप्यूटर मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन बन चुका है। इसी कारण कंप्यूटर को लगभग सभी वर्ग और उम्र के व्यक्ति इस्तेमाल कर रहे हैं।

10. शिक्षा का साधन

आज के समय में कंप्यूटर का शिक्षा के प्रति महत्वपूर्ण योगदान है। आज सिर्फ इस एक मशीन से लगभग सभी तरह की डिग्रियाँ हासिल की जा सकती हैं। इसके उपयोग से शिक्षा प्राप्त करना बहुत सरल हो गया है।

11.7 कंप्यूटर के नुकसान (नष्ट) :

कंप्यूटर के इस्तेमाल से जीतने हमें लाभ मिलते हैं उतने ही उससे नुकसान भी होते हैं जो निम्नलिखित हैं :-

1. विवेक का अभाव

कंप्यूटर को कार्य करने के लिए पहले इसे निर्देश देना पड़ता है। यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के आधार पर कार्य करता है। यानी इनमें सोचने और समझने में सक्षम नहीं होती है। इसमें विवेक का अभाव होता है।

2. निर्भरता

आज के समय में कंप्यूटरका यह सबसे प्रमुख नुकसान है। कंप्यूटरलगभग सभी कार्य को करने में सक्षम है। इस कारण सभी लोग इसी की सहायता से अपना कार्य करते हैं। इसकी सहायता से कार्य सटीक और जल्दी तो होता है। लेकिन आज प्रत्येक काम के लिए इसी पर निर्भर हो चुके हैं जो कि गलत है। इसकी वजह से हम अपने कार्य कुशलता में कमी ला रहे हैं।

3. समय की बर्बादी

कंप्यूटरपर समय बर्बाद करने या मनोरंजन करने के लिए बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है। ऐसे में कंप्यूटरका उपयोग गलत तरीके से करने पर समय की बर्बादी हो सकती है।

4. स्वास्थ्य का नकारात्मक प्रभाव

आज के समय में कंप्यूटरके कारण स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। चूंकि कंप्यूटरउपयोग करते वक्त शारीरिक गतिविधियों में कमी हो जाती है। इस कारण बहुत तरह के शारीरिक समस्या होती है। ज्यादा इस्तेमाल करने से सर दर्द और कमर दर्द आम बात है। जिसके कारण लोग अनिद्रा और डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं।

5. आँखों में कमजोरी

कंप्यूटरका उपयोग एक टक करना पड़ता है। जिसके कारण आँखों पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। जिसकी वजह से आँखों की कमजोरी हो सकती है। ऐसी समस्या ज्यादातर दफ्तरों और कार्यालयों में करने वालों के साथ होता है। यहाँ कंप्यूटरपर दिनभर कार्य करना होता है।

6. परिवार व खेल खुद से दूरियाँ :

कंप्यूटरके आने के बाद लोग अपने परिवार से दूरी बनाते जा रहे हैं। खासकर बच्चे अपने माता-पिता से। क्योंकि कंप्यूटरपर शिक्षा से लेकर मनोरंजन तक सभी चीजे मिल जाती है। जिस के कारण बच्चे बाहर मैदानों में खेलने खुदने व शारीरिक श्रम नहीं कर पा रहे हैं।

7. कंप्यूटर वायरस

कंप्यूटरमें वाइरस (Virus)नामक हमलावर देखने को मिलता है। जो हमारे जरूरी पृष्ठों (Files) को नष्ट करते हैं। यह वाइरस (Virus)मानव निर्मित होता है। कभी कभी इस वाइरस से कंप्यूटर का पूरा सॉफ्टवेयर ही नष्ट हो जाता है।

8. साइबर अपराध कंप्यूटरके जरिए हैकिंग (Hacking)जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है। जिससे दूसरो को नुकसान पहुँचाया जाता है और ऑनलाइन लूटपाट किया जाता है। आज के समय रोजाना ऑनलाइन ठगी का शिकार होते हैं। इससे सरकार भी अछूता नहीं है।

9. **बेरोजगारी:** कंप्यूटरका यह एक प्रमुख नुकसान है। जहाँ इसके आने से सभी कार्य सुलभता से हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत इसके आने से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गये हैं। कंप्यूटरधीरे-धीरे सभी क्षेत्रों में अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है। जिसके कारण उन क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ाती जा रही है।

11.8 सारांश :

आज के समय में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की कल्पना बिना कंप्यूटर के नहीं कर सकता , क्योंकि इसने हर जगह अपने पैर पसार लिये हैं और लोग इसके आदि बन चुके हैं। ये हमारे रोजमर्रा के कार्यों को संपन्न करने में हमारी मदद भी कर रहे हैं। कंप्यूटर से हम तेजी से बहुत सारे कामों को पूरा कर पाते हैं और बहुत से खोज भी कंप्यूटर की वजह से ही हो रही हैं। यह हर विद्यार्थी के जीवन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। वो इसका इस्तेमाल प्रोजेक्ट बनाने के लिये , परीक्षा संबंधी नोट्स डाउनलोड करने के लिये , सूचना इकट्ठा करने आदि जैसे कार्यों के लिये बेहद कम समय में कर सकता है। ये विद्यार्थियों के कौशल विकास में बढ़ोत्तरी के साथ ही नौकरी पाने में सहायता करने में भी काफी सहायक होता है।

आने वाली समय में कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का भी इस्तमल किया जा सकता है जिससे कंप्यूटर स्वयं अपनी खुद की एक कृत्रिम सोच को विकसित कर सकती है , फिर भी कंप्यूटर एक मशीन ही होगी जो मनुष्य द्वारा ही संचालित की जाएगी। मनुष्य इस पर पूरी तरह से निर्भर न होकर एक स्तर तक ही निर्भर रहना ही उचित होगा।

11.9 बोध प्रेश्र :

1. आज के आधुनिक युग में कंप्यूटर के महत्व के बारे में बताइए।
2. कंप्यूटर मानव प्रगति की एक सूचिका है – इससे आपका अभिप्राय क्या है।
3. कंप्यूटर के लाभ और हानी क्या हो सकते हैं ?

11.10 सहायक ग्रन्थ :

1. आधुनिक हिन्दी निबन्ध –
2. निबन्ध माला -
3. निबन्ध मंजूषा –
4. निबन्ध महासागर – पी . के. अग्रवाल
5. समसामयक – डॉ . देवव्रत

- डॉ . यस. आनंद

पाठ-12

पर्यावरण और प्रदूषण

उद्देश्य :

पर्यावरण और प्रदूषण मानव जाति से संबंधित एक महत्वपूर्ण अंश है। इस से संबंधित कुछ मुख्य अंशों को इस निबंध में पढ़ेंगे।

1. पर्यावरण का अर्थ तथा प्रदूषण का अर्थ।
2. पर्यावरण में प्रदूषण किस प्रकार फैलती है ?
3. कितने प्रकार के प्रदूषण पर्यावरण को बिगाड़ते हैं ?
4. पर्यावरण को बचाने के लिए प्रदूषण को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं ? आदि के बारे में इस इकाई में पढ़ेंगे।

इकाई की रूप रेखा :

12.1 प्रस्तावना

12.2 पर्यावरण और प्रदूषण का अर्थ

12.3 पर्यावरण और प्रदूषण के प्रकार

12.3.1 वायु प्रदूषण

12.3.2 जल प्रदूषण

12.3.3 मृदा(भूमि) प्रदूषण

12.3.4 ध्वनि प्रदूषण

12.4 सारांश

12.5 बोध प्रश्न

12.6 सहायक ग्रन्थ

12.1 प्रस्तावना :

प्राचीन काल में प्रकृति और मानव के बीच भावात्मक संबंध हुआ करते थे। मनुष्य पर्यावरण और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता की भावना को प्रकट करते थे। प्रकृति के किसी भी अवयव को क्षति पहुँचाना पाप समझा जाता था। परंतु आज मनुष्य अपने स्वार्थ व अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रकृति का असीमित दोहन करने लगा है जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण में प्रदूषण बहुत तेजी के साथ फैलने लगा है। इसका सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या में वृद्धि एवं भौतिक विकास। आज मनुष्य अपने जीवन को सुख सुविधाओं से परिपूर्ण करने के लिए वह धरती पर मौजूद खनिज सम्पदा जैसे पेट्रोल, डिजिल, कोला निकाल कर धरती की कोख को उजाड़ दिया है। वनों को काट कर धरती को नग्न कर रहा है। वन्य जीवों के आवास को नष्ट कर उन्हें बेघर कर दिया है।

औद्योगीकरण के नाम पर बड़े - बड़े कंपीनियों का निर्माण कर चिमनियों के द्वारा वायुमंडल को विषाक्त एवं निष्प्राण बना दिया है। पवन नदियों को गंदे नालों में बादल दिया है। रसायनिक पदार्थों का विसर्जन कर नदियों के जल को विषाक्त कर उनमें रहने वाले जल जीवों के जीवन को संकट में डाल दिया है। इस तरह मनुष्य अनेक प्रकार से पर्यावरण में निरंतर प्रदूषण फैलाने का कार्य कर रहा है जिस के कारण आज पृथ्वी, पृथ्वी के तमाम जीव जन्तु का अस्तित्व संकटग्रस्त होता जा रहा है।

12.2 पर्यावरण और प्रदूषण का अर्थ :

पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। 'परी' जो हमारे चारों ओर है और 'आवरण' जो हमें चारों ओर से घेरे हुआ है। अर्थात् पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए। पर्यावरण उन सभी भौतिक एवं रासायनिक एवं जैविक कारकों की समिति गत एक इकाई है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। वह हमारे जैविक और अजैविकतत्वों, तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं की समुच्चय से निर्मित इकाई है। यह हमारे चारों ओर व्याप्त है और हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसीके अंदर संपादित होती है तथा हम मनुष्य अपनी समस्याओं से इस पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण से हमें वह हर संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं जो किसी सजीव प्राणी को जीने के लिए आवश्यक है।

पर्यावरण में हमें वायु, जल, खाद्य पदार्थ, अनुकूल वातावरण आदि उपहार स्वरूप प्राप्त हुए है जो कई तरीकों से हमारी मदद करते हैं। पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण की वास्तविकता को बनाए रखना होगा। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी पर ही जीवन है। वर्षों से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य किया जा रहा है और साथ ही पर्यावरण की स्वच्छता और सुरक्षा के लिए दुनिया भर में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। अर्थात् प्रदूषण का अर्थ है हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि सामान्य शब्दों में पर्यावरण प्रदूषण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है पर्यावरण तथा प्रदूषण। पर्यावरण का अर्थ होता है हमारे चारों ओर फैला हुआ वातावरण तथा प्रदूषण का अर्थ होता है दूषित। अर्थात् हमारे चारों ओर फैले हुए पर्यावरण का दूषित होना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण एक अंतरराष्ट्रीय समस्या बन चुका है जो कि यह एक गंभीर समस्या है। संपूर्ण विश्व इस समस्या से जूझ रहा है।

12.3 पर्यावरण और प्रदूषण के प्रकार :

विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में से जन्मा है जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। पर्यावरण में प्रदूषण कई प्रकार से होते हैं। मुख्य रूपसे निम्न चार प्रकार के -

12.3.1 वायु प्रदूषण

12.3.2 जल प्रदूषण

12.3.3 मृदा (भूमि) प्रदूषण

12.3.4 ध्वनि प्रदूषण

12.3.1 वायु प्रदूषण :

मनुष्य को प्रकृति से मिले निशुल्क उपहारों में से एक है वायु। यह उपहार सभी जीवों का मुख्य आधार है। मनुष्य बिना भोजन व बिना जल के कुछ समय भले ही व्यतीति कर सकता है परंतु बिना वायु के वह जीवित नहीं रहा सकता है। मात्र मनुष्य ही नहीं बल्कि इस धरती के तमाम जीव जन्तु भी जीवित नहीं रहा सकते हैं। प्रकृति के इस महत्वपूर्ण उपहार के साथ मनुष्य अपने स्वार्थ व लालच के चलते उसे निरंतर प्रदूषित एवं जहरीला बना रहा है। यह एक अत्यंत चिंताजनक विषय भी है।

वायु प्रदूषण बढ़ने के अनेक कारण हैं। जैसे पेड़ों की कटाई, केमिकल कम्पनी द्वारा व्यर्थ पदार्थों का विस्तार, गाड़ियों से निकालने वाला कार्बन डाइऑक्साइड, बड़े बड़े कारखानों से निकलने वाले धुएं से भी वायु प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ता है। पेड़ अपने पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं। पेड़ हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं। लेकिन पेड़ की कटाई अधिक होने पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो गई है। जिसके कारण वायु दूषित हो रही है। और नए-नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। इसके अलावा प्रगति के नाम पर वनों को नष्ट करना अपने पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ना तथा जंगली जीवों के आवास को नष्ट करना है। जिसके परिणाम स्वरूप जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ एवं उप प्रजातियाँ विलुप्त होने की कगार पर हैं।

ठीक उसी तरह केमिकल कंपनियों के द्वारा हो रहे अनेक केमिकलों के शोध के कारण अनेक हानिकारक गैस फैल रहे हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषित हो रही है। वाहनों की संख्या बहुत अधिक हो ने के कारण इंधन का भी बहुत अधिक उपयोग किया जा रहा है। जिसके कारण वाहनों से अधिक मात्रा में कार्बन डाइ ऑक्साइड का उत्पादन हो रहा है और यह कार्बन डाइऑक्साइड वायु को दूषित कराने के साथ – साथ ओजोन की सुरक्षात्मक परत को भी नष्ट कर रही है। जिससे सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें सीधे धरती पर गिर रही हैं और अकाल रूप से वर्षाएँ होने लगी हैं।

अतः हम यह कहा सकते हैं कि शुद्ध वायु में हानिकारक पदार्थों अथवा विषैले गैस, सूक्ष्म जीव, कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण ही वायु प्रदूषण कहलाता है। इन तमाम वायु प्रदूषणों के फल स्वरूप शुद्ध वातावरण में भी अनेक रोग जन्म ले रहे हैं। जिसकी वजह से मनुष्यों के साथ साथ सभी प्रकार के पक्षी एवं प्राणियों पर इस का तीव्र प्रभाव देखा जा सकता है।

इस वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अब हमें युद्ध स्तर पर कुछ ठोस कदम व उपाय खोजा ने होंगे जैसे वायुप्रदूषण को रोकने के लिए हमें पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह रोक लगानी होगी। जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का संतुलन बना रहे और वायु प्रदूषण को रोका जा सके। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर भी वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। पेट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहनों का कम से कम उपयोग किया जया तथा उनके स्थान पर सीएनजी गैस से चलने वाले वाहन अथवा इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करना आदि। क्योंकि सीएनजी गैस वाहनों से निकलने वाला गैस पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले वाहनों से निकलने वाले गैस की अपेक्षा कम हानिकारक होता है तथा इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने से पूरी तरह वायु को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। केमिकल कंपनियों के द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सभी देशों की सरकार को इस विषय पर चर्चा करके सही कदम उठाना चाहिए।

12.3.2 जल प्रदूषण :

जल इस प्रकृति का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके बिना जीवित रहने के बारे में हम सोचा भी नहीं जा सकते हैं। एक जीव कुछ दिनों तक बिना खाए तो जीवित रह सकता है लेकिन , बिना पानी के वह दो दिन भी जीवित नहीं रह सकता है। जल हमें जीवन प्रदान करता है इस लिए जल को जीवन दयनी भी कहा जाता है। बिना जल के हम प्रकृति की भी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह प्रकृति जल के कारण ही जीवित है। इस पूरी पृथ्वी के 71 प्रतिशत हिस्से में जल ही है, जो नदियों, तालाबों और समुद्रों के रूप में है। जबकि, केवल 29 प्रतिशत क्षेत्र में ही ज़मीन है लेकिन, यह सारा पानी पीने लायक नहीं होता है। इस पृथ्वी पर सिर्फ 3 प्रतिशत पानी ही पीने योग्य है। जो धीरे-धीरे प्रदूषित होता चला जा रहा है। इस तरह आज धीरे धीरे पीने के पानी की समस्या बढ़ती ही चली जा रही है।

जल प्रदूषण के कई कारण है जैसे लोग अपने घरों का कचरा नदियों में फेंक देते है, जिससे नदियाँ गंदी हो जाती है। जनसंख्या व शहरी करण तेजी से बढ़ने के कारण यह समस्या और गंभीर रूप को धारण करती जा रही है। जनसंख्या जैसे-जैसे बढ़ती जा रही है वैसे-वैसे औद्योगिकरण भी बढ़ता जा रहा है। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट तथा अशुद्ध जल सीधा नदियों तथा जलाशयों में नालो द्वारा छोड़ जाता है। जिसके कारण जल प्रदूषण बढ़ रहा है। हमारे देश में गंगा नदी को पवित्र नदी माना जाता है परंतु लोग गंगा नदी में पूजा की सामग्री और कचरा डालते है। जिससे वह नदी दिन-प्रतिदिन गंदी हो रही है। आजकल खेतों में कीड़े-मकोड़ों को रोकने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है , जो वर्षा के पानी के साथ बहकर तालाबों में आ जाता है। यह कीटनाशक इतने विषैले होते हैं कि इनकी कम मात्रा भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। कई बार ज्यादा वर्षा होने के कारण आसपास की गंदगी और मिट्टी बह कर नदियों में मिल जाती है, जिससे नदी का पानी पीने योग्य नहीं रहता है और पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है

जल प्रदूषण के बड़े खतरनाक परिणाम होते हैं। इससे न सिर्फ मनुष्य बल्कि, इस प्रकृति के अन्य सभी जीव भी प्रभावित होते हैं। जल प्रदूषण से कई तरह की बीमारियाँ पैदा होती हैं, जैसे:- हैजा, बुखार, पीलिया, दस्त और पेट के रोग। गंदे पानी के उपयोग करने से त्वचा सम्बन्धी बीमारियाँ भी होती हैं। यह पानी इतना खतरनाक होता है कि कई बार यह मनुष्य की जान भी ले लेता है। नदियों, तालाबों और समुद्रों में प्लास्टिक की थैलियाँ डाली जाती हैं, जिससे उनमें रहने वाले जीव-जन्तुओं को समस्या का सामना करना पड़ता है। इन प्लास्टिक की थैलियों में जीव-जंतु फंस जाते हैं, जिससे उनकी जान की भी हानि होती है। यह जल प्रदूषण जलीय जीवों के लिए हानिकारक होता है।

जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कुछ जरूरी कदम व उपाय करने की जरूरत है। हमें अधिक से अधिक पेड़ - पौधे लगाने चाहिए। समय के अनुसार तालाबों तथा जलाशयों की गुणवत्ता की जांच करना चाहिए। हमें नदियों में कूड़ा-कचरा व प्लास्टिक आदि नहीं फेंकना चाहिए। हमें कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी और कचरे को नदियों से दूर किसी अन्य जगह पर डालना चाहिए, जिससे नदियाँ स्वच्छ रहें। कारखानों में इस्तेमाल किए गए पानी का पुनः उपयोग करने के नये विकल्पों की खोज करनी चाहिए। जैसे कागज बनाने वाले कारखानों से निकालने वाले अपशिष्ट जल का धान तथा गन्ने की खेती में उपयोग करना, औद्योगिक कचरे का पुनः उपयोग करके उनसे उपयोगी वस्तुएँ तैयार करना आदि।

अतः जल हम सभी के लिए एक अमूल्य सम्पदा है। हमें इसकी शुद्धता के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। हमें जितना हो सके, जल को प्रदूषित होने से रोकना होगा। यदि जल ऐसे ही प्रदूषित होता रहा तो यह भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनेगा। इसलिए, हमें अभी से जल संरक्षण करने की शुरू करनी होगी तभी हम आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ जल दे पाएँगे।

12.3.3 मृदा(भूमि) प्रदूषण :

भूमि की ऊपरी सतह को मृदा कहते हैं। मृदा की गुणवत्ता और इसकी उर्वरक शक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले किसी भी पदार्थ का भूमि में मिलना मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा एक ऐसा माध्यम है जिसमें सभी प्रकार के पेड़ - पौधे और फसलें उगती हैं। इसी से हमें रोटी, कपड़ा व जीवन की अन्य सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। अन्य जीव भी अपने भोजन के लिए वनस्पति पर निर्भर करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी विभिन्न प्रकार के प्राणियों के जीवन का आधार है। इस प्रकार जैव मंडल में पाए जाने वाले सभी संसाधनों में मृदा सबसे महत्वपूर्ण है।

वर्तमान में जिस तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, नगरीकरण तथा औद्योगीकरण की प्रक्रिया चल रही है, उसके कारण मृदा प्रदूषण भी तीव्र गति से हो रहा है। आज अधिकाधिक जनसंख्या के भरण-पोषण के लिये मृदा से अधिकतम उपज प्राप्त करना स्वाभाविक हो गया है जिसके लिये अनेक प्रकार के

रसायनों की खोज की जा रही है। इन रसायनों के लगातार प्रयोग करने से मृदा के सामान्य भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों का ह्रास होता जा रहा है। यही कारण है कि देश के अनेक भागों की मृदा अनुपजाऊ होती जा रही है।

भूमि प्रदूषण विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण और प्राकृतिक कारकों के कारण भी होता है। भूमि प्रदूषण के कुछ कारणों में कीटनाशकों का उपयोग, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट, वनों की कटाई, बढ़ते शहरीकरण, अम्लीय वर्षा और खनन आदि। अर्थात् भूमि प्रदूषण विभिन्न प्रकार के अनुपयोगी अपशिष्ट पदार्थों के भूमि में जमा होने का परिणाम है। यह अपशिष्ट पदार्थ, घरेलू, सार्वजनिक, औद्योगिक, खनिज खनन एवं कृषि अपशिष्ट के रूप में होता है। भूमि प्रदूषण का एक बड़ा भाग घरेलू अपशिष्ट की देन है। घरों में प्रतिदिन सफाई करने के पश्चात् गंदगी निकलती है। इसमें जहाँ एक ओर धूल-मिट्टी होती है, वहीं दूसरी ओर कागज, कपड़ा, प्लास्टिक, लकड़ी, धातु के टुकड़े आदि भी होते हैं। इसके साथ ही सब्जियों के बचे भाग, फलों के छिलके, चाय की पत्तियाँ, अन्य सड़े-गले पदार्थ आदि भी सम्मिलित होते हैं। ये सभी पदार्थ घरों से सफाई के समय एकत्र कर उसे कूड़ेदान में डालने के स्थान पर गलियों में, सड़कों पर जहाँ चाहे वहाँ फेक देते हैं जिस से मृदा प्रदूषण फैलाने लगता है।

औद्योगिक संस्थानों से बहुत अधिक मात्रा में कूड़ा-करकट एवं अपशिष्ट पदार्थ निकलता है। यह कचरा प्रत्येक उद्योग में चाहे वह धातु उद्योग हो या रासायनिक उद्योग हो सभी से निकाला जाता है और उद्योग के निकट खुले में छोड़ दिया जाता है। इसमें अनेक गैसों एवं रासायनिक तत्व न केवल वायुमण्डल को अपितु भूमि को भी प्रदूषित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से नगरपालिका अपशिष्ट भी इस प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। नगरपालिका अपशिष्ट से तात्पर्य सार्वजनिक रूप से एकत्र होने वाली गंदगी से है। इसमें घरेलू अपशिष्ट तो सम्मिलित हैं ही जिन्हें सार्वजनिक रूप से एकत्र किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न संस्थानों, बाजारों, सड़कों से एकत्रित गंदगी, मृत जानवरों के अवशेष, मकानों आदि के तोड़ने से निकले पदार्थ आदि भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में शहर या कस्बे की संपूर्ण गंदगी नगरपालिका अपशिष्ट की श्रेणी में ही आती है।

कृषि अपशिष्ट में कृषि के उपरांत उसका बचा भूसा, घास-फूस, पत्तियाँ आदि एक स्थान से एकत्र कर दिया जाता है या फैला दिया जाता है। इस पर पानी गिरने से यह सड़ने लगता है तथा जैविक क्रिया होने से यह प्रदूषण का कारण बन जाता है। वैसे अन्य स्रोतों की तुलना में यह अधिक गंभीर समस्या नहीं है क्योंकि अब अधिकांश कृषि अपशिष्टों को किसी न किसी रूप में उपयोग में ले लिया जाता है।

अतः मृदा प्रदूषण के गंभीर परिणाम होते हैं। यह मनुष्यों, जानवरों, पौधों और पानी को भी प्रभावित करता है। यदि कचरे को पुनः उपयोग करने के लिए अलग न किया जाय तो इसका प्रभाव बहुत विनाशकारी होता है। संक्रमित मिट्टी से कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं जो मानव श्वसन प्रणाली में समस्या और त्वचा रोगों

की समस्या पैदा कर सकते हैं। कचरा का दुर्गंध गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है और यही कचरा मच्छरों और मक्खियों के प्रजनन का केंद्र बन जाता है जो बीमारियों को फैलाते हैं और अक्सर महामारी फैलने का कारण बन जाते हैं।

वर्तमान समय में भूमि प्रदूषण दिन-पर-दिन भयंकर रूप धारण करता जा रहा है। यदि समय पर भूमि प्रदूषण पर रोक नहीं लगाई गई तो यह विकराल रूप धारण कर लेगा और फिर इससे छुटकारा पाना असंभव हो जाएगा। सरकार और अन्य संगठन इस पर नियंत्रण करने के लिए अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, परन्तु जब तक सभी अपना सम्पूर्ण योगदान नहीं देते तब तक किसी भी प्रकार के प्रदूषण पर नियंत्रण कर पाना केवल एक स्वप्न मात्र रह जाएगा। हम अपने दैनिक जीवन में कुछ छोटे बदलाव करके भी इसे कम करने की दिशा में योगदान कर सकते हैं। जैसे जहां भी संभव हो, गैर-बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के बजाय बायोडिग्रेडेबल उत्पादों का उपयोग करें। ऐसा इसलिए कि बायोडिग्रेडेबल कचरे का निपटान करना आसान है। ठीक उसी प्रकार से पॉली बैग, प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग से बचना चाहिए क्योंकि किसी भी रूप में प्लास्टिक का निपटान करना मुश्किल है। सरकार ने कई राज्यों में इन बैगों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, हालांकि लोग अभी भी इनका उपयोग करते हैं जो मृदा प्रदूषण को बढ़ा देता है। घरेलू कचरे को दो अलग-अलग डस्टबिन में गीले और सूखे कचरे रूप में डालना जिसे कचरे का निपटान आसानी से हो सके। कागज बर्बाद मत करो, इसके उपयोग को सीमित करें। जहाँ भी संभव हो इसका उपयोग करने से बचें। कागज बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष कई पेड़ काटे जाते हैं। पेड़ों का कटना भी मृदा प्रदूषण का एक कारण है। अतः हमें ऐसी चीजों का इस्तमाल करना चाहिए जिन्हें हम दोबारा से प्रयोग में ला सके।

12.3.4 ध्वनि प्रदूषण :

विकास के इस युग में अन्य प्रदूषणों की भांति ध्वनि प्रदूषण ने भी एक गंभीर समस्या का रूप धारण कर लिया है। ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनियों को कहते हैं, जिससे मानव और जीव-जन्तुओं को परेशानी होती है। इसमें यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाला शोर मुख्य कारण है। जनसंख्या और विकास के साथ ही यातायात और वाहनों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है जिसके कारण यातायात के दौरान होने वाला ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ने लगता है। इसके अतिरिक्त ध्वनि प्रदूषण फैलाने में औद्योगिक संस्थानों, मशीनों, टेलीविजन, रेडियो, हवाई जहाज, घरेलू उपकरण, घास काटने की मशीन या किसी भी प्रकार के ऐसे उपकरण जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है आदि सभी ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। सामान्य रूप से ध्वनि का मापन डेसीबल से किया जाता है। साधारण 40-45 डेसीबल की आवाज को कर्णप्रिय एवं 70-75 डेसीबल तक सरलता से सहनीय माना जाता है। इस सीमा से अधिक तेज आवाज ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत

सम्मिलित की जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार 120-140 डेसीबल ध्वनि कष्टप्रद एवं मन को अस्थिर करने वाली होती है।

ध्वनि प्रदूषण के कारण हमारे मस्तिष्क पर घातक प्रभाव पड़ता है जिससे हमारी सुनने की शक्ति लगातार घटती जाती है और हम धीरे-धीरे बहरेपन का शिकार होने लगेंगे। ध्वनि प्रदूषण के कारण न केवल सुनने की शक्ति क्षीण होती है बल्कि हमारे हृदय की गति भी बढ़ जाती है जिससे रक्तचाप, सिरदर्द एवं अनिद्रा जैसे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। नवजात शिशुओं पर इस प्रदूषण का काफी बुरा प्रभाव देखा जा सकता है। इसके प्रभाव के कारण बच्चों में शारीरिक विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है। गैस्ट्रिक, अल्सर, दमा आदि शारीरिक रोग तथा थकान एवं चिड़चिड़पन जैसे मानसिक रोगों का कारना भी यही ध्वनि प्रदूषण ही है।

इस प्रदूषण से होने वाली इन बीमारियों को रोकने के लिए हमें कुछ खास कदम या नियंत्रण के उपाय खोजने की आवश्यकता है। जैसे कारखानों में होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करके तथा इनको शहरों से बाहर निर्मित किया जाना चाहिए। वाहनों में तेज एवं कर्कश आवाज वाले प्रेशर हार्न के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, वायु अड्डा आदि स्थलों का चयन भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से दूर किया जाना चाहिये। ध्वनि पैदा करने वाले वाहनों को सड़कों से हटा लेना चाहिये तथा नियमित समय पर वाहनों की जाँच करते रहना चाहिये। ध्वनि पैदा करने वाले धार्मिक अनुष्ठानों जैसे शादी-ब्याह, रतजगा, भजन-कीर्तन, नमाज, पूजा, चुनाव प्रचार, विज्ञापन, घंटियों, सायरनों की आवाजों पर अंकुश लगाया जाना चाहिये। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए।

अतः आहम कह सकते हैं कि आज के समय में ध्वनि प्रदूषण एक विकराल समस्या हो गई है जिससे निजात पाने के लिए मनुष्य को स्वयं ही संघर्ष करना होगा तथा ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले यंत्रों पर लगाम लगाना होगा तथा उनका सीमित प्रयोग करना होगा तभी जाकर इस समस्या से निजात पा सकते हैं।

12.4 सारांश ;

पर्यावरण हम सभी के लिए सृष्टि का वरदान है। हम अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरी तरह से पर्यावरण पर ही निर्भर हैं। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने विकास के साथ-साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि प्रकृति ने हमें एक सुंदर स्वस्थ वातावरण प्रदान किया है। हम स्वयं इस पर्यावरण को दूषित करके वैसा ही कार्य कर रहे हैं, जैसे कि कोई उसी डाल को काटे जिस पर वह बैठा हो। केवल भौतिक उन्नति मानव जीवन का ध्येय नहीं है। यदि विज्ञान के विकास से मनुष्य के प्राण ही संकट में पड़ जाते हैं तो ऐसे वैज्ञानिक विकास पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हमें पर्यावरण के प्रत्येक प्रदूषण को रोकने के लिए गंभीर और सक्रिय होना पड़ेगा तभी हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छे वातावरण एवं स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण कर पाएँ।

1. प्रदूषण का अर्थ है -'वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना', जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिक तन्त्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं।

वर्तमान समय में पर्यावरणीय अवनयन का यह एक प्रमुख कारण है।

2. नए घरों को बनाने के लिए इमारती लकड़ी , चाहिए, जिससे वन सम्पदा का विनाश हो रहा है- । औद्योगीकरण के कारण कोयले का प्रयोग अधिक हो रहा है। जिससे आसमान में धुआँ उगलती चिमनियां वायु को प्रदूषित कर रही हैं तथा नदियों में हानिकारक रसायन मिलने से जल प्रदूषित हो रहा है

3. दूषण को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर नये वन लगाने , भू संरक्षण के उपाय करने और चक्रवात आदि से- कम क्षति हेतु समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में 'रक्षा कवच' लगाये जाने चाहिए। वनों के विकास , संरक्षण एवं संवर्धन को प्रमुखता देकर पर्यावरण प्रदूषण को सकारात्मक नियंत्रण में रखा जा सकता है।

4. कचरे को फैलने से रोकें और दूसरों को भी इसे रोकने के लिए प्रोत्साहित करें। रासायनिक उर्वरकों और किटनाशकों के उपयोग से बचे और जैविक पदार्थों का उपयोग करें। वाहनों से निकलने वाले धुएँ को कम करें , ये हमारे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। जंगलों को बचाएं और पेड़ लगाएं क्योंकि ये पर्यावरण के लिए फेफड़ों जैसा काम करते हैं।

12.5 बोध प्रश्न :

1. प्रदूषण का अर्थ है? पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है ?
2. पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं?
3. पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण हैं?
4. प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं?
5. प्रदूषण को कम करने के लिए 10 तरीके क्या हैं?

12.6 सहायक ग्रन्थ :

1. आधुनिक हिन्दी निबन्ध –
2. निबन्ध माला -
3. निबन्ध मंजूषा –
4. निबन्ध महासागर – पी . के. अग्रवाल
5. समसामयक – डॉ . देवव्रत

- डॉ. यस. आनंद

पाठ – 13

साहित्य और समाज

उद्देश्य :

साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। समाज में चलने वाले हर एक अंश का संबंध किसी न किसी प्रकार साहित्य से जुड़ा रहता है। साहित्य समाज का दर्पण है इस अंश से लेकर निम्न बातों को इस निबंध के अंतर्गत हम पढ़ेंगे।

1. साहित्य का अर्थ और समाज से इसका संबंध।
2. साहित्य समाज को दिशा निर्देश किस प्रकार करती है ?
3. साहित्य का मुख्य उद्देश्य और भारतीय साहित्य।
4. समाज में साहित्य का प्रभाव किस प्रकार होती है ? आदि के बारे में पढ़ेंगे।

इकाई की रूप रेखा :

- 13.1 प्रस्तावना
- 13.2 साहित्य क्या होता है
- 13.3 समाज का अर्थ एवं परिभाषा
- 13.4 साहित्य और समाज का संबंध
- 13.5 साहित्य का समाज में महत्व
- 13.6 समाज का साहित्य में महत्व
- 13.7 साहित्य और समाज की विशेषता
- 13.8 साहित्य का दायित्व
- 13.9 साहित्य पर समाज का प्रभाव
- 13.10 साहित्य द्वारा समाज – सुधार
- 13.11 सारांश
- 13.12 बोध प्रश्न
- 13.13 सहायक ग्रन्थ

13.1 प्रस्तावना :

साहित्य और समाज दोनों का ही मानव जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है साहित्य और समाज दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे माने जाते हैं साहित्य और समाज दोनों तभी होंगे तब जब दोनों साथ हो साहित्य

के बिना समाज और समाज के बिना साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती साहित्य में समाज का चित्रण किया जाता है उनके विचारों को व्यक्त किया जाता है एवं उसमें अनेकों प्रकार के कठिनाई समस्याओं आने वाली विपत्तियों आदि का चित्रण किया जाता है जो आने वाले समाज को इस से अवगत कराता है । तथा समाज भी साहित्य से इन चीजों को सीख कर अपने जीवन में सुधार और आगे बढ़ने का प्रयास करता है तथा आने वाली समस्याओं पर विचार करता है इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि साहित्य में समाज का संपूर्ण चित्रण होता है यह दर्पण की तरह केवल अच्छाई ही नहीं बल्कि समाज की समस्याओं कुरीतियां प्रथाओं सभी के बारे में चित्रण किया जाता है इसीलिए समाज और साहित्य को एक दूसरे के समरूप माना जाता है ।

सब जानते हैं कि संसार में जन्म लेते ही शिशु रोने लगता है । यही संसार के प्रति उसकी पहली प्रतिक्रिया है । रोकर , हँसकर , हाथ – पैर हिलाते हुए हुए घोर अज्ञान दशा में भी वह अपने सुख – दुःख का अभिनय करता है । मनुष्य ज्यों ज्यों बढ़ाने लगता है , त्यों त्यों उसके ज्ञान अवर भावी भी बढ़ जाते हैं । मनुष्य की अस्ति पेटिका में उसकी ज्ञानानुभव नहीं रह सकता । यह भाव अभिव्यक्त करने के द्वारा साकार होता है । इस शाब्दिक रूप का एक विधान होता है । उसे ‘साहित्य’ कहते हैं ।

‘साहित्य समाज का दर्पण है ’ अर्थात् , समाज का यथार्थ रूप साहित्य में प्रतिबिम्बित होता है । साहित्य का प्रभाव समाज पर पड़ता है । साहित्यकार समाज का एक अंग है । साहित्यकार का आधार समाज है और उसकी रचनायें भी समाज के लिए होती है ।

13.2 साहित्य क्या होता है :-

साहित्य वह है जिसमें साहित्यकार समाज में होने वाले विभिन्न घटनाओं को अपने अनुरूप चित्रण करता है समाज की समस्याओं तथा कुरीतियां आदि को साहित्य में लिखता है जिससे आने वाले समाज को इससे परिचित कराया जा सके और आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके साहित्यकार समाज में होने वाले परिवर्तन क्रांति या विभिन्न कुरीतियां आदि आदि को अपने साहित्य में लिखता है। जो भविष्य के समाज को प्रेरणा और वर्तमान समाज से अवगत कराता है साहित्य में समाज के हितों का वर्णन किया जाता है साहित्यकार अपने विचारों को भाव को साहित्य में लिखता है जिससे कि समाज में उनके विचारों और भावों का प्रचार होता है इससे समाज कठोर बनता है एवं समाज में एक सकारात्मक विकास होता है इस प्रकार साहित्य के द्वारा ही प्राचीन समाज मध्यकालीन समाज और वर्तमान समाज का अध्ययन किया जा सकता है ।

13.3 समाज का अर्थ एवं परिभाषा :-

जहाँ पर अनेकों मनुष्य मिलकर रहते हैं अनेकों मनुष्य मिलकर परिवार बनता है परिवार से मिलकर गाँव समाज का निर्माण होता है एवं अनेकों परिवारों मनुष्यों के समूह को हम समाज के आते हैं समाज में विभिन्न

परंपराएं रीति रिवाज एवं समस्याएं होती है इस समस्याओं को साहित्यकार अपने साहित्य में चित्रित करता है और अपने विचारों को लिखता है जिससे समाज में एक नए परिवर्तन आता है और समाज में आने वाली समस्याओं कुरीतियां आदि को खत्म करने के लिए अपने विचारों को व्यक्त करके लोगोंको जागरूक करने का कार्य किया जाता है। समाज का अर्थ दो प्रकार से लिया जाता है, एक साधारण अर्थ में व दूसरा विशिष्ट अर्थ में साधारण अर्थ 'समाज' शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है।

समाज शास्त्र में 'समाज' शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया गया है। यहाँ व्यक्ति-व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा गया है। रयूटर के अनुसार, "समाज एक अमूर्त धारणा है, जो एक समूहके सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराती है"। गिडिंग्स के अनुसार, "समाज एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं या सम्बद्ध है"। विभिन्न प्रकार के सामाजिक सम्बन्ध यथा माता-पिता, पिता-पुत्र, भाई-बहन एवं सास-बहू आदि से परिवार का निर्माण होता है। क्योंकि इनमें आत्मीयता का गुण विद्यमान है।

13.4 साहित्य और समाज का संबंध :

साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध रहता है। कवि अपने समय का प्रतिनिधि होता है। वह अपने समय का प्रतिनिधि होता है। वह अपने समय के वायुमंडल में घूमती हुई भावनाओं, विचारों आदि को पकड़कर मुखरित करता है। साहित्यकार समाज के बाह्य और आंतरिक दोनों घटकों को उद्घाटित करता है। इसलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। इसी कारण साहित्यकार समाज में घटित आम जनता के सुख-दुख को अपनी लेखनी के माध्यम से व्यक्त करते हैं। मूलतः साहित्य का उद्देश्य लोक-कल्याण से सम्बन्धित विचारों को प्रकट करना है।

सामाजिक मस्तिष्क अपने पोषण के लिए जो भाव सामग्री निकालकर समाज को सौपता है उसी के भंडार का नाम साहित्य है। साहित्य और समाज का अटूट संबंध है। जो हित सहित हो वही साहित्य है, यह हित समाज का ही हित हो सकता है। अतः समाज अपने हित के लिए साहित्य का स्रजन किया करता है। किसी कवि ने कहा है-

अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है

मूर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है

साहित्य समाज को प्रकाश देने वाला सूर्य है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है इसका भाव यही है कि समाज में जो कुछ घटित होता है उसका प्रतिबिम्ब साहित्य पर अवश्य पड़ता है।

हिंदी साहित्य और समाज - हिंदी साहित्य के इतिहास पर दृष्टिपात करने से साहित्य और समाज के सम्बन्ध का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। वीरगाथाकालीन समाज का प्रतिबिम्ब तत्कालीन साहित्य पर स्पष्ट रूप से पड़ा है। रासो ग्रन्थ की पंक्ति पंक्ति में तलवारों की झंकार और वीरों की हुंकार भरी है।

इसी प्रकार भक्तिकालीन साहित्य ने भारत की पराभूत और हताश जनता को भक्ति की भागीरथी में स्नान कराया है। रीतिकालीन राजाओं की विलासप्रियता बिहारी, मतिराम और वोधा की पंक्तियाँ झाँक रही हैं। इसी प्रकार आधुनिककालीन हिंदी साहित्य जहाँ सामाजिक परिवेश से प्रभावित हुआ है वहीं उसने हिंदी समाज को भी सपनों से यथार्थ की कठोर भूमि पर उतारा।

भारत का स्वतंत्रता संग्राम, देशभक्ति का ज्वार, स्वतंत्रता की प्राप्ति और स्वतंत्रयोत्तर भारतीय समाज की दशा दिशा आदि आधुनिक और समसामयिक हिंदी साहित्य में पूर्णतया प्रतिबिम्बित होता आ रहा है। भारतेन्दु हरिश्चंद्र, मैथिलीशरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचन्द इत्यादि साहित्यकारों ने भारत के युवकों का मार्गदर्शन किया है। तथा उनको भारत की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व त्यागकर समर्पित होने की प्रेरणा दी है। गुप्त जी की भारत भारती तथा प्रेमचन्द की कहानी सोजे वतन का अंग्रेजी शासन के प्रतिबंध का भी सामना करना पड़ा।

13.5 साहित्य का समाज में महत्व :-

साहित्य का समाज में महत्वपूर्ण योगदान है साहित्य समाज को एक नई दिशा एवं अच्छे समाज का मार्गदर्शन करने का कार्य करता है साहित्य के द्वारा ही समाज की विभिन्न कुरीतियाँ प्रथा आदि को खत्म करने के लिए साहित्य महत्वपूर्ण योगदान देता है। साहित्य में समाज को उनके द्वारा की गई गलतियाँ कमियाँ आदि को वर्णित करके उससे से छुटकारा दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है साहित्य ही एक उच्च और समृद्ध समाज की कल्पना करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

यह वर्तमान में होने वाली विभिन्न घटनाओं कुरीतियों प्रथा व समस्याओं आदि को आने वाले समाज को अवगत कराता है जिससे कि आगे आने वाले समाज को इससे परिचित करा कर इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए पहले से ही अवगत करा सके इस प्रकार अनेकों महत्व है जो साहित्य का समाज में होता है।

13.6 समाज का साहित्य में महत्व :-

जिस प्रकार साहित्य का समाज में महत्व है उसी प्रकार समाज का साहित्य में भी महत्व है यदि समाज नहीं हुआ तो साहित्य की रचना नहीं की जा सकती साहित्य समाज के बिना अधूरा है साहित्य में समाज के विभिन्न परिस्थितियों समस्याओं आदि का वर्णन किया जाता है और साहित्यकार अपने विचारों को

प्रकट करके इन सभी से लड़ने के लिए समाज को प्रेरित करता है ताकि एक उच्च समाज एवं समृद्ध समाज की कल्पना की जा सके इस प्रकार समाज का साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है।

13.7 साहित्य और समाज की विशेषता :-

साहित्य की विशेषता :- साहित्य की विशेषता यह है कि इसमें समाज के विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है इसमें समाज को सही दिशा में ले जाने का दम होता है साहित्यकार अपने भाव और विचारों से समाज को एक प्रेरणा देने का कार्य करता है मनुष्य को अपने जीवन में सुधार करके एक अच्छा एवं उच्च जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है साहित्य का मुख्य उद्देश्य समाज का विकास और देश का विकास होता है।

समाज की विशेषता :- किसी भी समाज की विशेषता यह होती है कि वह अपने अतीत की परेशानियों से सीख ले कर नए समाजकी रचना करें तथा पुराने रीति रिवाज कुरीतियां प्रथा आदि का त्याग करके एक उच्च एवं अक्षर समाज के निर्माण करें तभी एक उच्च और अच्छा समाज की कल्पना की जा सकती है और यह सभी के लिए साहित्य हमें प्रेरित करता है एवं अच्छे समाज के मार्गदर्शन का भी कार्य करता है।

13.8 साहित्य का दायित्व :-

साहित्य और समाज का अटूट संबंध यह संदेश देता है कि साहित्य को समाज का सही मार्गदर्शन करना चाहिए। उसके उत्थान में और उसकी आकांक्षा को स्वर देने में सहभागी बनना चाहिए। अपने पाठकों को उद्देश्य विहीन मनोरंजन की ओर ले जाना अथवा जीवन से हटाकर कोरी कल्पना की दुनियां में भटकाना अच्छे साहित्य का उद्देश्य नहीं हो सकता। सामाजिक सरोकारों से जुड़ने के कारण ही प्रेमचंद को हिंदी जगत का अपूर्व सम्मान प्राप्त हो सका।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है वह पशु की प्रवृत्तियों से उपर उठकर अपनी बुद्धि श्रेष्ठता आधार पर समाज बनाता है। और अपनी सामाजिकता का परिचय देता है। समाज में रहकर वह जो कुछ देखता है और अनुभव करता है उसे अपनी रचना के माध्यम से प्रस्तुत भी करता है। उसका यही साहित्य सर्जन समाज और देश का पथ प्रदर्शन करता है। साहित्य मानव के मस्तिष्क का भोजन है, जिसकी वैचारिक चेतना के विकास का सूचक और भावों का आदर्श है। इसी कारण मानव समाज में साहित्य का अत्यधिक महत्व है। यही एक माध्यम है जिससे मानव मस्तिष्क का विकास क्रम तथा मानवीय भावनाओं का परिचय मिलता है। परोक्ष रूप में साहित्य मानव सभ्यता के विकास का सूचक भी है।

13.9 साहित्य पर समाज का प्रभाव (Impact of society on literature)

कोई भी साहित्य अपने समाज से अछूता नहीं रह सकता है। साहित्य का प्रतिभा प्रासाद समाज के वातावरण पर ही खड़ा होता है। यह स्पष्ट देखा जाता है कि जैसा समाज होता है वैसा ही उस काल

का साहित्य बन जाता है। उदाहरण के लिए हिंदी साहित्य का आदिकाल एक प्रकार से युद्ध युग था । समाज में शौर्य और बलिदान की भावना थी वीरयोद्धा प्राणोत्सर्ग करना सामान्य बात समझते थे । फलस्वरूप वीरगाथा काव्यों की रचना हुई। परवर्ती काल में मुगलों के आक्रमण से हिन्दू जनता पीड़ित थी इस कारण सूर और तुलसी आदि भक्त कवियों ने भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया तथा सामाजिक समन्वय की भरपूर चेष्टा की । वर्तमान काल में साहित्य में सामाजिक दृष्टिकोण का परिचायक है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि समय की परिवर्तनशीलता के कारण समाज का साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा है ।

13.10 साहित्य द्वारा समाज – सुधार :

साहित्य समाज को संस्कारित करने के साथ-साथ जीवन मूल्यों की भी शिक्षा देता है एवं कालखंड की विसंगतियों , विद्रूपताओं एवं विरोधाभासों को रेखांकित कर समाज को संदेश प्रेषित करता है , जिससे समाज में सुधार आता है और सामाजिक विकास को गति मिलती है । साहित्य में मूलतः तीन विशेषताएँ होती हैं जो इसके महत्त्व को रेखांकित करती हैं ।

साहित्य में समाज को बदलने की शक्ति होती है । जो कार्य राजनीति , कानून और अस्त्र -शस्त्र नहीं कर सकते । वह कार्य साहित्य सरलपूर्वक करता है । साहित्य में समाज को झलक मिलती है । रचना काल के शासन विधान का , नीति नियमों का आचार -विचारों का उल्लेख अवश्य होता है । कवि और समाज एक दूसरे के पोशक होते हैं । कवि शीलवान होने से समिष्टि में लीन हो जाता है । जिस देश में उन्नत साहित्य नहीं होता समझना चाहिए कि वह पिछड़ा हुआ देश है ।

“ अंधकर है वहाँ , जहाँ आदित्य ।

अंधा है वह देश , जहाँ साहित्य नहीं है”।

साहित्य समाज का दर्पण है- साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है । इस दर्पण में समाज की हर छवि हर भंगिमा प्रतिबिम्बित हुआ करती है । साहित्यकार की भावनाएं और विचार आकांक्षाएं व संदेश सभी सामाजिक परिवेश की देन हुआ करती हैं । बहुत से साहित्यकारों ने स्वान्तः सुखायः को अपनी रचनाओं का लक्ष्य बताया है । साहित्य के माध्यम से उन्हें हटाने तथा क्रांति लाने का प्रयास किया जाता है । हमारे कवियों, लेखकों ने जो कुछ भी लिखा है , वे साहित्य कहलाता है । साहित्य में हर तरह की रचनाएँ सम्मिलित होती हैं । वे चाहे फिर प्रेम , भक्ति, वीरता, सामाजिक-राजनीतिक बदलाव, उनमें हुई उथल - पुथल या व्याप्त विसंगतियाँ इत्यादि विषय हों। इस तरह से ये रचनाएँ ऐतिहासिक प्रमाण भी बन जाती हैं । आज ढेरों ऐसी रचनाएँ हैं जिनके माध्यम से हम अपने इतिहास के गौरवपूर्ण समय के दर्शन हो पाते हैं। भारतीय साहित्य इतना विशाल है कि उसे बहुत कालों में विभक्त किया गया है । इस तरह हम रचनाओं को उस काल की विशेषताओं के आधार पर व्यवस्थित कर विभक्त कर देते हैं। उनका विस्तृत अध्ययन करते हैं । तब हमें पता चलता है कि उस समय

समाज में किस तरह की परिस्थितियाँ विद्यमान थी और क्या चल रहा था। ये रचनाएँ हमें उस समय के भारत के दर्शन कराती हैं। इनके अंदर हमें हर वो जानकारी प्राप्त होती है, जो हमें अपनी संस्कृति व इतिहास से जोड़ती है। हमारे देश का इतिहास इसी साहित्य में सिमटा पड़ा है। यदि हमें अपने देश, समाज, संस्कृति और उसकी परंपराओं को समझना है, तो अपने साहित्य में झाँकना पड़ेगा। साहित्य में समाज की छवि साफ़ लक्षित होती है। एक लेखक या कवि अपनी रचना को लिखते समय उस समय के समाज को हमारे सामने रख देता है। साहित्य में मात्र सामाजिक जीवन का ही चित्रण नहीं मिलता अपितु समाज में हर प्रकार के व्यक्तित्व का भी परिचय मिलता है। इस तरह हम स्वयं को साहित्य से जुड़ा मानते हैं। साहित्य हमारे सामने ऐसा दर्पण बनकर विद्यमान हो जाता है, जिसमें हम अपने समाज के प्राचीन और नवीन स्वरूप को देख पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है।

13.11 सारांश:-

साहित्यकार का दायित्व गुरुतर है। वह समाज के विषय को पहले मन में लाता है। संस्कारों, अनुभूतियों, चिंतन मनन, जन्म संकल्पों और रुचियों को परिष्कृत करता है। इस से हमें वर्तमान समाज स्थिति का परिचय होता है। इस प्रकार साहित्य का यथार्थ की नीति पर आदर्श का भव्य खड़ा कर देता है।

समाज और साहित्य के बीच ऐसा संबंध है कि इन दोनों को अलग कर पाना संभव नहीं है। इन दोनों का मानव जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। साहित्य कि हमें अतीत के समास समस्याओं तथा कुरीतियों आदि से परिचित कराता है। साहित्यकार साहित्य की रचना मानव कल्याण को आधार बनाकर ही करता है ताकि वह मानव कल्याण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इस प्रकार साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं।

साहित्य और समाज का बहुत गहरा नाता है। एक कवि इस समाज का ही अंग होता है। समाज का निर्माण लोगों से हुआ है। अतः एक कवि इसी समाज का अंग माना जाएगा। कवि समाज से थोड़ा-सा अलग होता है। वह समाज में व्याप्त असंगतियों से आहत और क्रोधित होता है। अतः वह रचनाओं का निर्माण करता है। इन्हीं रचनाओं के भंडार को साहित्य कहते हैं। एक कवि या लेखक अपनी रचनाओं के माध्यम से साहित्य का सृजन करता है और समाज को नई दिशा देता है। कवि या लेखक का दायित्व होता है कि वह अपनी रचनाओं से समाज में व्याप्त विसंगतियों को दूर करे और समाज में पुरानी सोच के स्थान पर नई सोच का विकास करे। समाज में कई प्रकार की कुरीतियाँ, परंपराएँ, विद्यमान हैं। ये परंपराएँ और कुरीतियाँ समय के साथ पुरानी पड़ती जा रही हैं और इसमें विसंगतियाँ विद्यमान हो जाती हैं। साहित्यकार का दायित्व गुरुता है।

हमारा साहित्य कैसे हो : हमें ऐसे साहित्य की आवश्यकता है जिसमें ये लक्षण हों –

1. वह मनोयोगों का परिष्कार करनेवाला हो ।
2. वह संजीवनि शक्ति का समचर करने हो ।
3. वह साँचे में ढालनेवाला हो ।
4. वह परिमार्जित , सरस और ओजस्विनी भाषा में लिखा जय ।
5. उसमे भौतिक तथा आध्यात्मिक पक्षों का समन्वय हो ।

13.12 बोध प्रश्न :

1. समाज में समाचार पत्रों का स्थान निर्धारित कीजिये ।
2. भारत में बेरोजगारी या बेकारी की समस्या पर एक निबंध लिखिए ।
3. आधुनिक युग में कंप्यूटर का स्थान निर्धारित कीजिए ।
4. कंप्यूटर का अर्थ-बताने हुए विभिन्न रंगों में कंप्यूटर की आवश्यकता पर एक निबंध लिखिए ।
5. पर्यावरण और प्रदूषण पर एक निबंध लिखिए ।

13.13 सहायक ग्रन्थ :

1. आधुनिक हिन्दी निबन्ध –
2. निबन्ध माला -
3. निबन्ध मंजूषा –
4. निबन्ध महासागर – पी . के. अग्रवाल
5. समसामयक – डॉ . देवव्रत

- शेक . बाजी

पाठ-14

अनुवाद (Translation)

उद्देश्य:

अनुवाद का इतिहास जितना प्राचीन है उतना ही अधिक उसकी महत्ता भी है। वर्तमान समय में अनुवाद का महत्व प्रौद्योगिकी, विज्ञान और तकनीकी की भाँति अत्यधिक मूल्यवान हो गया है। अनुवाद जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सर्वव्यापी हो गया है।

अनुवाद के मुख्य रूप से निम्न उद्देश्य माने जाते हैं -

- (1) दूसरी भाषा (स्रोत भाषा) के साहित्य से अपनी भाषा (लक्ष्य भाषा) के साहित्य को समृद्ध करना।
- (2) दूसरी भाषाओं की शैलियों, मुहावरों, दार्शनिक तथ्यों वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान को प्राप्त करना।
- (3) विचारों का विनिमय करना।
- (4) भारत जैसे बहुभाषा-भाषी देश के राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास के लिए अनुवाद की उपयोगिता और भी ज्यादा बढ़ जाती है।

इकाई की रूप रेखा :

14.1 प्रस्तावना

14.2 अनुवाद के प्रकार

14.2.1 साहित्यानुवाद –

14.2.2 कार्यालयी अनुवाद -

14.2.3 विधिक अनुवाद –

14.2.4 आशु अनुवाद –

14.2.5 वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद –

14.2.6 वाणिज्यिक अनुवाद –

14.2.7 शब्दानुवाद –

14.2.8 भावानुवाद

14.2.9 सारानुवाद –

14.2.10 यांत्रिक अनुवाद

14.3 वाक्यों के अनुवाद

14.4 अनुच्छेदों के अनुवाद

14.5 अनुवादक एवं अनुवाद के गुण या विशेषताएँ

14.6 सारांश

14.7 बोध प्रश्न

14.8 संदर्भ ग्रन्थ

14.1 प्रस्तावना ;

भारत में अनुवाद का बहुरंगी इतिहास रहा है। प्रारंभिक अनुवाद को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कृत, प्राकृत, पाली तथा उभरते हुए क्षेत्रीय भाषाओं के बीच और उन्हीं भाषाओं का अनुवाद अरबी और फारसी में हुआ है। आठवीं से नौवीं शताब्दी के बीच भारतीय कथ्य और ज्ञान-मूलक पाठ जैसे पंचतंत्र, अष्टांगहृदय, अर्थशास्त्र, हितोपदेश, योगसूत्र, रामायण, महाभारत और भगवद्गीता का अनुवाद अरबी में हुआ। उन दिनों भारतीय और फारसी साहित्य मूल-पाठों के बीच व्यापक स्तर पर आदान प्रदान हुआ। भक्तिकाल के दौरान संस्कृत मूल-पाठ खासकर भगवद्गीता और उपनिषद् दूसरे भारतीय भाषाओं के संपर्क में आया जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण भाषा मूल-पाठ जैसे मराठी संत कवि ज्ञानेश्वर द्वारा गीता का अनुवाद ज्ञानेश्वरी, तथा विभिन्न महाकाव्यों का अनुवाद खासकर विभिन्न भाषाओं के संत कवि द्वारा रामायण और महाभारत का अनुवाद प्रकाश में आया। उदाहरण स्वरूप पम्पा, कंबर, मौला, इज्जुथाचन, तुलसीदास, प्रेमानन्द, एकनाथ, बलरामदास, माधव कंदली, और कृत्तिवास आदि के रामायण को देखा जा सकता है।

औपनिवेशिक काल के दौरान यूरोपीय तथा भारतीय भाषाओं (खासकर संस्कृत) के बीच अनुवाद के क्षेत्र में नव स्फुरण हुआ। तब यह आदान-प्रदान जर्मन, फ्रेंच, इटैलियन, स्पैनिश तथा भारतीय भाषाओं के बीच था। अंग्रेजी को प्राधान्य अस्तित्व के कारण एक विशेषाधिकार भाषा समझी जाती थी क्योंकि औपनिवेशिक अधिकारी इसी भाषा का प्रयोग करते थे। अंग्रेजी शासनकाल का अनुवाद अंग्रेजी में चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया जब विलियम जोन्स द्वारा कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया गया। एक पाठ के रूप में शाकुंतलम अब भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा का प्रतीक और भारतीय जागरण में एक उत्कृष्ट पाठ का हिस्सा बन चुका है। यह इस तथ्य का प्रमाण है कि किस तरह इसका अनुवाद दस से अधिक भारतीय भाषाओं में किया गया। अनुवाद के क्षेत्र में अंग्रेजों (औपनिवेशवादी) का प्रयास प्राच्य विचारधारा पर आधारित और नये शासकों के लिए समझ पैदा करने, परिचय कराने, श्रेणीबद्ध करने और भारत पर नियंत्रण करने हेतु किया गया था। वे लोग अपने तरीके का भारत का संस्करण देखना चाहते थे जबकि अंग्रेजी में मूल पाठों के भारतीय अनुवादक उसका विस्तार, शुद्धिकरण और संशोधन करना चाहते थे। कभी-कभी वे लोग वैचारिक मतभेद के सहारे अंग्रेजी विचारधाराओं का विरोध करते थे। जिनकी लड़ाई समकालीन पाठों के अतिरिक्त प्राचीन पाठों को लेकर थी। राजा राममोहन राय द्वारा अनूदित शंकर का वेदान्त, केन और ईश्वरस्य उपनिषद् भारतीय विद्वानों के माध्यम से भारतीय मूल-पाठों का अंग्रेजी अनुवाद के क्षेत्र में

पहला भारतीय हस्तक्षेप था। इसका अनुशरण करते हुए आर.सी.दत्त के द्वारा ऋग्वेद , रामायण, महाभारत और कुछ शास्त्रीय संस्कृत नाटकों के अनुवाद किया गया। इन अनुवादों का तात्पर्य सुसुप्त मनोदशा वाले भारतीयों के स्वच्छन्दतावादी और उपयोगितावादी विचारों का विरोध करना था । उसके बाद अनुवाद के क्षेत्र में जैसे बाढ़ सी आ गयी , जिनमे प्रमुख अनुवादक थे दीनबंधु मित्र , अरबिंदो और रवीन्द्र नाथ टैगोर। लगभग इसी काल में भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद का सीमित स्तर पर श्रीगणेश हुआ ।

विभिन्न ग्रंथों की जानकारी, विदेशी भाषा को सीखने के अलावा स्वभाषा के विकास तुलनात्मक अध्ययन आदि क्षेत्रों में अनुवाद की महत्ता निर्विवाद रूप से स्वीकार्य है। मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास में अनुवाद महत्वपूर्ण नहीं है। सार रूप में हम कह सकते हैं कि ज्ञान-विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तकनीक, विधि, न्याय, प्रशासन आदि विविध विषयों का ज्ञान राजनीति, धर्म, दर्शन, पर्यावरण, व्यापार संबंधी जानकारीयाँ, चिकित्सा, संचार आदि से संबंधित विषयों को जानने समझने में अनुवाद सर्वदा सहायक हो सकते हैं।

अनुवाद की प्रक्रिया को सम्पन्न करने वाला अनुवादक कहलाता है अर्थात् अनुवाद करने वाला ही अनवादक की संज्ञा पाता है। इसके लिए अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का अच्छा ज्ञान होना अनिवार्य है। कोई भी अनुवादक किसी पाठ को पूरी तरह समझे बिना उसका अनुवाद नहीं कर सकता । अनुवादक को स्रोत भाषा की सांस्कृतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी पूर्णतः परिचित होना चाहिए।

इसलिए, समाज में प्रस्तुत किए गए विभिन्न भाषाओं के लिए हमारे समाज और विद्यालय दोनों में हमें वातावरण तैयार करने की जरूरत है । यह तभी संभव होगा जब शिक्षकों के साथ-साथ विद्यार्थियों को भी साहित्यिक और ज्ञान-आधारित मूल-पाठों के अनुवाद की अधिकाधिक मात्रा उपलब्ध हों। और उर्ध्व रूप में पश्चिम के नाम के दत्त भाषाओं से ज्ञान आधारित मूल-पाठों को लाने को बजाय समानान्तर रूप में ऐसे मूल पाठों का अनुवाद एक भारतीय भाषा से दूसरी भारतीय भाषाओं में भी महत्वपूर्ण हैं (सिंह 1990)।

14.2 अनुवाद के प्रकार - Type of Translation

जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है, वह मूलभाषा या स्रोतभाषा है । उससे जिस नई भाषा में अनुवाद करना है, वह 'प्रस्तुत भाषा' या 'लक्ष्य भाषा' है। इस तरह, स्रोत भाषा में प्रस्तुत भाव या विचार को बिना किसी परिवर्तन के लक्ष्यभाषा में प्रस्तुत करना ही अनुवाद है। अनुवाद कार्य में अनुवादक की भूमिका अहम होती है और दरअसल अनुवाद की पूरी प्रक्रिया में उसे अलग-अलग भूमिकाएँ निभानी पड़ती हैं मूलपाठ का विश्लेषण करते हुए वह पाठक की भूमिका में होता है । अंतरण करते हुए द्विभाषिक विद्वान की भूमिका में और अनूदित पाठ या पुनर्रचना प्रस्तुत करते हुए लेखक की भूमिका में अनुवाद कई प्रकार का होता है। अनुवाद के प्रकारों का विभाजन दो तरह से किया जा सकता है। पहला अनुवाद की विषयवस्तु के आधार पर और दूसरा उसकी प्रक्रिया के आधार पर उदाहरण के लिए विषयवस्तु के आधार पर साहित्यानुवाद कार्यालयी अनुवाद ,

विधिक अनुवाद, आशुअनुवाद, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद, वाणिज्यिक अनुवाद आदि। प्रक्रिया के आधार पर शब्दानुवाद, भावानुवाद, सारानुवाद तथा यांत्रिक अनुवाद।

विषयवस्तु तथा प्रक्रिया के आधार पर अनुवाद के प्रकार

एक पत्रकार के लिए इन सभी प्रकारों की सामान्य जानकारी रखना ज़रूरी है क्योंकि इनकी मूल विषयवस्तु अकसर (समाचार का आधार होती है)। पत्रकारिता में हर प्रकार के अनुवाद का आवश्यकतानुरूप प्रयोग होता है।

14.2.1 साहित्यानुवाद –

पत्रकारिता में एक पक्ष साहित्यिक पत्रकारिता का है। कला और साहित्य किसी भी समाज की पहचान बनाते हैं। किसी भी देश और समाज को जानने के लिए वहाँ के साहित्य को पढ़ना-परखना ज़रूरी होता है। युगीन परिस्थितियों का अंकन साहित्य में होता है। उदाहरण के लिए मक्सिम गोर्की का कथासाहित्य तत्कालीन रूस में हुई क्रांति और जनसंघर्ष का जीवन्त दस्तावेज़ है, उसका अनुवाद करते हुए हम पात्रों या स्थानों आदि के नाम बदलते हुए उसका भारतीयकरण नहीं कर सकते क्योंकि भारतीय स्थितियाँ तत्कालीन रूस से बिल्कुल भिन्न थीं। इसी तरह किसी नोबेल विजेता यूरोपीय साहित्यकार से सम्बन्धित हिंदी समाचार बनाया जा रहा है तो पत्रकार को उस साहित्यकार के परिवेश और युगीन स्थितियों का हिंदी में जस का तस उल्लेख करना होगा क्योंकि उसके साहित्य में उसके देश और समाज की स्थितियों का दस्तावेज़ है, भारत का नहीं।

14.2.2 कार्यालयी अनुवाद -

कार्यालयी अनुवाद से आशय प्रशासनिक पत्राचार तथा कामकाज के अनुवाद का है। जैसा कि विदित है स्वतंत्रता के पश्चात संविधान ने हिंदी को राजभाषा बनाने का संकल्प तो लिया पर कुछ राजनीतिक और सामाजिक दुविधाओं के चलते वह आज तक कार्यरूप नहीं ले सका। आज राजभाषा के मसले पर भारत में द्विभाषिक नीति लागू है। जिस अंग्रेज़ी को संविधान ने दस साल में राजभाषा के रूप में पदच्युत करने का प्रारूप दिया था, वह आज भी अपने स्थान पर किंचित भिन्न रूप में डटी हुई है। हर राज्य को अपनी राजभाषा निर्धारित करने की स्वतंत्रता संविधान ने दी थी और राज्यों ने उसके अनुरूप राजभाषा का निर्धारण किया भी है किन्तु संघीय सरकारों से उसके प्रशासनिक कार्यव्यहार अंग्रेज़ी में ही होते हैं। हिंदी है लेकिन अंग्रेज़ी भी है और राज्यों के प्रकरण में उनकी अपनी राजभाषाएँ भी हैं। ऐसी स्थिति में अनुवाद की उपयोगिता और महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। सभी जानते हैं कि प्रशासनिक शब्दावली का अपना एक विशिष्ट रूप है जो बहुधा अंग्रेज़ी से अनुवाद पर आधारित होता है। पारिभाषिक शब्द इसी प्रकार की प्रशासनिक शब्दावली का एक प्रमुख हिस्सा हैं। एक पत्रकार के लिए सरकार के कामकाज पर आधारित समाचार बनाते समय इस शब्दावली की सामान्य

जानकारी का होना अनिवार्य है। अनेक संसदीय शब्दों का हिन्दी में प्रचलन इसी शब्दावली के आधार पर हो गया है।

14.2.3 विधिक अनुवाद -

न्यायपालिका संविधान में वर्णित लोकतंत्र के तीन स्तम्भों में एक है। समाचारपत्रों में न्याय और उससे जुड़ी प्रक्रिया से सम्बन्धित अनेक समाचार होते हैं। हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के संकल्प के बावजूद उच्च तथा उच्च न्यायालय का सारा कामकाज अंग्रेजी में ही होता है। सारे निर्णय और अभिलेख अंग्रेजी में होते हैं और न्यायालय की कार्यवाही भी अंग्रेजी में ही सम्पन्न होती है। एक पत्रकार के लिए जरूरी हो जाता है कि हिंदी में समाचार बनाते हुए वह विधिक शब्दावली का तकनीकी रूप से सही अनुवाद करने की क्षमता रखता हो।

14.2.4 आशु अनुवाद -

यह एक रोचक प्रक्रिया है। अंग्रेजी में सामान्य रूप से इसे Interpretation कहते हैं। जब कोई ऐसा राजनेता देश में आता है जिसे अंग्रेजी भी न आती होती हो हमारे देश के राजनेताओं के साथ उसकी वार्ता Interpreter की सहायता से ही सम्भव हो पाती है। Interpreter वह व्यक्ति होता है जो आंगतुक की भाषा का एक तुरत और सरल अनुवाद मौखिक रूप से हमारे राजनेता के सम्मुख प्रस्तुत करता है और हमारे राजनेता की भाषा का आंगतुक राजनेता के सम्मुख वह एक ऐसा भाषिक मध्यस्थ है जिस पर यह उत्तरदायित्व होता कि वह वार्ता को तकनीकी रूप से शतप्रतिशत सही सम्भव बनाए। पत्रकारिता में आशुअनुवाद के कुछ और भी आयाम हो सकते हैं। जैसे फोन पर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से की जा रही वार्ता को तुरत अपने समाचार के लिए हिंदी में अनुवाद करके लिखते जाना।

14.2.5 वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद -

जाहिर है कि हमारा मौजूदा समय विज्ञान और तकनीक का युग है। विज्ञान के बहुआयामी विकास ने मानव जीवन की गतिविधियों ही नहीं, वरन उसके जीवनमूल्यों को भी कई स्तरों पर बदल दिया है। समाचारपत्रों में विज्ञान और तकनीक से सम्बन्धित गतिविधियों के कई समाचार होते हैं और उनके लिए जरूरी होता है कि पत्रकार को वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली की पर्याप्त जानकारी हो, जिसके अभाव में अनुवाद हास्यास्पद और विचित्र हो सकता है। Rail या Train को हिंदी में लौहपथगामिनी जैसे विचित्र और हास्यास्पद अनुवाद की जगह रेल या ट्रेन ही लिखना अनुवादक के हित में होगा। Computer के लिए कम्प्यूटर ही लिखना होगा इसी तरह हिंदी संगणक की जगह कैलक्यूलेटर शब्द का ही प्रयोग होता है।

14.2.6 वाणिज्यिक अनुवाद -

यह क्षेत्र व्यापार के साथ-साथ प्रमुखतः बैंकिंग व्यवसाय का है। सभी को विदित है कि समूचे विश्व की संचालक शक्ति अब पूँजी हो चली है। भूमंडलीकरण और विश्वग्राम जैसी उत्तरआधुनिक अवधारणाएँ

प्रकारांत से इसी के गिर्द घूमती हैं। भूमंडल अब शीतयुद्ध के दौर से बाहर आकर एकध्रुवीय हो चला है , जिसका संचालन दुनिया के कुछ विकसित देशों के गुट के हाथ में है । इन स्थितियों में पत्रकारिता पर भी इस तरह की उत्तरआधुनिक अवधारणाओं का प्रभाव देखा जा सकता है । पत्रकारिता खुद भी एक पेशेवर संस्था है , भारत में जिसका सम्बन्ध कुछ बड़े व्यापारिक घरानों से है। आम आदमी के जीवन में बाजार का स्थान अब निश्चित है और समाचारपत्रों में इस आशय के समाचारों की भरमार होती है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समाचारों का निर्माण अक्सर सम्बन्धित विषयवस्तु के अनुवाद द्वारा ही सम्भव हो पाता है। इस तरह के अनुवाद की अपनी शब्दावली होती है, जिसकी प्राथमिक जानकारी पत्रकार को होना जरूरी है। आम आदमी के जीवन में बैंकिंग का भी एक निश्चित महत्व है । बैंकिंग के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग मुख्य रूप से दो स्तरों पर होता है, एक राजभाषा के स्तर पर और दूसरा जनभाषा के स्तर पर हिंदी को राजभाषा के रूप में सम्मान दिलाए जाने के कुछेक औपचारिक प्रयासों में बैंकों द्वारा हिंदी के प्रयोग पर जोर दिए जाने की नीति शामिल हैं। दरअसल मामला राजभाषा का न होकर जनभाषा का है। बैंकों को अपनी पहुँच जनता तक बनानी होती है और इसके लिए वे हिंदी के इस्तेमाल पर बल देते हैं । हर बैंक में चूँकि महत्वपूर्ण मसौदे अंग्रेज़ी में ही तैयार किए जाते हैं लेकिन जनता तक उन्हें पहुँचाने के लिए उनका सरल हिंदी अनुवाद अनिवार्य होता है , फलतः हर बैंक में हिंदी अधिकारी तैनात किए गए हैं। एक पत्रकार के लिए यह सब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसे बैंको द्वारा समय-समय पर जारी की जानेवाली ऋणयोजनाओं पर समाचार बनाने होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर बैंक की ऋण सम्बन्धी नीतियों और उतार-चढ़ाव की जानकारी भी उसे पाठकों तक सरल और सही रूप में पहुँचानी होती है ।

14.2.7 शब्दानुवाद -

इस तरह के आदर्श अनुवाद में प्रयास किया जाता है कि मूल भाषा के प्रत्येक शब्द और अभिव्यक्ति की इकाई (पद पदबंध , मुहावरा लोकोक्ति, उपवाक्य अथवा वाक्य आदि) का अनुवाद लक्ष्य भाषा में करते हुए मूल के भाव को संप्रेषित किया जाए। दूसरे शब्दों में अनुवाद न तो मूल पाठ की किसी अभिव्यक्ति इकाई को छोड़ सकता है और न अपनी ओर से कुछ जोड़ सकता है। अनुवाद का यह प्रकार गणित , ज्योतिष विज्ञान और विधि साहित्य के अधिक अनुकूल होता है ।

14.2.8 भावानुवाद -

इस प्रकार के अनुवाद में भाव, अर्थ और विचार पर अधिक ध्यान दिया जाता है लेकिन ऐसे शब्दों, पदों या वाक्यांशों की उपेक्षा नहीं की जाती जो महत्वपूर्ण हों। ऐसे अनुवाद से सहज प्रवाह बना रहता है। पत्रकार अक्सर इसका सहारा लेते हैं । मशीनी अनुवाद की दिशा में आने वाले दिनों में काफी प्रगति होने वाली है। मशीनी अनुवाद के कारण दुनिया में एक नयी क्रान्ति आयेगी ।

14.2.9 साद रानुवा-

यह आवश्यकतानुसार संक्षिप्त या अति संक्षिप्त होता है। भाषणों , विचार गोष्ठियों और संसद के वादविवाद की विशद विषयवस्तु के सार का अनूदित प्रस्तुतीकरण इसी कोटि का होता है । विस्तृत प्रकरणों में अकसर पत्रकार पूरी विषयवस्तु का अनूदित सार तैयार कर उसे ही समाचार रूप में प्रस्तुत करता है ।

14.2.10 यांत्रिक अनुवाद -

आधुनिक समय में कम्प्यूटर की सक्षमता और हमारी उस निर्भरता उत्तरोत्तर बढ़ती गई है। आज ऐसे साफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो दो या अधिक भाषाओं बीच अनुवाद करने की क्षमता रखते हैं । गूगल ने ऑनलाइन अनुवाद की सुविधा भी दी है । इन सारी तकनीकी उपलब्धियों के बीच हमें यह भी समझ लेना होगा कि इसकी कुछ निर्णायक सीमाएँ भी हैं। अनुवाद करने वाले साफ्टवेयर अकसर कोरा शब्दानुवाद करते हैं और उनमें वांछित अर्थबोध की प्राप्ति नहीं हो पाती। यानी इस तरह के अनुवाद पर भाषायी पुनर्गठन के स्तर पर आवश्यक स्तर की प्राप्ति के लिए काफी काम करना होता है । अतः शब्दांतरण के लिए इस तरह का यांत्रिक अनुवाद काम का हो सकता है लेकिन पूरी वाक्यरचना के स्तर पर यह बहुधा असफल सिद्ध हुआ है। हाँ , लिप्यन्तरण के क्षेत्र में कम्प्यूटर साफ्टवेयर्स ने हमारी बहुत सहायता की है ।

1 अनुवाद क्या है

अनुवाद एक भाषा (स्रोत) से दूसरी भाषा (लक्ष्य) में लिखित पाठ का प्रसारण है । हालांकि अनुवाद और व्याख्या ज्यादातर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं , वास्तविक परिभाषा के अनुसार, अनुवाद लिखित भाषा को संदर्भित करता है, और व्याख्या बोली जाने वाली भाषा को संदर्भित करती है।

2 अनुवादक के गुण कितने हैं ?

अनुवादक को त्वरित बुद्धि वाला, मानसिक उपस्थिति वाला, पाठक के स्तर तथा अपेक्षा को समझने वाला, मनन-चिंतन करने वाला तथा पूर्वाग्रह या दुराग्रह से मुक्त रहने वाला होना चाहिए तभी वह सुपाठ्य एवं सहज अनुवाद कर सकता है ।

3 अनुवाद की प्रकृति क्या है?

अर्थात् तीनों विद्वानों ने कहा - अनुवाद में स्रोत भाषा (Source language) की सामग्री को लक्ष्य भाषा (Target language) में प्रस्तुत करना है । लेकर लक्ष्य भाषा में एक नये पाठ में उस मूल सामग्री को तैयार करता है । सजाता - संवारता है । यही अनुवाद कार्य है ।

4. मशीनी अनुवाद : कम्प्यूटर और साफ्टवेयर की क्षमताओं में अत्यधिक विकास के कारण आजकल अनेक भाषाओं का दूसरी भाषाओं में मशीनी अनुवाद सम्भव हो गया है। यद्यपि इन अनुवादों की गुणवत्ता अभी भी संतोषप्रद नहीं कही जा सकती, तथापि अपने इस रूप में भी यह मशीनी अनुवाद कई अर्थों में और अनेक दृष्टियों

से बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है । जहाँ कोई चारा न हो , वहाँ मशीनी अनुवाद से कुछ न कुछ अर्थ तो समझ में आ ही जाता है ।

14.3 अनुवाद (Translation)

अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद

1. I read .	मैं पढ़ता हूँ ।
2. He has gone to Vijayawada with his mother.	वह अपनी माता के साथ विजयवाड़ा गया है ।
3. He drinks milk	वह दूध पिता है ।
4. Ram sings a song.	राम एक गीत गाता है ।
5. Rama goes to school.	राम स्कूल जाता है ।
6. I read the lesson.	मैं पाठ पढ़ता हूँ ।
7. Gopal eats the fruit.	गोपाल फल खाता है ।
8. They go to school.	वे स्कूल जाते हैं ।
9. They read the lesson .	वे पाठ पढ़ते हैं ।
10. I go to the school.	मैं स्कूल जाता हूँ ।
11. Those girls are singing a song.	वे लड़कियाँ गाना गाती हैं ।
12. I do not eat.	मैं नहीं खाता ।
13. Where do you go.	तुम कहाँ जाते हो ?
14. Does she learn music.	क्या वह संगीत सीखती है ?
15. When do you go to college ?	तुम कालेज अब जाते हो ?
16. Where do you go just now ?	अभी आप कहाँ जाते हैं ?
17. At what O' clock do you get up?	कितने बजे तुम जागते हो ?
18. Mohan is a little boy.	मोहन छोटा लड़का है ।
19. Where is Calcutta.	कलकत्ता कहाँ है ?
20. The book is in the almariah.	किताब अलमारी में है ।
21. The clock is on the wall.	घड़ी दीवार पर है ।
22. Who lives here?	यहाँ कौन रहते हैं ?
23. The cat drinks milk	बिल्ली दूध पिता है ।
24. They run fast.	वे तेज दौड़ते हैं ।
25. Do you learn Hindi ?	क्या तुम हिन्दी सीखते हो ?
26. We play in the evening.	हम शाम को खेलते हैं ।

27. Ram eats bread.	राम रोटी खाता है।
28. Boys read lessons.	लड़के पाठ पढ़ते हैं ?
29. Karim buys milk.	करीम दूध खरीदता है।
30. Hafeeza sews clothes.	हफीजा कपड़े सीती है।
31. Where do you live ?	तुम कहाँ रहते हो ?
32. Does Sita sing ?	क्या सीता गाती है ?
33. Sarala sings very well.	सरला खूब गाती है।
34. They live in a village.	वे गाँव में रहते हैं।
35. I am reading .	मैं पढ़ रहा हूँ।
36. They are eating.	वे खा रहे हैं।
37 The sun rises in the east.	सूरज पूरब से निकलता है।
37. The boys are learning Hind.	लड़के हिन्दी सीख रहे हैं।
38. Lalita is coming from the school.	ललिता स्कूल से आ रही है।
39. Raju is not going.	राजू नहीं जा रहा है।
40. Are you going to bazaar ?	क्या तुम बाजार जा रहे ?
41. Sita and Gita are singing a song.	सीता और गीता एक गीत गा रही है।
42. The woman is selling vegetables.	वह औरत तरकारियाँ बेच रही है।
43. The students are writing the lesson.	विद्यार्थी पाठ लिख रहे है।
44. The कौस are grazing the grass.	गाय घास चार रही है।
45. Krishna is drinking coffee.	कृष्ण काफी पी रहा है।
46. We are going to school.	हम स्कूल जा रहे हैं।
47. They are doing work.	वे कम कराते हैं।
48. Krishna is running in the play ground.	कृष्ण मैदान में दौड़ रहा है।
49. What are you seeing ?	तुम क्या देख रहे हो ?
50. They are not playing today.	वे आज नहीं खेल रहे हैं।
51. She is not crying, she is laughing.	वह नहीं रो रही है, वह हँस रही है।
52. Radha came yesterday.	राधा कल आयी।
53. They stayed in a hotel.	वे एक होटल में ठहरे।
54. The sun has not risen yet.	सूरज अभी तक नहीं निकला।
55. Yesterday I got up at 5 o' clock.	कल मैं पाँच बजे उठा।
56. Why did she cry ?	वह क्यों रोयी ?
57. Sita heard.	सीता ने सुना।

58. They eat four fruits.	उन्होंने चार फल खाये ।
59. Ram has come here.	राम यहाँ आया ।
60. I have seen this picture.	मैं ने यह सिनेमा देखा ।
61. Yesterday was a holiday.	कल छुट्टी थी ।
61 Your children were not in the playground.	आपके बच्चे मैदान में नहीं थे ।
62 The teacher was not in the class.	अध्यापक कक्षा में नहीं थे ।
63 I was bathing in hot water.	मैं गरम पानी से नहाता था ।
64 Father was writing a letter	पिताजी पत्र लिख रहे थे ।
65 I was bathing in hot water.	मैं गरम पानी से नहाता था ।
66 Father was writing a letter	पिताजी पत्र लिख रहे थे ।
67 Aero planes were flying in the sky	हवाई जहाज आकाश में उड़ रही थी ।
68 Boys were eating fruits.	बच्चे फल खा रहे थे ।
69 Have you seen Delhi	क्या तुमने दिल्ली को देखा है ।
70 I have not read this book.	मैं ने यह किताब नहीं पढ़ी ।
71 My friend has gone to Calcutta	मेरा मित्र कलकत्ता गया है ।
72 Akbar had ruled over India	अकबर ने भारत पर हुकूमत की थी ।
73 Ravi had come here yesterday.	रवि कल यहाँ आया था ।
74 Gandhiji had sent a letter to Rajaji.	गाँधी जी ने एक खत राजाजी को भेजा था
75 I was at Ooty .	मैं ऊटी में था ।
76 Rahim was in the school .	रहीम स्कूल में था ।
77 They were always speaking in Hindi	वे हमेशा हिन्दी में बोलते थे ।
78 I shall learn Hindi.	मैं हिन्दी सीखूंगी ।
79 We will see a picture.	हम सिनेमा देखेंगे ।
80 I will go Madras tomorrow	कल मद्रास जाऊँगा ।
81 They will sell fresh fruits.	वे ताजे फल बेचेंगे ।
82 They will drink milk	बच्चा दूध पियेगा ।
83 Kamala will sing a song in the meeting.	कमला सभा में एक गीत गायेगी ।
84 My brother will come tomorrow.	मेरा भाई कल आयेगा ।
85 We will go to the village.	हम गाँव जाएँगे ।
86 We will always speak the truth	हम हमेशा सच बोलेगे ।

87 I will read the novel.	मैं उपन्यास पढ़ूँगा ।
88 The cow will give more milk.	यह गाय ज्यादा दूध देगी ।
89 Your friend will return from Delhi.	तुम्हारा मित्र दिल्ली से वापस आयेगा ।
90 When will she return from office?	वह दफ्तर से कब वापस आएगी ?
91 Rajani will come with her friend.	रजनी अपने मित्र के साथ आयेगी ।
92 Will you sing today on Radio.	मैं तुम्हारी किताब कल भेजूँगा ।
93 When will you do this work ?	तुम यह काम कब करोगे ?
94 Will you sing on the radio today.	क्या तुम आज रेडियो पर गाओगे ?
95 I must read a lesson.	मुझे अब पाठ पढ़ना चाहिए ।
96 I will send your book tomorrow.	मैं तुम्हें कल किताब भेजूँगा ।
97 Children should play in the evening.	लड़कें शाम को खेलना चाहिये ।
98 I must learn Hindi.	मुझे हिन्दी सिखनी चाहिए ।
99 You have to do this work.	तुमको यह काम करना पड़ता है ।
100 We have to give this book.	हम को यह किताब देनी पड़ी ।
101 All must love their country	सब को अपनी देश को प्यार करना चाहिए ।
102 We must respect elders.	हमें बड़ों का आदर करना चाहिए ।
103 They have to bath in cold water.	उनको ठंडे पानी से स्नान करना पड़ता है ।
104 We must always speak the truth.	हमें हमेशा सच बोलना चाहिए ।
105 I read my lessons.	मैं अपने पाठ पढ़ता हूँ ।
106 They go to school with their friends.	वे अपने मित्रों के साथ स्कूल जाते हैं ।
107 They live in their village .	वे अपने गाँव में रहते हैं ।
108 Sita heard this news with her ears.	सीता ने अपने कानों से यह समाचार सुना ।
109 Ram has come here with his wife.	राम अपनी पत्नी के साथ यहाँ आया ।
110. I have seen this picture with my friends.	मैं ने अपने मित्रों के साथ यह सिनेमा देखा ।
111 My friend has gone to Ooty with his wife.	मेरा दोस्त अपनी पत्नी के साथ ऊटी गया है
112 I Will go to Calcutta with my luggage.	मैं अपने सामान के साथ कलकत्ता जाऊँगा ।
113 We come from Madras.	हम मद्रास से आए ।
114 Lalita is learning Hindi.	ललिता हिन्दी सीख रही है ।
115 Students have to learn Hindi .	विद्यार्थियों को हिन्दी सीखनी पड़ती है ।

116 We must respect elders.	हमें बड़ों का आदर करना चाहिए।
117 She has gone to Delhi with her father.	वह अपने पिता के साथ दिल्ली गई है।
118 The sun rises in the east.	सूरज पूरब में उगती है।
119 Boys are singing.	लड़के ग रहे हैं।
120 Sita, where are you going ?	सीता , तुम कहाँ जा रही हो ?
121 Premchand has written Godaan.	प्रेमचंद ने गिदन लिखा।
122 Her teeth are beautiful.	उसके दाँत सुंदर हैं।
123 He came from the town.	वह शहर से आया ?
124 Why do you write with red ink.	तुम लाल स्याही से क्यों लिखते हो ?
125 The water of this tank is very dirty.	इस तालाब का पानी बहुत गंदा है।
126 The boy runs very fast.	यह लड़का बहुत तेज दौड़ता है।
127 This is quite correct.	यह बिल्कुल ठीक है।
128 I want to learn Hindi.	मैं हिन्दी सीखना चाहता हूँ।
129 I can do this week.	मैं यह काम कर सकता हूँ।
130 Sarala wants fruit.	सरला फल चाहते हैं।
131 What do you want ?	तुम क्या चाहते हो ?
132 Padmini wants a good watch	पद्मिनी एक अच्छी घड़ी चाहती है।
134 The milk is white in colour.	दूध सफेद रंग का है।
135 They eat without salt.	वे नमक के बिना खाते हैं।
136 What did Vimala tell you ?	विमला ने तुम से क्या कहा ?
137 I have seen this film last month .	मैं ने पिछले महीने यह सिनेमा देखा ?
138 Radha got up from her bed.	राधा बिस्तर पर से जाग उठी।
139 Let everybody leave this place.	हरेक को यह स्थान छोड़ना चाहिए।
140 Krishna can do any work which you say.	तुम जो कहते , उसे कृष्णा कर सकता है।
141 Lion was killed by Raju.	राजू से सिंह मारा गया।
142 I had gone to Hyderabad.	मैं हैदराबाद गया था।
143 Narayan's school is near railway station.	नारायण की पाठशाला रेलवे-स्टेशन के पास है
144 Sita is coming from this school.	सीता इस स्कूल से आ रही है।
145 Never utter lie./ Don't tell lies.	कभी झूठ मत बोलो।

146 Her brother's name is Ramayya.	उसके भाई का नाम रामय्या है।
147 After coming here, I will meet you again.	यहाँ आने के बाद मैं तुम से फिर मिलूँगा।
148 Though he is young he can speak well.	वह छोटा है, फिर भी अच्छी तरह बोल सकता है।
149 How is this fruit ?	यह फल कैसा है ?
150 The boys are learning Hindi .	वे लड़के हिन्दी सीख रहे हैं।

14.4 अनुच्छेदों के अनुवाद (PARAGRAPH TYPE)

ENGLISH TO HINDI

Translation into Hindi: (हिन्दी में अनुवाद कीजिए)

1) Kalidas is known as the Shakespeare of India. His name has been immortalized in the History of Sanskrit Literature. He was at the head of the celebrated nine gems which adorned the court of Vikramaditya. The poems and dramas of Kalidas have elicited unreserved praise not only from Indian scholars but even from European critics like Maxmollar. The age in which kalidas flourished and the place where was born are matters of dispute. But true genius is independent of time and place and although the century of Kalidasa is far remote, his fame is shining with undiminished grandeur even in our own days.

ज) कालिदास भारत वर्ष के शेक्सपियर कहे जाते हैं। संस्कृत के इतिहास में उनका नाम अमर हो गया है। विक्रमादित्य के दरबार को जो प्रसिद्ध नवरत्न शोभायमान कर रहे थे। उन में कालिदास अग्रगण्य थे। भारतीय विद्वानों ने ही नहीं प्रस्तुत यूरोप के मैक्समूलर प्रभृति कसमालोचकों ने भी मुक्तकंठ से कालिदास के काव्यों और नाटकों की प्रशंसा की। कालिदास किस युग में विद्यमान थे, उनका जन्म स्थान कहाँ था, ये विवादास्पदविषय हैं। किन्तु वास्तविक प्रतिभा को देश-काल की अपेक्षा नहीं रहती। यद्यपि कालिदास की सताब्दी को बीते बहुत दिन हो गये तथापि उनकी धवल किर्ति आज भी देदीप्यमान है।

2) Pratap sinha become the the Rana of Me wad after his father 's death, but he had no capital and without any means. His kindred and clans were dispirited by defeats after defeats, but they yet possessed their noble spirit. So he thought to recover chit toe. Then hostilities began between the Rana and Moghuls. Pratap was

single handed, he had to oppose the combined efforts of the empire. Therefore he had to flee rock to rock and his family with the fruits of his native hills and bring up his son Amar Sinha, in the face of these difficulties he was undaunted and did not swerve from his firm resolution.

ज) पिता की मौत के बाद प्रतापसिंह मेवाड़ के राणा बने। मगर न उनको राजधानी थी। न विभवा हर पर हर खाकर उनके सगे संबंधी उत्साह रहित हो गये थे। फिर भी उनका आत्मतेज नहीं गया। उन्होंने चितौर का पुनरुद्धार करने की ठानी। राणा और मुगलों में युद्ध शुरू हुआ। राणा अकेले थे और उन्हें सम्पूर्ण मुगल साम्राज्य की सम्मिलित शक्तियों का सामना करना था। इसलिए उन्हें एक पहाड़ से दूसरे पर भागना पड़ता था। अपने परिवार को पहाड़ी फल खिलाकर रखना पड़ता था और अपने पुत्र अमरसिंह को जंगली पशुओं के बीच में रखकर पालना पड़ता था। इन कठिनाइयों के होते हुए भी अटल रहे और अपने दृढ़ संकल्प से जरा भी विचलित न हुए।

3) Vidyasagar was a very generous and charitable man . From his earliest year he helped the poor and needy to the almost of his power . As a boy at school he often gave the little food to another boy who had none. If one of his fellows fell ill . Esmer would go to his house, sit by his bed and nurse him. His name became a household word in Bengal. Rich and poor, high and low, all loved him alike. No beggar ever asked him for relief in vain. He would never have a porter at his gate lest some poor man who wished to see him might be turned away.

ज) विद्यासागर अत्यंत ही उदार और दानी थी। अपने बचपन से ही दिन-दुखियों की सहायता करने में कुछ उठा न रखा। जब अप पाठशाला के छात्र थे , तब आपके जलपान के लिए जो कुछ थोड़ी सामग्री रहती थी उसमें से बहुधा कुछ लिकाल कर ऐसे विद्यार्थी को दे देते थे। जिसके पास कुछ नहीं रहता था। जब सहपाठियों में से कोई बीमार पड़ जाता , तब बालक ईश्वर उसके घर पर में फैल गया। क्या अमीर , क्या गरीब , क्या छोटे , क्या बड़े सब उनके साथ एक-सा प्रेम रखते थे। कोई भिक्षुक उनके पास याचना कर विफल नहीं हुआ। उन्होंने अपने फाटक पर कभी दरबान नहीं रखा। यह इसलिए कि कोई गरीब आदमी मिलना चाहे तो कभी निकाल न दिया जाय।

4) Ali Baba was a poor man. One day when he was cutting wood in the jungle he found a cave in the rocks. It was closed by a strong door. He tried to open it. While he was doing this, a band of robbers came up. Ali Baba hid himself behind some bushes and watched. When the robbers' chief came to the door, he said "Open the door!" The door opened. The robbers went inside. Presently, they came out again and the leader said "Shut the door!" and the door closed. When the robbers were gone, Ali Baba came out of the hiding place and went to the door and uttered the same magic words which the robber – chief had used. The door opened. Ali Baba went in and found the cave full of gold silver and jewels. Ali Baba filled the sack with the money, loaded it on his donkey and went home. He was now a rich man.

शब्दार्थ : Band = सैन्य या गायों का समुदाय ; Robber = लुटेरा , तस्कार ; Jewel = मणि, रत्न ; Sack = बोरा, थैला ।

ज) अलीबाबा एक गरीब आदमी था। दिन वह जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। तब उसने पत्थरों के बीच एक गुफा देखी। गुफा पर मजबूत दरवाजा लगा था वह बन्द था। वह दरवाजा खोलने का प्रयत्न करने लगा। तभी डाकुओं का गिरोह वहाँ आ पहुँचा। अलीबाबा झड़ियों के पीछे छिप गया और वहाँ से उन्हें देखने लगा। तब लुटेरों का सरदार दरवाजे के पास आया तब उसने कहा "खुल जा ससेम" और दरवाजा खुल गया। लुटेरे गुफा के भीतर चले गये। शीघ्र ही वे फिर बाहर आए। तब सरदार ने कहा कि "बन्द हो जा ससेम" दरवाजा बन्द हो गया। जब लुटेरे वहाँ से चले गए तब अलीबाबा छिपे हुए स्थान से बाहर आया। वह गुफा के दरवाजे के पास गया। उसने उनहों जादुई शब्दों का उच्चारण किया जिनका प्रयोग लुटेरों का सरदार किया था। दरवाजा खुल गया। अलीबाबा गुफा के भीतर गया। उसने देखा कि सोने, चाँदी रत्नों से गुफा भरी थी। अलीबाबा ने धन से अपना बोरा भरा। उसे गदहे पर लाद कर घर ले गया। अब अमीर हो चुका था।

5) I (Mahatma Gandhi) am a servant of India and I am trying to serve India. I serve the whole of mankind. I had thought in my early life that the service of India was not against the service of mankind. As I advanced in years and it is hoped my intellect also developed. I have realized that my thinking was right. After about fifty

years of public service of the world. This thinking of mine has become more stronger. This principle is very good. By acceptance of this principle the condition of world can improve and the mutual jealousy among the different nations of the world can be ended.

शब्दार्थ : Whole of mankind = समस्त मानव जाती ; Intellect = बुद्धि ; Public service = जन सेवा ; Principals = सिद्धान्त ; Mutual = पारस्परिक ; Jealousy = ईर्ष्या ।

ज) मैं (महात्मा गाँधी) हिंदुस्तान का सेवक हूँ। मैं हिंदुस्तान की सेवा करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं सम्पूर्ण मानव जाति की सेवा करने के विरुद्ध नहीं हूँ। जैसे-जैसे मेरी आयु में वृद्धि होती गई वैसे-वैसे मेरी बुद्धि भी विकसित होती गई मैं ने अनुभव किया कि मेरी विचार धारा ठीक थी। लगभग पचास वर्षों की जन-सेवा के बाद आज मैं कह सकता हूँ कि देश सेवा संसार की सेवा से किसी तरह कम नहीं है। मेरी यह धारणा और भी मजबूत हो गई है। मेरा यह सिद्धान्त अच्छा है। इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने से विश्व की स्थिति सुधार सकती है। विश्व के विभिन्न देशों के बीच व्याप्त पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष का अंत हो सकता है।

6) *Every one is agreed that poorer people should get more money and more help than they do get and that they should get this help as soon as it can possibly be given. Some of the poor say, "well share out the wealth now there is plenty of it about" , but if we share out the wealth now, no one will be able to run a business and soon most people will have to jobs and no wages. "well, let the state run the business. The state can run the post office and build worship ; why cannot it run every thing else? It could of course. The only problem is , could the state run business better any pay higher wages than the people who are now running the business ? Some people say it could not.*

शब्दार्थ: Everyone-प्रत्येक, सभ; People-निर्धन लोग; Share-अंग ,भाग, हिस्सा; Wealth- ऐश्वर्य , धन ; Wage-कम की मजदूरी, वेतन ; State राज्य; Run-चलना, संभालना ; Problem-समस्या , सवाल ।

ज) प्रत्येक व्यक्ति यह मानता है कि गरीब लोगों को जितना धन और सहायता वस्तुतः मिलती है कि उससे कहीं ज्यादा उन्हें मिलनी चाहिए। यह सहायता जितनी जल्दी मिल सके वह उतना ही अच्छा है।

कुछ गरीब लोगों का विचार है कि समाज के पास जो बहुत सी संपत्ति है उसका बँटवारा सब लोगों में हो। किन्तु ऐसा करने से कोई भी व्यसाय नहीं चल पायेगा। शीघ्र ही इससे अधिकांश लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा ही सभी व्यवसाय चलाये जायें। वे कहते हैं कि जब सरकार डाकघर चला सकती है तथा जंगी दहाज बना सकती है तो अन्य कार्यों को क्यों नहीं संभाल सकती? उत्तर में कहा जा सकता है कि सरकार निस्संदेह यह सब कुछ कर सकती। प्रश्न है क्या सरकार सभी व्यवसायों को बेहतर ढंग से चला सकती है और कर्मचारियों को पहले से अधिक वेतन न दे सकती है? कुछ लोगों का कहना है कि वह ऐसा कर सकती है तथा अन्य लोगों का कहना है कि वह ऐसा नहीं कर सकती।

7) The period to twenty years of political freedom is not very long in the life of a country but today we are in that age of atomic progress when distances of time and space are coming to an end. Crossing the limit of the earth man is going to take and adventurous jump to reach the moon. Nations like Russia and America putting aside their traditional political opposition are ready to co-operate in the fields of science and outer space. At such a time the indulgence in violent activities leading to the tarnishing of national glory by our country man who regard the whole earth as one family is an indication of the fact that our country is not fit for political governance.

शब्दार्थ : Political freedom = राजनीतिक स्वाधीनता ; Atomic progress = आणविक प्रगति ; अद्वेन्तुरौस = साहसिक ; Traditional = परंपरागत ; Space = अन्तरिक्ष ; Violent activities = हिंसात्मक कार्य ; तरनीश = मलिन करना , धुंधला होना ; National glory = राष्ट्रीय गौरव ; Indication = लक्षण चिन्ह ; Governance = अधिकार , शासन ।

ज) बीस वर्ष की राजनीतिक स्वाधीनता का काल किसी देश के जीवन में बहुत अधिक नहीं होता। किन्तु आज हम आणविक प्रगति के उस युग में हैं स्थान और समय की दूरियाँ धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही हैं। भूमि की परिधि को पार कर आज का मनुष्य चंद्रमा तक पहुँचने के लिए एक साहसिक छलांग लगाने जा रहा है। अपने परंपरागत राजनैतिक विरोधों को छोड़कर रूस एवं अमेरिका जैसे देश विज्ञान एवं अन्तरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। ऐसे समय में वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास

रखानेवाले हमारे देशवासियों का हिंसात्मक उपद्रवों में भाग लेकर राष्ट्रीय गौरव को क्षति पहुँचाना यह सूचित करता है कि हमारा राष्ट्र राजनैतिक स्वशासन के अयोग्य है।

8) Discipline is very essential in every walk of life. Discipline is the soul of military life. Without discipline an army is no better than a Crowd. It is the first thing needed for maintaining the harmony and concord in a family. It is equally necessary in maintaining peace and harmonious relation in society or in a nation. Without discipline we are no better than brutal. If there is no discipline in gods creation, chaotic conditions will prevail and this universe would come to topsy-turvy down in no time. "Learn to obey if you wish to command: There is much truth in this proverb . Childhood is the part of a man's life when it can easily be molded. If a student forms disciplined habits in his school career, it will have a good effect upon future life.

शब्दार्थ : Discipline = अनुशासन ; Essential = आवश्यक ; Soul = शरीरात्मा , प्राण ; Crowd = भीड़ ; Harmony = शांति, एकता ; Concord = मेल , सौहार्द ; Brute = मूर्ख , पशु ; Chaotic conditions = अस्त व्यस्त परिस्थितियाँ ; Universe = विश्व , ब्रह्माण्ड ; Obey = आज्ञा पालन करना , कहना मानना ; Command = आज्ञा देना ; Proverb = कहावत ; Mould = ढालना ; Career = जीवन वृत्ति ; Future life = भावी जीवन ; topsy-turvy = विपर्यस्त , उल्टा-पुल्टा, अव्यवस्थित ।

ज) जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन की महत्ता आवश्यक है। अनुशासन वस्तुतः सैनिक जीवन का प्राण-तत्व है। अनुशासन के अभाव में सेना मात्र भीड़ बनकर रह जाएगी। परिवार में एकता , मेल शांति और सौहार्द बनाये रखने के लिए अनुशासन सबसे पहले आवश्यकता है। समाज या देश में शांति और एकता बनाए रखने के लिए अनुशासन उतना ही आवश्यक है। अनुशासन के अभाव में हम और पशुओं में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अनुशासन के अभाव ईश्वर की सृष्टि भी छिन्न-भिन्न हो जाएगी। शिघ्र ही यह ब्रह्माण्ड भी रसातल को चला जाएगा। यदि आज्ञा देना हो तो पहले आज्ञा का पालन करना सीखो। इस कहावत में काफी सत्यांश है। बचपन मानव जीवन की वह अवस्था है। जिसमें हम मनुष्य को जैसे

चाहे वैसा बना सकते हैं अर्थात् उसके जीवन को मनचाहा मोड़ दे सकते हैं। यदि छात्र अपने जीवन में अनुशासन को लाने का प्रयास करेगा तो इससे उसके भावी जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

9) *Our character is very much affected by the company we keep. The mind of youth is very susceptible, is capable of quickly receiving impressions. Hence a youth quickly imbibes the disposition of his companions. Boys are spoiled in youth if they keep company with bad boys and improve if their companions are of good disposition and character. In choice of friends and playmates boys cannot be depended upon for their judgment is not ripe and they cannot resist the temptation which bad companions put in their way. The paths of vice are full of charms for the youthful minds and boys like such companions as lead them to these paths.*

ज) हम लोग जो संगति रखते हैं उसका प्रभाव हमारे चरित्र पर बहुत कुछ पड़ता है। युवक का चित्त बहुत कोमल होता है, उसकी अनुकरण प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। इसी से युवा पुरुष बहुत शीघ्र अपने सगियों के स्वभाव को ग्रहण कर लेता है। दुष्ट लड़कों की संगति में पड़ जाने के कारण बालक बचपन में ही खराब हो जाते हैं। और सभी अच्छे होते तो उन्नति प्राप्त कराते। मित्रों और खेल के साथियों को चुनने में लड़कों पर नहीं रखा जा सकता क्योंकि उनका विचार पक्का नहीं होता और और बुरे साथी जो प्रलोभन उनके मार्ग में रखते हैं। उनका वे संवरण नहीं कर सकते। पाप के मार्ग तरुण बलकों को बड़े ही मनोहर प्रतीत होते हैं और बालक ऐसी ही साथियों को पसंद करते हैं जो उन्हें इन मार्गों पर ले जाते हैं।

10) *It is true that a sense of duty may at times render it necessary for you to do that which is displeasing to your companions. But if it seem that you have a kind spirit, that you are above selfishness that you are willing to make sacrifices of for our convenience to promote the happiness of your associates, you will never be in want of friend. You must not regard it as your misfortune, but as your fault, when others do not love you. It is not wealth, that will give you friends. Your friends. Your*

heart must glow with kindness if you would attract to yourself the esteem and affection of those by whom you are surrounded.

ज) यह बात सती है कि कभी-कभी कर्तव्य-ज्ञान के अनुरोध से तुम को ऐसा करना आवश्यक हो जाता है। जो तुम्हारे साथियों को अप्रिय जान पड़े ; मगर यदि यह देखा जाय कि तुम्हारा मन दयालु है तुम स्वार्थ से परे हो और तुम्हें अपने सहचरों के सुख साधन के लिए अपने व्यक्तिगत सुविधा को देने की इच्छा रहती है तब तुम्हें मित्रों का कभी अभाव नहीं होगा। यदि दूसरे लोग तुम्हारे साथ प्रेम नहीं रखते तो तुमको इसे अपना दुर्भाग्य नहीं वरन अपना अपराध समझना चाहिए। मित्रों का मिलना ने सौंदर्य से होता है न धन से। यदि तुम अपने चारों ओर के प्रतिनिवेशों का स्नेह भाजन और श्रद्धापात्र बनना चाहते हो तो तुम्हारा अंतः करण दया के भाव से ओतप्रोत रहना चाहिए।

14.5 अनुवादक एवं अनुवाद के गुण या विशेषताएँ :

1. स्रोत भाषा की सामग्री को लक्ष्य भाषा में सावधानीपूर्वक प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए।
2. अच्छे अनुवाद के लिए अभिव्यक्ति सुबोध, प्रांजल और प्रवाहमयी होती है।
3. अनुवाद मूलतः भावानुवाद होना चाहिए, शाब्दिक रूपान्तरण भर नहीं।
4. अच्छे अनुवाद में मूल रचना की भाषा-शैली सुरक्षित रहना चाहिए।
5. अनुवाद की भाषा स्रोत भाषा की प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। अतः अनुवादक को स्रोत भाषा की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित होना चाहिए।
6. अच्छे अनुवाद की भाषा सुबोध होनी चाहिए जिससे कि आसानी से समझ में आ सके।
7. अनुवाद की प्रक्रिया में स्रोत भाषा की प्रतीक-व्यवस्था को लक्ष्य भाषा के अनुरूप परिवर्तित करना होता है। इसलिए स्रोत भाषा के समानार्थी प्रतीक ही लक्ष्य भाषा में खोजना चाहिए।
8. अनुवाद जीवन्त हो तथा उसकी भाषा में प्रवाहमयता हो।
9. शब्दों को स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में रूपान्तरित करते समय उसके लिंग, वचन और व्याकरणिक रूपों की संगति का ध्यान रखना आवश्यक है।
10. एक अच्छा अनुवादक वह होता है जिसे स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा पर पूरा अधिकार हो, दोनों भाषाओं की संरचनात्मक बनावट, पदबंध-प्रयोग, वाक्य गठन आदि को अच्छी तरह समझता हो।

14.6 सारांश :

किसी भाषा में कही या लिखी गयी बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन अनुवाद (Translation) कहलाता है। अनुवाद का कार्य बहुत पुराने समय से होता आया है। संस्कृत में 'अनुवाद' शब्द का उपयोग शिष्य द्वारा गुरु की बात के दुहराए जाने, पुनः कथन, समर्थन के लिए प्रयुक्त कथन, आवृत्ति जैसे कई संदर्भों में किया गया है। संस्कृत के 'वद्' धातु से 'अनुवाद' शब्द का निर्माण हुआ है। 'वद्' का अर्थ है बोलना। 'वद्' धातु में 'अ' प्रत्यय जोड़ देने पर भाववाचक संज्ञा में इसका परिवर्तित रूप है 'वाद' जिसका अर्थ है- 'कहने की क्रिया' या 'कही हुई बात'। 'वाद' में 'अनु' उपसर्ग जोड़कर 'अनुवाद' शब्द बना है, जिसका अर्थ है, प्राप्त कथन को पुनः कहना। इसका प्रयोग पहली बार मोनियर विलियम्स ने अंग्रेजी शब्द ट्रांसलेशन (translation) के पर्याय के रूप में किया। इसके बाद ही 'अनुवाद' शब्द का प्रयोग एक भाषा में किसी के द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री की दूसरी भाषा में पुनः प्रस्तुति के संदर्भ में किया गया।

वास्तव में अनुवाद भाषा के इन्द्रधनुषी रूप की पहचान का समर्थतम मार्ग है। अनुवाद की अनिवार्यता को किसी भाषा की समृद्धि का शोर मचा कर टाला नहीं जा सकता और न अनुवाद की बहुकोणीय उपयोगिता से इन्कार किया जा सकता है। पर्यायस्वरूप 'अनुवाद' शब्द का स्वीकृत अर्थ है, एक भाषा की विचार सामग्री को दूसरी भाषा में पहुँचना। अनुवाद के लिए हिंदी में 'उल्था' का प्रचलन भी है। अंग्रेजी में TRANSLATION के साथ ही TRANSCRIPTION का प्रचलन भी है, जिसे हिन्दी में 'लिप्यन्तरण' कहा जाता है। अनुवाद और लिप्यन्तरण का अन्तर इस उदाहरण से स्पष्ट है -

HIS DREAMS BECAME TRUE - अनुवाद

USKE SAPNE SACH HUE - लिप्यन्तरण (TRANSCRIPTION)

इससे स्पष्ट है कि 'अनुवाद' में हिन्दी वाक्य को अंग्रेजी में प्रस्तुत किया गया है जबकि लिप्यन्तरण में नागरी लिपि में लिखी गयी बात को मात्र रोमन लिपि में रख दिया गया है। अनुवाद के लिए 'भाषान्तर' और 'रूपान्तर' का प्रयोग भी किया जाता रहा है। लेकिन अब इन दोनों ही शब्दों के नए अर्थ और उपयोग प्रचलित हैं। 'भाषान्तर' और 'रूपान्तर' का प्रयोग अंग्रेजी के INTERPRETATION शब्द के पर्याय-स्वरूप होता है, जिसका अर्थ है दो व्यक्तियों के बीच भाषिक सम्पर्क स्थापित करना। कन्नडभाषी व्यक्ति और असमिया भाषी व्यक्ति के बीच की भाषिक दूरी को भाषान्तरण के द्वारा ही दूर किया जाता है। 'रूपान्तर' शब्द इन दिनों प्रायः किसी एक विधा की रचना की अन्य विधा में प्रस्तुति के लिए प्रयुक्त है। जैस, प्रेमचन्द के उपन्यास 'गोदान' का रूपान्तरण 'होरी' नाटक के रूप में किया गया है।

किसी भाषा में अभिव्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में यथावत् प्रस्तुत करना अनुवाद है। इस विशेष अर्थ में ही 'अनुवाद' शब्द का अभिप्राय सुनिश्चित है। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है, वह मूल भाषा या स्रोत

भाषा है। उससे जिस नई भाषा में अनुवाद करना है, वह 'प्रस्तुत भाषा' या 'लक्ष्य भाषा' है। इस तरह, स्रोत भाषा में प्रस्तुत भाव या विचार को बिना किसी परिवर्तन के लक्ष्यभाषा में प्रस्तुत करना ही अनुवाद है।

14.7 बोध प्रश्न :

1. अनुवादक एवं अनुवाद के गुण या विशेषताएँ क्या है ?
2. अनुवाद कितने प्रकार है ? ये क्या हैं ?
3. अनुवाद की समस्याएँ के बारे में आप क्या जानते हैं ?
4. अनुवाद प्रक्रिया की प्रकृति ?
5. अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न चरण लिखिए।
6. अनुवाद की मूल्यांकन क्या है ?
7. अनुवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है ?
8. शब्द प्रतीक क्या है? अनुवाद का व्यवहारिक पक्ष क्या है ?
9. आने वाला युग कौन सा युग कहलायेगा।

14.8 संदर्भ ग्रन्थ :

1. व्यावहारिक अनुवाद - डॉ. येन ई. अय्यर
2. अनुवाद भाषाएँ – समस्याएँ – विश्वनाथ अय्यर
3. अनुवाद कला कुछ विचार – आनंदा प्रकाश खेमणी, वेद प्रकाश
4. अनुवाद अनुसृजन – डॉ. ए. अरविंद क्षण

डॉ.अन्नदासु. सरला देवी

UNIT – V : पाठ -15

प्रयोजन मूलक हिन्दी (Functional Hind)

उद्देश्य -

प्रयोजन मूलक हिन्दी के अंतर्गत हम विविध अंशों में , विभिन्न लोगों से और कार्यालयों से भेजे जाने वाले पत्राचार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस इकाई के अंतर्गत हम निम्न अंशों को पढ़ेंगे।

1. पत्राचार किस प्रकार विभिन्न भाषा भाशियों के बीच सेतु का काम करता है। इस के बारे में जान पायेंगे।
2. कार्यालीन पत्राचार किसे कहते हैं ? उससे संबंधित मुख्या अंश के बारे में जान पायेंगे।
3. कार्यालीन पत्राचार के प्रकार , उद्देश्य , विशेषताएँ आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
4. कार्यालय पत्राचार के विधि विधान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

इकाई की रूपरेखा :

15.1 प्रस्तावना

15.2 कार्यालीन पत्राचार – पत्रों के प्रकार और महत्व

15.2.1 व्यक्तिगत या निजी या पारिवारिक पत्र।

15.2.2 सामाजिक पत्र।

15.2.3 व्यावसायिक पत्र।

15.2.4 प्रशासकीय पत्र।

15.2.5 कार्यालयीन पत्र।

15.3 कार्यालीन पत्राचार की विधि

15.3.1 एक उचित संबंध बनाए रखना.

15.3.2 सबूत के रूप में कार्य करता है

15.4 कार्यालीन पत्राचार की विशेषताएँ

15.4.1 सुस्पष्टता

15.4.2 एकात्मकता या एकान्विति

15.4.3 सहजता

15.4.4 यथार्थता

15.4.5 संक्षिप्तता

15.4.6 स्वतः पूर्णता

15.4.7 शालीनता

15.4.8 प्रभावात्मकता

15.4.9 मौलिकता

15.5 पत्र से संबंधित शब्दावली

15.6 सारांश

15.7 बोध प्रश्न

15.8 सहायक ग्रन्थ

15.1 प्रस्तावना :

हिंदी में प्रयोजनमूलक हिन्दी शब्द 'functional language' के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है , जिसका तात्पर्य है-जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लायी जाने वाली भाषा ।'इसका प्रमुख लक्ष्य जीविकोपार्जन का साधन बनना होता है ।

यह हिंदी साहित्य तक सीमित नहीं है , बल्कि प्रशासन , कार्यालय , मीडिया , बैंक , विधि , कृषि , वाणिज्य , तकनीकी , विज्ञापन , विज्ञान , शैक्षिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग में ली जा रही है । विभिन्न व्यवसायों से संबंधित व्यक्तियों जैसे- डॉक्टर , वकील , पत्रकार , मीडियाकर्मी , व्यापारी , किसान , वैज्ञानिक आदि के कार्य-क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा ही 'प्रयोजनमूलक' भाषा कहलाती है ।

परिपत्र का अर्थ : जब कोई सूचना या निर्देश एक साथ अनेक कार्यालयों को प्रेषित की जाती है , तो उसे परिपत्र कहते हैं। सूचना की पुष्टि के लिए प्रायः परिपत्र के साथ एक अलग नोटिस प्रेषित की जाती है । प्रायः कार्यालयों में परिपत्र के मुद्रित फार्म होते हैं जिन पर उस कार्यालय या कार्यालय का नाम मुद्रित रहता है । यह पत्र लगभग ज्ञापन के रूप में होता है । सबसे ऊपर दाहिने परिपत्र संख्या लिख दी जाती है और उसके बाद थोड़ी जगह छोड़कर अगली पंक्ति के लगभग मध्य में विषय का संकेत रहता है । प्रेषक का नाम तभी दिया जाता है जब परिपत्र मुख्यालय से बाहर अधीनस्थ कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है। इसमें संदर्भ , संबोधन और अधोलेख (भवदीय) की आवश्यकता नहीं होती है। हस्ताक्षर और कोष्ठक में नाम तथा पदनाम अंकित हो

15.2 कार्यालयीन पत्राचार परिचय :

कार्यालयी पत्राचार से आशय- 'कार्यालय सम्बन्धी' काम-काज निपटाने के लिए किया जाने वाला विविध प्रकार का पत्राचार कार्यालयी पत्राचार कहलाता है। 'कार्यालय' के लिए अंग्रेजी शब्द 'ऑफिस' प्रचलित है। बोलचाल में इसके लिए हम-आप हिन्दुस्तानी का शब्द 'दफ्तर' का प्रयोग करते हैं। कार्यालयीन पत्राचार एक प्रकार से औपचारिक पत्राचार है, जिसका प्रयोग मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों में सरकारी निर्णयों की सूचना देने अथवा प्राप्त करने हेतु किया जाता है । पत्र द्वारा भावों , विचारों या अपेक्षित सूचनाओं का संप्रेषण एवं सम्पर्क स्थापित करना ही पत्राचार कहलाता है ।

पत्राचार लिखित सम्प्रेषण का एक साधन है। मनुष्य जीवन में सम्प्रेषण खासकर पत्राचार भी एक अहम भूमिका होती है। यह प्रश्न उठता है कि मौखिक सम्प्रेषण के बावजूद मनुष्य को लिखित सम्प्रेषण की आवश्यकता क्यों हुई? इस का उत्तर है कि गोपनीय या गुप्त सूचनाएँ देने की सुविधा, अवसरोचित तर्क निरूपण, समय व धन की बचत, तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त करने की सुविधा, आदि उनके सुविधाएं मौखिक सम्प्रेषण में रहने के बावजूद जहाँ स्थिरता प्रदान करने की बात आती है वहाँ लेखन या लिपि का सहारा लेना पड़ता है। ध्यातव्य है कि भाषा के विकास में तब तक नया मोड़ आया। प्रशासनिक(सरकारी) पत्राचार के स्वरूप यह है कि-ये कार्यालय देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैले रहते हैं। उनका सम्बन्ध पत्रों द्वारा स्थापित होता है। सरकारी कार्यालयों में सबसे अधिक प्रयोग पत्राचार से ही होता है। पत्र सरकारी कार्यालयों में उनकी कार्य-पद्धति एवं सम्प्रेषण की रीढ़ की हड्डी होती है। पत्राचार व्यक्ति के दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान अदा करता है। इतिहास गवाह है कि प्राचीन कल में यानी सूचना क्रांति से पहले समाज में संदेश के आदान प्रदान या माध्यम पत्र के माध्यम से होता था। संदेश एक संदेश वाहक के माध्यम से लाया और ले जाया था। और यहाँ तक भी तथ्य उपलब्ध होते हैं कि पत्राचार में पालतू जानवर एवं पक्षी भी बनाने का जिक्र उपलब्ध होता है।

15.3 कार्यालीन पत्राचार – पत्रों के प्रकार और महत्व :

जो भी हो, पत्राचार एक सामाजिक प्रक्रिया है। जिसके विविधा रूप प्रपट होते हैं, ये हैं –

15.3.1 व्यक्तिगत या निजी या पारिवारिक पत्र।

15.3.2 सामाजिक पत्र।

15.3.3 व्यावसायिक पत्र।

15.3.4 प्रशासकीय पत्र।

15.3.5 कार्यालयीन पत्र।

इन पत्रों का अपने-अपने क्षेत्रों में अपना-अपना महत्व होता है।

15.2.1 व्यक्तिगत या निजी या पारिवारिक पत्र।

ये पत्र अपने परिवार के व्यक्तियों, संबंधियों, मित्रों तथा परिचितों लिखे जाते हैं। इनमें पारिवारिक बातों, आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं का उल्लेख किया जाता है। निमंत्रण-पत्र, बधाई-पत्र, शोक संवेदना-पत्र आदि इनके अंतर्गत आते हैं।

15.2.2 सामाजिक पत्र।

गैर-सरकारी पत्र व्यवहार को सामाजिक पत्राचार कहते हैं। इसके अंतर्गत वे पत्रादि आते हैं, जिन्हें लोग अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में लाते हैं। इस प्रकार के पत्रों के अनेक रूप प्रचलित हैं। कुछ

सामाजिक पत्र इस प्रकार हैं- 1. सम्बन्धियों के पत्र, 2. बधाई पत्र, 3. शोक पत्र, 4 परिचय पत्र, 5. निमन्त्रण पत्र, 6. विविध पत्र।

सामाजिक पत्र (Social letters):- ये पत्र अपने मित्रों, सगे-सम्बन्धियों एवं परिचितों को लिखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त सुख-दुःख, शोक, विदाई तथा निमन्त्रण आदि के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, वे भी 'सामाजिक पत्र' कहलाते हैं। पत्रलेखन सभ्य समाज की एक कलात्मक देन है।

15.2.3 व्यावसायिक पत्र।

व्यावसायिक पत्रों को अच्छी खबर, बुरी खबर, धन्यवाद, स्वीकृति, निमन्त्रण, अनुरोध, समस्या, अस्वीकृति या शिकायतों को व्यक्त करने के लिए लिखा जाता है। यह आम तौर पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाते हैं और यह कंपनी के लेटरहेड पर लिखा होता है। धनोपार्जन व्यवसाय का मूल उद्देश्य है। व्यावसायिक पत्र इस दिशा में भी महत्वपूर्ण है। इनसे कम-से-कम धन खर्च कर दूरस्थ अनेक व्यक्तियों से सम्पर्क किया जा सकता है। ये पत्र व्यापारियों की साख बनाते हैं और व्यापारियों के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते हैं।

15.2.4 प्रशासकीय पत्र

शासकीय पत्र की विषय वस्तु शासकीय नीति, निर्णय, आदेश तथा निर्देश के संबन्धित होती है। जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। शैली : इस पत्र की शैली अन्य पुरुष होती है तथा यह पत्र तटस्थ भाव से लिखा जाता है। इसकी भाषा सुस्पष्ट, संयम और औपचारिक होती है।

इसका प्रयोग सरकार के आंतरिक प्रशासन, सूचनाओं के आदान-प्रदान, प्रशासनिक मंत्रालय से की जाने वाली कार्रवाई की सहमति प्राप्त करने, सरकार की नीतियों / निर्णयों की जानकारी देने तथा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाने आदि के लिए किया जाता है।

15.2.5 कार्यालयी पत्र

सरकारी कर्मचारियों अथवा अधिकारियों द्वारा एक कार्यालय अथवा विभाग से दूसरे कार्यालय अथवा विभाग को अथवा एक कार्यालय से अपने ही विभाग के अंदरूनी कामकाज के लिए लिखे गये पत्र शासकीय अथवा सरकारी पत्र कहलाते हैं। इस आलेखन का ज्ञान सरकारी कर्मचारियों के अलावा गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए भी आवश्यक होता है क्योंकि, प्रायः व्यापारिक संस्थान को परमिट, लाइसेंस तथा ठेके आदि के लिए सरकार से पत्र-व्यवहार करना पड़ता है।

अतः उन्नत आलेखन से उनका परिचित होना आवश्यक है। प्रशासनिक पत्र में विशिष्ट शैली का उपयोग किया जाता है। इनमें न तो पारिवारिक पत्रों की भाँती आत्मीयता का संस्पर्श होता है और न व्यापारिक पत्रों की औपचारिकता का ही निभाव होता है, अतएव इन पत्रों की भाषा अपेक्षकृत शुष्क होती है। संदेह, अनिश्चय और अतिशयोक्ति इन पत्रों के दोष कहलाते हैं। ये पत्र यथासंभव संक्षिप्त, स्पष्ट और तटस्थ होते हैं। प्रशासन के पहिए

को गतिमान करने के लिए अनेक प्रकार की समस्याएँ आती हैं। उनका समाधान करना पड़ता है। सूचनाओं का आदान-प्रदान करना पड़ता है। अपनी नीतियों के प्रति जनमत जानना होता है। नियुक्ति तथा पदोन्नति आदि को लिखित कार्यवाही करनी पड़ती इन विविधलक्षी कार्यों के लिए , विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रशासन में विभिन्न प्रकार के पत्रों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से प्रमुख पत्र इस प्रकार हैं-

1. कार्यालयी पत्र, सामान्य शासकीय पत्र अथवा सरकारी पत्र (Official Letter)
2. कार्यालय ज्ञापन (Official Memorandum)
3. ज्ञापन (Memorandum)
4. कार्यालय आदेश (Office order)
5. परिपत्र (Circular)
6. अर्द्धसरकारी शासकीय पत्र (Demy – Official Letter)
7. अनौपचारिक टिप्पणी, संदर्भ (Un – Official Note)
8. अनुस्मारक (Remainder)
9. पृष्ठांकन, पराकन (Endorsement)
10. शासकीय संकल्प (Resolution)
11. अधिसूचना (Notification)
12. प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट (Press communiqué)
13. तार (Telegram)
14. द्रुत पत्र/तुरन्त पत्र (Express Letter)
15. मितव्यय पत्र/बचत पत्र (Sari gram)
16. सूचना, विज्ञापन, निविदा तथा नीलामा
17. राज पत्र (Gazette)

विभिन्न प्रशासनिक अथवा शासकीय पत्रों में लेखन का स्वरूप भिन्न-भिन्न रहता है। सामान्य रूप से एक प्रशासकीय आलेखन के निम्नलिखित अवयव होते हैं-

15.3 कार्यालीन पत्राचार की विधि

सरकारी कार्यालयों में सबसे अधिक प्रयोग पत्राचार का ही किया जाता है। पीटीआर सरकारी कार्यालयों में उनकी करी – पद्धति एवं सम्प्रेषण प्रणाली की रीढ़ की हड्डी का करी कराते हैं। विभिन्न देश- विदेशों की सरकारों विविध कार्यालयों , सार्वजनिक उद्यमों , संस्थाओं , बैंकों के कार्यालय , कंपनियों , निगमों तथा सामान्य जनता से संपर्क स्थापित करने और करी विधि को गतिशीलता प्रदान करने हेतु पत्रों का प्रयोग मुख्यतः

किया जाता है। साथ ही सरकारी प्रयोजनों के लिए अनौपचारिक टिप्पणियों कार्यालय ज्ञापनों , अर्ध-सरकारी पत्रों। परिपत्र, अधिसूचनाओं का भी प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है।

सरकारी कार्यालयों में दैनिक- पत्र व्यवहार की एक निश्चित विधि होती है। सर्वप्रथम पत्रों का प्रारूपण येयर करके संबंधित अधिकारी से अनुमोदन कराये जाने के बाद टंकित कराके मूल हस्ताक्षरार्थ अधिकारी को प्रेषित किया जाता है। इन पत्रों का प्रारूपण सुस्पष्ट , सरल भाषा में तैयार किया जाना चाहिए। इनमें द्विअर्थक शब्दों का प्रयोग वर्जित है , इन पत्रों की एक सुनिश्चित एवं व्यवस्थित लेखन परंपरा है। उसका अनुसरण आवश्यक होता है। परोपकार अपनी ओर से कोई भी बात नहीं कह सकता है , उसे तथ्यपरक एवं पूर्व संदर्भों सहित सारी बातों में निरपेक्ष रूप में कहानी है , शासकीय पत्रों में कई अनुच्छेद हो सकते हैं , परंतु पहले अनुच्छेद को छोड़कर बाकी अनुच्छेदों पर क्रमोल्लेख किया जाता है। कार्यालयी पत्राचार के दो रूपों हैं।

व्याख्या:

- पत्र के रूप में कोई भी पत्राचार है।
- किसी व्यवसाय से संबंधित कोई भी व्यक्ति व्यावसायिक पत्राचार के बावजूद स्वयं को व्यक्त करता है।
- कोई भी व्यापार पत्राचार के माध्यम से किसी भी संदेह या अनिश्चितता दूर कर सकते हैं।
- एक व्यापारी लिखता है और दिन के जीवन के लिए अपने दिन में पत्र प्राप्त करता है।
- दो संगठनों के बीच या किसी संगठन के भीतर एक पत्राचार इस श्रेणी के तहत आता है।
- एक व्यापार पत्राचार कुछ संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है।
- कोई भी इसके माध्यम से उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। उनमें से कुछ हैं:

1. एक उचित संबंध बनाए रखना।

- किसी भी व्यवसाय या संगठन के लिए विशेष रूप से किसी भी व्यक्ति तक पहुंचना हमेशा संभव नहीं होता है।
- इससे किसी भी कारोबार पर खर्च होगा।
- व्यापारिक पत्राचार से व्यापार मजबूत होता है। यह संगठन के भीतर संचार को अधिक स्पष्ट और सटीक बनाता है।

2. सबूत के रूप में कार्य करता है।

- संचार का कोई भी लिखित रूप साक्ष्य के रूप में कार्य करता है।
- एक व्यावसायिक पत्राचार एक व्यवसाय में व्यक्ति को सभी तथ्यों का रिकॉर्ड रखने में मदद करता है।

15.4. कार्यालयी पत्रों की विशेषताएँ-

कार्यालयी पत्रों की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं -

15.4.1 सुस्पष्टता – कार्यालयी पत्रों की सर्वप्रमुख विशेषता उसकी सुस्पष्टता है। पत्र चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। पत्र प्राप्तकर्ता यदि पत्र-प्रेषक के आशय 1 को स्पष्ट रूप से ग्रहण नहीं कर पाता तो पत्र का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। जैसे यदि पत्र-प्रेषक अपने किसी परिजन को पत्र द्वारा किसी बात की विशेष कार्यक्रम की अथवा निजी या पारिवारिक स्थिति की सूचना देना चाहता है , तो वह सूचना स्पष्ट होनी चाहिए। कार्यालयी पत्रों में तो स्पष्टता का गुण सर्वोपरि माना जाता है। निविदा-पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि किस कार्य , किस अवधि के लिए किस विधि के अनुसार निविदाएँ जा रही हैं , आवेदनकर्ता की आर्थिक अथवा अनुभव-सम्बन्धी अर्हता क्या है आदि। निविदाएँ आमंत्रित करने वालों ने जो-जो तथ्य माँगे हों उनका स्पष्ट ब्यौरा देना चाहिए। इसी प्रकार शिकायती पत्र में शिकायत का मूल विषय सम्बद्ध प्रसंग या सन्दर्भ आदि सभी बातें स्पष्ट रूप से उल्लिखित होनी आवश्यक है।

किसी पत्र को पढ़ने पर यदि प्राप्तकर्ता यह कहता है कि पता नहीं यह क्या कहना चाहता है तो इसका कारण पत्र की अस्पष्टता है। पत्र को इस दोष से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। स्पष्टता का दूसरा पक्ष उसकी सुवाच्यता से सम्बन्धित है। लिखावट साफ-स्पष्ट होने पर ही प्राप्तकर्ता उसे पढ़ और समझ सकता है। इसी तथ्य को सम्मुख रखकर अधिकांश सरकारी और व्यावसायिक संस्थाओं में पत्रों का टंकित होना अनिवार्य माना जाता है, किन्तु अनेक स्थितियों में कुछ पत्र हस्तलिखित ही होते हैं। उनका सुवाच्य होना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि हर कार्यालयी पत्र का पहले प्रारूप (कच्चा खाँका) तैयार किया जाता है, जिसमें स्पष्टता और सुवाच्यता अनिवार्य रूप से अपेक्षित है।

15.4.2 एकात्मकता या एकांन्विति – एक पत्र में प्रायः किसी एक ही विषय , सन्दर्भ अथवा उद्देश्य की पूर्ति सम्भव है। पत्र प्रेष स्वतः पूर्णता क पत्र प्राप्तकर्ता तक जो बात पहुंचाना चाहता वही मुख्य होनी चाहिए। अभिवादन, अनुशंसा अथवा उत्तर पाने की इच्छा आदि तो पत्र के औपचारिक अंग हैं, इनसे पत्र की एकांन्विति भंग नहीं होती; किन्तु यदि किसी पत्र में व्यावसायिक पूछताछ की जा रही है और वर्णन राजनीतिक गतिविधियों का होने लगे तब एकांन्वित भंग होगी, पत्र का मूल सम्बन्ध आशय रह जायेगा। कार्यालयी पत्र में अभीष्ट विषय से सम्बन्धित बातें ही एकसूत्रता या तारतम्य के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए। व्यावसायिक और सरकारी पत्रों में विषय प्रायः निश्चित रहता है और मूलवृत्त लिखना आरम्भ करने से पहले शीर्षक के रूप में उस विषय का निर्देश भी कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में पत्र के भीतर का सारा ब्यौरा शीर्षस्थ विषय से ही सम्बद्ध होना चाहिए।

15.4.3 सहजता – इस गुण के दो पक्ष हैं। एक तो यह कि पत्र में लिखी गयी हर बात सहज रूप में , अकृत्रिम रूप में कही गयी हो। ध्यान रहना चाहिए कि किसी के द्वारा लिखा गया पत्र-विद्वता , भाषा-निपुणता अथवा लेखन प्रतिभा से अधिक उसके कथ्य का वाहक होता है। पत्र पाठक किसी शब्द , वाक्यांश, वाक्य या सन्दर्भ

का स्पष्टीकरण मांगने नहीं आ सकता। सहज , स्वाभाविक रूप में लिखी गयी बात पत्र के उद्देश्य को तत्काल पूर्ण कर देने में समर्थ होगी।

सहजता का दूसरा पक्ष भाषा प्रयोग से सम्बन्धित है। आलंकारिक , लाक्षणिक एवं ध्वन्यात्मक भाषा का प्रयोग कुछ विशिष्ट साहित्यिकों के पत्राचार में तो चल सकता है, कार्यालयी पत्रों में वह सर्वथा परिहार्य है। कार्यालयी पत्रों की शब्दावली प्रायः निर्धारित सी होती है , उससे हटकर अपनी बहुज्ञता का प्रकाशन पत्रों में अपेक्षित नहीं।

15.4.4 यथार्थता : – इस गुण का सम्बन्ध अधिकतर व्यवसायी कार्यालयों के पत्रों से हैं, क्योंकि उनमें तथ्य प्रस्तुति परम आवश्यक है। कार्यालयी पत्रों में सम्बद्ध विषय के सभी पक्षों अथवा तथ्यों की जानकारी न रहने पर अनावश्यक विलंब हो सकता है, बनती हुई बात बिगड़ सकती है, मिलता हुआ क्रयादेश (Purchase Order) रुक सकता है। सरकारी पत्रों में तो यथार्थता से तनिक भी शिथिलता एक प्रकार से अपराध मानी जाती है। बीमा, बैंक, शिकायत, आवेदन, नियुक्ति, पूछताछ, निमंत्रण आदि से सम्बन्धित पत्र भी यथार्थ तथ्यों की अपेक्षा रखते हैं।

15.4.5 संक्षिप्तता – एक बार एक महाशय को कई पत्र खोल-खोलकर बिना पढ़े ही रद्दी की टोकरी में फेंकते देखकर जब कारण पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया-ये पत्र हैं या द्रौपदी के चीर ! कौन इन्हें पढ़ने में समय नष्ट करे। न जाने लोगों को पत्रों में मतलब की हाँकने की फुरसत कैसे मिल जाती है , आदि। सम्भवतः वे महाशय किसी बड़े संस्थान के कोई वरिष्ठ अधिकारी थे , जिन्हें केवल विषय से सम्बद्ध तथ्यों (Only Relevant Matter) से ही सरोकार रहता होगा। उनके स्थान पर चाहे कोई भी हो , तात्पर्य यह है कि बहुत लम्बे पत्रों को पढ़ने का समय और धैर्य आज किसी के पास नहीं; अतः संक्षिप्तता आदर्श पत्र लेखन का मूलभूत गुण है। लम्बे पत्रों को लिखने के लिए भी तो पर्याप्त समय सामग्री और धैर्य चाहिए , किन्तु जब हम पत्र लेखन को एक कुला कहते हैं, तो उस कला की कुशलता संक्षिप्तता में ही निहित है। संक्षिप्त पत्र अभीष्ट सिद्धि और तुरन्त प्रभाव में विशेष सहायक होता है।

15.4.6 स्वतः पूर्णता – कोई भी पत्र अपने कथन या मंतव्य में स्वतः पूर्ण होना चाहिए। उसे पढ़ने के उपरान्त तद्विषयक किसी प्रकार की जिज्ञासा , शंका या स्पष्टीकरण की आवश्यकता शेष नहीं रहनी चाहिए। कई बार देखा गया है कि पत्र-लेखक जिस विचार से पत्र लिखना आरम्भ करता है, वह तो अप्रकट या अपूर्ण रह जाता है तथा अन्यान्य बातों से ही पत्र भर जाता है। कभी-कभी निमंत्रण पत्र में कार्यक्रम के लिए निर्धारित स्थान और समय आदि की पूरी सूचना नहीं होती। इसी प्रकार निविदा पत्र में उसे भरकर भेजने की अन्तिम तिथि और प्रेषणीये पते की भूलें तो प्रायः होती रहती हैं। इस प्रकार की असावधानी न होना ही स्वतः पूर्णता है। कार्यालय पत्र अपने आप में पूरे मसविदे का कार्य करते हैं; अतः उनकी स्वतः और भी आवश्यक है।

15.4.7 शालीनता- किसी पत्र में उसके लेखक के व्यक्तित्व , स्वभाव, पद-प्रतिष्ठाबोध और व्यावहारिक आचरण की झलक मिलती है। सरकारी , व्यावसायिक तथा अन्य कार्यालयी पत्रों की भाषा-शैली एक विशेष शिष्ट स्वरूप लिये होनी चाहिए। अस्वीकृति, शिकायत, खीझ या नाराजगी भी शिष्ट भाषा में प्रकट की जाय , तो उसका अधिक लाभकारी प्रभाव पड़ता है। उदाहरणतः किसी आवेदनकर्ता के आवेदन की अस्वीकृति दो रूपों में भेजी जा सकती है-

(क) 'खेद है कि हम आपकी सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकेंगे। ' अथवा 'आपकी योग्यता का लाभ न उठा पाने का हमें हार्दिक खेद है।'

(ख) 'आप जैसे अयोग्य/अकुशल/अनुभवहीन व्यक्ति के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं ' अथवा 'आपको सूचित किया जाता है कि आपका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया गया है।' उपर्युक्त दोनों प्रकार के उदाहरणों का मंतव्य एक ही है, किन्तु प्रथम उदाहरण में 'शालीनता की छाप है, जबकि दूसरे में अशिष्टता झलकती है।

15.4.8 प्रभावात्मकता – आदर्श पत्र लेखन की अन्तिम और सर्वगुणसन्वित् विशेषता है उसकी समग्र प्रभावान्विति। यदि पत्र किसी मुद्रित पत्र-शीर्ष (Letter Head) वाले कागज पर लिखा गया है , तो उस पत्र-पर्णिका (लैटर-पैड) या पत्र-शीर्ष की साज-सज्जा नयनाभिराम , आकर्षक और प्रभावी होनी चाहिए। अनेक बहुरंगे और आकर्षक छपाई वाले पत्र-शीर्ष तुरन्त ध्यान आकृष्ट कर लेते हैं। यदि पत्र सादे कागज पर लिखा गया है, तो भी लिखावट सुन्दर, स्पष्ट और आकर्षक होनी चाहिए।

15.4.9 मौलिकता – पत्र लेखन के सन्दर्भ में मौलिकता का अभिप्राय नयापन और ताजगी से है । उसमें बातें तो प्रायः वही होती हैं, जो प्रतिदिन लिखी जाती हैं। कार्यालयी प्रक्रिया का ब्यौरा, आवेदन का आधार, योग्यता के आँकड़े, दर-भाव, तथ्यात्मक सूचना आदि। परन्तु उनका प्रस्तुतीकरण एक मौलिक ढंग से होना चाहिए। हर बार एक-सी, घिसी-पिटी, टी. रटायी शब्दावली का प्रयोग पत्र के प्रति रुचि को कम कर देता है । इसके विपरीत नये ढंग से कहीं गयी बात पत्र प्राप्तकर्ता के मन को छू लेती हैं और अधिक प्रभाव डालने में सहायक होती है।

15.5 पत्र से संबंधित शब्दावली :

सामान्य प्रशासन विभाग = General Administration Dept . (GAD)

सचिवालय = Secretariat

मुखी सचिव = Chef Secretary

राजस्व विभाग = Revenue Dept .

विषय = Subject

अनुशासनिक कार्यवाही = Disciplinary Proceedings

जाँच अधिकारी = Enquiry Officer

उपर्युक्त	=	Above mentioned
शासनादेश	=	Government Order (G . O)
विधान सभा	=	Assembly
अभिलेखीय साक्ष्यों	=	Written Evidence
अधिनियम	=	Act
प्रावधान	=	Provision
अधीनस्थ	=	Subordinate
संलग्नक	=	Enclosures
प्रतिलिपि प्रेषित	=	Copy to

15.6 सारांश :

योजनमूलक हिन्दी (Functional Hindi) से तात्पर्य हिन्दी के विज्ञान , तकनीकी, विधि, संचार एवं अन्यान्य गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाली हिन्दी से है। हिन्दी केवल साहित्य की भाषा न रहे बल्कि जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रभावी रूप से प्रयुक्त हो, तभी इसका विकास सुनिश्चित होगा ।

भारत की राजभाषा के पद पर आसीन होने से पूर्व हिन्दी सरकारी कामकाज तथा प्रशासन की भाषा नहीं थी। मुगल शासकों के समय फारसी या उर्दू और अंग्रेजों के समय अंग्रेजी राजकाज की भाषा थी। स्वतन्त्रता के बाद हिन्दी भारत की राजभाषा बनी। इसके फलस्वरूप हिन्दी को साहित्य लेखन के साथ-साथ अब तक अनछुए क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ा , जैसे- आधुनिक ज्ञान-विज्ञान और प्रौद्योगिकी , सरकारी कामकाज तथा प्रशासन, विधि, दूरसंचार, व्यवसाय, वाणिज्य, खेलकूद, पत्रकारिता आदि। इस प्रकार 'प्रयोजनमूलक हिन्दी' की अवधारणा सामने आयी।

आन्ध्र प्रदेश के भाषा-विद् श्री मोटूरि सत्यनारायण के प्रयासों ने सन् 1972 ई. में प्रयोजनमूलक हिन्दी को स्थापना दी। उन्हें चिन्ता थी कि हिन्दी कहीं केवल साहित्य की भाषा बनकर न रह जाए। उसे जीवन के विविध प्रकार्यों (functions) की अभिव्यक्ति में समर्थ होना चाहिए। बनारस में सन् 1974 ई. में आयोजित एक संगोष्ठी के बाद प्रयोजनमूलक हिन्दी के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास हुआ। प्रयोजनमूलक हिन्दी की संकल्पना आने के पहले भारत के विश्वविद्यालयों के हिन्दी विभागों के अन्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर मुख्य रूप से हिन्दी साहित्य एवं आठ प्रश्नपत्रों में से केवल एक प्रश्नपत्र में भाषाविज्ञान के सामान्य सिद्धान्तों एवं हिन्दी भाषा के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन अध्यापन हो रहा था। लेकिन मोटूरि सत्यनारायण ने यह विचार सामने रखा कि । साहित्य एवं प्रशासन के क्षेत्रों के अलावा अन्य विभिन्न क्षेत्रों के प्रयोजनों की पूर्ति के लिए जिन भाषा रूपों का प्रयोग एवं व्यवहार होता है , उनके अध्ययन और अध्यापन की भी आवश्यकता है । हिन्दी भारत की राजभाषा ही नहीं , सम्पर्क भाषा और जनभाषा भी है। हिन्दी केवल साहित्य की भाषा न रहे बल्कि जीवन के

विविध क्षेत्रों में प्रभावी रूप से प्रयुक्त हो , तभी इसका विकास सुनिश्चित होगा। सुखद सूचना यह है कि विविध विश्वविद्यालयों के हिन्दी के पाठ्यक्रमों में 'प्रयोजनमूलक हिन्दी' को स्थान दिया जा रहा है।

प्रयोजनमूलक हिन्दी आज भारत के बहुत बड़े फलक और धरातल पर प्रयुक्त हो रही है। केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच संवादों का पुल बनाने में आज इसकी महती भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। आज इसने कम्प्यूटर, टेलेक्स, तार, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीप्रिंटर, दूरदर्शन, रेडियो, अखबार, डाक, फिल्म और विज्ञापन आदि जनसंचार के माध्यमों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। शेयर बाजार , रेल, हवाई जहाज, बीमा उद्योग, बैंक आदि औद्योगिक उपक्रम , रक्षा, सेना, इन्जीनियरिंग आदि प्रौद्योगिकी संस्थान , तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र, आयुर्विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, विश्वविद्यालय, सरकारी और अर्द्धसरकारी कार्यालय आदि कोई भी क्षेत्र हिन्दी से अछूता नहीं रह गया है। चिट्ठी-पत्री , लेटर पैड, स्टॉक-रजिस्टर, लिफाफे, मुहरें, नामपट्ट, स्टेशनरी के साथ-साथ कार्यालय-ज्ञापन , परिपत्र, आदेश, राजपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक, प्रेस-विज्ञापि, निविदा, नीलाम, अपील, केबलग्राम, मंजूरी पत्र तथा पावती आदि में प्रयुक्त होकर अपने महत्त्व को स्वतः सिद्ध कर दिया है। कुल मिलाकर यह कि पर्यटन बाजार , तीर्थस्थल, कल-कारखने, कचहरी आदि अब प्रयोजनमूलक हिन्दी की जद में आ गए हैं। हिन्दी के लिए यह बहुत ही शुभ है।

15.7 बोध प्रश्न :

1. कार्यालयीन पत्राचार की विशेषताएँ बताइये।
2. पत्र का एक अच्छा प्रारूप तैयार करते समय आवश्यक सूचनाएँ बताइये।
3. पत्रों के प्रकार और पत्र लेखन का महत्त्व बताइये।

15.8 संदर्भ ग्रन्थ :

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी की नई भूमिका (गूगल पुस्तक ; लेखक - कैलाशनाथ पाण्डेय)
2. प्रयोजनमूलक हिन्दी : सिद्धान्त और प्रयोग (गूगल पुस्तक ; लेखक - दंगल झाल्टे)
3. आधुनिक बैंकिंग में शब्द निर्णय (गूगल पुस्तक ; लेखक - ओमप्रकाश बिल्लौरै)
4. हिन्दी की भूमिकाएँ (गूगल पुस्तक)
5. प्रयोजनमूलक हिन्दी (डॉ. वखतसिंह गोहिल)

डॉ . एम . मंजुला

ज्ञापन : (Office Memorandum)

उद्देश्य:

कार्यालयी हिन्दी के अंतर्गत विभिन्न प्रचारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस इकाई में हम उनमें परिपत्र, अधिसूचना और ज्ञापन के बारे में भी इस इकाई में जान पायेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद -

1. ज्ञापन शब्द का तात्पर्य, ज्ञापन से संबंधित अंशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
2. परिपत्र का उद्देश्य, विशेषताएँ भाषा शैली आदि की जानकारी पायेंगे।
3. अधिसूचना के अर्थ और स्वरूप, भाषा शैली के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
4. कुछ पत्रों के नमूने प्राप्त कर सकते हैं।

इकाई की रूपरेखा:

- 16.1 प्रस्तावना
- 16.2 कार्यालयीन ज्ञापन
- 16.3 ज्ञापन के प्रकार
- 16.4 परिपत्र
- 16.5 अधिसूचना
- 16.6 सारांश
- 16.7 बोध प्रश्न
- 16.8 सहायक ग्रन्थ

16.1 प्रस्तावना :

कार्यालयीन पत्राचार एक प्रकार से औपचारिक पत्राचार है, जिसका प्रयोग मंत्रालयों, विभागों कार्यालयों में सरकारी निर्णयों की सूचना देने अथवा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। 1. जतलाने, बतलाने या सूचित करने की क्रिया या भाव 2. बोधन 3. किसी घटना या सूचना को लिखकर दिया जाने वाला औपचारिक पत्र। ज्ञापन का अर्थ होता है - किसी को कोई बात बताना, ज्ञात कराना, सूचित कराना या जानकारी देना। ज्ञापन दरअसल पत्र व्यवहार का ही एक रूप है। सरकारी पत्र के रूप में इसका इस्तेमाल मंत्रालय के विभिन्न विभागों के बीच किया जाता है। विभिन्न मंत्रालयों और उसके विभागों के बीच इस्तेमाल के दौरान इसे कार्यालयी ज्ञापन भी कहा जाता

है। सबसे ऊपर फाइल संख्या, भारत सरकार, मंत्रालय और विभाग का नाम लिखा जाता है। स्थान का नाम और तारीख का उल्लेख दाईं ओर किया जाता है। बीच में कार्यालय **ज्ञापन** लिखा जाता है। विषय का संक्षेप में उल्लेख किया जाता है।

16.2 कार्यालयीन ज्ञापन : (Office Memorandum)

ज्ञापन कार्यालय पत्रचार का ही एक महत्वपूर्ण प्रभेद है किंतु समान कार्यालय पत्र व्यवहार और ज्ञापन में अंतर होता है। कार्यालयीन कामकाज में ज्ञापन एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं किंतु टिक अधिकारी दूसरे उनसे कनिष्ठ अधिकारी को लिखते हैं ज्ञापन सीधे विषय से संबंधित प्रायः लिखे जाते हैं अतः ज्ञापन लिखने वाले पदाधिकारी को सरकारी नीतियों तथा सेवा सूत्रों की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। ज्ञापन संक्षिप्त और विषयानुरूप ही लिखे जाने चाहिए। ज्ञापन तैयार करते समय ध्यान रहे कि लंबे चौड़े और वर्णात्मक लेखन नहीं हो। ज्ञापन में ना तो संबोधन होता है और ना ही अत्मनिर्देश होता है किंतु उसके अंत में केवल प्रेषक के हस्ताक्षर तथा पदनाम दिया जाता है। ज्ञापन की भाषा सरल सहज तथा वाक्य एवं पद बिल्कुल छोटे छोटे होने चाहिए। ज्ञापन के बारे में एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखी जानी चाहिए की राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार केंद्रीय कार्यालय में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का अधिकार होगा कि उसे दी जाने वाला ज्ञापन केवल हिंदी में मन सकता है और अपना स्पष्टीकरण आदि भी केवल हिंदी में ही प्रस्तुत कर सकता है।

ज्ञापन किसे कहते हैं

राजकीय पत्राचार में जब अपने समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों को साधारण संदेश देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे ही ज्ञापन कहते हैं।

16.3 ज्ञापन के प्रकार :

ज्ञापन के दो प्रकार होते हैं

1. ज्ञापन
2. कार्यालय ज्ञापन

1. ज्ञापन:-

अ) ज्ञापन को एक ही मंत्रालय के विभाग में प्रस्तुत किया जाता है जैसे शिक्षा मंत्रालय के ज्ञापन को विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रालय में प्रस्तुत ही प्रस्तुत किया जाएगा। प्रेषक के नाम, पद, पता लिखकर उसके नीचे 'सेवा में लिखते हुए प्रेषिती (पत्र पाने वाले) का नाम-पद-पता लिखना चाहिए। जिस विषय को लेकर पत्र लिखा जा रहा है उसका उल्लेख प्रेषिती के थोड़े नीचे से मध्यभाग में 'विषय' शब्द लिखकर किया जाता है। बायीं तरफ प्रेषिती को सम्बोधन के लिए 'महोदय', 'महोदया', 'मान्यवर' आदि लिखा जाता है।

आ) ज्ञापन शब्द से तात्पर्य है :

अ) जतलाने, बतलाने या सूचित करने की क्रिया या भाव (आ) बोधन इ) किसी घटना या सूचना को लिखकर दिया जाने वाला औपचारिक पत्र।

अ). ज्ञापन कब और कैसे दिया जाता है ?

यह किसी बात को बताने या संज्ञान में लाने के लिए सक्षम प्राधिकारी को दिया जाता है। अगर आप बिजली, पानी की समस्या की तरह की बातों को संज्ञान में लाने के लिए विभागीय मंत्री, मुख्य सचिव अथवा मुख्यमंत्री आदि को ज्ञापन देना चाहते हैं तो आप ज्ञापन डाक से भेज सकते हैं।

आ) ज्ञापन का प्रारूप :

मेमो का प्रारूप व्यवसाय लेखन के सामान्य दिशानिर्देशों का पालन करता है। एक मेमो आमतौर पर एक या दो पेज लंबा, सिंगल स्पेस और लेफ्ट जस्टिफाइड होता है। नए पैराग्राफ दिखाने के लिए इंडेंटेशन का उपयोग करने के बजाय, वाक्यों के बीच एक रेखा छोड़ें। व्यावसायिक सामग्री संक्षिप्त और पढ़ने में आसान होनी चाहिए।

इ) ज्ञापन का उपयोग है :

एक मेमोरेण्डम (ज्ञापन) का उपयोग किसी व्यवसाय या संगठन के भीतर लोगों को तत्काल महत्व के बारे में बताने के लिए किया जाता है। एक मेमो उन लोगों या फर्मों को भी भेजा जा सकता है जिनके करीबी या लंबे समय से संबंध हैं, जैसे विक्रेता या सलाहकार। एक व्यावसायिक पत्र की तरह, एक मेमो आपके संचार का एक स्थायी रिकॉर्ड होता है।

उ) ज्ञापन और कार्यालय ज्ञापन में अंतर :

कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन की रूपरेखा में कोई विशेष अन्तर नहीं होता। इन दोनों के बीच केवल यह अन्तर होता है कि कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों के बीच किया जाता है और ज्ञापन का प्रयोग किसी एक मंत्रालय अथवा विभाग के अन्दर ही होता है।

ऊ) ज्ञापन की विशेषताएं :

मेमो संक्षिप्त, प्रत्यक्ष और नेविगेट करने में आसान होते हैं। वे पत्रों की तुलना में कम औपचारिक होते हैं लेकिन उन्हें एक पेशेवर, संक्षिप्त शैली बनाए रखनी चाहिए। अक्सर, व्यापार ज्ञापन का उद्देश्य दो गुना होता है: किसी समस्या की पहचान करना और समाधान का प्रस्ताव देना। दूसरी बार, मेमो तथ्यात्मक जानकारी प्रदान या अनुरोध कर सकते हैं।

2. कार्यालय ज्ञापन :- कार्यालय ज्ञापन वह ज्ञापन होता है जहां पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच संदेशों का आदान-प्रदान किया जाता है जैसे बिहार राज्य के कृषि विभाग के ज्ञापन को पश्चिमबंगाल राज्य के व्यवसायिक विभाग में प्रस्तुत किया जाना कार्यालय ज्ञापन कहलाता है।

कार्यालय ज्ञापन – नमूना:

भारत सरकार
राज्य सरकार
कृषि विभाग

संख्या:4(7) कृषि/2021/245-395

पश्चिम बंगाल, 3 अप्रैल 2021

ज्ञापन**विषय:-** कृषि विकास योजना अभियान

1 मई से हम प्रदेश में कृषि विकास योजना अभियान आरंभ करने जा रहे हैं इस अभियान के तहत पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों को कृषि के विभिन्न तरीकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग एवं सरकार द्वारा मदद के बारे में जानकारी दी जाएगी जिससे किसान कृषि के उपज को बढ़ा सकता है। इस बड़े अभियान में प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारियों से सहयोग की अपेक्षा है हमें प्रदेश के प्रत्येक गांव के हर एक गली मोहल्ले तक इस सूचना को पहुंचाना है और यह प्रयास करना है कि एक भी किसान कृषि विकास योजना से वंचित न रह जाए।

अरविंद कुमार
शासन सचिव

सेवा में,

1. निदेशक कृषि विभाग
2. सभी मुख्य कृषि अधिकारी
3. सभी कृषि अधिकारी

विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं? विज्ञापन वैसे तो कई प्रकार के होते हैं परन्तु इसके मुख्य प्रकार 8 हैं जो निम्नलिखित रूप से विभाजित है :-

- वर्गीकृत विज्ञापन ...
- सजावटी विज्ञापन ...
- वर्गीकृत सजावटी विज्ञापन ...
- समाचार सूचना विज्ञापन ...
- उपभोक्ता विज्ञापन ...
- औद्योगिक विज्ञापन ...
- वित्तीय विज्ञापन

16.4 परिपत्र :

जिन पत्रों के माध्यम से सूचनाओं और आदेशों को प्रसारित किया जाता है , उन्हें परिपत्र कहा जाता है। परिपत्र को अंग्रेजी में Circular कहते हैं। प्रत्येक कार्यालय में प्रायः कई सूचनाएं, आदेश, प्रसारित होते रहते हैं। वे सूचनाएं एवं आदेश जो सभी अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों के संबंध में होते हैं वे परिपत्र के माध्यम से भेजे जाते हैं। जिन पत्रों के द्वारा सूचनाएं और आदेश प्रसारित किए जाते हैं उन्हें परिपत्र कहा जाता है बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए परिपत्र जारी किया जाता है। जिस मुद्दे को लेकर पहला परिपत्र जारी किया जाता है उस मुद्दे पर होने वाला फैसला भी परिपत्र के रूप में जारी किया जाता है जिसमें निर्णय को कार्यान्वित किए जाने के निर्देश होते हैं।

शासन प्रणाली में एक कार्यालय के अधीन कई कार्यालय होते हैं। उनमें कई कर्मचारी होते हैं। यह श्रृंखला ऊपर से नीचे की ओर चलती है।

परिपत्र के उद्देश्य

परिपत्र कई उद्देश्यों के लिए जारी किए जाते हैं जो निम्न प्रकार हैं-

1. नियमों या अनुदेशों को आवश्यकतानुसार सामान्य रूप से सूचित करना परिपत्र का उद्देश्य है।
2. मंत्रालय या विभागीय कार्यालय जब कोई सूचना अथवा अमुद्देश अपने अधीन कार्यालयों को भेजना चाहता है परिपत्र का प्रयोग किया जाता है।
3. एक व्यवसाय की स्थापना या हस्तांतरण।
4. एक नई शाखा खोलना।
5. परिसर में परिवर्तन।
6. किसी व्यवसाय को लेना या बंद करना।
7. व्यापार का विघटन या एकीकरण।
8. कर्मचारी की नियुक्ति, छुट्टी या सेवानिवृत्ति।
9. एक भागीदार की प्रवेश या मृत्यु।
10. बोनस जारी करना।
11. शेयर धारकों को सही शेयरों की पेशकश।

परिपत्र की विशेषताएँ

1. परिपत्र हमेशा उच्च कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भेजा जाता है।
2. परिपत्र में उच्च कार्यालय द्वारा लिए कोई विशेष निर्णय, विशेष प्रस्ताव, विशेष रियायत या किसी अन्य विषय से संबद्ध सूचनाएं जो सर्वप्रभारी होती हैं भेजी जाती हैं।
3. एक परिपत्र में एक ही विषय होता है।
4. इसमें संबोधन नहीं होता है।

5. इसकी भाषा आदेशात्मक होती है।
6. यह औपचारिक शैली में ही लिखा जाता है।
7. इसकी विषय वस्तु सारगर्भित होती है।
8. संक्षेप में ही पूर्ण विवरण दिया जाता है।
9. परिपत्र में कार्यालय की सामान्य सूचना होती है।

परिपत्र को तैयार करते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

1. परिपत्र सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए।
2. जानकारी पूर्ण होना चाहिए।
3. वे अस्पष्ट नहीं होना चाहिए।
4. परिपत्र स्वर में विनम्र होना चाहिए और फॉर्म में प्रसन्न होना चाहिए।
5. एक परिपत्र पत्र का मसौदा तैयार करते समय इसका उद्देश्य ध्यान रखा जाना चाहिए।
6. परिपत्र पत्र संक्षिप्त होना चाहिए।
7. भाषा में चुस्ती और कसाव अपेक्षित है, जिससे संदेश सरल, स्वाभाविक सुंदर और प्रभावी लगे।

उदाहरण-नमूना

परिपत्र का प्रारूप एवं उदाहरण :

संख्या.....

यदि कोई संलग्नक हो तो 'संलग्नक' लिखकर उसके बारे में लिख देना चाहिए।

प्रेषक:

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष, मण्डल-आयुक्त,
जिलाधिकारी और अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

लखनऊ, दिनांक.....

महोदय,

विषय : शनिवार को कार्यालय अवकाश

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश सं..... दिनांक..... को रद्द करते हुए,
राज्यपाल महोदय की आज्ञा से 1 अप्रैल 2017 से प्रत्येक महीने के प्रथम शनिवार को आधे दिन के अवकाश

के बजाय, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी कार्यालय और संस्थाओं में, प्रत्येक महीने के द्वितीय शनिवार को पूर्ण अवकाश रहा होगा।

भवदीय

हस्ताक्षर

()

मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-

1. सचिवालय के समस्त अनुभाग को सूचनार्थ।
2. विधानसभा सचिवालय
3. विधान परिषद् सचिवाला
4. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
5. राज्यपाल के सचिव को सूचनार्थ।
6. मुख्यमंत्री के सचिव को सूचनार्थ।

प्रश्न : -----

1. परिपत्र की परिभाषा दीजिए।
2. परिपत्र का अर्थ लिखते हुए एक परिपत्र को प्रस्तुत कीजिए।
3. ज्ञापन किसे कहते हैं, उसकी विशेषता क्या है ?
4. ज्ञापन की परिभाषा देते हुए एक नमूने का ज्ञापन लिखिए।
5. सूचना किसे कहते हैं और अधिसूचना किसे कहते हैं ?
6. सूचना का परिभाषा देते हुए उदाहरण प्रस्तुत कीजिए।

16.5 अधिसूचना: (Notification)

अधिसूचना का अर्थ एवं स्वरूप :- नियुक्तियों, पुनर्नियुक्तियों, प्रतिनियुक्तियों, नियमों, आदेशों, स्थानान्तरण, छुट्टी, प्रशिक्षण, सेवानिवृत्ति, निधन आदि की सरकारी सूचना को अधिसूचना या विज्ञप्ति कहते हैं। अधिसूचना गजट में भी प्रकाशित होती है, समाचार-पत्रों में नहीं। आदेश राजपत्रों के विशेष अंक में प्रकाशित होते हैं। इसमें प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है। सूचना पाने वाले अधिकारी या कर्मचारी को पृष्ठांकन से एक प्रति भेज दी जाती है। इसके अतिरिक्त लेखा विभाग अथवा अन्य संबद्ध विभाग को भी सूचित कर देना पड़ता है। प्रायः अधिसूचना राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से जारी की गयी मानी जाती है।

अधिसूचना – नमूना

अधिसूचना का प्रारूप
(हिन्दी का अधिकारिक प्रयोग)

सं० आर० ओ० 1956 ए

गृह मंत्रालय,
भारत सरकार

राष्ट्रपति का निम्नलिखित आदेश आम जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है-
भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का और भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के अतिरिक्त अंकों के देवनागरी स्वरूप का प्रयोग संघ के निम्नलिखित राजकीय प्रयोजनों के लिए , अर्थात् राज्यों के राज्यपालों , उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के अधिपत्रों के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

ह०

संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. महालेखाकर, आंध्र प्रदेश के सूचनार्थ
2. प्रभारी अधिकार, मुद्रण एवं केखन सामग्री , गज़ट में प्रकाशनार्थ ।

सूचना और अधिसूचना में क्या अंतर हैं

सूचना आधिकारिक जानकारी नहीं होती है। सूचना हमें कहीं से भी कोई भी इंसान या व्यक्ति किसी भी वक्त दे सकता है जैसे कहीं पर सड़क दुर्घटना की सूचना या बेटा के स्कूल ना जाने की सूचना। सूचना का संबंध सरकारी आदेश या सूचना से नहीं होता है सूचना का सीधा संबंध खबर देना या सूचित करना होता है । सूचना केवल कुछ लोगों तक सीमित होता है ।

लेकिन अधिसूचना आधिकारिक तौर पर किया जाता है इसे सरकार के द्वारा बदलाव, चेतावनी, नियुक्ति, अवकाश, आदेश, आदि जैसे सूचनाएं जनता को दी जाती है यह अधिसूचना केवल राजपत्र में ही एक विशेष अंक पर प्रकाशित होता है फिर उसे आम जनता तक पहुंचा दी जाती हैं । यह देश के सभी निवासी या राज्य के सभी निवासियों के लिए होता है । अधिसूचना उच्च पदाधिकारी द्वारा प्रकाशित किया जाता है जैसे राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना, मुख्यमंत्री या राज्यपाल द्वारा जारी सूचना, मौसम विभाग द्वारा जारी सूचना जैसे कि इन राज्यों में 7 दिनों तक आंधी के साथ भारी बारिश से मौसम खराब रहे मेमो का प्रारूप व्यवसाय लेखन के सामान्य दिशानिर्देशों का पालन करता है । एक मेमो आमतौर पर एक या दो पेज लंबा , सिंगल स्पेस और लेफ्ट जस्टिफायड होता है। नए पैराग्राफ दिखाने के लिए इंडेंटेशन का उपयोग करने के बजाय , वाक्यों के बीच

एक रेखा छोड़ें। व्यावसायिक सामग्री संक्षिप्त और पढ़ने में आसान होनी चाहिए। इसलिए पाठक को कुछ सूचनाओं को इंगित करने में मदद करने के लिए शीर्षकों और सूचियों का उपयोग करना फायदेमंद होता है।

16.5 सारांश :

ज्ञापन का प्रयोग अधीनस्थ अधिकारियों के ऐसी सूचना भेजने के लिए किया जाता है जो सरकारी आदेश के समान नहीं होता ज्ञापन अन्य पुरुष में ही लिखा जाता है और इसमें भी संबोधन अथवा अधोलेखन नहीं होता सिर्फ अधिकारी के हस्ताक्षर और उसका नाम होता है पाने वाले का नाम और पदनाम हस्ताक्षर के नीचे पत्र की बाईं तरफ लिखा जाता है सरकारी कार्यालयों में अधिकारी अथवा कर्मचारियों की नियुक्तियां , तैयारियां , स्थानांतरण , वेतन वृद्धि आदि अनेक बातों के लिए ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है । इसी के साथ कार्यालय प्रार्थना पत्रों आवेदन पत्र आदि का पावती भेजनी तथा अधीनस्थ कार्यालयों को पूरी तरह सरकारी नहीं होने वाले आदेश भेजने के लिए भी ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के मंत्रालयों के बीच पत्र व्यवहार को कहते हैं। इसके द्वारा परस्पर सूचनाएं भी एकत्र की जाती है। परस्पर मंत्रालयों अथवा विभागों के बीच यह प्रचार होता है जो समान स्तर के हो । विज्ञापनों के प्रति हमें पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए. अपनी बुद्धि तथा औरों के अनुभव का उपयोग करते हुए विज्ञापन की वास्तविकता जाननी चाहिए. लम्बे चौड़े दावों और चमत्कार पूर्ण प्रभावों में फंसकर अपना धन बर्बाद नहीं करना चाहिए।

प्रयोजनमूलक हिन्दी आज भारत के बहुत बड़े फलक और धरातल पर प्रयुक्त हो रही है। केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच संवादों का पुल बनाने में आज इसकी महती भूमिका को नकारा नहीं जा सकता । आज इसने कम्प्यूटर , टेलेक्स, तार , इलेक्ट्रॉनिक , टेलीप्रिंटर , दूरदर्शन , रेडियो, अखबार, डाक, फिल्म और विज्ञापन आदि जनसंचार के माध्यमों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। शोयर बाजार, रेल, हवाई जहाज, बीमा उद्योग, बैंक आदि औद्योगिक उपक्रम , रक्षा , सेना , इंजीनियरिंग आदि प्रौद्योगिकी संस्थान , तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र, आयुर्विज्ञान, कृषि , चिकित्सा , शिक्षा, विश्वविद्यालय , सरकारी और अर्द्धसरकारी कार्यालय आदि कोई भी क्षेत्र हिन्दी से अछूता नहीं रह गया है। चिट्ठी-पत्री , लेटर पैड , स्टॉक-रजिस्टर, लिफाफे , मुहरें , नामपट्ट , स्टेशनरी के साथ-साथ कार्यालय-ज्ञापन, परिपत्र, आदेश, राजपत्र, अधिसूचना , अनुस्मारक, प्रेस-विज्ञापि, निविदा , नीलाम, अपील, केबलग्राम, मंजूरी पत्र तथा पावती आदि में प्रयुक्त होकर अपने महत्त्व को स्वतः सिद्ध कर दिया है। कुल मिलाकर यह कि पर्यटन बाजार , तीर्थस्थल , कल-कारखने , कचहरी आदि अब प्रयोजनमूलक हिन्दी की जद में आ गए हैं। हिन्दी के लिए यह बहुत ही शुभ है।

प्रेषक के नाम, पद, पता लिखकर उसके नीचे 'सेवा में लिखते हुए प्रेषिती (पत्र पाने वाले) का नाम-पद-पता लिखना चाहिए। जिस विषय को लेकर पत्र लिखा जा रहा है उसका उल्लेख प्रेषिती के थोड़े नीचे से

मध्यभाग में 'विषय' शब्द लिखकर किया जाता है। बायीं तरफ प्रेषिती को सम्बोधन के लिए 'महोदय', 'महोदया', 'मान्यवर' आदि लिखा जाता है।

मेमो का दोहरा उद्देश्य होता है: वे समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, और वे समस्याओं का समाधान करते हैं। वे पाठक को नई जानकारी जैसे नीतिगत परिवर्तन, मूल्य वृद्धि, या पाठक को कार्रवाई करने के लिए राजी करके, जैसे कि बैठक में भाग लेने, या वर्तमान उत्पादन प्रक्रिया को बदलने के बारे में सूचित करके अपने लक्ष्यों को पूरा करते हैं। ज्ञापन के बार में निम्न दिये गये नमूना को भी समझेंगे।

16.6 बोध प्रश्न :

1. कार्यालयीन ज्ञापन अर्थ बताते हुये नमूना को भी लिखिये।
2. ज्ञापन के प्रकार कितने हैं ? वर्णन कीजिये।
3. अधिसूचना की परिभाषा दीजिये। नमूना भी लिखिये।
4. “ प्रयोजन मूलक हिन्दी” उदाहरण सहित निबन्ध लिखिये।

16.7 सहायक ग्रन्थ :

1. डॉ भोलानाथ तिवारी की प्रयोजनमूलक हिंदी
2. डॉ विजय पाल सिंह - प्रयोजनमूलक हिंदी
3. डॉ के माधव पण्डित - प्रयोजनमूलक हिंदी

डॉ. एम. मंजुला